मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962

पहला अध्याय

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार- (1) ये नियम 'मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962' कहलायेंगे।

(2) इसका विस्तार - क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

2. परिभाषाएँ- इन नियमों में जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ए/क) 'अधिनियम' से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, सन् 1961) से है।

[1][(कक) 'संपरीक्षक' से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों की संपरीक्षा के लिए, नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(ककक) 'संपरीक्षा फर्म' से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों की संपरीक्षा के लिए प्राधिकृत कोई चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म,]

[2][(बी/ख) 'बोनस' से अभिप्रेत है बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का सं. 21) के उपबंधों के अधीन किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय भुगतान।]

[3][(सी/ग) 'सहकारी-वर्ष' से तात्पर्य प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

[4][(सीसी/गग) 'प्रमाणित प्रति' से तात्पर्य सोसाइटी की किताबों की किसी भी प्रविष्टि की प्रति से है जिस पर कि ऐसी प्रति के नीचे यह प्रमाणित किया गया हो कि यह उस प्रविष्टि की सत्य प्रतिलिपि है, जो कि सोसाइटी की सामान्य पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक की सत्य प्रतिलिपि है, जो कि सोसाइटी की सामान्य पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक में अन्तर्विष्ट है और उसे कारबार के प्रायिक तथा मामूली अनुक्रम में किया गया था और यह कि वह पुस्तक सोसाइटी की अभिरक्षा में अभी भी है। ऐसा प्रमाण-पत्र अधिनियम में यथा परिभाषित अधिकारियों द्वारा दिनांकित तथा हस्ताक्षरित किया गया है।

[4][(सीसीसी/गगग) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण का अध्यक्ष।

[5][(गगगग) 'समन्वयक' से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन संचालित कराने के लिए प्राधिकारी द्वारा न्यस्त किया गया कोई व्यक्ति जो जिला स्तर पर उप/सहायक रजिस्ट्रार, और

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा अंत:स्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा प्रतिस्थापित
4. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा प्रतिस्थापित
5. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा अंत:स्थापित

संभाग स्तर पर संयुक्त रजिस्ट्रार होगा;]

(डी/घ) 'जयपत्र' से तात्पर्य धारा 85 में उल्लिखित किसी आज्ञा, निर्णय या पंच निर्णय से है।

(ई/ङ) 'जय पत्रधारी' से तात्पर्य किसी संस्था या व्यक्ति (जिसमें राज्य शासन भी सम्मिलित है) से है, जो जयपत्र धारण करता हो।

[1][(एफ/च) 'लाभांश' से तात्पर्य किसी सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशों के मूल्य के अनुपात में सोसाइटी के लाभ में से चुकाई गई रकम से है।]

(जी/छ) 'प्ररुप' से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न प्ररुप से है।

[2][(छछ) सरकार से मध्यप्रदेश सरकार अभिप्रेत है।]

(एच/ज) 'निर्णित ऋणी' से तात्पर्य किसी संस्था या व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध जयपत्र प्राप्त किया गया हो।

[3][(जज) 'सदस्य' से म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है।]

[4][(जजज) 'मतदान अधिकारी' से अभिप्रेत है, मतदान केन्द्रों पर मतदान संचालित कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी,

(जजजज) 'पीठासीन अधिकारी' से अभिप्रेत है, मतदान केन्द्रों पर मतदान कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी,]

(आई/झ) 'अध्यक्ष' से तात्पर्य किसी संस्था के अध्यक्ष या चेयरमेन से है।

(जे/ञ) 'वसूली अधिकारी' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे धारा 85 के अंतर्गत पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया हो।

[5][(ञञ) 'रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' से अभिप्रेरत है, सोसाइटी के निर्वाचन संचालन कराने हेतु, निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी तथा इसमें सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी सम्मिलित होगा,]

[6][(के/ट) 'विक्रय पदाधिकारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे रजिस्ट्रार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्णीत ऋणियों की सम्पत्ति की कुर्की तथा उसका विक्रय करने या उसे कुर्क करने तथा अंतरण करने या सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री अथवा उसकी कुर्की तथा अंतरण द्वारा किसी डिक्री को निष्पादित करने के लिये सशक्त किया गया हो।]

(केके/टट) 'अनुसूची' से तात्पर्य इन नियमों के संलग्न अनुसूची से है।

(एल/ठ) 'धारा' से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 14.10.99 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 14.10.99 द्वारा प्रतिस्थापित
4. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.06.2013 द्वारा प्रतिस्थापित
5. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.06.2013 द्वारा प्रतिस्थापित
6. मध्यप्रदेश राजपत्र 4ग दिनांक 5.2.71 द्वारा प्रतिस्थापित

[1][(ठठ) 'मतगणक' से अभिप्रेत है मतों की गणना करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति,]

(एम/ड) 'उपाध्यक्ष' से तात्पर्य किसी संस्था के उपाध्यक्ष या उप-चेयरमेन से है।

[2][(एम/ढ) उन नियमों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुई है किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः दिया गया है।]

दूसरा अध्याय
पंजीयन

3. पंजीयक की सहायता के हेतु अधिकारियों के वर्ग- धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन राज्य शासन पंजीयक की सहायतार्थ सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षाधिकारियों [3][(और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों)] की नियुक्ति कर सकती है।

[4][**4. पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र-**

(1) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी संस्था के पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र रूप 'क' में दिया जावेगा।

(2) उस दशा में जहाँ कि पंजीयन की जाने वाली संस्था के सदस्यों में से कोई एक सदस्य पंजीयत संस्था हो, तो ऐसी पंजीयत संस्था की कमेटी का कोई सदस्य ऐसी समिति के ठहराव द्वारा पंजीकरण के लिये आवेदनपत्र पर उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया जावेगा और ऐसे ठहराव की एक प्रतिलिपि आवेदन-पत्र के संलग्न की जावेगी।

(3) आवेदन-पत्र पंजीयक को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जावेगा या रूबरू सौंपा जावेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्ट्रर में आवेदन की प्रविष्टि करेगा तथा उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित ऐसे आवेदन की एक रसीद, जिसमें ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख भी वर्णित की जायेगी, जारी करेगा।

5. आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कार्यविधि- पंजीयक आवेदन-पत्र पर विचार करेगा तथा आवश्यकता हुई तो, आगे जाँच की आज्ञा देगा या पंजीयन अस्वीकार कर देगा, यदि वह पंजीयन स्वीकृत करने का निर्णय करे, तो वह पंजीयन के हेतु रखे गये रजिस्टर में संस्था को पंजीबद्ध (दर्ज) करेगा इस प्रकार की प्रत्येक प्रविष्टि पंजीयक की मोहर तथा हस्ताक्षर से प्रमाणित की जावेगी। वह संस्था को एक पंजीयन

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा अंतःस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.1995 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 11.10.68 द्वारा अंतःस्थापित
4. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित

प्रमाण-पत्र एवं उसके द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत एवं पंजीकृत उपविधियों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रेषित करेगा।]

[1][**''5-क. सहकारिता का सहकारी सोसाइटियों में स्वयमेव रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही-**

(1) धारा 9-क के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना समझी गई कोई सहकारिता उसकी उपविधियों में संशोधन के लिए अपनी साधारण निकाय सभा में संकल्प पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर नीचे वर्णित दस्तावेजों सहित एक आवेदन प्रस्तुत करेगी :-

(क) साधारण निकाय सभा की कार्यवाहियों की एक प्रति;

(ख) साधारण निकाय सभा में उपस्थित तथा संकल्प के पक्ष में उनके निर्धारित मत देने वाले की संख्या ;

(ग) सहकारिता की उपविधियों की चार प्रतियां ;

(घ) सहकारी सोसाइटी में संपरिवर्तन से संबंधित साधारण निकाय सभा में अनुमोदित उपविधियों की प्रति ;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति ;

(च) पूर्व/पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित वित्तीय पत्रक।

(2) उपनियम (1) के अधीन सहकारिता से आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, ऐसे आवेदन का परीक्षण करेगा तथा यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है और प्रतिस्थापित उपविधियां, अधिनियम और नियमों से असंगत नहीं हैं, तो वह रजिस्टर करेगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा और रजिस्ट्रार सहकारिता के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करेगा तथा उसके सहकारी सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकरण होने संबंधी नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा :

परन्तु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रख्यापन होने के छह माह के भीतर यदि कोई सहकारिता उपविधियों में संशोधन का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करती है, तो रजिस्ट्रार, अपनी स्वप्रेरणा से, अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार संशोधित उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।]

[2][**6. विषय जिनके संबंध में सोसाइटी की उपविधियाँ बनाई जा सकेंगी-** (1) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित विषयों से संबंधित उपविधियाँ संलग्न होगी:-

(ए/क) सोसाइटी का नाम, पता और कार्यक्षेत्र;

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा स्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित

(कक) [1][xxx]

(बी/ख) सोसाइटी का उद्देश्य;

(सी/ग) उसके सदस्यों को दी जाने वाली सेवाएँ;

(डी/घ) सदस्यता अभिप्राप्त करने के लिये पात्रता;

(ई/ङ) सदस्यता अभिप्राप्त करने हेतु प्रक्रिया;

(एफ/च) सदस्य बने रहने के लिये निर्बन्धन तथा शर्तें;

(जी/छ) वह समय सीमा जिसके पूर्व संभावित सदस्य सदस्यता चाहे और अभिप्राप्त करे, जिसके कि सोसाइटी की सेवाओं का उपयोग किया जाता रहे;

(एच/ज) सदस्यता वापस लेने/अन्तरण के लिये प्रक्रिया;

(आई/झ) सदस्यता से हटाने तथा उसके समाप्त करने की प्रक्रिया;

(जे/ञ) सदस्यों के अधिकार;

(के/ट) प्रत्येक सदस्य की सेवाओं के उपयोग, वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्मिलन में भाग लेने के संबंध में प्रतिवर्ष अपेक्षित न्यूनतम कृत्यों का नियत किया जाना, जिससे कि वह सदस्यता के अधिकार, जिसमें मत देने का अधिकार सम्मिलित है, का प्रयोग करने के लिये पात्र रह सके;

(एल/ठ) सदस्य द्वारा शोध्य किसी रकम के संदाय में व्यतिक्रम का परिणाम;

(एम/ड) सोसाइटी की पूंजी, यदि कोई हो, का स्वरूप और राशि;

(एन/ढ) अधिकतम पूंजी जिसका एक सदस्य अभिदाय कर सके;

(ओ/ण) सोसाइटी द्वारा संविदा किये गये ऋणों के लिये सदस्यों के दायित्व का स्वरूप और विस्तार;

(पी/त) सोसाइटी द्वारा उठाई गई निधियों के स्रोत और प्रकार;

(क्यू/थ) वे प्रयोजन जिनके लिये निधियों का उपयोग किया जा सकेगा;

(आर/द) सीमा तथा शर्तें जिनके अधीन निक्षेप, ऋण, ऋण-पत्र और अन्य निधियाँ एकत्रित की जा सकेंगी;

(एस/ध) वे शर्तें तथा प्रयोजन जिनके लिये राज्य सहायता और किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता अभिप्राप्त की जा सकेगी;

(टी/न) अधिशेष के व्ययन की रीति;

(यू/प) विभिन्न निधियों, कोषों का गठन और उनका प्रयोजन;

(व्ही/फ) साधारण और अन्य विशेष सम्मिलनों को बुलाने की रीति और उसकी गणपूर्ति;

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा लुप्त।

(डब्ल्यू/ब) साधारण सम्मिलनों की आवृत्ति;

(एक्स/भ) साधारण निकाय का कर्तव्य और वे विषय जिन पर साधारण निकाय द्वारा कार्य किया जायेगा;

(व्हाय/म) उपविधियों को बनाने अथवा संशोधन करने की रीति;

(जेड/य) निर्वाचन संचालन करने की प्रक्रिया;

(एए/कक) उस दशा में चुनाव संचालित करने की प्रक्रिया यदि रजिस्ट्रार ऐसा करने में असफल रहता है;

(बीबी/खख) संचालक मण्डल का गठन;

(सीसी/गग) संचालक होने की पात्रता;

(घ) संचालक पद पर बने रहने की शर्तें

(डीडी/ङङ) संचालकों, सभापति और पदाधिकारियों के पद की अवधि;

(एफएफ/चच) सभापति, पदाधिकारियों, संचालकों को हटाने और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया;

(जीजी/छछ) मण्डल के सम्मिलन बुलाने की रीति और उसकी गणपूर्ति;

(एचएच/जज) मण्डल के सम्मिलनों की आवृत्ति;

(आईआई/झझ) पदाधिकारियों, जिसमें सभापति सम्मिलित है, की शक्तियाँ तथा कृत्य;

(जेजे/ञञ) मुख्य कार्यपालक की शक्तियाँ तथा कृत्य;

(केके/टट) सदस्यों के हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिये और सदस्यों, संचालकों और कर्मचारीवृन्द के कर्तव्य पूरा न किये जाने के लिये शास्तियाँ;

(एलएल/ठठ) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और कृत्य तथा लेखा परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया, जहाँ सोसाइटी आवश्यक प्रबंध करने में असफल रहती है और लेखा परीक्षा के अनुपालन की समय सीमा;

(एमएम/डड) सोसाइटी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और वाद दायर करने और वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाही में बचाव करने के लिये किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकार;

(एनएन/ढढ) वे शर्तें जिन पर सोसाइटी गैर-सदस्यों से व्यवहार करेगी;

(ओओ/णण) वे शर्तें जिन पर सोसाइटी अन्य सहकारी सोसाइटियों से सहयुक्त हो सकेगी;

(पीपी/तत) वे शर्तें जिन पर सोसाइटी सहकारी संस्थाओं से भिन्न संगठनों से व्यवहार कर सकेगी;

(क्यूक्यू/थथ) अधिकार, यदि कोई हों, जो सोसाइटी किसी सोसाइटी या अन्य परिसंघ को प्रदत्त कर सके और वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन इन अधिकारों का प्रयोग संघ/संघों द्वारा किया जा सकेगा;

(आरआर/दद) परिसमापन के अधीन निधियों के व्ययन की रीति;

(एसएस/धध) सोसाइटी के लिये लेखा वर्ष;

(टीटी/नन) किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में शेयरों तथा हित का नाम निर्देशिती के नाम पर अंतरण;

(यूयू/पप) सोसाइटी के विघटन की प्रक्रिया;

(व्हीव्ही/फफ) गैर सदस्यों की सेवा पर निर्बन्धन, यदि कोई हो;

(डब्ल्यूडब्ल्यू/बब) इसके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वसहायक समूहों का गठन और उनके लिये शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना;

(2) सोसाइटी की उपविधियाँ ऐसे अन्य विषयों के भी उपबन्ध कर सकती है जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है, किन्तु जो सोसाइटी के संगठन तथा इसके कारबार के प्रबंध के आनुषंगिक हों।]

7. उपविधियों के संशोधन की विधि- (1) जहाँ कोई संस्था अपनी उपविधियों में संशोधन प्रस्तावित करे तो ऐसा संशोधन, इस विषय में संस्था की साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा ठहराव पारित किये जाने के अतिरिक्त नहीं किया जावेगा।

(2) ऐसा ठहराव तब तक वैध न होगा जब तक कि प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सदस्य को संस्था की उपविधियों के अनुसार सूचना न दे दी गई हो।

(3) प्रत्येक दशा में जबकि संस्था अपनी उपविधियों में संशोधन प्रस्तावित करती है, पंजीयक को निम्नलिखित के सहित आवेदन पत्र देगी-

(ए/क) रूप 'ख' में प्रमाण-पत्र,

(बी/ख) रुप 'ग' में अन्य जानकारी 4 प्रतियों में, तथा

(सी/ग) रूप 'घ' में प्रस्तावित संशोधन 4 प्रतियों में।

[1][(4) (ए/क)] ऐसा प्रत्येक आवेदन-पत्र साधारण सभा जिसमें ऐसा संशोधन स्वीकार किया गया था, के दिनांक से एक माह के अंदर किया जावेगा, किन्तु पंजीयक विलम्ब का, यदि कोई हो, उपयुक्त कारण होने की दशा में, दोषमार्जन कर सकेगा।

[2][(ख) ऐसा प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा या व्यक्तिश: परिदत्त किया जायेगा। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में आवेदन की प्रविष्टि करेगा तथा रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन की एक रसीद, जिसमें आवेदन की प्राप्ति की तारीख वर्णित की जायेगी, जारी करेगा।]

[3][(5) धारा 11 की उपधारा (2) तथा (3) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत समझी गई उपविधियों के संशोधन की एक प्रति सोसाइटी को जारी की जायेगी।]

8. धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन आज्ञा तामील करने की रीति- पंजीयक द्वारा 12 की उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश में उसके कारणों सहित यथार्थ संशोधन, जो संस्था को करना होगा, का उल्लेख होगा तथा ऐसा आदेश संस्था को प्रत्यक्ष में सौंपा जावेगा या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा संस्था के पते पर भेजा जावेगा।

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित

9. संस्था के नाम में परिवर्तन करने के लिये पालन की जाने वाली शर्तें एवं अपनाई जाने वाली विधि-

(1) धारा 13 के अधीन संस्था के नाम में परिवर्तन, इस प्रकार से जो कि संस्था के उद्देश्यों से प्रतिकूल न हो, किया जा सकेगा।

(2) संस्था के नाम में प्रत्येक परिवर्तन उपविधियों में संशोधन के द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक दशा में जबकि संस्था अपना नाम परिवर्तन करना चाहती हो, पंजीयक को अपना मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र भेजेगी।

(3) पंजीयक द्वारा नाम में परिवर्तन स्वीकार किये जाने के बाद वह संस्था के मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र को संशोधित करेगा और उसे लौटायेगा।

(4) पंजीयक नये नाम की नोंद (दर्ज) उसके द्वारा रखे गये संस्थाओं के रजिस्टर में करेगा।

10. दायित्व में परिवर्तन करने के लिये पालन की जाने वाली एवं अपनाई जाने वाली विधि- धारा 15 के अधीन संस्था के दायित्व में परिवर्तन करने का उक्त धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुये भी, संस्था की साधारण सभा में तत्संबंधी पारित ठहराव जिसमें दायित्व के परिवर्तन की विधि का स्पष्ट रूप के निर्देश हो, निर्णय लिया जायेगा।

11. संस्थाओं का पुनर्गठन- (1) धारा 16 के उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक संस्था जो कि एकीकरण आस्तियाँ और दायित्व का अंतरण, विभाजन या रूपान्तरण करना चाहती हो, पुनर्गठन के हेतु सम्पूर्ण योजना तैयार करेगी, यह दर्शाते हुये कि किस प्रकार प्रस्तावित एकीकरण आस्तियाँ और दायित्व का अन्तरण, विभाजन या रूपान्तरण संस्था के लिये उपयोगी होगा एवं उसे लागू किया जावेगा। जिस योजना में संस्था का दो या अधिक संस्थाओं में विभाजन सन्निहित हो, उसमें संस्था के विभाजन स्वरूप बनने वाली नई संस्था या संस्थाओं का नाम, कार्यक्षेत्र, उपविधियों के प्रारूप से संबंधित प्रस्ताव तथा सदस्यों व साहूकारों की सूची होगी। जिस योजना में संस्था का ऐसे वर्ग में रूपान्तरण सन्निहित हो जिसका उद्देश्य सार रूप में उस वर्ग से भिन्न हो जिसके नीचे वह अधिनियम के अधीन वर्गीकृत की गई हो तो उसके साथ उस वर्ग की संस्था की उपविधियाँ का प्रारूप होगा जिस वर्ग के अन्तर्गत संस्था का रूपान्तरण होना है।

(2) उपनियम (1) के अधीन पुनर्गठन की योजना बना लेने के पश्चात् संस्था अपने सभी सदस्यों को प्रस्तावित पुनर्गठन की योजना के साथ 21 दिन की लिखित सूचना देकर विशेष साधारण सभा बुलाएगी। ऐसी दशा में जब संस्था अन्य संस्था (जिसका आगे अन्य संस्था के नाम से उल्लेख है) के साथ एकीकरण या उसको आस्तियाँ और दायित्व का पूर्ण या आंशिक अन्तरण करना चाहती हो तो संस्था सूचना या प्रस्तावित योजना की प्रतिलिपि अन्य संस्था को सूचनार्थ भेजेगी। संस्था एकीकरण, आस्तियाँ और दायित्व के अंतरण विभाजन या रूपान्तरण, जैसी

भी स्थिति हो, के लिये विशेष साधारण सभा में, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ठहराव पारित करेगी तथा एकीकरण अथवा आस्तियाँ और दायित्व के अंतरण करने की दशा में ऐसे ठहराव की प्रतिलिपि अन्य संस्था को भेजेगी।

(3) ठहराव प्राप्त होने पर अन्य संस्था अपने सदस्यों को 21 दिन की लिखित सूचना के साथ पुनर्गठन योजना एवं उपविधियों के संशोधन भेजकर विशेष साधारण सभा बुलायेगी और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पुनर्गठन योजना और उपविधियों के संशोधन को, यदि कोई हो, स्वीकृत करने का ठहराव पारित करेगी तथा अनुमोदन से संबंधित अपने ठहराव की प्रतिलिपि उस संस्था को भेजेगी जिसने अपना पुनर्गठन करने का निश्चय किया है।

(4) प्रभावित संस्था एकीकरण अथवा आस्तियाँ और दायित्व के अन्तरण की दशा में उपनियम (3) के अधीन अनुमोदन प्राप्त होने पर तथा विभाजन या रूपान्तरण की दशा में उपनियम (2) के अधीन प्रस्ताव पारित होने पर धारा 16 की उपधारा (5) व (6) के अधीन कार्यवाही करेगी।

(5) प्रभावित संस्था उसके द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पंजीयक को भेजेगी तथा उनसे एकीकरण, आस्तियाँ और दायित्व का अन्तरण, विभाजन या रूपान्तरण के निर्णय को अनुमोदित करने का निवेदन करेगी।

(6) उपनियम (5) के अधीन प्रभावित संस्था से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंजीयक को स्वयं का संतोष हो जाने पर कि विधि का ठीक तरह से अनुसरण किया गया है, वह संस्था के निर्णय को स्वीकृत करेगा और एकीकृत, विभाजित या रुपान्तरित संस्था या संस्थाओं का पंजीयन करेगा।

(7) (ए/क) किसी भी संस्था या संस्थाओं के बारे में एकीकरण, आस्तियाँ और दायित्व का अन्तरण, विभाजन या रूपान्तरण के संबंध में धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन निर्देश देने के पूर्व पंजीयक ऐसे एकीकरण, आस्तियाँ और दायित्व के अन्तरण विभाजन या रूपान्तरण के संबंध में पुनर्गठन की प्रारूप योजना, विशेषत: वह रीति, जिसमें एकीकरण, आस्तियाँ और दायित्व के अन्तरण, विभाजन या रूपान्तरण के परिणाम स्वरूप बनने वाली संस्था या संस्थाओं की नई कमेटी या कमेटियाँ गठित की जायेंगी तथा उपविधियाँ जो कि ऐसी संस्था या संस्थाएँ अपनावेगी उनका उल्लेख करते हुये बनायेगा। पंजीयक धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावित प्रारूप निर्देश की प्रतिलिपि संबंधित संस्था अथवा संस्थाओं में से प्रत्येक को, उससे या उनसे (संस्था या संस्थाओं से) यह माँग करते हुये भेजेगा कि वह/वे अपने किसी सदस्य या सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकारों के वर्ग से आपत्तियाँ या सुझाव आमंत्रित करे और ऐसी आपत्तियाँ या सुझावों को उसकी या उनकी राय सहित उस अवधि में भेजें जो कि पंजीयक निर्धारित करे।

(बी/ख) पंजीयक ऐसी सभी आपत्तियों, सुझावों और राय पर विचार करेगा तथा उन आपत्तियों, सुझावों तथा राय के प्रकाश में जैसा उसे वांछित प्रतीत हो ऐसे संशोधन प्रारूप निर्देश में करेगा और धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्देश प्रदान करेगा।

12. दायित्वों के प्रतिशोधन के लिये समझौता या व्यवस्था- [1][(1) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार का आदेश प्राप्त होने पर यथास्थिति, सोसाइटी या परिसमापक सम्मिलन की सूचनाएँ सोसाइटी के व्यय पर यथास्थिति, लेनदारों को या उनमें के किसी वर्ग को या सदस्यों को सम्मिलन की तारीख, समय और स्थान का कथन करते हुये देगा और ऐसी सूचना के साथ सोसाइटी का नवीनतम संपरीक्षित तुलना-पत्र संलग्न किया जायेगा और सूचना उस जिले की, जिसमें सोसाइटी स्थित है, सहकारी सोसाइटियों के भारसाधक उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार को भी भेजी जायेगी।]

(2) संस्था का अध्यक्ष अथवा परिसमापक, उस दशा में जब संस्था का समापन हो रहा हो, सभा की अध्यक्षता करेगा। समझौता या व्यवस्था के प्रश्न पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किया जावेगा। कोई समझौता या व्यवस्था प्रथम दृष्टया व्यवहारिक तथा संभव दिखाई दे तो उस पर मत लिये जावेंगे। प्रत्येक साहूकार अथवा सदस्य जो कि सभा में उपस्थित हो स्वत: वोट देगा तथा परोक्षी स्वीकार न की जायेगी। साहूकारों अथवा सदस्यों जैसी भी दशा हो जो समझौते को स्वीकार करते हों तथा वे जो समझौते का विरोध करते हों, के नामों की सूची बनाई जायेगी और उनके हस्ताक्षर लिये जावेंगे।

[2][**12-क** अधिनियम की धारा 18-क के अधीन जहाँ रजिस्ट्रार कार्यवाही करता है, तो वह स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करवा कर रजिस्ट्रीकरण के समाप्त किये जाने की कार्यवाही की एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा और ऐसी सूचना की प्रति सम्बद्ध सोसाइटी तथा लेनदार सोसाइटी यदि कोई हो, को भी दी जायेगी।

(2) धारा 18-क की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त शासकीय समनुदेशिती को ऐसा पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय किया जायेगा जैसा कि रजिस्ट्रार समय-समय पर अवधारित करें।]

तीसरा अध्याय

सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार

13. लिखित वचन का रूप- धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन लिखित वचन रूप 'ङ' में होगा।

14. सदस्यों के प्रवेश के लिये पालन करने वाली शर्तें- किसी भी व्यक्ति को संस्था के सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि-

(एक) उसने संस्था द्वारा निर्धारित रूप में अथवा पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट रूप में, यदि कोई हो, सदस्यता के लिये लिखित आवेदन न किया हो,

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित

(दो) उसने कम से कम एक हिस्सा न खरीदा हो तथा उसने पूर्ण मूल्य का अथवा अंशों में ऐसी माँगों पर जैसा कि कमेटी अथवा संस्था की साधारण सभा, जैसी दशा भी हो, संस्था की उपविधियों के अनुसार तय कर, चुकारा न किया हो।

(तीन) उसका आवेदन पत्र कमेटी अथवा संस्था की साधारण सभा, जैसी भी दशा हो द्वारा संस्था की उपविधियों के अनुसार स्वीकृत न किया गया हो।

(चार) उसने अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों को पूरा न किया हो।

[1][**14. (ए/क) अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया-** कोई सोसाइटी, किसी सदस्य के प्रवेश के लिये उसकी उपविधियों में तथा इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के माध्यम से कार्य करने वाले अवयस्क को सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगी, अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये वे सदस्य, जिन्हें इस प्रकार सदस्यता प्रदान की गई है, ऐसे संरक्षकों के माध्यम से अधिकारों का उपभोग उन दायित्वों के अध्यधीन रहते हुये करेंगे, जो सोसाइटी की उपविधियों में अधिकथित है।]

[2][xxx]

16. वार्षिक साधारण सभा के पूर्व सदस्यों का प्रवेश या हिस्सों का अन्तरण- कोई भी संस्था अपने वार्षिक व्यापक सम्मेलन, जिसमें संस्था या पदाधिकारियों का चुनाव होने वाला हो, की तिथि से [3][चार माह] पूर्व सदस्यों को प्रवेश या हिस्सों का अन्तरण न करेगी।

परन्तु यदि किसी सोसाइटी की उपविधियों में प्रत्यायुक्तों द्वारा साधारण सम्मिलन के लिये कोई उपबंध है, तो ऐसी सोसाइटी प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन के लिये सम्मिलन बुलाये जाने की तारीख से [4][चार माह] के भीतर सदस्यों को प्रवेश नहीं देगी या सदस्यों को अंश का अन्तरण नहीं करेगी।

17. सदस्य का हटाना व हिस्से की वापसी- (1) अधिनियम एवं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सदस्य, संस्था को तीन मास की सूचना देने के बाद तथा कमेटी या संस्था की साधारण सभा जैसी भी दशा हो, की स्वीकृति से संस्था की सदस्यता से हट सकेगा तथा हिस्से या हिस्सों की वापसी की माँग कर सकेगा, यदि वह संस्था का मूल ऋणी या जमानतदार के रूप में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: ऋणी न हो, किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसे हटने या वापसी को संस्था की उपविधियाँ या किसी अन्य संस्था के या शासन के साथ इकरारनामे के अधीन अस्वीकृत न किया गया हो।

(2) संस्था हिस्सा या हिस्सों के मूल्य की वापसी उपनियम (1) के अधीन सदस्यता से हटने के दिनांक से दो वर्ष पूर्ण होने तक रोक सकेगी।

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र 4ग दिनांक 29.6.88 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा विलोपित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा स्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा स्थापित

(3) किसी भी सहकारी वर्ष में संस्था की अंशपूंजी की कुल वापसी ठीक पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के अंतिम दिन को संस्था की प्राप्त अंशपूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक न होगी, किन्तु यह प्रतिबंध उस संस्था पर लागू न होगा जिस पर बाहरी दायित्व नहीं है या ऋणी संस्था होने की दशा में जिसे अपने साहूकारों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो।

(4) उपनियम (1) से (3) में निहित प्रतिबंध राज्य शासन पर लागू न होंगे, यदि उसने संस्था की अंशपूंजी में, प्रत्यक्षत: या अन्य संस्था के द्वारा अप्रत्यक्षत: अभिदान दिया हो तथा ऐसी अंशपूंजी संस्था द्वारा राज्य शासन को संस्था व राज्य शासन के बीच हुये अनुबंध की शर्तों के अनुसार वापस की जावेगी।

[1][**17. (ए/क) ऋण आदि के भुगतान लेखे अंश का समायोजन-** कोई सोसाइटी किसी सदस्य या पूर्व सदस्य या मृत सदस्य को ऋण मुक्त करने हेतु [2][xxxx] उस सदस्य का या उसके उत्तराधिकारी का अंश किसी मांग के भुगतान के लेखे समायोजित कर सकेगी।

परन्तु सोसाइटी द्वारा ऐसा समायोजन, तब किया जायेगा जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्देशित किया जाये:]

परन्तु यह और भी कम से कम एक अंश असमायोजित रखा जायेगा जिससे कि वह सदस्य सोसाइटी में अपनी सदस्यता बनाये रखने हेतु समर्थ हो सके।

[3][xxx]

19. उत्तराधिकारी का नामांकन- (1) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन उसका हिस्सा या हित के अन्तरण के आशय के लिये संस्था का सदस्य किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकेगा जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसका हिस्सा अथवा हित अन्तरित किया जावेगा। ऐसा सदस्य समय-समय पर ऐसे नामांकन निरस्त अथवा परिवर्तित कर सकेगा।

(2) सदस्य द्वारा किया गया कोई भी नामांकन वैध न होगा तथा सदस्य की मृत्यु की दशा में प्रभावशील न होगा जब तक कि-

(ए/क) वह लिखित में न किया गया हो तथा सदस्य ने दो गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके उस पर उनकी गवाह न करवाई हो, तथा-

(बी/ख) इस आशय के लिये संस्था में रखी गई पुस्तक में उसे लेखबद्ध न किया जाये।

20. सदस्य के हिस्से या हित का मूल्य निर्धारित करने की विधि- जहाँ संस्था के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाये तो संस्था की पूंजी में उसके हिस्से या हित के मूल्य की धनराशि उसे या उसके नामांकित

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 15.6.2011 द्वारा विलोपित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा लुप्त

व्यक्ति, उत्तराधिकारी या वैध प्रतिनिधि को, जैसी भी दशा हो, देने के लिये निम्न रीति से निश्चित की जावेगी अर्थात्-

(1) असीमित दायित्व की संस्था होने की दशा में यह (रकम) संस्था द्वारा ऐसे या हित के संबंध में प्राप्त की गई वास्तविक रकम होगी।

(2) सीमित दायित्व की संस्था होने की दशा में यह रकम सदस्यता समाप्ति से पूर्ववर्ती अंतिम आडिट की हुई बैलेंसशीट में बताई गई संस्था की आर्थिक स्थिति के आधार पर निकाली जावेगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस प्रकार निश्चित की गई रकम संस्था द्वारा ऐसे हिस्से या हित के संबंध में प्राप्त वास्तविक रकम से अधिक न होगी।

[1][**21. रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण-** किसी सोसाइटी का कोई सदस्य रजिस्ट्रार कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों का नि:शुल्क निरीक्षण कर सकेगा तथा निम्नलिखित फीस का संदाय करने पर उनकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त कर सकेगा:-

(क)	सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन	रुपये 5.00 प्रत्येक
(ख)	रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र	रुपये 5.00 प्रत्येक
(ग)	सोसाइटी की उपविधियाँ	रुपये 15.00 प्रत्येक
(घ)	सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन	रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(ङ)	किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के रद्द किये जाने का आदेश	रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(च)	वार्षिक स्थिति विवरण पत्रक	रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(छ)	धारा 53 के अधीन किसी समिति के अधिक्रमण का आदेश	रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(ज)	धारा 64 के अधीन कोई विवाद माध्य-स्थम को निर्दिष्ट करने वाले आदेश	रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(झ)	कोई अन्य आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती हो	रुपये 1.00 प्रति फोलियो

परन्तु खंड (छ) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां केवल समिति के सदस्य द्वारा खंड (ज) में केवल विवाद के पक्षकारों द्वारा तथा खंड (झ) में केवल उस व्यक्ति द्वारा जिसे अपील करने का अधिकार हो, अभिप्राप्त की जा सकती है।]

अध्याय चार
संस्थाओं के कर्तव्य विशेषाधिकार, सम्पत्ति तथा निधियां

22. संस्थाओं का पता- (1) प्रत्येक संस्था अधिनियम के अधीन पंजीकृत उपविधियों में दर्शाये अनुसार अपना डाक का पता लिखित रूप में पंजीयक को सूचित करेगी तथा जहाँ कहीं लागू होगा उसमें जिला,

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित

तहसील, नगर या ग्राम, नगर पालिका वार्ड या मोहल्ला, गली का नाम तथा मकान नम्बर का उल्लेख होगा। संस्था का डाक का पता सूचित करते समय संस्था की कमेटी पंजीयक को सूचित किये गये पते को अंगीकृत करने के लिये पारित ठहराव की एक प्रतिलिपि भी भेजेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन संस्था से सूचना प्राप्त होने पर पंजीयक संस्था द्वारा सूचित किये गये पते को एक रजिस्टर, जो कि इसी प्रयोजन हेतु रखा जावेगा, उसमें पंजीकृत करेगा तथा संस्था को ऐसे पंजीयन की सूचना देगा,

(3) पंजीकृत पते में प्रत्येक परिवर्तन की [1][तीस दिन के भीतर] सूचना संस्था पंजीयक को दी जावेगी, ऐसा कोई भी परिवर्तन पंजीयत न माना जावेगा जब तक कि-

(एक) उसे उपविधियों में संशोधन द्वारा दर्शित न किया जावे तथा इस प्रकार का संशोधन अधिनियम के अधीन पंजीकृत न किया जावे, तथा

(दो) उपनियम (2) में बताई रीति से परिवर्तन पंजीयत न किया जावे।

(4) संस्था का पंजीयत पता अथवा समय-समय पर उसमें किये गये परिवर्तन, जो कि पंजीयत किये जावें, पंजीयन के तुरन्त पश्चात संस्था के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जावेंगे।

23. सदस्य और हिस्सों का रजिस्टर तथा सदस्यों की सूची- (1) प्रत्येक संस्था सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी और उसमें निम्न विवरण की प्रविष्टि होगी-

(ए/क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा धंधा;

(बी/ख) संस्था की अंशपूंजी होने की दशा में प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंश (हिस्सा);

(सी/ग) दिनांक जबकि प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य रूप में प्रवेश दिया गया था;

(डी/घ) कमेटी अथवा साधारण सभा, जैसी भी स्थिति हो, के ठहराव का क्रमांक व दिनांक जिसमें किसी व्यक्ति को सदस्य रूप में प्रवेश दिया गया यदि वह संस्था के पंजीयन हेतु प्रार्थियों में से कोई एक नहीं है;

(ई/ङ) सदस्य के नामांकित व्यक्ति का नाम;

(एफ/च) दिनांक, जबकि सदस्य द्वारा कथित नामांकन किया गया;

(जी/छ) दिनांक जिस पर कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया।

[2][(एच/ज) सदस्य की जाति यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो।]

(2) प्रत्येक संस्था जिसकी अंशपूंजी रुपये 5000/- से अधिक हो, अंशों/हिस्सों का रजिस्टर रखेगी।

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित

[1][(3)(ए/क) प्रत्येक सोसाइटी प्रत्येक सहकारिता वर्ष के अंतिम दिवस को सदस्य/प्रत्यायुक्त (डेलीगेट्स) की तथा सदस्य सोसाइटियों के प्रतिनिधियों (रिप्रेजेन्टेटिव) का एक सूची तैयार करेगी. सूची सोसाइटी के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण किये जाने हेतु उपलब्ध रहेगी।

[2][(बी/ख) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 50-क के अधीन निरर्हित है, खण्ड (ग) के अधीन सूची तैयार करने से पूर्व उसको इस प्रकार निरर्हित किये जाने के तथ्य सहित सूचित किया जाएगा. धारा 50-ए/क के अधीन व्यतिक्रमियों की एक सूची, प्रबंधक/सचिव के हस्ताक्षर से सोसाइटी के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाएगी.]

[3][xxx]

(एफ/च) रिटर्निंग आफीसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति दावे या आपत्ति के बारे में ऐसी संक्षिप्त जाँच करने के पश्चात जैसी कि वह उपयुक्त समझे, अपना विनिश्चय लिखित में अभिलिखित करेगा तथा समस्त दावों और आपत्तियों को उपनियम (3) के खंड (घ) के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख से नौ दिन के भीतर निपटायेगा।

(जी/छ) इस नियम के अधीन कार्यवाहियों में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी विधि-व्यवसायी या काउन्सेल द्वारा नहीं किया जायेगा,

(एच/ज) रिटर्निंग आफीसर अधिनियम की धारा 50-ए/क के अर्थ के अन्तर्गत उन व्यतिक्रमियों को, जो सूची को अंतिम रूप दिये जाने की तारीख को व्यतिक्रमी ही बने रहे, उनके नाम के सामने चिन्ह '×' व्यतिक्रमी देकर उपदर्शित करेगा.

(आई/झ) यथास्थिति रिटर्निंग आफीसर या खंड (च) के अधीन प्राधिकृत किया गया व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा और सोसाइटी द्वारा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई सूची ऐसे विनिश्चय के अनुसार संशोधित की जायेगी, इस प्रकार संशोधित की गई सूची उस सोसाइटी के कार्यालय में रिटर्निंग आफीसर की मुद्रा तथा हस्ताक्षर के अधीन प्रदर्शित करके प्रकाशित की जायेगी, सोसाइटी इस प्रकार संशोधित की गई सूची की छः प्रतियां तैयार करेगी और रिटर्निंग आफीसर को मतदान के समय उसके द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिये प्रस्तुत करेगी,

(जे/ञ) इस प्रकार संशोधित सूची अंतिम होगी और उसकी सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति रिटर्निंग आफीसर या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा सोसाइटी को और रजिस्ट्रार को सौंप दी जाएगी,

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 21.5.2009 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा लोप

[1][xxx]

परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति जिसका नाम सूची में चिन्ह `X व्यक्तिक्रमी' से दर्शाया गया हो, उस तारीख से पूर्व, जिसको कि मतदान होना है किसी भी समय उन शोध्यों को, जिनके कारण वह सूची में व्यतिक्रमी के रूप में दर्शाया गया था, संबंधित सोसाइटी को आवश्यक संदाय करने के पश्चात् और उसके प्रमाण स्वरूप ऐसे प्रारूप में जैसा कि रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिये उपबंधित करे, साक्ष्य पेश करके रिटर्निंग आफीसर से सूची को सही करवा सकेगा;

[2][xxx]

(के/ट) ऊपर खंड (झ) के अधीन अंतिम सूची प्राप्त होने पर, धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन आने वाली किसी सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार तद्नुसार समिति में उन स्थानों की संख्या नियत करेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों और महिलाओं द्वारा भरे जायेंगे।

[3][(ट/क) (एक) धारा 48-ख की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार, किसी सोसाइटी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के आरक्षण के निर्धारण हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार होगी -

(क) किसी सोसाइटी से अन्य सोसाइटी में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के लिये वर्गवार निर्धारण, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सदस्यों के अनुपात में किया जाएगा जो किसी भी प्रकार से प्रतिनिधियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशित से अधिक नहीं होगा.

(ख) किसी सोसाइटी से अन्य सोसाइटी को भेजे जाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारण करने के पश्चात्, प्रथमत: उन सोसाइटियों, जिसको प्रतिनिधि भेजे जाएंगे, के नाम उल्लिखित करते हुए पृथक पर्चियां तैयार की जाएगी और द्वितीयत: रिटर्निंग आफिसर, संचालक मंडल/भारसाधक अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष इस प्रकार तैयार की गई पर्चियों की ऐसी संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित उन प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर पैरा (ग) में उल्लिखित क्रम में निकाली जाएगी.

(ग) सर्वप्रथम, अनुसूचित जातियों के प्रवर्ग से संबंधित प्रतिनिधियों की ऐसी संख्या की पर्ची निकाली जाएगी जैसे कि सोसाइटियों के नाम जो ऐसी पर्चियों में उल्लिखित किए गए हैं, अनुसूचित जातियों के वर्ग के प्रतिनिधि ऐसी सोसाइटियों में निर्वाचित किये जाएंगे और तत्पश्चात् अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रतिनिधियों की ऐसी संख्या की पर्ची निकाली जाएगी

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 12.4.99 द्वारा लुप्त
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 21.5.209 द्वारा लुप्त
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 21.1.2011 द्वारा प्रतिस्थापित

जैसे कि सोसाइटियों के नाम जो ऐसी पर्चियों में उल्लिखित किए गए हैं, अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग के प्रतिनिधि ऐसी सोसाइटियों में निर्वाचित किए जाएंगे.

(घ) उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही रजिस्ट्र में प्रविष्ट की जाएंगी तथा रिटर्निंग आफिसर द्वारा निकाली गई पर्ची पर, 'अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित', जो लागू हो, अंकित करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा पर्चियां, जो उपयोग में लाई गई हैं मुहरबंद लिफाफे में रखी जाएंगी तथा निर्वाचन अभिलेख साथ सुरक्षित रखी जाएंगी.

(दो) धारा-48 ख की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार किसी सोसाइटी में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों के आरक्षण के निर्धारण हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार होंगी -

(क) यदि सोसाइटी में अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित सदस्यों की संख्या, सोसाइटी में इसके कुल सदस्यों के दो तिहाई से अधिक है तो ऐसे वर्गों के 50 प्रतिशत प्रतिनिधियों को एक सोसाइटी से दूसरी अन्य सोसाइटी को भेजा जाएगा.

(ख) किसी सोसाइटी से अन्य सोसाइटी को भेजे जाने वाले अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारण करने के पश्चात्, प्रथमत: उन सोसाइटियों, जिसको प्रतिनिधि भेजे जाएंगे, के नाम उल्लिखित करते हुए प्रथक् पर्चियाँ तैयार की जाएंगी और द्वितीयत: रिटर्निंग आफिसर, संचालक मंडल/भारसाधक अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, इस प्रकार तैयार की गई पर्चियों की ऐसी संख्या, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित उन प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर निकाली जाएंगी.

(ग) उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी तथा रिटर्निंग आफिसर निकाली गई पर्ची, पर ''अन्य पछड़े वर्गों के लिए आरक्षित'' अंकित करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा पर्चियां, जो उपयोग में लाई गई हैं मुहरबंद लिफाफे में रखी जाएंगी तथा निर्वाचन अभिलेख के साथ सुरक्षित रखी जाएंगी.]

(एल/ठ) किसी ऐसी सोसाइटी के मामले में, जहाँ उपविधियों में साधारण निकाय का गठन प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन द्वारा किये जाने का उपबंध है, तो रजिस्ट्रार साधारण निकाय से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रत्यायुक्तों के लिये स्थानों का आरक्षण धारा 48-बी/ख की उपधारा (3) के अनुसार करेगा और ऐसे समूहों की पहचान भी अवधारित करेगा, जिसमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के प्रत्यायुक्तों का निर्वाचन किया जायेगा।

(एम/ड) उपरोक्त खंडों में किये गये आरक्षण की सूचना खंड (झ) के अधीन अंतिम सूची के प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर रिटर्निंग आफीसर को दी जायेगी और यदि सोसाइटी ऐसा करने में असफल रहती है तो रिटर्निंग आफीसर स्वयं साधारण निकाय में स्थानों की संख्या तथा समूह जिनसे कि ऐसे प्रत्यायुक्तों का निर्वाचन किया जायेगा, आरक्षित करेगा।

[1][**23. ए/क- संघीय सोसाइटी में व्यष्टिक सदस्यों के मतदान के अधिकार-** किसी संघीय सोसाइटी के साधारण निकाय के सम्मिलन में भाग लेने के प्रयोजन के लिये उसके व्यष्टि सदस्य जो लोकन्यास, फर्म, कम्पनी या निगमित निकाय या मध्यप्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से भिन्न हो साधारण निकाय के सम्मिलन की तारीख से पर्याप्त समय पूर्व सोसाइटी के मुख्यालय में आयोजित एक सम्मिलन में प्रत्यायुक्तों का चुनाव करेंगे और केवल इस प्रकार निर्वाचित प्रत्यायुक्त ही संघीय सोसाइटी के साधारण निकाय के सम्मिलन में सोसाइटी के व्यष्टिक सदस्यों की ओर से भाग लेने के लिये पात्र होंगे।]

[2][**24. प्रतिलिपियाँ प्रमाणित करने की रीति-** धारा 34 की उपधारा (1) तथा (2) के प्रयोजन के लिये किसी सोसाइटी को किसी ऐसी पुस्तक या किसी ऐसा दस्तावेज जो कि उसके कारबार के अनुक्रम में अभिप्राप्त की गई हो या रखी गई हो, में की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि-

(ए/क) सोसाइटी के किन्हीं दो अधिकारियों द्वारा धारा-2 ए/क खंड (पाँच) में परिभाषित किये गये अनुसार, या

[3][xxx]

(सी/ग) जहाँ धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया हो वहाँ-

(एक) सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिये नियुक्त किये गये [4][प्रशासक] द्वारा, और

[5][(दो) जहाँ सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिये [6][प्रशासक] को नियुक्त किया गया है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त किये गये [7][प्रशासक] में से किन्हीं दो [8][प्रशासक] द्वारा, या

(डी/घ) धारा 70 के अधीन समापक नियुक्त किया गया हो वहाँ सोसाइटी की मुद्रा के अधीन समापक द्वारा प्रमाणित की जा सकेगी।]

[9][**24-ए/क. सदस्यों को लेखा विवरण का प्रदाय-** (1) ऐसी प्रत्येक सोसाइटी जो अपने सदस्यों को उधार देती है। पहला उधार देते समय प्रत्येक सदस्य को ऐसे प्रारूप में ऋण पुस्तिका जारी करेगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाये।

(2) ऋण पुस्तिका में वर्ष के दौरान दिये गये उधारों तथा की गई वसूलियों से संव्यवहारों की प्रविष्टियाँ करके उसे सहकारी वर्ष के समाप्त होने के तीन माह के भीतर सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा अद्यतन बनाया जायेगा और प्रमाणित किया जायेगा।

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 17.5.85 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा लुप्त

4,6,7,8. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा व्यक्तिगण के स्थान पर शब्द 'प्रशासक' स्थापित

5. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा प्रतिस्थापित
9. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित

(3) ऐसे मामले में, जहाँ कोई सदस्य अपनी ऋण पुस्तिका को अद्यतन करने के लिये सोसाइटी को यदि सहकारी वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो सोसाइटी सदस्य की ऋण पुस्तिका की दूसरी प्रति तैयार करेगी, जिसमें पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष की समाप्ति तक के समस्त संव्यवहारों की प्रविष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी तथा उसे संबंधित सदस्य को जब वह इसके लिये आवेदन करता है या जब वह सोसाइटी से नया उधार लेता है, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रस्तुत करेगी।

(4) सोसाइटी द्वारा प्रथम बार जारी की गयी ऋण पुस्तिका के लिये कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी, परन्तु ऋण पुस्तिका की दूसरी प्रति के प्रदाय के लिये ऐसी फीस, जैसी कि सोसाइटी द्वारा नियत की जाये, संग्रहित की जायेगी।

(5) ऋण पुस्तिका में की गई समस्त प्रविष्टियाँ सही समझी जावेगी, जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये।

25. ऋण प्रदान किये जाने पर निर्बन्धन- (1) कोई भी वित्त प्रबंधक बैंक या साख संस्था भूमि बन्धक बैंक या ऐसी संस्था को छोड़कर जिसका उद्देश्य अचल सम्पत्तियों के बन्धक पर दीर्घावधि ऋण प्रदान करना है, तीन वर्ष से अधिक काल के लिये ऋण प्रदान नहीं करेगी।

[1][किन्तु प्रतिबंध यह है कि पंजीयक ऐसे किसी वित्त प्रबंधक बैंक या साख संस्था को, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, ऐसे कालों के लिये जो तीन वर्ष से अधिक हो किन्तु बीस वर्ष से अधिक न हो, किन्हीं भी आशयों, जो उसके द्वारा आज्ञा में निर्दिष्ट होंगे के लिये ऋण प्रदान करने की अनुज्ञा दे सकेगा।]

(2) किसी संस्था में जहाँ अंशपूंजी सदस्यों द्वारा दी गई है, किसी सदस्य को उसके द्वारा दी गई अंशपूंजी के अनुपात में, जैसा कि उपविधि में निर्धारित किया जावे, ऋण स्वीकृत किया जायेगा, किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग के लिये यह अनुपात, जैसा कि पंजीयक निश्चित करे, घटाया जा बढ़ाया जा सकेगा।

[2][(3) कोई वित्तदायी बैंक/सहकारी सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किये गये नियमों के अनुसार व्यष्टिक, सदस्यों को धन उधार दे सकेगी।]

[3][**25-ए/क. उधार आदि की प्रज्ञापना तहसीलदार को दी जाना-** धारा 37 की उपधारा (1-ए/क) के उपबन्धों के अनुपालन के अतिरिक्त प्रत्येक सोसाइटी, जब रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाये, उस तहसील के, जिसमें सोसाइटी स्थित हो, तहसीलदार को, प्रारूप 'आई' में अपने पूर्व, वर्तमान और मृत, सदस्यों की एक सूची भेजेगी, जिसमें पिछले सहकारी वर्ष की समाप्ति पर उन पर बकाया उधार या अग्रिमों की रकम दर्शायी जायेगी।]

26. ऋण देने वाली एक से अधिक संस्था से उधार लेने पर निर्बन्धन- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो ऋण

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.10.80 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित

देने वाली संस्था (वित्त प्रबंधक बैंक या विपणन संस्था को छोड़कर) एक से अधिक संस्था का सदस्य है या सदस्य बन जावे, इन नियमों के लागू होने के साठ दिन के अंदर अथवा जिस दिनांक को वह ऐसा सदस्य बने, जैसी भी स्थिति हो, यदि उसने पहले से ही यह घोषणा नहीं की है तो वह प्रारूप 'च' में घोषणा करेगा कि वह केवल ऐसी एक संस्था से ही उधार लेगा जो कि घोषणा पत्र में उल्लिखित होगी और ऐसे घोषणा पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि सभी संस्थाओं को भेजेगा जिनका कि वह सदस्य है या सदस्य बन जावे।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपनियम (1) के उपबन्धों का पालन किये बिना एक से अधिक संस्था का सदस्य बना रहे तो वह पंजीयक द्वारा इस संबंध में लिखित माँग किये जाने पर अथवा ऐसी सभी संस्थाओं की सदस्यता से निकाले जाने का दायी होगा।

[1][(3) यदि सोसाइटी रजिस्ट्रार से अध्यपेक्षा प्राप्त होने के दो माह के भीतर कार्रवाई करने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा सोसाइटी की सदस्यता से हटा सकेगा।]

[2][**26-ए/क. किसी सदस्य द्वारा एक ही जिले में की सम्पूर्ण जोत पर उधार लिया जाना-** यदि किसी सदस्य के पास एक जिले में की एक से अधिक सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में कृषिक जोत हो तो वह उनमें से किसी एक सोसाइटी से जिसका वह सदस्य है अपनी सम्पूर्ण जोत पर उधार प्राप्त करने के लिये पात्र होगा।]

27. सदस्य की ऋण सीमा का निर्धारण- संस्था की कमेटी सदस्य की ऋण सीमा निर्धारित करेगी जो संस्था या संस्थाओं के वर्ग जिससे संस्था संबंधित हो, उसके लिये पंजीयक की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर होगी।

[3][**28. डूबन्त ऋणों को बट्टे खाते डालना-** ऐसे समस्त उधारों को, जिनके अन्तर्गत उन पर ब्याज तथा उनके संबंध में वसूली प्रभार आते हैं, जो कि न वसूल होने योग्य पाये जाये तथा संपरीक्षा में डूबन्त ऋण के रूप में प्रमाणीकृत किये गये हो, और समस्त अन्य शोध्यों तथा संचित हानियाँ या सोसाइटी द्वारा हुआ कोई अन्य नुकसान जिनकी वसूली संभव न हो तथा जिनको संपरीक्षा में न वसूल होने योग्य के रूप में प्रमाणीकृत किया गया हो, प्रथम आरक्षित डूबन्त ऋण के नामे बट्टे खाते डाला जायेगा और बाकी, यदि कोई हो, आरक्षित निधि के तथा सोसाइटी की अंशपूंजी के नाम बट्टे खाते डाला जा सकेगा:-

परन्तु यह कि-

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 31.3.79 द्वारा प्रतिस्थापित

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'कमजोर बैंक' के रूप में घोषित किया गया हो, वहाँ बैंक से संबंध प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, साथ ही ऐसे बैंक भी ऋण तथा हानियों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर बट्टे खाते डाल सकेंगे;

(दो) उन क्षेत्रों, जो ऊपर खंड (एक) में उल्लेखित क्षेत्रों से भिन्न हों, सामान्य निकाय की मंजूरी के बिना ऐसा डूबन्त ऋण या हानियाँ बट्टे खाते नहीं डाली जायेंगी।

(तीन) किसी डूबन्त ऋण या हानियों को इस प्रकार बट्टे खाते में डाले जाने के पूर्व, सोसाइटी यदि वह वित्तदायी बैंक की ऋणी हो, ऐसे बैंक से लिखित में अनुमोदित अभिप्राप्त करेगी।

(चार) किसी ऐसे डूबन्त ऋण या हानियों के इस प्रकार बट्टे खाते डाले जाने के पूर्व, सोसाइटी लिखित में रजिस्ट्रार का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी जो अनुमोदन देते समय आरक्षित निधि के नामे बट्टे खाते डाली गई रकम में से पूरी रकम का या आंशिक रकम का भविष्य के लाभ से प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में ऐसी शर्तें, जैसी कि वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा :

[1][परन्तु सोसाइटी को आरक्षित निधि से ऐसी हानि जो अनुमोदित एकमुश्त समझौता योजना एवं लोक अदालत के माध्यम से किए गए समझौते के परिणास्वरूप हुई है, अपलिखित करने के पूर्व रजिस्ट्रार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा.]

[2][(पांच) जब राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी किसी ऋण राहत स्कीम का क्रियान्वयन किसी सोसाइटी द्वारा किया जाता है तो वह अपनी डूबन्त तथा शंकास्पद ऋण आरक्षित निधि को उस स्कीम के अधीन उधारों को बट्टे खाते डालने के लिये समायोजित कर सकेगी।

29. असदस्यों से व्यवहार करने पर निर्बन्धन - कोई भी संस्था सदस्य के अतिरिक्त, धारा 36 एवं 37 में निर्दिष्ट (व्यक्तियों) को छोड़कर, अन्य व्यक्ति से कोई व्यवहार नहीं करेगी जब तक कि-

(एक) संस्था की उपविधि में ऐसा व्यवहार करने की स्वीकृति न दें, तथा

(दो) संस्था द्वारा पंजीयक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

[3][**30. अंशदान की दर-** किसी सोसाइटी द्वारा धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन किया जाने वाला अंशदान-

(ए/क) शुद्ध लाभ का डेढ़ प्रतिशत होगा, जहाँ शुद्ध लाभ पन्द्रह लाख रुपये से अधिक न हो; और

(बी/ख) शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत होगा, जहाँ शुद्ध लाभ पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो।]

31. रक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य निधियों का विनियोग एवं उपयोग- (1) धारा 44 के उपबंधों

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 15.6.2011 द्वारा जोड़ा गया
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 23.9.77 द्वारा प्रतिस्थापित

के अधीन रहते हुये संस्था, पंजीयक की पूर्व स्वीकृति के बिना, अपनी निधियों [1][रक्षित या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये अन्य निर्मित निधि को छोड़कर] को पूर्ण रूपेण या उसके किसी भाग को, भूमि के क्रय अथवा लीज पर लेने या किसी भवन के अर्जन, निर्माण या नवीनीकरण अथवा किसी यन्त्र या [2][रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर नीयत की गई सीमा] से अधिक मूल्य के मशीन चालित वाहन के खरीदने, जो कि संस्था को कारोबार को चलाने हेतु आवश्यक हो, उसके हेतु, विनियोग एवं उपयोग में न लायेगी। इस प्रकार विनियुक्त निधि की धनराशि ऐसे निबन्धनों पर पूरी की जावेगी जैसा कि पंजीयक प्रत्येक दशा में निश्चित करें।

(2) उपनियम (1) के उपबन्ध (निम्नलिखित को) लागू न होंगे-

(ए/क) (निम्न दशा में) अचल सम्पत्ति खरीदने पर,

(एक) संस्था को देय रकम की वसूली के हेतु उसके द्वारा प्राप्त किये गये जयपत्र के निष्पादन में बिक्री होने पर संस्था द्वारा खरीदी गई; या

(दो) वित्त प्रबंधक बैंक से अर्थ प्राप्त संस्था को देय रकम की वसूली के हेतु उसके (संस्था) द्वारा प्राप्त किये गये जयपत्र के निष्पादन में बिक्री होने पर अथवा ऐसी संस्था के परिसमापक द्वारा किये गये विक्रय में, वित्त प्रबंधक बैंक द्वारा खरीदी गई; या

(बी/ख) संस्था जिसके उद्देश्यों में, उसकी उपविधियों के अनुसार खरीदी, लीज, निर्माण या नवीनीकरण सम्मिलित हो उसके द्वारा भूमि की खरीदी या लीज, भवनों का निर्माण या नवीनीकरण।

3.जबकि विनियोग -

(ए/क) संस्था के लाभ में से गठित भवन निधि में संस्था द्वारा; अथवा

(बी/ख) साख संस्था के अतिरिक्त ऐसी संस्था जिसके सदस्यों से उगाई गई अंशपूंजी विशेष प्रकार के व्यापार, जिसके लिये उसका पंजीयन हुआ हो, उस व्यापार को दृढ़ करने के लिये किया गया हो तो उस नियम के अधीन विनियोग की पूर्ति करना आवश्यक नहीं होगा।

32. संस्थाओं को राज्य सहायता- (1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये राज्य शासन-

(एक) संस्था की अंशपूंजी में अंशदान कर सकेगा; अथवा

(दो) संस्था को कर्ज या आर्थिक अथवा अन्य सहायता दे सकेगा, अथवा

(तीन) संस्था द्वारा जारी किये गये, ऋण पत्रों के मूलधन या उस पर के ब्याज अथवा दोनों के चुकारे की गारन्टी दे सकेगा, अथवा

(चार) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तत्समय प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत गठित कोई अन्य प्राधिकरण द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम के मूलधन के भुगतान

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 12.4.85 द्वारा प्रतिस्थापित

के तथा ब्याज के भुगतान की गारन्टी दे सकेगा, अथवा

(पांच) धारा 45 के अधीन संस्था को किसी अन्य प्रकार से राज्य सहायता निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर दे सकेगा, अर्थात्-

(ए/क) जब राज्य शासन किसी संस्था के हिस्से खरीदे तो कथित हिस्सों पर वह उतना ही लाभांश प्राप्त करने का अधिकारी होगा जैसा कि संबंधित संस्था द्वारा घोषित किया गया हो, तथा उस संस्था के अन्य सदस्यों को देय हो;

(बी/ख) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्था उस प्रतिशत दर से, जो राज्य शासन समय-समय पर नियत करे, अधिक न तो लाभांश देगी और न ही कोई लाभ बांटेगी या लेगी;

(सी/ग) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्था पंजीयक के अनुमोदन से संस्था का वेतन भोगी मंत्री अथवा व्यवस्थापक नियुक्त करेगी :

[1][परन्तु सहकारी साख संरचना की दशा में, नियोजन, ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय बैंक द्वारा, विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों के आधार पर, रजिस्ट्रार द्वारा सेवा तथा सेवा नियमों से संबंधित नियोजन के निबंधन तथा शर्तों में उल्लिखित की गई है.]

(डी/घ) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्था निम्नलिखित के लिये बाध्य होगी-

(एक) संस्था के निरीक्षण संबंधी राज्य शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेश के पालन के लिये,

(दो) संस्था से संबंधित सभी हिसाबों के निरीक्षण करने देने के लिये,

(तीन) ऐसे हिसाबों को रखने के लिये तथा ऐसे पत्रकों तथा विवरण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये जैसा कि राज्य शासन अथवा पंजीयक समय-समय पर अपेक्षा करें, तथा

(चार) राज्य शासन द्वारा जारी किया गया कोई आदेश अथवा लगाई गई कोई शर्त जैसा कि उसकी राय में उसके हितों की रक्षा के लिये आवश्यक या इष्टकर हो, उसका पालन करने के लिये।

[2][1-ए/क] कोई ऐसी सोसाइटी जो राज्य सहायता प्राप्त करती है, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित स्टाफिंग पेटर्न से करेगी:-

(1) राज्य सरकार, यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा निदेशित किया जाये, या

(2) अन्य मामलों में रजिस्ट्रार :

[3][परन्तु सहकारी साख संरचना की दशा में, नियोजन, ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय बैंक द्वारा, विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों के आधार पर, रजिस्ट्रार द्वारा सेवा तथा सेवा नियमों से संबंधित नियोजन के निबंधन तथा शर्तों में उल्लिखित की गई है.]

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 15.6.2011 द्वारा जोड़ा गया
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा अंतःस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 15.6.2011 द्वारा जोड़ा गया

(2) यदि कोई संस्था, जिसे किसी भी रूप में राज्य सहायता दी गई हो, अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश का पालन न करे अथवा राज्य सहायता प्रदान करने के लिये लगाये गये किसी निर्बन्धन या शर्तों का उल्लंघन करें, अथवा ऐसी संस्था के हिसाब, विवरण पत्रों, पत्रकों अथवा आडिट रिपोर्ट के निरीक्षण पर राज्य शासन की यह राय हो कि राज्य सहायता वापस ली जाना चाहिये तो राज्य शासन ऐसे प्रतिवेदन पर, जो कि संस्था उतने समय में प्रस्तुत करे जितना की राज्य शासन, इस संबंध में मंजूर करे, विचार करने के पश्चात् निम्न निर्देश करते हुये आदेश दे सकेगा-

(एक) कि किसी भी बकाया ऋण का कोई शेष तुरन्त ही देय हो जावेगा,

(दो) कि ऐसे आदेश के दिनांक से दी गई ग्यारंटी समाप्त हो जावेगी,

(तीन) आदेश होने के दिनांक तक दी गई तथा उपयोग में लाई गई, कोई अन्य राज्य सहायता का सम्पूर्ण मूल्य तुरन्त देय हो जावेगा तथा ऐसे दिनांक के पश्चात् ऐसी राज्य सहायता बन्द हो जावेगी।

(3) राज्य शासन अन्य निबन्धन अथवा शर्तें निर्मित कर सकेगा, जिन पर वह संस्था को राज्य सहायता देगा।

33. कर्मचारियों की भविष्य निधि:- संस्था जिसने धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना की हो, पंजीयक की पूर्व स्वीकृति से ऐसी निधि को बनाये रखने तथा उपयोग में लाने के लिये विनियम बनायेगी ऐसे विनियम में अन्य बातों के साथ निम्न बातें होंगी-

(ए/क) अंशदायी भविष्य निधि का प्रशासन करने वाला अधिकारी;

(बी/ख) कर्मचारियों की श्रेणी जो भविष्य निधि में अंशदान करने की अधिकारी होगी;

(सी/ग) कर्मचारी के वेतन से काटा जाने वाला अंशदान;

(डी/ग) संस्था द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की दर;

(ई/ङ) कर्मचारी की मृत्यु की दशा में अंशधायी भविष्य निधि की रकम का भुगतान करने के लिये नामांकन का तरीका;

(एफ/च) अंशदायी भविष्य निधि के विनियोग तथा उस पर ब्याज देने का तरीका;

(जी/छ) आशय जिसके लिये तथा सीमा जहाँ तक की अंशदायी भविष्य निधि की प्रतिभूति पर अग्रिम दिये जा सकें तथा अवधि जिसके पश्चात् यह किया जा सके तथा मासिक अंशिकाओं की संख्या जिनमें कि उसको आपूर्ति की जाना हो;

(एच/ज) कर्मचारियों के अंशदान तथा संस्था द्वारा किये गये अंशदान की वापसी;

(आई/झ) अंशदायी भविष्य निधि प्रत्याहरण तथा ऐसी अन्य बातें जो आवश्यक हों, उनके संबंध में ऐसे रूप में जैसा कि पंजीयक निर्दिष्ट कर, हिसाबों का रखा जाना;

(जे/ञ) प्राधिकारी जिसे संस्था तथा कर्मचारियों के बीच विवाद को, यदि कोई हो, निर्देश किया जावेगा।

अध्याय पांच

संस्थाओं का प्रबंध

34. साधारण सभाएं :- [1][(1) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की तारीख से तीन महीने की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात की जाये, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता, कमेटी के सदस्यों का चुनाव करने के लिये प्रथम वार्षिक साधारण सम्मिलन बुलायेगा, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहे तो रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा सम्मिलन बुलाया जायेगा, परन्तु इस उपनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उन सोसाइटियों को लागू नहीं होगी,जहाँ कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये रजिस्ट्रार द्वारा समिति के नामनिर्देशन के लिये उपबंध हो।]

(2) प्रथम वार्षिक साधारण सभा को छोड़कर संस्था की सभी साधारण सभाओं की संस्था के मंत्री (प्रबंधक) अथवा संस्था उपविधियों के अधीन ऐसी सभायें बुलाने के लिये प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा बुलाई जावेगी।

[2][(3) जब तक कि उपविधियों में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, साधारण सम्मिलन की सूचना, में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख एवं समय साथ ही सम्मिलन में किए जाने वाले कामकाज के विवरण के साथ सम्मिलन की तारीख से 14 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को साधारण डाक द्वारा भेजी जाएगी एवं सूचना, सोसाइटी के क्षेत्र में परिचालित अधिकतम दो स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी.

[3][xxx]

[4][(ए/क-दो) डाक प्रमाण-पत्र के अधीन साधारण डाक से या व्यक्तिशः प्रदत्त करके यदि सोसाइटी की सदस्य संख्या 250 से कम हो, या

(बी/ख) डाक प्रमाण पत्र के अधीन साधारण डाक से, यदि सोसाइटी की सदस्य संख्या 250 से अधिक हो और ऐसे मामलों में सूचना सोसाइटी के क्षेत्र में प्रसारित स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराई जायेगी;]

[5][परन्तु जब जिले में सोसाइटियों के किसी वर्ग का साधारण सम्मिलन या विशेष साधारण सम्मिलन उसी दिन होना हो तो ऐसी सूचना संबंधित सोसाइटी द्वारा प्रत्येक सदस्य को डाक प्रमाण-पत्र के अधीन भेजी

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 7.10.2011 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 16.5.208 द्वारा लुप्त
1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित
1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित

जायेगी, साथ ही ऐसी समस्त सोसाइटियों की ओर से रजिस्ट्रार के प्राधिकार के अधीन स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में एक सूचना का प्रकाशन किया जाना पर्याप्त होगा।]

35. पंजीयक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बुलाये जाने वाली विशेष साधारण सभा:- इन नियमों अथवा संस्था की उपविधियों में साधारण सभा बुलाने के तरीकों एवं कथित आशय के लिये दी जाने वाली सूचना की अवधि के संबंध में किसी भी बात के रहते हुये भी पंजीयक अथवा इस कार्य के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन विशेष साधारण सभा ऐसी रीति से एवं ऐसे दिनांक, समय अथवा स्थान पर जैसा कि वह निर्देश दे एवं उल्लेख करे कि सभा में किस बात पर चर्चा की जायेगी, विशेष साधारण सभा बुला सकेगा, पंजीयक अथवा इस कार्य के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी सभा की अध्यक्षता करेगा एवं सभा के अध्यक्ष की सभी शक्तियों का उपयोग एवं कर्तव्य का, जिसमें सभा को आगे के दिनांक जो कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जावे, पर बढ़ाना भी सम्मिलित है, पालन करेगा, किन्तु जब तक वह संस्था का सदस्य न हो उसे मत देने का अधिकार न होगा। ऐसी स्थिति में जबकि मतों की संख्या समान हो तो कमेटी के सदस्यों के चुनाव के मामले के अतिरिक्त जबकि उसका हल चिट्ठी डालकर किये जायेगा, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

36. साधारण सभा का अध्यक्ष:- अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा; परन्तु यह कि नियम 34 के उपनियम (1) के अधीन बुलाई गई साधारण सभा की अध्यक्षता ऐसी सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य करेगा।

[1][xxx]

37. साधारण सभा के लिये गणपूर्ति:- [2][(1) सोसाइटी की उपविधियों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, साधारण सम्मिलन की गणपूर्ति सम्मिलन की सूचना की तारीख को कुल सदस्य संख्या के एक बटा दस से या पचास से होगी।]

(2) किसी भी सभा में तब तक कोई कामकाज नहीं किया जावेगा जब तक कि सभा का कामकाज प्रारंभ होने के समय गणपूर्ति न हो।

[3][(3) यदि सम्मिलन के लिये नियत समय के आधा घंटा के भीतर गणपूर्ति न हो तो, सम्मिलन, जब तक कि सम्मिलन बुलाये जाने के सूचना-पत्र में अन्यथा उल्लिखित न हो, सभापति द्वारा ऐसी तारीख, ऐसे समय और स्थान के लिये स्थगित कर दिया जायेगा जैसा कि वह घोषित करे और स्थगित सम्मिलन के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और स्थगित सम्मिलन में सदस्यों को

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा लुप्त
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित

सूचना के साथ परिचालित की गई कार्यसूची के विषयों पर ही चर्चा की जायेगी;]

परन्तु सम्मिलन जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलाया गया हो, स्थगित नहीं किया जायेगा, किन्तु विघटित कर दिया जायेगा।

[1][xxx]

38. साधारण सभा के कार्यवृत्त:- (1) साधारण सभा की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त उस आशय के लिये रखी गई पुस्तक में अंकित किये जावेंगे तथा उस पर सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार से हस्ताक्षरित कार्यवृत्त उस सभा की सही कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा।

(2) जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न किया जाये, संस्था की प्रत्येक साधारण सभा जिसकी कार्यवाहियों के संबंध में कार्यवृत्त इस प्रकार लेखबद्ध किये गये हों, विधिवत बुलाई गई तथा की गई समझी जायेगी।

[2][(3) यथास्थिति, साधारण सम्मिलन या विशेष साधारण सम्मिलन, के कार्यवृत्त ऐसे सम्मिलन की तारीख से 30 दिन के भीतर, सम्मिलन के सभापति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को डाक प्रमाण-पत्र के अधीन भेजा जायेगा।]

39. साधारण सभा में मतदान:-

[3][(1) [4][(ए/क) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य या प्रत्यायुक्त का, जहाँ सोसाइटी की उपविधियों में अन्य सोसाइटियों से भेजे गये प्रत्यायुक्तों या प्रतिनिधियों द्वारा साधारण सम्मिलन का गठन किये जाने का उपबंध हो, केवल एक मत होगा साधारण सम्मिलन में मतदान के लिये रखे गये समस्त संकल्प उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।]

(बी/ख) अधिनियम, नियम या सोसाइटी की उपविधियों में अन्यथा अपेक्षित किये गये के सिवाय या जब तक सम्मिलन में उपस्थित कम से कम दस सदस्यों द्वारा मतदान की माँग न की गई हो, मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा।

(सी/ग) यदि मतदान की माँग न की गई हो तो अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि कोई संकल्प स्वीकृत किया गया है या गिर गया है और कार्यवाही के कार्यवृत्त में इस प्रभाव की की गई प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चयात्मक सबूत होगी कि ऐसा संकल्प सम्यक् रूप से स्वीकृत किया गया है या गिर गया है किन्तु यह मतों की संख्या या अनुपात, जो ऐसे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध अभिलिखित किये गये हों, का सबूत नहीं होगा।]

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा लुप्त
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित
4. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 11.9.96 द्वारा प्रतिस्थापित

(2) यदि मतदान की माँग की गई तो वोट मत-पत्रों द्वारा, ऐसी रीति से जो कि अध्यक्ष इस संबंध में उपविधियों के किसी उपबंध के अधीन रहते हुये निर्देश करे, लिये जावेंगे एवं प्रस्ताव के संबंध में जिस पर कि मतदान की माँग की गई हो मतदान का निर्णय साधारण सभा का निर्णय माना जावेगा।

(3) जब मतदान हो, ठहराव के पक्ष या विपक्ष में मत देने वाले सदस्यों की संख्या कार्यवृत्त पुस्तक में लेखबद्ध की जावेगी।

(4) चाहे हाथ उठाकर अथवा मतदान में, बराबर मत होने की दशा में, सभा के अध्यक्ष को, जिसमें हाथ उठवाये गये हों या मतदान किया जाता है दूसरा अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

40. साधारण निकाय द्वारा कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन:- [1][(1) सोसाइटी, अपनी समिति में सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये, उसकी सदस्यता को, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी आधार पर जैसा कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये, विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकेगी;

[2][xxx]

(2) ऐसी संस्था की उपविधियाँ कमेटी के सदस्यों की संख्या अथवा अनुपात निर्दिष्ट कर सकेगी जो कि ऐसे प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व कमेटी में करने के लिये निर्वाचित किये जा सकेंगे तथा आगे यह भी निर्दिष्ट कर सकेगी कि ऐसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन निम्न रूप से हो सकेगा।

(ए/क) संस्था के सभी सदस्यों द्वारा, अथवा

(बी/ख) ऐसे प्रतिनिधि जिस समूह के हों संस्था के सदस्यों के केवल उस विशिष्ट समूह द्वारा जिससे कि ऐसे प्रतिनिधि संबंधित हों।

41. [3]**[xxx]**

42. [4][xxx]

43. कमेटी की नियुक्ति :- [5][(1) समिति में सदस्यों की संख्या उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जायेगी किन्तु निर्वाचित सदस्यों की संख्या पांच से कम नहीं होगी।]

[6][xxx]

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण द्वारा 26.6.2013 द्वारा लुप्त
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण द्वारा 26.6.2013 द्वारा लुप्त
4. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण द्वारा 14.8.2001 द्वारा लुप्त
5. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण द्वारा 19.4.94 द्वारा प्रतिस्थापित
6. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण द्वारा 19.6.88 द्वारा लुप्त

[1][(2-क) संचालक मंडल की अवधि उसकी मूल अवधि के आधे से कम होने की दशा में संचालक मंडल में हुई आकस्मिक रिक्ति, मंडल द्वारा सदस्यों के उसी वर्ग से, जिससे आकस्मिक रिक्ति हुई है, नामनिर्देशन द्वारा पूर्ति की जाएगी। इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्य संचालक मंडल की अवधि समाप्त होने तक पद धारण करेगाः

परन्तु समिति की किसी सभा में कोई नामनिर्देशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस सभा के लिए प्रसारित की गई कार्य सूची में इस विषय को सम्मिलित न कर लिया गया हो और जब तक कि गणपूर्ति न हो गई हो।]

[2][xxx]

(5) अध्यक्ष कमेटी की सभी सभाओं की अध्यक्षता करेगा, जिसमें कि वह उपस्थित हो। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा अथवा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक को सभा की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे;

[3][परन्तु समिति के उस सम्मिलन की, जिसमें सदस्य या प्रतिनिधि का सहयोजन किया जाना है अध्यक्ष/सभापति का निर्वाचन होना है, अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी।]

[4][(6) समिति के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति उपविधियों में उपबंधित किये गये अनुसार की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में, सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक होगी।]

[5][xxx]

[6][**43 क. समिति के अध्यक्ष या पदाधिकारियों का हटाया जाना-** (1) सोसाइटी की समिति, इस प्रयोजन के लिये आयोजित सम्मेलन में, समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या पदाधिकारी को पद से हटा सकेगी, यदि-

(क) वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों द्वारा उस पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों का निर्वहन करने में घोर उपेक्षा करता हो या उसके कपटपूर्ण कार्य से सोसाइटी को वित्तीय हानि कारित हुई हो;

(ख) वह सोसाइटी को उसके शोध्यों का संदाय करने से लगातार व्यतिक्रम करता हो;

(ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसके प्रति प्रतिकूल टिप्पणी की गई हो;

(घ) वह उसके द्वारा धारित पद का दुरुपयोग करता हो;

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा लुप्त
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित
4. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
5. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा लुप्त
6. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 20.6.2000 द्वारा अंतःस्थापित

परन्तु ऐसा संकल्प उस तारीख से, जिसको कि उसने अपने-अपने संबंधित पद का भार ग्रहण कर लिया हो या ऐसा संकल्प समिति द्वारा अस्वीकृत या स्वीकृत जैसी भी दशा हो, किया जा चुका हो, एक वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाया जायेगा।

(2) ऐसा प्रस्ताव समिति के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनके हस्ताक्षर में आरोप पत्र के साथ सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा प्रस्ताव की एक प्रति रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी को भी भेजी जायेगी।

(3) सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा प्रस्ताव होने पर ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर समिति का सम्मिलन बुलवायेगा तथा ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(4) सोसाइटी के, यथास्थिति, सभापति/अध्यक्ष या पदाधिकारी को, समिति के ऐसे सम्मिलिन में स्वयं का प्रतिवाद करने या अन्यथा का अधिकार होगा।

(5) ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।]

44. कमेटी की सदस्यता के लिये अयोग्यता :- [1][(1)] कोई भी व्यक्ति संस्था की कमेटी के सदस्य के रूप में निर्वाचन सहयोजन या नाम निर्देशन योग्य न होगा तथा उस रूप में अपने पद पर न रहेगा यदि वह स्वयं-

(ए/क) दीवालिया निर्णीत किये जाने के लिये आवेदक है या अनुन्मुक्त दीवालिया है, अथवा

[2][(बी/ख) ऐसे अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित न हो, को छोड़कर किसी अपराध के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो और ऐसा दण्डादेश समाप्त होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि व्यतीत न हुई हो,] [3][अथवा]

(सी/ग) पागल है या हो जावे, अथवा

(डी/घ) संस्था में किसी लाभ के पद पर है अथवा स्वीकार कर ले; अथवा

(ई/ङ) इस प्रकार का धंधा करता है, जो संस्था करती हो; अथवा

[4][xxx]

(एफ/च) धारा 49 या 50 या 53 के अधीन में आदेश में वर्णित कालावधि के लिये निरर्हित हो गया है; अथवा

[5][(जी/छ) उसकी अभ्यर्थिता के नाम निर्देशन के समय या उसके निर्वाचन के पश्चात्, उसकी पत्नी/उसका पति/पिता/माता/भाई/बहिन/पुत्र/पुत्री, सोसाइटी का वैतनिक कर्मचारी है; या]

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 25.8.78 द्वारा पुनः क्रमांकित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
4. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा लुप्त
5. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.8.88 द्वारा प्रतिस्थापित

(एच/ज) अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण अथवा ऋणों के संबंध में बारह मास से अधिक काल तक संस्था या किसी अन्य किसी संस्था के प्रति त्रुटि की है या करे; अथवा

[1][(आई/झ) ऐसे निर्वाचन की तारीख से [2][चार माह] से कम दिनों के लिये सोसाइटी का सदस्य रहा हो; अथवा]

[3][(जे/ञ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उपक्रम संस्था का किसी स्थानीय स्वशासन संस्था या किसी सहकारी सोसाइटी की सेवा से हटाया गया हो।]

[4][xxx]

45. प्रतिनिधि के लिये अयोग्यता- [5][(1) कोई सोसाइटी ऐसे किसी सदस्य को, जो नियम 44 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त हो, अपने प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित नहीं करेगी।]

[6][(2) किसी सोसाइटी का कोई प्रतिनिधि जो किसी अन्य सोसाइटी के साधारण निकाय में या उसकी समिति में उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस हैसियत में अपना पद धारण करना बन्द कर देगा-

(ए/क) यदि वह नियम 44 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त है; या

(बी/ख) यदि वह उस सोसाइटी का, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, सदस्य नहीं रह जाता है; या

(सी/ग) यदि निर्वाचन होते हों और वह सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा प्रतिनिधि निर्वाचित कर लेती है; या

(डी/घ) यदि उस सोसाइटी का जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, रजिस्ट्रीकरण धारा [7][18 या 18-ए/क] के अधीन रद्द कर दिया गया है; या

(ई/ङ) यदि-

[8][xxx]

(दो) उस सोसाइटी की, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, समिति धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा हटा दी गई है; या

(तीन) उस सोसाइटी की, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, समिति धारा-53 की उपधारा (1) के अधीन हटा दी गई है; या

(एफ/च) यदि उस सोसाइटी को धारा 69 के अधीन परिसमापन का आदेश दे दिया गया है;

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा प्रतिस्थापित
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
4. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा लुप्त
5. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 5.5.90 द्वारा प्रतिस्थापित
6. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 5.5.90 द्वारा प्रतिस्थापित
7. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 12.7.95 द्वारा प्रतिस्थापित
8. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा लुप्त

[1][(2-क)यदि कोई प्रतिनिधि, उपनियम (2) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में पदभार त्याग देता है तो सोसाइटी के कामकाज के प्रबंध के लिए अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए प्रशासक को इस प्रकार कारित रिक्ति को भरने की शक्ति होगी।;

(3) सोसाइटी का कोई भी प्रतिनिधि किसी सहकारी बैंक, वित्तीय बैंक, संघीय सोसाइटी या किसी शीर्ष सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपना पद धारित नहीं करेगा. यदि सोसाइटी ऐसे सहकारी बैंक, वित्तीय बैंक, संघीय सोसाइटी या शीर्ष सोसाइटी से उसके द्वारा लिए गए ऐसे किसी ऋण या ऋणों के संबंध में या राज्य सहकारी संघ एवं जिला सहकारी संघ को देय अभिदाय तथा अंशदान के भुगतान में तथा शासन की देनदारी में बारह मास से अधिक कालावधि के लिए व्यतिक्रम करती है या व्यतिक्रमी हो गई है।]

[2][xxx]

46. अनुबंध आदि में हित रखने पर निषेध- (1) संस्था को कोई पदाधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस अधिकारी के रूप में के अतिरिक्त, निम्नलिखित में कोई हित न रखेगा-

(ए/क) संस्था के साथ अथवा द्वारा किये गये किसी अनुबंध में; अथवा

(बी/ख) संस्था द्वारा बेची अथवा खरीदी जाने वाली किसी सम्पत्ति में; अथवा

(सी/ग) संस्था में किये गये विनियोग अथवा उसके लिये गये ऋण या संस्था के वैतनिक कर्मचारियों के आवास के लिये संस्था द्वारा की गई व्यवस्था के अतिरिक्त संस्था के किसी अन्य व्यवहार में।

(2) संस्था को देय धन की वसूली के लिये बेची जाने वाली संस्था के सदस्य की कोई सम्पत्ति संस्था का कोई पदाधिकारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं खरीदेगा।

47. वकील के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध- संस्था का कोई पदाधिकारी जो ऐसी संस्था के या किसी अन्य संस्था के, जो पूर्ववर्ती संस्था की सदस्य हो, के विरुद्ध किसी कानूनी कार्यवाही में वकील के रूप में उपस्थित हो, तो यह माना जायेगा कि उसने संस्था में अपना पद रिक्त कर दिया है।

48. कमेटी की सभा की सूचना- संस्था की कमेटी की सभा की सूचना जिसमें उस सभा में किये जाने वाले कामकाज की कार्यसूची सहित उस सभा का स्थान, दिनांक तथा समय निर्दिष्ट किया जायेगा, लिखित में या ऐसी अन्य रीति में जैसी कि उपविधियों में नियत की गई हो, सभा के दिनांक से पूर्व कमेटी के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी;

किन्तु प्रतिबंध यह है कि कोई भी आवश्यक कामकाज भले ही वह सूचना-पत्र के साथ भेजी गई कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो, सभा के अध्यक्ष की सहमति से प्रस्तुत एवं उस पर विचार किया

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.13 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 12.4.99 द्वारा लुप्त

जा सकेगा।

49. राज्य शासन के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति- धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन संस्था की कमेटी के लिये नाम निर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक कि ऐसा नामांकन वापस न लिया जाये।

[1][**49-ए/क. राज्य सहायता प्राप्त सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य-** (1) धारा 49-ई/ङ की उपधारा (1) के खण्ड (सी/ग) के साथ पठित (ए/क) या उपधारा 2 के खण्ड (बी/ख) के अधीन शीर्ष सोसाइटी अथवा केन्द्रीय सोसाइटी में नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:-

(ए/क) समिति के समग्र नियंत्रण और अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुये सोसाइटी के प्रशासन में सामान्य नियंत्रण रखना;

(बी/ख) अध्यक्ष/सभापति के परामर्श से समिति और साधारण निकाय के सम्मिलन बुलाना;

(सी/ग) सोसाइटी की ओर से सभी धनराशि और प्रतिभूतियाँ प्राप्त करना तथा सोसाइटी के नगद अतिशेषों और अन्य सम्पत्तियों के समुचित रखरखाव तथा अभिरक्षा का इंतजाम करना;

(डी/घ) वचनपत्र, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों का पृष्ठांकन और हस्तांतरण करना तथा सोसाइटी की ओर से चेकों और अन्य परक्राम्य लिखतों का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर तथा परक्रामण करना;

(ई/ङ) सोसाइटी के पक्ष में समस्त बंधपत्रों तथा करारों पर हस्ताक्षर करना;

(एफ/च) सोसाइटी के सामान्य आचरण, पर्यवेक्षण और दिन-प्रतिदिन के कारबार के प्रबंध तथा कामकाज हेतु उत्तरदायी होगा;

(जी/छ) निक्षेप की गई समस्त रसीदों पर हस्ताक्षर करना तथा सोसाइटी के बैंक में खाते का संचालन करना;

(एच/ज) सोसाइटी द्वारा या सोसाइटी के विरुद्ध या सोसाइटी की कार्यों से अन्यथा संबंधित किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करना, संचालित करना, प्रतिरक्षण करना, प्रशमन करना या परित्याग करना और समिति के विनिश्चयों के अनुसार सोसाइटी द्वारा या सोसाइटी के विरुद्ध किन्हीं दावों या माँग के प्रशमन भी करना या उनके भुगतान या तुष्टि के लिये समय भी अनुज्ञात करना;

(आई/झ) सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में ऐसी जानकारी रिपोर्ट तथा विवरणियाँ, जैसी कि रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित की जाये, प्रस्तुत करना;

(जे/ञ) उपविधियों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये सोसाइटी के कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्यों तथा दायित्वों को अवधारित करना;

(के/ट) यथास्थिति समितियाँ किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चयों की संसूचना देना तथा ऐसे

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 19.4.91 द्वारा प्रतिस्थापित

विनिश्चयों के अनुपालन में यथोचित निर्देशों या आदेशों को जारी करना।

(एल/ठ) सोसाइटी के कर्मचारियों या संवर्ग (केडर) कर्मचारियों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जैसी कि अधिनियम की धारा 55 (1) या 54 (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा विरचित सेवा नियमों के अधिकथित की जाये;

(एम/ड) ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग करना जैसा कि सोसाइटी की उपविधियों के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है।

(एन/ढ) उसमें निहित शक्तियों तथा कृत्यों में से समस्त या किसी भी शक्ति या कृत्य को रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये सोसाइटी के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को प्रत्योजित करना।]

(49 ख) [1]**[xxx]**

[2][अध्याय 5-क

सहकारी सोसाइटियों में निर्वाचन संचालन की प्रक्रिया

49- ग. निर्वाचन हेतु सदस्य सूची तैयार किया जाना -

(1) प्रत्येक सोसाइटी, अपने संचालक मण्डल/प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन के लिए धारा 48 की उपधारा (7) या धारा 50-क के अधीन या उपविधि के अनुसार निरर्हित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए सदस्यों की एक सूची प्ररूप छ-1 में तैयार करेगी।

सूची धारा 50-क के अर्थ के अन्तर्गत व्यतिक्रमी के चिन्ह "**x**" तथा शब्द ''व्यतिक्रमी है'', समनुदेशित करके उपदेशित करेगी तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के मामले में सूची में उनके नामों के सामने क्रमशः उनके प्रवर्गों को उपदर्शित किया जाएगा। सोसाइटी इस प्रकार तैयार की गई सूची एवं विहित प्रक्रिया शुल्क प्राधिकारी को या प्राधिकारी द्वारा साधारण अथवा विशिष्ट आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी को, नवीन संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संचालक मंडल के कार्यकाल के अवसान होने की अवधि के कम से कम चार माह पूर्व प्ररूप छ-2 में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगीः-

(क) संचालक मंडल के संकल्प की सत्यप्रति ;

(ख) उपविधि की प्रति ;

(ग) वह तारीख जिसकों अंतिम निर्वाचन हुए थे ;

(घ) वह तारीख जिसको विद्यमान संचालक मण्डल की अवधि का अवसान हो रहा है;

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 15.6.2011 द्वारा लुप्त
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा अध्याय 5-क अंतःस्थापित।

(ङ) धारा 53 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति की तारीख, यदि कोई हो ;

(च) नई-रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की दशा में, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख;

(छ) निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या ;

(ज) क्या उपविधियां, संचालक मण्डल के निर्वाचन के पूर्व, प्रत्यायुक्तों का साधारण निकाय के गठन या वार्डों के सृजन का उपबन्ध करती हैं और इसके लिए की गई कार्रवाई, यदि कोई हो ;

(झ) अन्य जानकारी जो निर्वाचन के संचालन के लिए सुसंगत हो।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति -

उप नियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के पश्चात्, प्राधिकारी आपत्तियां प्राप्त करने, ऐसी आपत्तियों का निपटारा करने तथा अंतिम सदस्यता सूची तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करेगा। प्राधिकारी, आगामी कार्रवाई करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसे नियुक्ति पत्र एवं सदस्यता सूची उपलब्ध कराएगा।

(3) सदस्यता सूची का प्रकाशन -

(क) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप नियम (2) में परिकल्पित किए गए अनुसार सदस्यता सूची प्राप्त हो जाने के पश्चात् तथा सूची में नाम जोड़ने के लिये तथा उसमें की किसी प्रविष्टि पर आपत्ति आमंत्रित करने के लिये प्ररूप छ-3 में सोसाइटी के समस्त सदस्यों को समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशन द्वारा तथा निम्नलिखित में से किसी एक रीति से भेजेगा, अर्थात् :-

(एक) व्यक्तिगत लिखित सूचना की अभिस्वीकृति के माध्यम द्वारा ;

(दो) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ;

(तीन) साधारण डाक द्वारा।

(ख) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची का प्रकाशन प्ररूप छ-4 में -

(एक) संबंधित सोसाइटी के कार्यालय के सूचना-फलक पर ;

(दो) ब्लाक पंचायत के कार्यालय के सूचना-फलक पर ;

(तीन) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की निकटतम शाखा के सूचना फलक पर;

(चार) जिले के उप/सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करवाएगा।

(ग) ऊपर निर्दिष्ट जानकारी में वर्णित किए गए अनुसार न्यूनतम 7 दिन की कालावधि के दौरान, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसी आपत्तियां, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्थान निश्चित किए जाएंगे।

(घ) ऊपर निर्दिष्ट जानकारी के प्रकाशन के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सदस्यता सूची की एक

प्रति समन्वयक के कार्यालय में तथा संबंधित सोसाइटी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा एवं प्रकाशन की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(4) आपत्तियां प्रस्तुत किया जाना :-

(क) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट नहीं किया गया हो या गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों सहित प्रविष्ट किया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्ट कर लिया गया हो और जो स्वयं अपने नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम को, उस सूची में सम्मिलित कर लिए जाने पर आपत्ति करता हो, उपनियम (3) में परिकल्पित किए गए अनुसार सूचना जारी होने की तारीख से विनिर्दिष्ट किए गए अंतिम दिन को कार्यालयीन समय तक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/अंगूठा निशानी सहित लिखित आवेदन देकर दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकेगा तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपत्तियां प्राप्त करने के लिए प्ररूप छ-5 में एक रजिस्टर संधारित करेगा।

(ख) प्रत्येक दावा या आपत्ति ऐसे दस्तावेजों के साथ होगी, जिन पर दावेदार निर्भर करता है। इस प्रकार मय संपुष्ट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत आपत्ति दावेदार के लिए निश्चायक तथा अंतिम होगी।

(5) आपत्तियों का निपटारा -

(क) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दावा या आपत्ति में ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उपयुक्त समझे, अपना विनिश्चय लिखित में अभिलिखित करेगा और ऐसी मांग की जाने पर, तत्काल ऐसे विनिश्चय की एक प्रति, दावेदार को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।

(ख) इस नियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी दावेदार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी या परामर्शी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(ग) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची संशोधित करेगा।

(घ) इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, अपील में, यदि कोई हो, अंतिम होगी और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित कर प्ररूप छ-6 में अपने कार्यालय में रखी जाएगी और उसकी दूसरी प्रति प्राधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी :

परन्तु कोई व्यक्ति जिसका नाम सूची में चिन्ह ''X-व्यतिक्रमी'' से दर्शाया गया हो, उस तारीख से पूर्व, जिसको कि मतदान होना है, किसी भी समय अपने उन शोध्यों को, जिनके कारण वह सूची में व्यतिक्रमी के रूप में दर्शाया गया था, संबंधित सोसाइटी को आवश्यक संदाय करने के पश्चात् और उसके प्रमाणस्वरूप प्ररूप छ -7 में, साक्ष्य पेश करके रिटर्निंग अधिकारी से सूची ठीक करवा सकेगा।

(ङ) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चिय के तीन दिन के भीतर प्राधिकारी या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रत्येक अपील रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ लिखित में प्रस्तुत की जाएगी, अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह ठीक समझे, सात दिन के भीतर समुचित आदेश पारित करेगा और अपील के मान्य किए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निदेश देगा कि वह मतदाता सूची को उसके विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए संशोधित करें। अपीलीय प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यदि अपील का निराकरण 07 दिन की समयावधि में नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अंतिम की गई मतदाता सूची बाध्यकारी और निश्चायक होगी :

परन्तु यह और कि इस प्रकार सदस्यता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् उसकी किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन या विलोपन निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक नहीं किया जाएगा।

(च) प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण तथा उनका जारी किया जाना. -

सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को पांच रूपये फीस का संदाय करने पर सदस्यता सूची का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और उसकी प्रमाणित प्रतियां दो रूपया प्रति पृष्ठ की दर से फीस का संदाय करने पर सोसाइटी अथवा प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी की जा सकेगी।

(छ) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस प्रकार तैयार की गई अंतिम सदस्यता सूची की दो प्रतियां अधिकतम तीन दिन की कालावधि में प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

49-घ. रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति -

(1) प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी के संचालक मण्डल के कार्यकाल के अवसान होने की तारीख से न्यूनतम 20 दिन पूर्व निर्वाचन कराने हेतु रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे नियुक्ति आदेश के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अंतिम मतदाता सूची, जो चिन्हित प्रति होगी, संचालक मण्डल में स्थानों के आरक्षण आदेश अधिनियम की धारा 48 (3) के उपबंधों तथा निर्वाचन संचालन कार्यक्रम के अनुसार होगा।

रिटर्निंग अधिकारी, अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकारी के निदेश के अधीन तथा सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार निर्वाचन करायेगा :

परन्तु सोसायटी का कोई भी सदस्य और कर्मचारी रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

49-ङ. संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया -

(1) (क) धारा 49 की उपधारा (ञ) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आहूत सोसाइटी के यथास्थिति, वार्षिक साधारण सभा या विशेष वार्षिक साधारण सभा में सोसाइटी के सदस्यों द्वारा किया जाएगा :

परंतु जहां सोसाइटी की उपविधियों में उसके साधारण निकाय का गठन प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन द्वारा किए जाने का उपबंध हो, वहां संचालक मण्डल के निर्वाचन प्रत्यायुक्तों में से और प्रत्यायुक्तों द्वारा किए जाएंगे।

(ख) ऐसा निर्वाचन, वार्षिक साधारण सभा की कार्यसूची में सम्मिलित किए गए समस्त अन्य विषयों, यदि कोई हों, पर विचार कर लिए जाने के पश्चात् किया जाएगा।

(2) धारा 48 की उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए जहां संचालक मण्डल में महिला सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने हो, वहां रिटर्निंग अधिकारी सोसाइटी के संचालक मण्डल/प्रशासक के समक्ष लाट डालकर महिला सदस्यों के लिए ऐसे स्थानों का आरक्षण करेगा। इस प्रयोजन हेतु संचालक मण्डल में कुल स्थानों के बराबर पर्चियां तैयार कर उस पर अनारक्षित तथा यथास्थिति, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति, वर्णित करके दो पर्चियां उठाई जाएंगी तथा तद्नुसार महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित होंगे।

(3) निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जाना - रिटर्निंग अधिकारी, यथास्थिति किसी भी सोसाइटी का वार्षिक साधारण सभा या विशेष साधारण सभा की नियत तारीख से 14 दिन पूर्व सोसाइटी के सूचना बोर्ड पर प्ररूप छ-8 में सूचना चस्पा करवाएगा जिसमें अंतर्विष्ट होंगे-

(क) निर्वाचन किए जाने वाले सदस्यों की वर्गवार संख्या ;

(ख) नामांकन की अंतिम तारीख (नामांकन की अंतिम तारीख जो कि उक्त वार्षिक साधारण सभा होने के लिए नियत की गई तारीख से 7 सात दिन से कम नही होगी), समय जिसके बीच तथा स्थान जहां पर नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ग) वह तारीख, जिस पर तथा वह स्थान, जहां पर और वे घंटे जिनके बीच नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी और अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख ;

(घ) यदि आवश्यक हो, तो मतदान की तारीख और स्थान तथा संचालक मण्डल के सदस्यों के रिक्त स्थानों, यदि कोई हों, के लिए सहयोजन करने की तारीख;

(ङ) सभापति/अध्यक्ष, उपसभापति/उपाध्यक्ष तथा अन्य सोसाइटियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों तथा उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य अधिकारियों के निर्वाचन की तारीख।

ऐसी सूचना, सोसाइटी के सदस्यों को प्ररूप छ-9 में समाचार पत्रा में सूचना के प्रकाशन द्वारा तथा निम्नलिखित में से किसी एक रीति से दी जाएगी -

(क) व्यक्तिगत लिखित सूचना की अभिस्वीकृति के माध्यम द्वारा,

(ख) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा,

(ग) साधारण डाक द्वारा,

निर्वाचन के लिये जारी की गई ऐसी सूचना, सोसाइटी के सूचना पटल तथा प्राधिकारी एवं समन्वयक के कार्यालय में तथा ऐसे स्थानीय कार्यालय यथा ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/तहसील/कलक्टर कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी।

(4) नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जाना -

(क) प्रत्येक नामांकन पत्र पर, सोसाइटी, समूह, यदि कोई हो, प्रस्तावक तथा अनुमोदक के रूप में के दो सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे एवं उस समूह का अभ्यार्थी इस पर निर्वाचन के लिए खड़े होने की सहमति प्रकट करते हुए घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।

(ख) समूह, यदि कोई हो, का कोई सदस्य प्रस्तावक तथा अनुमोदक के रूप में उतने अभ्यर्थी के नामनिर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता है जितने रिक्त स्थान उस समूह से भरे जाना हों। प्रत्येक अभ्यर्थी अलग-अलग नामांकन पत्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र फाइल किए जाते हैं, तो उन समस्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(घ) प्रत्येक अभ्यर्थी या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा नामांकन पत्र प्ररूप छ-10 में रिटर्निंग अधिकारी को परिदत्त करेगा।

(ङ) उपरोक्त खण्ड (क) के अधीन नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय वर्गीकृत सोसाइटियों के लिए प्राधिकारी के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा यथा विहित प्रतिभूति की रकम सोसाइटी के पक्ष में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष निक्षेप की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी, नामांकन पत्र प्राप्त होने पर, उस पर उसकी पावती के सरल क्रमांक की प्रविष्टि करेगा तथा उस पर तारीख और समय जिसको कि उसे नामांकन पत्र परिदत्त किया गया था का पृष्ठांकन करेगा। वह नामांकन प्राप्ति की अभिस्वीकृति भी देगा। वह प्रस्तावक, अनुमोदक तथा अभ्यर्थी का नाम और वह पद जिसके लिए अभ्यर्थी लड़ना चाहता है प्ररूप छ-11 में रजिस्टर में उसी क्रम में जिसको कि नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है प्रविष्ट करेगा। जब किसी व्यक्ति ने भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर किए हों तो इस प्रकार हस्ताक्षरित उन पत्रों में से रिक्तियां भरी जाने की संख्या तक प्रथमतः प्राप्त किए गए नामांकन पत्र वैध समझे जाएंगे।

नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, रिटर्निंग अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि नामनिर्देशन पत्र में प्रविष्ट सोसाइटी का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक सदस्यों के सूची में नाम और अनुक्रमांक

उसी प्रकार हैं जैसा कि सदस्यों की सूची में प्रविष्ट हैं :

परन्तु रिटर्निंग अधिकारी, सदस्यों की सूची या नामनिर्देशन पत्र में वर्णित अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक के नाम के संबंध में या किसी ऐसे व्यक्ति के अनुक्रमांक के संबंध में किसी गलत नाम या अशुद्ध वर्णन अथवा लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि को अनुज्ञा नहीं देगा जो सामान्यः समझी जा सकने वाली हैं, और रिटर्निंग अधिकारी ऐसे किसी गलत नाम या अशुद्ध वर्णन या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि, जो सुधारे जाने योग्य है, को सुधारने की अनुज्ञा देगा और जहां आवश्यक हो, वहां सदस्यों की सूची या नामनिर्देशन पत्र में ऐसे किसी गलत नाम, अशुद्ध वर्णन लिपिकीय तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि को नजर अंदाज करेगा। रिटर्निंग अधिकारी इस प्रकार अपना पृष्ठांकन अभिलिखित करने के पूर्व ऐसे रिक्त स्थान को भरवा लेगा।

(च) उपनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन नियत तारीख और समय के पश्चात् कोई नामनिर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी प्रति दिन, नामनिर्देशित व्यक्तियों के साथ उसके प्रस्तावकों, अनुमोदकों तथा अधिकारियों की एक सूची प्ररूप छ-12 में तैयार करेगा और नामनिर्देशनों की पावती के लिए सूचना पटल के नियत स्थान पर उसे प्रदर्शित करेगा।

(5) (क) सम्यक् रूप से प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों की जांच रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपनियम (3) के खण्ड (ग) के अधीन जांच के लिए नियत तारीख को की जाएगी,

(ख) नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को जांच के समय उपस्थित रहने की छूट होगी।

(ग) रिटर्निंग अधिकारी किसी नामनिर्देशन पत्र को केवल किसी ऐसी त्रुटि जो सारवान प्रकृति की न हो के आधार पर निरस्त नहीं करेगा और न ही किसी नामनिर्देशन प्ररूप के संबंध में जिसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है, किसी अनियमितता के आधार पर इसे निरस्त किया जाएगा।

(घ) रिटर्निंग अधिकारी लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से नामनिर्देशन पत्र केवल निम्नलिखित आधारों पर ही निरस्त करेगा :-

(एक) यदि नामनिर्देशन पत्र पूर्ववर्ती उपनियमों के अनुसार नहीं है,

(दो) यदि अभ्यर्थी अधिनियम, नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के अधीन या द्वारा निर्वाचन के लिए निरर्हित है या प्रस्तावक/अनुमोदक मत देने के लिए निरर्हित है।

(ङ) रिटर्निंग अधिकारी वैध नामनिर्देशन पत्रों की एक सूची प्ररूप छ-13 में तैयार करेगा।

(6) कोई अभ्यर्थी उसके द्वारा लिखित में सूचना देकर उपनियम (3) के खण्ड (घ) के अधीन नियत दिनांक को या रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से प्ररूप छ-14 में प्रस्तुत करके अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है। रिटर्निंग

अधिकारी प्ररूप छ-15 में ऐसे अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है। किसी अभ्यर्थियों को उसकी अभ्यर्थिता की वापसी को निरस्त करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(7) नामनिर्देशन पत्रों की जांच पूर्ण हो जाने पर तथा उपनियम (6) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस ले लेने के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों की एक सूची प्ररूप छ-16 में तैयार करेगा, जिनके नामनिर्देशन पत्र वैध हैं और जो अपनी अभ्यर्थिता से नहीं हटे हैं। यदि सूची में एक पद के लिए एक अभ्यर्थी के एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र वैध पाये जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी का प्रथम वैध नामनिर्देशन पत्र मान्य किया जाएगा और वह उसके सही होने के प्रतीक के रूप में सूची पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उसे प्रकाशित करवाएगा और उसे सोसाइटी के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(8) यदि संचालक मण्डल के सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर या उससे कम हो, तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सदस्यों के लिए मतदान की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में प्ररूप छ-17 में घोषणा करेगा और इस तथ्य की सूचना सोसाइटी को देगा।

(9) यदि इस प्रकार निर्वाचित संचालक मण्डल के सदस्यों की संख्या, संचालक मण्डल के सदस्यों के लिए निर्वाचन की सूचना में विनिर्दिष्ट स्थानों की संख्या से कम है, तो शेष स्थानों को रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में की जाने वाली सभा में सहयोजन द्वारा भरा जाएगा :

परन्तु यदि निर्वाचित सदस्यों की संख्या संचालक मण्डल की सभा के लिए नियत गणपूर्ति से कम होती है, तो सहयोजन नहीं किया जाएगा और शेष स्थानों के लिए पुनः नये सिरे से निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

(10) (क) यदि सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, तो ऐसी कालावधि जिसके भीतर उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती हो, समाप्त होने के ठीक पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिनके कि नामनिर्देशन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए गए हों और जिन्होंने विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली हो एक सूची तैयार करेगा तथा प्रकाशित करेगा।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट सूची में, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम, पिता/पति के नाम सहित, हिन्दी में, वर्णक्रम के अनुसार, नामनिर्देशन पत्र में दिये गये हों उनके पते के साथ अंतर्विष्ट होंगे।

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट की गई निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और उसे हिन्दी में देवनागरी लिपि में तैयार किया जायेगा।

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट वर्णक्रम, अभ्यर्थियों के उपनाम के संदर्भ में तथा अन्य अभ्यर्थियों

की दशा में समुचित नाम के संदर्भ में अवधारित किया जायेगा।

(ङ) जहां मतदान आवश्यक हो वहां रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को नीचे सूचीबद्ध किए गये अनुक्रम में एक प्रतीक चिन्ह समनुदेशित करेगा तथा वह प्रतीक मतपत्र पर मुद्रित किया जायेगा-

(1) पुष्प, (2) बैल, (3) तलवार, (4) दो पत्ती, (5) तराजू, (6) सन्दूक, (7) शेर, (8) बैलगाड़ी, (9) कुर्सी, (10) झोपड़ी, (11) पक्षी, (12) माचिस, (13) वृक्ष, (14) पुस्तक, (15) दूरदर्शन, (16) मछली, (17) मृग, (18) कुंआ, (19) पम्प, (20) टेलीफोन, (21) मोटरकार, (22) मोटर सायकिल, (23) वायुयान, (24) रेल इंजिन, (25) नाव, (26) फाउन्टेन पेन, (27) दीवार घड़ी (28) अंगूठी।

(च) यदि खण्ड (ङ) में दिये गये प्रतीकों (चिन्हों) की सूची निःशेष हो जाय, तो रिटर्निंग अधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को अपने स्वविवेक से सूची में विनिर्दिष्ट किए गये प्रतीकों से भिन्न कोई अन्य प्रतीक चिन्ह आबंटित कर सकेगाः

परन्तु किसी अभ्यर्थी को ऐसा कोई प्रतीक (चिन्हों), जो कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किसी राजनैतिक दल को आवंटित किया गया हो, आवंटित नहीं किया जायेगा।

(छ) किसी समूह के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आबंटित किए गये प्रतीक चिन्ह, जो कि उस समूह के लिए तात्पर्यित हो, मतपत्रों पर मुद्रित किए जाएंगे। मतपत्र में केवल नाम दर्शाया जाएगा जिसके लिए कि मत दिया जा रहा है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम तथा प्रतीक चिन्ह उसी अनुक्रम में दर्शायें जाएंगे, जिसमें वे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्ररूप छ-18 में, सोसाइटी के सूचना पटल पर उपनियम (10) के खण्ड (झ) के अधीन प्रदर्शित किए गये हों :

परन्तु जहां अभ्यर्थियों के नाम एक समान समरूप के हैं वहां उनके नाम उनके पिता के नाम के साथ समविष्ट किए जाएंगे।

(ज) किसी समूह के लिए निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के नामों की सूची तथा नियम 10 के खण्ड (ङ) में, यथावर्णित उसी अनुक्रम में, उनमें से प्रत्येक को आबंटित किए गये प्रतीक चिन्हों को, संबंधित समूह के लिए मत डालने के लिए रखी गई मतपेटी के सामने प्रदर्शित किया जाएगा, ऐसी सूची मतदान केन्द्र के दरवाजे पर भी सम्प्रदर्शित की जाएगी।

(झ) रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप छ-18 में तैयार करने के ठीक पश्चात्, सोसाइटी के सूचना पटल पर उसकी एक प्रति प्रदर्शित करवाएगा तथा उसकी एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी भी प्रदाय करेगा।

(11) यदि साधारण सभा गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है तो वैध अभ्यर्थियों की सूची, आगामी साधारण सभा में होने वाले मतदान के लिए वैध होगी।

(12) रिटर्निंग अधिकारी मतदान का संचालन करने के लिए उतने मतदान अधिकारियों तथा उसकी मत-गणना हेतु गणकों की नियुक्ति प्ररूप छ-19 में करेगा जितने कि आवश्यकता हो।

(13) साधारण सभा के स्थान पर एक रजिस्टर रखा जाएगा तथा प्रत्येक सदस्य जो सभा में उपस्थित हो, सभा के स्थान पर प्रवेश करने के पूर्व ऐसे रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा।

(14) मतदान अधिकारी, प्रत्येक मतदाता को सोसाइटी की मुद्रा लगाकर और उस पर दायी ओर अपने हस्ताक्षर करके एक मतपत्र सौंपेगा और मतदाता की तर्जनी उंगली के सिरे पर अमिट स्याही का चिन्ह चिन्हांकित करेगा।

(15) निर्वाचन के संचालन के दौरान, उस स्थान से एक सौ मीटर की परिधि के भीतर, जहां कि मतदान किया जा रहा है, मत देने की संयाचना या याचना करना प्रतिषिद्ध होगा।

(16) रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थियों या उनके अधिकृत मतदान एजेण्टों को, यदि कोई उपस्थित हों, खाली मतपेटियां दिखाएगा, और उनमें केवल मतपत्रों के डाले जाने के लिए छिद्र को खुला छोड़ते हुए उन्हें बंद करके सील करेगा। मतदान, मतपत्रों द्वारा किया जाएगा और मतदाता, उन अभ्यर्थियों के, जिन्हें वह निर्वाचित करना चाहता है, एक पद की दशा में एक एवं एक से अधिक पद के मामले में प्रतीकों (चिन्हों) पर या उसके सामने 'X' का चिन्ह अंकित करेगा, मतपत्र को इस प्रकार मोड़ेगा कि विशिष्ट अभ्यर्थी के बारे में उसका आशय स्पष्ट रहे तथा उसे मतदान पेटी में डालेगा। शारीरिक रूप से अशक्त मतदाता की दशा में जिसे सहायता की आवश्यकता हो, रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतदाता के लिखित आवेदन पर अभ्यर्थियों के प्रतीक चिन्हों पर चिन्ह अंकित करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत करेगा।

(17) रिटर्निंग अधिकारी मतदान कराने के पूर्व वे घंटे जिनके कि दौरान मतदान होगा, नियत करेगा, जो दो घंटे से कम नहीं होगा। इस आशय की घोषणा साधारण सभा में करेगा और इस प्रकार नियत किए गये घंटों के समाप्त होने पर मतदान बंद करवाएगा। उन मतदाताओं को, जो मतदान स्थल पर उपस्थित हैं किन्तु समयाभाव के कारण मत नहीं डाल सके हैं, उसे मतपत्र प्राप्त करने तथा मत देने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा यद्यपि मतदान का नियत समय समाप्त हो गया हो। मतदान समाप्ति के पश्चात्, मतपेटी का छिद्र बंद कर दिया जाएगा और उसे सीलबंद करके गणकों को परिदत्त कर दी जाएगी। उपयोग किए गये तथा उपयोग में न लाये गये मतपत्रों का मतपत्र लेखा तैयार किया जाएगा तथा उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण, उपयोग में न लाये गये मतपत्र एवं मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एक लिफाफे में रख कर, उपनियम (25) में निर्दिष्ट संदूक में सीलबंद करके रखी जाएगी।

(18) निविदत्त मतपत्र - यदि कोई व्यक्ति जो मत दावा करता है कि वह सदस्यता सूची में नामनिर्दिष्ट सदस्य है और लिखित में शिकायत करता है कि ऐसे मतदाता के रूप में किसी दूसरे मतदाता द्वारा पहले से ही उसका मतदान कर दिया गया है, तो आवेदक ऐसे प्रश्नों के सम्यक् उत्तर देने के पश्चात जैसे कि पीठासीन अधिकारी पूछे मतपत्र, जो इसमें इसके पश्चात् ''निविदत्त मतपत्र'' के रूप में निर्दिष्ट है, प्राप्त करने का उसी प्रकार हकदार होगा, जैसे कोई

अन्य सदस्य होता।

प्रत्येक मतदाता, निविदत्त मतपत्र प्रदाय किए जाने के पूर्व, विहित प्ररूप में एक सूची पर उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा।

निविदत्त मतपत्र, मतदान केन्द्र में उपयोग के लिये जारी किए गये मतपत्रों के बण्डल में क्रम में अंतिम होगा। ऐसे निविदत्त मत और उसके प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर पीठासीन अधिकारी द्वारा ''निविदत्त मतपत्र'' अंकित किया जाकर हस्ताक्षरित किए जाएंगे, मतदाता निविदत्त मतपत्र को मतदान कोष्ठ में चिन्हिंत करने और मतपत्र को समुचित रूप से मोड़ कर उसे मतपेटी में डालने के बजाय पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे उस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा।

(19) मतपत्र लेखा - रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी, मतदान के समाप्त होने पर प्रत्येक वर्ग हेतु प्ररूप छ-20 में पृथक्-पृथक् मतपत्र लेखा तैयार करेगा। ऐसे मतपत्र लेखों में की गई प्रविष्टियों की एक सत्यापित प्रति, प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उसके मतदान एजेण्ट, जो मतदान समाप्ति पर उपस्थिति हो, को पावती की प्राप्ति पर दी जाएगी । तैयार किए गये मतपत्र लेखे वर्गवार पृथक-पृथक लिफाफों में रखे जाएंगे, तथा इनके ऊपर ''मतपत्र लेखा ..... (वर्ग का नाम)'' अंकित किया जाएगा।

(20) गणक समस्त मतपत्रों को व्यवस्थित करेंगे तथा उसकी गणना करेंगे -

(क) वे किसी मतपत्र को रिटर्निंग अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् निरस्त करेंगे बशर्ते कि-

(एक) यदि मतपत्र पर कोई हस्ताक्षर है जिससे मतदाता पहचाना जा सके ;

(दो) यदि मतपत्र पर सोसाइटी की मुद्रा या मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर न हों ;

(तीन) यदि मतपत्र पर मत देने के निर्देश संबंधी निर्धारित मुद्रा न हो ;

(चार) यदि मतपत्र पर भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या से अधिक मुद्रायें अंकित हों।

(ख) मतपत्र पर ऐसी रीति से लगाई गई कोई मुद्रा हो जिससे कि वह संदिग्धता हो कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है तो उसे निरस्त किया जाएगा :

परन्तु ऐसे मतपत्रों पर सही प्रकार से लगाए गए चिन्हों को, यदि कोई हों, गणना में लिया जाएगा।

(21) पुनर्गणना - जब उपनियम (20) के अधीन मतगणना पूरी हो जाती है तो कोई अभ्यर्थी गिने जा चुके समस्त या गिने जा चुके अन्य मतों की पुनर्गणना के लिये, उन आधारों को वर्णित करते हुए जिसका पुनर्गणना के लिए उल्लेख किया गया है, लिखित आवेदन रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को कर सकेगा :

परन्तु ऐसे आवेदन मतगणना समाप्ति के 30 मिनट के भीतर ही किए जा सकेंगे। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे आवेदन को पूर्णतः या अंशतः मंजूर करेगा या आवेदन के आधार अयुक्तियुक्त

प्रतीत होने पर उसे निरस्त कर सकेगा।

रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी, आवेदन को पूर्णतः या अंशतः मंजूर करने की दशा में, पुनर्गणना का आदेश देगा तथा पुनर्गणना पूर्ण हो जाने के पश्चात मतगणना पत्र को युक्तियुक्त सीमा तक संशोधित/उपान्तरित करेगा और ऐसे संशोधन/उपान्तरण की घोषणा करेगा। ऐसी पुनर्गणना केवल एक बार ही की जा सकेगी।

(22) (क) रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना पूर्ण होने के तत्काल पश्चात्, प्ररूप छ-21 में ब्यौरे तैयार करेगा और उसे प्रमाणित करेगा, जिसमें निम्नलिखित वर्णित करेगा : -

(एक) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ; और

(दो) अवैध मतों की संख्या ;

(तीन) सफल अभ्यर्थी के नाम/नामों की घोषणा तथा दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में जिन्हें बराबर-बराबर मत प्राप्त हों लाटरी पद्धति से सफल अभ्यर्थी के नाम/नामों की घोषणा ;

(चार) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे ब्यौरों के आधार पर उन निर्वाचित अभ्यर्थियों घोषणा प्ररूप छ-22 में साधारण सभा में करेगा तथा जिन्होंने अधिकतम मत प्राप्त किए हों।

(पांच) रिटर्निंग अधिकारी उपनियम (8) तथा (9) के अधीन निर्वाचित या सहयोजित सदस्यों के नाम समाविष्ट करते हुए उपनियम (22) के अधीन तैयार किए गए ब्यौरे की प्रमाणित प्रति प्राधिकारी को भेजेगा तथा उसकी एक प्रति समन्वयक को भी भेजेगा।

(23) रिटर्निंग अधिकारी नियम 49 ङ के उपनियम (3) के खण्ड (घ) के अधीन सदस्यों के सहयोजन के लिए अपनी अध्यक्षता में, संचालक मण्डल के नव निर्वाचित सदस्यों की सभा बुलाएगा। यदि गणपूर्ति के लिए अपेक्षित संख्या में सदस्य उपस्थित होते हैं तो सदस्यों का सहयोजन किया जाएगा।

(24) रिटर्निंग अधिकारी उपनियम (22) के अधीन निर्वाचित या सहयोजित सदस्यों के नाम समाविष्ट करते हुए उपनियम (8) तथा (9) के अधीन तैयार किए गए ब्यौरे की एक प्रमाणित प्रति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। उसकी एक प्रति समन्वयक को भी भेजी जायेगी।

(25) रिटर्निंग अधिकारी, उपनियम (4), (5) और (13) के अधीन नामनिर्देशन पत्रों, रजिस्टरों और मतपत्रों तथा निर्वाचन के ब्यौरों को सीलबंद पेटी में, प्राधिकारी या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था करेगा। इन दस्तावेजों को, सोसाइटी के आगामी निर्वाचन होने तक या धारा 64 की उपधारा (2) (पांच) के अधीन प्रस्तुत निर्वाचन विवाद के अंतिम निपटारे तक, नष्ट नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात् प्राधिकारी इन्हें स्वयं की उपस्थिति में या किसी प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट करवाएगा।

(26) यदि किसी सोसाइटी की उपविधियों में प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन के माध्यय से साधारण सभा का गठन किए जाने का उपबन्ध है तो उस सोसाइटी के ऐसे प्रत्यायुक्तों का निर्वाचन नियम

49- ग, 49- घ तथा 49- ड. की प्रक्रिया अनुसार किए जाएंगे।

परन्तु प्रत्यायुक्तों का निर्वाचन संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु आवेदन देने के पूर्व करा लिये जाएंगे।

(27) संचालक मंडल का प्रत्येक सदस्य तथा सोसाइटी का प्रत्येक कर्मचारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, गणक तथा निर्वाचन संचालन से संबद्ध कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संचालन में सभी प्रकार की सहायता देने के लिए बाध्य होगा तथा उसके द्वारा वांछा की जाने पर प्रत्येक अभिलेख रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करायेगा। सोसाइटी, निर्वाचन के पर्याप्त समय पूर्व समस्त आवश्यक सामग्री तथा संसाधन रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। ऐसे निर्वाचन में होने वाले समस्त व्यय सोसाइटी द्वारा उपगत किए जाएंगे।

49-च संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधियों का निर्वाचन-

(1) रिटर्निंग अधिकारी, नियम 49-ङ के उपनियम (3) के खण्ड (ङ) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियत तारीख को संचालक मण्डल के निर्वाचित और सहयोजित सदस्यों की सभा बुलाएगा, जिसकी सूचना संचालक मण्डल के प्रत्येक सदस्य को निर्वाचन की नियत तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व प्ररूप छ-23 में लिखित में पावती प्राप्त कर दी जाएगी। ऐसी सूचना में,-

(क) निर्वाचित किए जाने वाले पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों की संख्या,

(ख) वह समय, घण्टे जिनके बीच तथा वह स्थान जहां पर और वह व्यक्ति जिनकों नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे,

(ग) वह स्थान जहां पर और घण्टे जिनके बीच नामनिर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी और मतदान का समय तथा स्थान, यदि आवश्यक हो,

(घ) अभ्यर्थिता वापस लेने का समय,

(ङ) सभापति/अध्यक्ष, उप सभापति/उपाध्यक्ष और प्रतिनिधियों तथा ऐसे अन्य अधिकारियों जैसे कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के निर्वाचन के लिए समय,

अन्तर्विष्ट होंगे। सभा की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी.

(2) नामनिर्देशन-पत्र, प्ररूप छ-24 में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, ऐसे आक्षेपों का, यदि कोई हों, और जो उसके लिए विनिर्दिष्ट समय पर किसी भी नामनिर्देशन पत्र के संबंध में किए जाएं, विचार करेगा तथा वैध अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा करेगा।

(3) जहां किसी भी पद के लिए एक से अधिक वैध नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हों वहां रिटर्निंग अधिकारी उस अभ्यर्थी को जिसके संबंध में वैध नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त हुआ है, सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा।

(4) जहां किसी भी पद के लिए एक से अधिक वैध नामनिर्देशन पत्र प्राप्त हों वहां रिटर्निंग

अधिकारी, नियम 49-ङ में विहित रीति मे मतदान की व्यवस्था करेगा।

(5) जैसे ही समस्त उपस्थित सदस्य अपने मत डाल चुकें हों या मतदान के लिये नियत समय की समाप्ति के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी, सदस्यों की उपस्थिति में मतपेटी को खोलेगा, मतों की गणना करेगा और उस निर्वाचन का परिणाम घोषित करते हुए उस को अभ्यर्थी, जिसने सर्वाधिक मत प्राप्त किए हैं, निर्वाचित घोषित करेगा तथा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या उपदर्शित करेगा। दो या अधिक अभ्यर्थियों को समान संख्या में मत प्राप्त होने की दशा में, ऐसी रीति से लाटरी निकाली जाएगी जैसी कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवधारित की जाए।

(6) सभा की कार्यवाहियां, निर्वाचन के परिणाम सहित सोसाइटी की कार्यवाही पुस्तिका में अभिलिखित की जाएंगी और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएंगी।

(7) वैध नामांकन पत्रों और अन्य अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाएगा, जिस पर सोसाइटी और अभ्यर्थी की, यदि वे ऐसी वांछा करें, सील लगाई जाएगी और इसे निर्वाचन की तारीख से तीन मास तक सुरक्षित रखा जाएगा। यदि निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट नहीं किया जाता है तो उस कालावधि के अवसान के पश्चात प्राधिकारी को इसकी सूचना देते हुए नष्ट कर दिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी, प्ररूप छ-25 में एक डायरी संधारित करेगा तथा उसकी प्रति तथा प्ररूप छ-26 में इसकी प्रति तथा निर्वाचन का परिणाम, प्राधिकारी को भेजेगा।

49-छ आकस्मिक स्थिति में तथा मतपेटी के विनिष्ट हो जाने या मतपत्र में गड़बड़ी हो जाने की दशा में मतदान का स्थगन-

(1) यदि किसी निर्वाचन में, किसी मतदान की कार्यवाहियों में विघ्न या बाधा डाली जाती है या किसी बलवे या खुली हिंसा द्वारा विघ्न डाला जाता है या यदि किसी निर्वाचन में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से किसी मतदान केन्द्र पर मतदान कराया जाना संभव नहीं हो या मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाई गई मतपेटी पीठासीन अधिकारी या रिटर्निग अधिकारी की अभिरक्षा में से गैर कानूनी तरीके से ले जाई जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट कर दी जाती है या मतपत्रों को फाड़ दिया जाता है या विनष्ट कर दिया जाता है या उसे, उस रूप में, उस सीमा तक क्षति पहुंचाई जाती है जिससे कि उसका वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जाता है तथा जिसके कारण उस मतदान केन्द्र के निर्वाचन का परिणाम निश्चित नहीं किया जा सकता है तो रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी बाद में नियत की जाने वाली तारीख तक मतदान स्थगित किए जाने की घोषणा करेगा और जहां उपरोक्त कारणों से पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान स्थगित किया जाता है, वहां वह रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल सूचित करेगा।

इस प्रकार जब मतदान स्थगित कर दिया जाता है तब पीठासीन अधिकारी परिस्थितियों की रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल भेजेगा जो यथाशक्य शीघ्र वह दिनांक नियत करेगा

जिसको कि मतदान पुनः प्रारंभ होगा और वह मतदान केन्द्र जहां तथा वह समय जिसके दौरान मतदान कराया जाएगा, नियत करेगा।

रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी मतपेटियों और अन्य पैकेटों को सीलबंद करने के संबंध में, मतपत्रों का लेखा तैयार करने में और मतपेटियों तथा अन्य निर्वाचन सामग्री को देने में नियमों के उपबंधों का यथासाध्य अनुसरण करेगा।

ऊपर कथित प्रत्येक मामले में, रिटर्निंग अधिकारी, मतदान के लिए स्थान, तारीख और समय प्रकाशित करेगा और मूल मतदान को शासित करने वाले नियमों के उपबन्ध इस नियम के अधीन किए जाने वाले नए पश्चात्वर्ती मतदान के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) जब कोई मतदान जिसे उपनियम (1) के अधीन स्थगित कर दिया गया था, पुनः कराया जाता है तो समस्त मतदाताओं को फिर से मत देने की पात्रता होगी। ऐसा स्थगित मतदान प्रारंभ किए जाने पर, मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति की अतिरिक्त प्रति, एक नई मतपेटी तथा मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। पीठासीन अधिकारी, अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति का सीलबंद पैकेट खोलेगा जो मतदाताओं के नाम, जिन्हें मतपत्र जारी किए जाएंगे, चिन्हांकित करने के लिये उपयोग करेगा।

नियम के उपबंध पुर्नमतदान के संचालन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे मतदान स्थगित किए जाने के पूर्व लागू थे।

(3) प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण नया मतदान/निर्वाचन -

(क) यदि किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र में प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह संभाव्य है कि मतदान दूषित हो जाए या हो गया है तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट प्राधिकारी को तत्काल करेगा एवं उसकी प्रति समन्वयक को भी देगा।

(ख) प्राधिकारी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर समस्त तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात् या तो-

(एक) उस मतदान केन्द्र में हुए मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र में नए मतदान के लिये दिन और समय नियत करेगा और रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे नियत दिन और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करने का निर्देश देगा, जैसा वह उचित समझे या

(दो) यदि प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र में नए मतदान के परिणाम से, निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा या गलती या अनियमितता इतनी सारवान नहीं है, तो रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन को आगे संचालन और पूरा किए जाने के लिए ऐसे निर्देश देगा जैसे कि वह उचित समझे।

(तीन) जब प्राधिकारी द्वारा आशयित हो, ऐसे मामलों पर तत्काल विचार करने के पश्चात्

अपना अभिमत प्राधिकारी को देगा। प्रत्येक मामले में रिटर्निंग अधिकारी प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार नए मतदान के संचालन के लिए अग्रसर होगा और ऐसे नए मतदान को इस अध्याय के उपबंध लागू होंगे।

49-ज. प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से निर्वाचन-

अधिनियम की धारा 57-घ की उपधारा (3) अनुसार किसी सहकारी सोसाइटी की बर्हिगामी संचालक मण्डल की अवधि के अवसान होने के चार माह पूर्व, यदि उस सोसाइटी के संचालक मण्डल द्वारा लिखित में अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तब प्राधिकारी, समन्वयक द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणी प्राप्त होने पर अथवा स्वयं की जानकारी के आधार पर स्वप्रेरणा से निर्वाचन संचालित करेगा।

इस प्रयोजन के लिए यह अनिवार्य होगा कि समन्वयक प्रत्येक तिमाही में आगामी चार मास के लिए सोसाइटी के संचालक मण्डल के कार्यकाल के अवसान से संबंधित जानकारी प्राधिकारी को भेजी जाए तथा प्राधिकारी द्वारा भी अपने स्तर पर इस जानकारी का समुचित संधारण किया जाएगा।

49-झ. प्रतिभूति निक्षेप की वापसी या समपहरण-

निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अभ्यर्थी को प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जाएगी। प्रतिभूति निक्षेप उस स्थिति में सोसाइटी के पक्ष में समपहृत कर ली जाएगी, जब निर्वाचन में, जहां मतदान हुआ है, अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता है और उसे प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या, सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या के एक षष्टमांश से अधिक नहीं है।

49-ञ. प्राधिकारी के वेतन, अन्य भत्ते, सेवा के निबंधन तथा अन्य शर्तें -

(1) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 57-ग के उपबंधों के अधीन नियुक्त मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की सेवा शर्तें-

यदि प्राधिकारी, उसकी नियुक्ति के समय सचिव या ऊपर की रैंक का हो और पेंशन, उपदान या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो, जो सचिव या ऊपर की रेंक पर सेवानिवृत्ति के समय उसे प्राप्त उसके सकल वेतन में से (वेतन तथा मंहगाई भत्ता एवं ग्रेड पे) में से सकल पेंशन (मूल पेंशन तथा महंगाई राहत) घटाकर प्राप्त हो, उसे दी जाएगी।

(2) प्राधिकारी के अधीन पदस्थ अधिकारी तथा कर्मचारी, समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के अधिकारी तथा कर्मचारियों के समान वेतन तथा मंहगाई भत्ते प्राप्त करेंगे।

सेवानिवृत्ति आयु, पेंशन, वेतन, मंहगाई भत्ते तथा अन्य फायदे एवं अनुशासनिक मामलों में, प्राधिकारी के अधीन पदस्थ अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, राज्य सरकार के उन्हीं नियमों से शासित होंगे, जो कि समतुल्य पदों को धारण करने वाले शासकीय कर्मचारियों को लागू होते हैं।

(3) **कार्य का समय तथा अवकाश-** प्राधिकारी और उनके कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य का समय और अवकाश ऐसे होंगे जो कि राज्य सरकार द्वारा घोषित हैं और ऐसे स्थानीय अवकाश ऐसे होंगे जो कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, समय-समय पर, घोषित किए जाएं।

(4) **अवकाश मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी-** राज्य सरकार, प्राधिकारी का अवकाश मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी तथा प्राधिकारी के अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियेां के अवकाश मंजूर करने के लिए प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी होगा।

(5) **यात्रा भत्ता एवं चिकित्सीय उपचार की पात्रता -** प्राधिकारी के यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा उपचार की सुविधा वही होगी जो उसकी सेवानिवृत्ति के समय लागू थी। प्राधिकारी के अधिकारी तथा कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ते, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, संशोधित किए गए नियमों के अनुसार होंगे।

(6) **निवास स्थान पर दूरभाष एवं वाहन की सुविधा-** प्राधिकारी के लिए निवास स्थान, दूरभाष एवं वाहन की सुविधा के नियम वैसे ही होंगे जो उसकी सेवानिवृत्ति के समय लागू थे। प्राधिकारी के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास स्थान, दूरभाष एवं वाहन की सुविधा के लिए नियम वैसे ही होंगे जो कि शासन द्वारा अनुसरित होते हैं और जो समय-समय पर संशोधित किए जाएं।

(7) **वित्तीय शक्तियां -** प्राधिकारी की वित्तीय शक्तियां वही होंगी जो वित्तीय शक्तियों की पुस्तक में सहकारिता विभाग के प्रमुख को प्रत्यायोजित की गई हों.

(8) **नियंत्रण तथा अनुशासन -** प्राधिकारी के कार्यालय के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी, प्राधिकारी के नियंत्रण तथा अधीक्षण के अध्यधीन होंगे।

(9) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध प्राधिकारी के अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगेः-

(क) चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी, प्राधिकरण का अधीनस्थ सचिव होगा या ऐसा अन्य अधिकारी होगा जो कि इस निमित्त नामनिर्देशित किया जाए.

(ख) प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी राज्य सरकार होगी।

(ग) खण्ड (क) के अधीन नामनिर्देशित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील, प्राधिकारी को की जाएगी।

(घ) प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध अपील राज्य सरकार को की जाएगी।

(10) प्राधिकारी के अधीन अधिकारी/कर्मचारी प्राधिकारी के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगेः

यदि परामर्श चाहने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्राधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि प्राधिकारी ने इस संबंध में अपनी सहमति दे दी है और सरकार जैसा उचित समझे विनिश्चय कर सकेगी।

(11) प्राधिकारी के अधीन पदस्थ सचिव, उप सचिव तथा अवर सचिव राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के अपर पंजीयक/अपर आयुक्त, संयुक्त पंजीयक/संयुक्त आयुक्त तथा उप पंजीयक/उप आयुक्त होंगे। सहकारिता विभाग से अन्य नियमित कर्मचारी समान पद पर प्राधिकारी के पास प्रतिनियुक्ति पर लिए जाएंगे। संविदा कर्मचारी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

49-ट.(1) समन्वयक का प्रशासकीय नियंत्रण- रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठसीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा ऐसे अन्य समस्त व्यक्ति जो इन नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हों, प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन प्राधिकारी के सर्वोपरि निर्देश तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

(2) रिटर्निंग अधिकारी, पीठसीन अधिकारी आदि प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे- किसी निर्वाचन के संचालन के लिए इस अध्याय के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठसीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अन्य अधिकारी, उस कालावधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की सूचना की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन कार्य पूरा होने तक प्राधिकारी में प्रतिनियुक्त पर समझे जाएंगे और उक्त कार्य तक प्राधिकारी के नियंत्रण, अधीक्षण और विनियमन के अधीन रहेंगे।

(3) निर्वाचन में कलेक्टर की भूमिका- सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन में प्राधिकारी के निर्देश के अधीन कलेक्टर निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों अर्थात् नामनिर्देशन पत्रों की प्रस्तुति, नामनिर्देशन पत्रों की जांच, मतदान, मतगणना आदि की कार्यवाही में समुचित पर्यवेक्षण तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से पर्याप्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। कलेक्टर, संबंधित सोसाइटियों के व्यय से शासकीय वाहनों एवं शासकीय भवनों की अपेक्षा करेगा।

(4) निर्वाचन आचार संहिता- सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन के संबंध में आचार संहिता प्रवृत्त करने, संशोधन करने और उसका क्रियान्वयन करने हेतु प्राधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए जाएगा।

(5) प्राधिकारी द्वारा निदेश जारी किया जाना - प्राधिकारी, समय-समय पर, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन हेतु, मतदाताओं के पहचान पत्रों, निर्वाचन अपेक्षित निदेशों और निर्वाचन कार्य में अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना के लिए सामान्य या विशिष्ट निदेश जारी करेगा।

(6) प्राधिकारी एवं रजिस्ट्रार कार्यालय के मध्य समन्वय - सहकारी सोसाइटी के सुचारू निर्वाचन के लिए प्राधिकारी और रजिस्ट्रार कार्यालय आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।]

अध्याय छ:
आडिट, जाँच निरीक्षण और पर्यवेक्षण

[1][50. "संपरीक्षा करने हेतु प्रकिया"

(1) मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार किसी सहकारी सोसाइटी के वर्गीकरण और कारबार के आधार पर और संपरीक्षक एवं संपरीक्षक फर्म की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर एक पेनल बनायेगा :

परन्तु ऐसा संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म द्वारा अंकेक्षण किऐ जाने वाली सोसाइटिओं की अधिकतम संख्या का निर्धारण रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा।

(2) पैनल का गठन करने हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के विवरण सहित सूचना दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन प्रपत्र के साथ विहित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष पैनल को अद्यतन किया जाएगा तथा नवीन संपरीक्षक तथा संपरीक्षक फर्म से आवेदन पत्र के साथ विहित शुल्क अभिप्राप्त किया जाएगा।

(3) सोसाइटी की साधारण सभा में संपरीक्षा हेतु रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पेनल में से संबंधित श्रेणी के संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म को नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु किसी भी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म को किसी सोसाइटी का दो लगातार वर्षों से अधिक कालावधि की संपरीक्षा हेतु नियुक्त नहीं किया जाएगा।

संपरीक्षा हेतु नियुक्त करने के संकल्प के संबंध में 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित किया जाएगा।

(4) (क) सोसाइटी की साधारण सभा द्वारा उप नियम (3) के अधीन विभागीय संपरीक्षक को नियुक्त करने का संकल्प लिए जाने की दशा में सोसाइटी के ऐसे प्रस्ताव पर रजिस्ट्रार द्वारा संपरीक्षक को सोसाइटी की संपरीक्षा हेतु अधिकृत किया जाएगा।

(ख) संपरीक्षा के दौरान कोई आर्थिक अनियमितता पाये जाने अथवा अधिनियम/नियम/उप विधि के उपबंधों अथवा रजिस्ट्रार के वैधानिक आदेश के प्रतिकूल कोई भुगतान किया जाने की दशा में संपरीक्षक नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(5) संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म का यह दायित्व होगा कि किसी सहकारी सोसाइटी का अंकेक्षण आबंटन प्राप्त होने पर उसकी सूचना रजिस्ट्रार को दे तथा संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म सोसाइटी का संचालन ऐसी प्रक्रिया एवं नियम से करेगी जो रजिस्ट्रार द्वारा, समय-समय पर, नियत की जाए।

(6) किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग के लिए लेखा परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया एवं नियम ऐसे होंगे, जो रजिस्ट्रार द्वारा, समय-समय पर, नियत किए जाएं।

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा प्रतिस्थापित

(7) सोसाइटी के लेखों की संपरीक्षा करने हेतु नियुक्त संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म रजिस्ट्रार को उसके द्वारा जांच किए गए खातों तथा वित्तीय पत्रक आय-व्यय चिट्ठे, व्यापारिक पत्रक, लाभ-हानि लेखा के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियत प्ररूप में प्रति वर्ष अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा उसमें बताएगा कि क्या उसकी राय में तथा उसकी श्रेष्ठतम जानकारी से तथा उसे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुरूप कथित खाते से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी ऐसी रीति में, जो अपेक्षित हो, दी गई हैं तथा निम्न बातों की सही एवं उचित स्थिति बताई गई है -

(एक) संस्था के कारबार के चिट्ठे की दशा में सहकारी वर्ष की समाप्ति पर, जब तक के खाते तैयार किए गए हैं तथा उसके द्वारा जांचे गए हैं ; और

(दो) लाभ-हानि लेखा की दशा में सहकारी वर्ष में का लाभ अथवा हानि.

(8) संपरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा :-

(एक) क्या संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म ने सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो कि उनके श्रेष्ठतम ज्ञान एवं विश्वास से सोसाइटी की संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(दो) क्या उसकी राय में हिसाब की उचित पुस्तकें जैसी कि अधिनियम, इन नियमों, सोसाइटी की उपविधियों तथा रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हों, सोसाइटी द्वारा रखी गई हैं, जहां तक कि इन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है ; और

(तीन) क्या उसके द्वारा जांचे गए पक्का चिट्ठा और लाभ-हानि खाता, सोसाइटी की पुस्तकों या हिसाब और विवरण पत्रों से मेल खाते हैं।

(9) जहां उपनियम (7) में उल्लिखित किसी बात का उत्तर नकारात्मक अथवा विशिष्टता सहित हो, तो अंकेक्षण रिपोर्ट में ऐसे उत्तर के कारणों को दर्शाया जाएगा तथा संपरीक्षक द्वारा सोसाइटी से प्राप्त वित्तीय पत्रक त्रुटिपूर्ण होने पर पाद टिप्पणी के साथ सत्यापित कर प्रस्तुत किए जाएंगे।

(10) संपरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित का भी पूर्ण विवरण रहेगा -

(एक) सब लेन-देन अधिनियम, इन नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के विपरीत दिखाई दें।

(दो) सब धनराशि, जो कि सोसाइटी द्वारा हिसाब में लाई जाना चाहिए थी परन्तु नहीं लाई गई हो।

(तीन) व्यय में अथवा सोसाइटी को देय धन की वसूली में कोई सारवान अनौचित्य या अनियमितता।

(चार) सोसाइटी का कोई धन या संपत्ति जो कि संपरीक्षक को डूबंत या संदिग्ध ऋण दिखाई दे।

(पांच) रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य बातें।

(11) (एक) रजिस्ट्रार द्वारा उप नियम (7) के तहत प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण किया जाएगा तथा यदि कोई तथ्य छूट जाने की जानकारी प्रकाश में आती है, तो वह संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म को इस संबंध में अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन में आवश्यक सुधार हेतु आदेशित कर सकेगा। संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म द्वारा रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार सुधार किया जाकर रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की जाएंगी।

(दो) संपरीक्षा रिपोर्ट जारी होने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को यदि यह विश्वास करने का कारण है, या बैंकों के प्रकरण में रिजर्व बैंक ने निर्देशित किया है कि लेखों की पुनः संपरीक्षा की जाए या वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत हो, तो रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए विशेष संपरीक्षा हेतु किसी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म को अधिकृत करेगा। संस्था अथवा शिकायतकर्ता द्वारा इस हेतु विहित शुल्क का शासन को निर्धारित समयावधि में भुगतान करना आवश्यक होगा।

(12) रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार संस्था की संपरीक्षा पूर्ण होने पर लेखे संपरीक्षिक उसे संस्था के जिसके हिसाबों की संपरीक्षा उसके द्वारा की गई है, संपरीक्षा वर्गीकरण करेगा। रजिस्ट्रार यदि यह आवश्यक समझे तो संपरीक्षा वर्गीकरण को अभिलिखित कारणों से संशोधित करने हेतु संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म को वापस करेगा।

(13) संपरीक्षक प्रतिवेदन में उल्लिखित आपत्तियों व सुझावों के संबंध में संस्था के संचालक मंडल के द्वारा त्रुटियों का परिशोधन कर संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म के अभिमत सहित दो माह की समयावधि में रजिस्ट्रार को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाएगा।

(14) धारा 58(1) (घ) के अंतर्गत शीर्ष सहकारी संस्थाएं अपने लेखाओं का संपरीक्षा प्रतिवेदन वांछित प्रतियों में विधान सभा के पटल पर रखने हेतु रजिस्ट्रार को प्रेषित करेंगी।

(15) संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वित्तीय पत्रक राजभाषा हिन्दी में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाएंगे।''

50-क संपरीक्षा शुल्क का उद्ग्रहण -

(1) प्रत्येक संस्था जिसके हिसाबों की संपरीक्षा धारा-58 की उपधारा (1) के अधीन की जाती हो, राज्य सरकार, संपरीक्षक तथा संपरीक्षक फर्म को प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिए हिसाबों की संपरीक्षा करने हेतु ऐसे खर्च का भुगतान करेगी जो संस्था की उस श्रेणी के संबंध में जिसके अर्न्तगत वह आती हो, अनुसूची में निर्धारित मान के अनुसार हो :

परन्तु रजिस्ट्रार लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से विभागीय संपरीक्षक के द्वारा संपरीक्षित की जाने वाली संस्था को लेखा परीक्षा शुल्क में पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट दे सकेगा।

(2) इस नियम के तहत प्रभारित फीस राजस्व वसूली की भांति वसूलनीय होगी।

(3) प्रत्येक सोसाइटी अधिनियम की धारा 56(2) के अनुसार प्रतिवर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के साथ रजिस्ट्रार द्वारा नियत राशि का प्रक्रिया शुल्क के रूप में भुगतान चालान से करेगी।]

50 ख [1][xxxx]

51. पक्के चिट्ठे का प्रकाशन :- प्रत्येक संस्था अपने पक्के चिट्ठे को अपने पंजीयत कार्यालय में तथा प्रत्येक शाखा में जहाँ संस्था का कारोबार चलता हो किसी सहज गोचर स्थान पर लगवाकर प्रकाशित करवायेगी।

अध्याय सात
विवाद तथा पंच निर्णय

52. विवाद का निर्देश- धारा 64 के अधीन विवाद का निर्देश लेखी के रूप 'ज' में पंजीयक को किया जायेगा। जहाँ कहीं आवश्यक हो पंजीयक विवाद निर्देश करने वाले पक्ष को आदेश दे सकेगा कि वह संबंधित अभिलेखों, जिस पर विवाद आधारित है तथा ऐसा अन्य पत्रकों या अभिलेखों जो उसे आवश्यक लगे, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि निर्देश पर विचार करने या कार्यारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करे।

53. पंजीयक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मंडल की नियुक्ति:- (1) पंजीयक सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा किसी संस्था अथवा संस्थाओं के वर्ग में ऐसे क्षेत्र में तथा ऐसे समय के लिये, जैसा कि आज्ञा में निर्दिष्ट हो उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्णय के हेतु किसी व्यक्ति को उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति नियुक्त कर सकेगा।

(2) पंजीयक आज्ञा द्वारा किसी संस्था अथवा संस्थाओं के वर्ग में ऐसे क्षेत्र में तथा ऐसे समय के लिये जैसा कि आज्ञा में निर्दिष्ट हो, उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्णय करने के हेतु नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल की जिसमें दो या अधिक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, नियुक्ति कर सकेगा।

(3) जहाँ उपनियम (2) के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल की स्थापना की गई है वहाँ मण्डल में से एक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति पंजीयक द्वारा मंडल का चेयरमेन नियुक्त किया जायेगा, जो कि मंडल को निर्देशित विवादों की सुनवाई के लिये दिनांक, समय तथा स्थान नियत करेगा तथा ऐसा विवादों के निराकरण से संबंधित संसूचनाएँ जारी करेगा।

(4) जहाँ अधिनियम में अन्यथा कथित है उसके अतिरिक्त विवादों के निराकरण में जहाँ सर्व सम्मत निर्णय न हो वहाँ बहुमत की राय मान्य होगी, जहाँ मंडल के नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की राय समान रूप से विभाजित हो वहाँ मंडल के चेयरमेन का मत मान्य होगा।

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा लुप्त

54. विवादों के निर्णय करने के व्यय का आरोपण- (1) पंजीयक, उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों का मण्डल ऐसी रकम जैसी कि उसके अथवा उनके मत में विवाद का निर्णय करने में खर्चों के लिये आवश्यक हो, जिसमें पंजीयक/उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल को देय शुल्क भी, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुये अग्रिम जमा करने का आदेश दे सकेगा-

(2) पंजीयक, उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल को शक्ति होगी कि शुल्क, यदि कोई हो, तथा ऐसा विवाद के निर्णय करने में किये गये खर्चों का चुकारा संस्था की निधियों में से अथवा विवाद के ऐसे पक्षकार या पक्षकारों के द्वारा जैसा कि वह योग्य समझे उपनियम (1) के अधीन जमा की गई रकम को ध्यान में रखकर पंजीयक द्वारा निर्धारित मान से चुकाये जाने का आदेश दें।

(3) पंजीयक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे अथवा उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल को चुकाये जाने के लिये, शुल्क, यदि कोई हो, तो उसका मान तथा विवाद का निर्णय करने के लिये व्यय निर्दिष्ट कर सकेगा।

55. निर्णयों अथवा पंच निर्णयों की निष्पादन विधि- (1) विवाद के संबंध में पंजीयक, उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय अथवा पंच निर्णय को पंजीयक द्वारा संबंधित संस्था अथवा पक्षकार को इस अनुदेश के सहित भेजा जावेगा कि संस्था अथवा संबंधित पक्षकार, जैसी भी दशा हो, धारा 85 के उपबन्धों के अनुसार निष्पादन की कार्यवाही प्रारंभ करें।

(2) यदि निर्णय अथवा पंच निर्णय के अधीन देय धन 14 दिन के अंदर वसूल न हो तो उसे पंजीयक की ओर निष्पादन के हेतु आवेदन-पत्र के सहित पंजीयक द्वारा अपेक्षित सभी जानकारियों से संलग्न भेजा जावेगा। जय पत्रधारी उसमें बतलाएगा कि वह धारा 85 के खण्ड (ए/क) के अधीन व्यवहार न्यायालय द्वारा अथवा खण्ड (बी/ख) के अधीन कलेक्टर द्वारा अथवा खण्ड (सी/ग) के अधीन पंजीयक द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पंच निर्णय का निष्पादन करवाना चाहता है।

(3) निष्पादन के हेतु ऐसे आवेदन-पत्र के प्राप्त होने पर पंजीयक धारा 85 के खण्ड (ए/क) अथवा खण्ड (बी/ख) के अधीन प्रमाण-पत्र देकर उसे उपयुक्त अधिकारी की ओर निष्पादन के हेतु भेजेगा।

56. धारा [1][xxx] 68 के अधीन जब्त की गई सम्पत्ति की अभिरक्षण विधि- (1) जहाँ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति किसी व्यक्ति के आधिपत्य में की कृषि उपज को छोड़कर, चल संपत्ति है तो कुर्की प्रत्यक्ष जप्ती द्वारा की जावेगी तथा पंजीयक अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों का मंडल, जैसी भी दशा हो, सम्पत्ति को उसके अथवा उनके अभिरक्षण में अथवा उसके या उनके द्वारा

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा लुप्त

लिखित में प्राधिकृत सहकारिता विभाग के किसी अधिकारी अथवा सम्प्रापक, यदि उपनियम (2) के अधीन नियुक्त किया जावे, के अभिरक्षण में रखेंगे तथा उसके उचित अभिरक्षण के लिये उत्तरदायी होंगे-

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जप्त की गई सम्पत्ति शीघ्रता से तथा प्राकृतिक रूप से सड़ने वाली हो या उसके अभिरक्षण में रखने के व्यय उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, तो पंजीयक अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों का मण्डल, जैसी भी दशा हो, उसे तुरन्त बेच सकेंगे।

(2) जहाँ [1][xxx] धारा 68 के अधीन सशर्त कुर्की का आदेश देने वाले अधिकारी को यह न्यायोचित तथा सुविधाजनक दिखाई दे तो वह कुर्क की गई संपत्ति के अभिरक्षण के हेतु सम्प्रापक की नियुक्ति कर सकेगा तथा उसके कर्तव्य और दायित्व सम्पत्ति विधि संग्रह, 1908 की प्रथम अनुसूची के आर्डर 40 के अधीन नियुक्त सम्प्रापक के समान होंगे।

3. (ए/क) जहाँ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति अचल है तो कुर्की एक आदेश द्वारा की जावेगी जिसमें व्यक्ति की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार हस्तांतरण अथवा प्रभारित करने से तथा सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण अथवा प्रभार से लाभ उठाने से वर्जित किया जाएगा।

(बी/ख) आदेश की घोषणा डोंडी पीटकर ऐसी सम्पत्ति पर के या उससे लगे हुए स्थान पर की जाएगी तथा आदेश की एक प्रतिलिपि संपत्ति के सहजगोचर भाग पर, तथा जहाँ सम्पत्ति राज्य शासन को राजस्व देने वाली जमीन हो वहाँ तहसीलदार के कार्यालय में भी, जिसके अधिकार क्षेत्र में सम्पत्ति स्थित हो, चिपकाई जावेगी।

आठवाँ अध्याय

परिसमापन

57. परिसमापक द्वारा अपनाई जाने वाली विधि- जहाँ धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन परिसमापक नियुक्ति किया गया हो तो निम्नलिखित विधि अपनाई जाएगी-

(ए/क) परिसमापक की नियुक्ति संस्था को लिखित में सूचित की जावेगी,

(बी/ख) परिसमापक निम्नलिखित की तातारीख सूची बनावेगा;

(एक) सदस्यों;

(दो) भूतपूर्व सदस्यों, उनके हटने के दिनांक सहित, जो कि धारा 29 के अधीन दायित्व के अधीन हों; तथा

(तीन) मृत सदस्यों, उनकी मृत्यु के दिनांक सहित, उनके वैध उत्तराधिकारियों के नाम जो उनकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करते हों तथा जो धारा 29 के अधीन दायित्व के अधीन हों।

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.7.95 द्वारा लुप्त

(सी/ग) परिसमापक, संस्था के परिसमापन के आदेश के प्रभावशील होने पर शीघ्र ही ऐसे साधनों द्वारा, जिसे वह उचित समझे, संस्था, जिसके परिसमापन का आदेश हुआ है, के विरुद्ध समस्त दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो मास के भीतर उसको प्रस्तुत किये जाने का आदेश देते हुए, सूचना प्रकाशित करेगा। संस्था की लेखा पुस्तिकाओं में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव इस खण्ड के अधीन उसे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

(डी/घ) परिसमापक, संस्था की आस्तियों तथा दायित्वों का, जैसे कि वे उस दिनांक को हों, जिसको परिसमापन प्रभावशील हुआ हो, निपटारा करने के पश्चात् प्रत्येक सदस्य, भूतपूर्व सदस्य द्वारा या मृत सदस्यों की सम्पदा या उनके नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों या उत्तराधिकारियों या वैध प्रतिनिधियों द्वारा अथवा किन्हीं पदाधिकारियों या भूतपूर्व पदाधिकारियों द्वारा धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (बी/ख) के अधीन संस्था की आस्तियों में दिये जाने वाले अंशदानों (देय ऋणों सहित) तथा परिसमापन का परिव्यय, जैसा कि खण्ड (ई/ङ) के अधीन निश्चित किया जावे, उनका निर्णय करने की अगली कार्यवाही करेगा। वह ऐसे अंशदानों तथा परिव्ययों के हेतु सहायक आदेश दे सकेगा तथा ऐसा आदेश उसी मूल आदेश की भांति ही लागू किये जाने योग्य होगा।

(ई/ङ) परिसमापक संस्था के परिसमापन में की गई प्रगति को बताते हुए ऐसे प्रतिवेदन तथा विवरण-पत्र ऐसे रूप में, जैसा कि पंजीयक निर्दिष्ट करें, पंजीयक को प्रस्तुत करेगा।

(एफ/च) परिसमापक लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को वसूली करने तथा अपनी ओर से वैध पावती प्रदान करने का अधिकार दे सकेगा।

(जी/छ) परिसमापक के आधिपत्य में की समस्त निधियाँ सहकारी बैंक अथवा पोस्ट आफिस के सेविंग बैंक में अथवा ऐसी अन्य बैंक में, जिसे कि पंजीयक मान्य करें, जमा की जावेगी तथा उसके नाम से जमा रहेगी।

(एच/ज) पंजीयक परिसमापक को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की, यदि कोई हो, धनराशि नियत करेगा। पारिश्रमिक परिसमापन के व्यय में सम्मिलित किया जायेगा, जो संस्था की आस्तियों में से, अन्य समस्त दावों की तुलना में पूर्वता से, देय होगा।

(आई/झ) परिसमापक उन व्यक्तियों को आव्हान-पत्र जारी कर सकेगा जिनकी उपस्थिति साक्ष्य देने के लिये अथवा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित हो। वह ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य की संक्षिप्त टिप्पणी लेखबद्ध करेगा।

(जे/ञ) यदि दावेदारों के पते-ठिकाने मालूम न होने के कारण या किसी अन्य कारण से परिसमापक द्वारा किसी दायित्व का निर्वहन नहीं किया जा सके, तो वह धन राशि जिससे ऐसे भारयुक्त दायित्व की पूर्ति होती हो, सहकारी बैंक में जमा की जायेगी और संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के दवों को पूरा करने के लिये उपलब्ध होगी।

(के/ट) परिसमापक को परिसमापित होने वाली संस्था के सदस्यों को समय-समय पर बुलाने की शक्ति होगी।

(एल/ठ) परिसमापन निपटने पर परिसमापक संस्था के समापन के दिनांक को जो सदस्य थे उनकी साधारण सभा बुलायेगा। परिसमापक या उसके द्वारा लेखी में कोई अधिकृत व्यक्ति सभा में उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के परिणामों का संक्षिप्त विवरण देगा तथा यह बतलायेगा कि संस्था के समस्त दायित्वों का चुकारा करने के पश्चात् उसके आधिपत्य में कितनी रकम बची है, यदि संस्था की उपविधियों में उस आशय का वर्णन नहीं किया गया हो जिसमें कि परिसमापन के पश्चात् शेष रही हुई पूंजी को लगाया जाये तो परिसमापक सार्वजनिक उपयोग का कोई प्रयोजन जिसमें कि उस पूंजी को लगाया जाये, निश्चित करने के लिये, उपस्थित सदस्यों का मत लेगा।

(एम/ड) संस्था के परिसमापन की कार्यवाही समाप्त करने के पश्चात् जैसा कि धारा 71 की उपधारा (3) में निर्देशित किया गया है। परिसमापक पंजीयक को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसके संलग्न खण्ड (एल/ठ) में उल्लिखित साधारण सभा, यदि कोई हो, की कार्यवाही की एक प्रति होगी और कथित उपधारा के उपबंधों के अधीन उस व्यक्ति को जैसा पंजीयक निर्देश दे संस्था के सभी अभिलेख सौंप देगा।

(एन/ढ) परिसमापक किसी भी समय पंजीयक द्वारा हटाया जा सकेगा और इस प्रकार हटाये जाने पर वह परिसमापन के अधीन संस्था से संबंधित समस्त सम्पत्ति तथा लिखतमों को ऐसे व्यक्ति को सौंपने के लिये आबद्ध होगा, जिसे पंजीयक निर्देशित करे।

(ओ/ण) पंजीयक समय-समय पर जैसी अपेक्षा करे वैसी ही पुस्तकें और हिसाब परिसमापक रखेगा तथा पंजीयक किसी भी समय ऐसी पुस्तकों और हिसाबों का आडिट करवा सकेगा। आडिट किये जाने का ऐसा शुल्क जो अधिनियम के अधीन आरोपित किया जाये परिसमापक देगा।

58. संस्था जिसका पंजीयन निरस्त किया गया हो, उसके अभिलेखों का निराकरण- ऐसी संस्था की जिसका पंजीयन निरस्त कर दिया हो समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख तथा परिसमापन की कार्यवाहियाँ संस्था का पंजीयन निरस्त करने की आज्ञा के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् पंजीयक द्वारा नष्ट कर दी जा सकेगी।

58 ए/क. शासकीय समुनुदेशिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया- धारा 18-ए/क की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त शासकीय समनुदेशिती, अनुश्रोतों को निर्मुक्त करने तथा दायित्वों का परिसमापन करने के लिये ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जो नियम 57 तथा 58 के अधीन उपबंधित है।

[1][नवां अध्याय

अपीलें, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

59 अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया- (1) अधिकरण या रजिस्ट्रार को अपील तथा अधिकरण को पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन, अपीलार्थी या आवेदक जैसी भी स्थिति हो, द्वारा या उनके सम्यक् रूप से नियुक्त अभिकर्ता द्वारा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन प्राधिकारी के कार्यालय में या तो स्वयं कार्यालय समय में प्रस्तुत किया जायेगा या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) जब अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाए तो उसके साथ अपीलार्थी या आवेदनकर्ता जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उस हैसियत में उसे (अभिकर्ता को) नियुक्त करने का प्राधिकार पत्र होगा।

(3) प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

(4) प्रत्येक अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन;

(क) या तो टाइप किया हुआ या स्याही से हाथ से सुवाच्य रूप से लिखा हुआ होगा;

(ख) अपीलार्थी या आवेदक का नाम, पता तथा विरोधी का नाम तथा पता जैसी भी स्थिति हो, भी विनिर्दिष्ट होगा;

(ग) में इस संबंध में विवरण होगा कि वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील या पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण का आवेदन, प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा किया गया था;

(घ) में स्पष्ट रूप से उन आधारों का विवरण होगा जिन पर अपील या आवेदन किया गया है;

(ङ) में उस अनुतोष का यथार्थत: विवरण होगा जिसका अपीलार्थी या आवेदक ने दावा किया है; और

(च) में उस आदेश की तारीख दी जाएगी जिसके विरुद्ध अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण किया गया है।

(5) अपील या पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण का आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण या रजिस्ट्रार जैसी भी स्थिति हो, उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख को पृष्ठांकन करेगा।

[2][**59-ए/क. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा अन्य भत्ते, सेवा के निबंधन तथा अन्य शर्तें:-** [3][(1) अधिकरण में नियुक्ति की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति की दशा में, अधिकरण के अध्यक्ष को देय वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य परिलब्धियां- जब अधिकरण

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 1.5.99 द्वारा अध्याय 9 प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 14.10.99 द्वारा जोड़ा गया
3. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 31.1.2011 द्वारा प्रतिस्थापित

का अध्यक्ष, उस रूप में अपनी नियुक्ति के समय, जिला न्यायाधीश है और अध्यक्ष की अपनी अवधि के दौरान वह अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के पूर्व उसे लागू निबंधनों और शर्तों के अनुसार जिला न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होता है तो वह अपनी उस अवधि के पूर्ण होने तक जिस पर कि वह नियुक्त किया गया है, इस रूप में कार्य करता रहेगा और वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से, अंतिम आहरित वेतन तथा महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत तथा अंतिम वेतन से संगत ऐसे अन्य फायदों का ऐसी दरों पर, जो समय-समय पर जिला न्यायाधीश को अनुज्ञेय हों, पेंशन को कम करते हुए (जिसमें पेंशन का ऐसा भाग सम्मिलित है जो संराशिकृत किया जा सकता है) और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के, यदि कोई हों, समतुल्य पेंशन अपने वेतन तथा भत्तों के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा.]

(2) वेतन, भत्ते तथा अन्य परिलब्धियां- (एक) जब अधिकरण का अध्यक्ष, इस रूप में अपनी नियुक्ति के समय, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश है और पेंशन, उपदान (ग्रेच्यूटी) के तौर पर या अन्यथा कोई सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार हो गया हो, तो वह ऐसा मासिक वेतन (महंगाई भत्ता सम्मिलित करते हुए) जो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति के समय अनुज्ञेय था और ऐसे समस्त अन्य भत्तों का, जो उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को समय-समय पर अनुज्ञेय है, पेंशन को कम करते हुए (जिसमें पेंशन का ऐसा भाग सम्मिलित है जो संराशिकृत किया जा सकता है) और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों, यदि कोई हो के समतुल्य पेंशन अपने वेतन तथा भत्तों के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।

(दो) जब अधिकरण का अध्यक्ष, इस रूप में अपनी नियुक्ति के समय, जिला न्यायाधीश है तो वह वही वेतन तथा भत्तों और अन्य पर्क एवं सुविधाओं का हकदार होगा जो उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में) के रूप में अनुज्ञेय है।

(तीन) कोई विभागीय सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय सहकारिता विभाग का अधिकारी है तो वह वही वेतन तथा भत्तों का हकदार होगा, जो सहकारिता विभाग के अधिकारी के रूप में उसे अनुज्ञेय है।

(चार) अशासकीय सदस्य [1][500] रुपये प्रतिदिन का मानदेय प्राप्त करेगा-

(ए/क) अधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन तथा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(बी/ख) सेवानिवृत्ति आयु, पेंशन, वेतन तथा भत्ते, अन्य फायदों और हकों एवं अनुशासिक मामलों में अधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, राज्य सरकार के नियमों से शासित होंगे, जो कि समतुल्य पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू हैं।

(तीन) पदावधि- [2][अधिकरण का अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्य], अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (5) के खंड (ए/क) के उपबंधों के अनुसार 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, इमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण कर सकेंगे।

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 20.10.2006 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 31.1.2011 द्वारा प्रतिस्थापित

(4) **अध्यक्ष तथा सदस्यों का मुख्यालय-** अध्यक्ष तथा सदस्यों का मुख्यालय भोपाल में होगा।

(5) **कार्य का समय तथा अवकाश-** अध्यक्ष तथा सदस्यों और उनके कार्यालय का कार्य का समय और अवकाश ऐसे होंगे जो विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं :

परन्तु विनियम बनने तक अध्यक्ष तथा सदस्यों और उनके कार्यालय का कार्य का समय एवं अवकाश वे ही होंगे और ऐसे सार्वजनिक अवकाश माने जायेंगे जो कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा माने जाते हैं और ऐसे स्थानीय अवकाश माने जाएंगे जो कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर घोषित किए जाएं।

(6) **छुट्टी-** (एक) अध्यक्ष तथा सदस्य, कर्तव्य पर बिताई गई कालावधि के 1/11 वे भाग तक पूर्व वेतन तथा भत्ते पर अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे-

परन्तु वे ऐसी छुट्टी अर्जित नहीं कर सकेंगे जब कुल अर्जित छुट्टी 240 दिन से अधिक हो जाए:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष तथा विभागीय सदस्य की जो अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति के समय, राज्य सरकार की सेवा में थे, अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख को उसके खाते में जमा छुट्टी अग्रनीत की जाएगी और वह अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उसकी अवधि के दौरान ऐसी छुट्टी ले सकेगा :

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष तथा सदस्य, जो अधिकरण से सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख को उनके खाते में की अर्जित छुट्टी के संबंध में अधिकतम 240 दिन के अध्यधीन रहते हुए छुट्टी वेतन (लीव सेलेरी) के समतुल्य नकद के फायदे के हकदार होंगे।

(दो) अध्यक्ष तथा सदस्य एक वर्ष में तेरह दिन की आकस्मिक छुट्टी के हकदार होंगे।

(तीन) अन्य प्रकार की छुट्टियों के मामले में, अध्यक्ष तथा शासकीय सदस्य ऐसी नियुक्ति के पूर्व लागू नियमों तथा परम्पराओं द्वारा शासित होंगे।

(7) **छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी-** अधिकरण के अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार तथा सदस्यों और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अध्यक्ष होगा।

(8) **यात्रा भत्ता-** (ए/क) अध्यक्ष, जब वह दौरे/टूर पर हो या उसका स्थानांतरण हो,(जिसमें अधिकरण में पद ग्रहण करने या अधिकरण में उसकी अवधि की समाप्ति पर उसके गृह नगर (होम टाउन) जाने के लिये की गई यात्रा सम्मलिति है), यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक चीजबस्त (पर्सनल इफेक्टस) का परिवहन तथा वैसे ही अन्य मामलों के लिए उन्हीं मापमानों तथा उन्हीं दरों पर हकदार होगा जैसा कि प्रमुख सचिव को अनुज्ञेय है।

(बी/ख) सदस्य, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा वैयक्तिक चीजबस्त के परिवहन और वैसे ही अन्य

मामलों के लिए उन्हीं मापमान और दरों पर हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को अनुज्ञेय है।

(सी/ग) अधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की अन्य सेवा शर्तें, राज्य सरकार के उसी संवर्ग के अधिकारियों और सेवकों को लागू नियमों द्वारा शासित होगी।

(9) **छुट्टी यात्रा रियायत-** अध्यक्ष या कोई सदस्य उन्हीं दरों पर तथा उन्हीं मापमानों पर और उन्हीं शर्तों पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा जो रुपये 22400-525-24000 या उससे अधिक वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केंद्रीय सरकार के समूह 'ए' अधिकारी को लागू है।

(10) **चिकित्सीय उपचार की सुविधा-** अधिकरण का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य और उनके कुटुम्ब के सदस्य शासकीय अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार और स्थान की ऐसी सुविधा के हकदार होंगे जो कि क्रमश: प्रमुख सचिव और राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को और उनके कुटुम्बों के सदस्यों को अनुज्ञेय है।

(11) **स्थान की सुविधा-** (ए/क) अध्यक्ष तथा सदस्य शासकीय निवास स्थान के लिए ऐसे नियमों के अनुसार हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, समय-समय पर बनाए जाएं।

(बी/ख) अध्यक्ष, सरकार के विभागाध्यक्ष के समान शासकीय टेलीफोन की सुविधा का हकदार होगा और सदस्य उसी सुविधा के हकदार होंगे जो सदस्यों के रूप में उनकी नियुक्ति के पूर्व उन्हें उपलब्ध थी।

(12) **वाहन सुविधा-** (एक) अध्यक्ष शासकीय कार की सुविधा तथा उपयोग का प्रमुख सचिव स्तर की सीमा के भीतर हकदार होगा।

(दो) अधिकरण के कार्यालय में एक स्टाफ कार भी होगी।

(13) **भविष्य निधि-** अध्यक्ष तथा विभागीय सदस्य, अधिवार्षिकी की आयु तक, उस भविष्य निधि को, जिसमें वे अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति के पूर्व अभिदाय कर रहे थे, विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि में अभिदाय करने के हकदार होंगे।

(14) **वित्तीय शक्तियां-** अध्यक्ष को विभागाध्यक्षों के समान वे समस्त वित्तीय शक्तियां होंगी जो कि वित्तीय शक्तियों की पुस्तक के अधीन प्रत्यायोजित की गई हो।

(15) **नियंत्रण तथा अनुशासन-** अधिकरण के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी, अध्यक्ष के अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन होंगे।

(16) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध अधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों

को निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे:-

(ए/क) चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणीय तथा द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकरण का रजिस्ट्रार या ऐसा अन्य अधिकारी या सदस्य होगा जो कि अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाए।

(बी/ख) प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी अध्यक्ष या ऐसा सदस्य होगा जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाए।

(सी/ग) खण्ड (ए/क) में विहित प्राधिकारी द्वारा पारित समस्त आदेशों के विरुद्ध अपील अध्यक्ष को होगी।

(डी/घ) अध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी।

(ई/ङ) जांच प्राधिकारी को साक्षियों को सूचना जारी करने और उन्हें उपस्थित होने और साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने या दोनों के लिए, जैसी भी कि दशा हो, बाध्य करने की शक्ति होगी।

[1][(17) अधिकरण के सदस्य सरकार द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु यदि अध्यक्ष के विचारों से युक्त कोई संसूचना, परामर्श की याचना की प्राप्ति से पैंतालीस दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह धारणा की जाएगी कि अध्यक्ष प्रस्तावित नियुक्ति से सहमत है और सरकार ऐसा विनिश्चय लेगी जैसा कि वह उचित समझे।]

(18) विविध- किसी अन्य मामले के बारे में, जिसके लिए इन नियमों द्वारा विशेष उपबंध नहीं किया गया है, सेवा शर्त उन नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगी जो मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तत्समय लागू हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों के संबंध में उन नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगी जो उस सेवा को, जिस सेवा से ऐसे व्यक्ति को लिया गया है, तत्समय लागू है।

60. रजिस्ट्रार द्वारा अपील को निपटाने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया- (1) यदि अपील प्राधिकारी यह पाता है कि प्रस्तुत की गई अपील नियम 59 के किन्हीं उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह इस आशय का एक टिप्पण अपील पर लिखेगा और वह अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसा करने की सूचना की प्राप्ति के सात दिन की कालावधि के भीतर त्रुटियों को दूर करे या उस दशा में जबकि अपील विहित समय-समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई हो तो उक्त कालावधि के भीतर कारण दर्शाये कि काल-वर्जित हो जाने के कारण अपील प्राधिकारी द्वारा उसे क्यों न खारिज कर दिया जाए।

(2) यदि त्रुटि दूर कर दी जाती है या अपीलार्थी अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा दर्शाये गये कारणों से अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाता है तो अपील प्राधिकारी अपील पर विचार करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 20.11.2007 द्वारा प्रतिस्थापित

(3) यदि अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता त्रुटियों को दूर करने में या उक्त कालावधि के भीतर अपील प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में कारण दर्शाने में असफल रहता है तो अपील प्राधिकारी, यदि अपील समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है तो अपील को कालवर्जित मानकर खारिज कर सकेगा। उन मामलों में, जहां सुनवाई किया जाना आवश्यक समझ जाए वहां अपील प्राधिकारी सुनवाई के लिए तारीख नियत कर सकेगा, जिसकी सम्यक सूचना अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता को दी जायेगी।

(4) इस प्रकार नियत की गई तारीख पर, अपील प्राधिकारी सुसंगत अभिलेख का परीक्षण करेगा, अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता को, यदि उपस्थित हो तो सुनेगा और समुचित आदेश पारित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार किसी प्रक्रम पर किसी अन्य दिन के भीतर सुनवाई को स्थगित कर सकेगा।

(6) जब अपील की सुनवाई पूर्ण हो जाए तो अपील प्राधिकारी तत्काल अपना निर्णय घोषित करेगा या निर्णय के लिए कोई अन्य तारीख नियत कर सकेगा।

(7) अपील प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय या आदेश लिखित में होगा तथा उसकी एक प्रति अपीलार्थी तथा अन्य ऐसे पक्षकारों को, जिनके कि अपील प्राधिकारी की राय में निनिश्चय या आदेश से प्रभावित होने की संभावना है, प्रदाय की जाएगी।

61. सदस्यता के लिए आवेदन अस्वीकृत किये जाने के विरुद्ध अपील- (1) जहां सदस्यता के लिए आवेदन धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन अस्वीकृत कर दिया जाए, वहां उसकी अपील रजिस्ट्रार को होगी।

(2) नियम 59 या 60 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उप-नियम (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने तथा उसके निपटारे के लिए लागू होंगे।]

अध्याय दस

जयपत्रों का निष्पादन

62. निष्पादन के हेतु वसूली अधिकारी को आवेदन-पत्र:- (1) धारा 85 खण्ड (सी/ग) के उपबन्धों के लागू किये जाने की अपेक्षा करने वाला कोई भी जयपत्रधारी उस वसूली अधिकारी को, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वाद का कारण उत्पन्न हुआ हो, आवेदन करेगा तथा पंजीयक द्वारा नियत मान से आवश्यक व्यय जमा करेगा। यदि निर्णीत ऋणी या वह सम्पत्ति, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, ऐसे वसूली पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र के बाहर निवास करता हो या स्थित हो, तो वसूली पदाधिकारी उस आवेदन-पत्र को उस वसूली पदाधिकारी को अंतरित करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पत्ति स्थित हो, या निर्णीत ऋणी निवास करता हो।

[1][(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन-पत्र रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा तथा डिक्रीधारी द्वारा

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 5.2.71 द्वारा प्रतिस्थापित

हस्ताक्षरित किया जायेगा। डिक्रीधारी यह इंगित कर सकेगा कि वह प्रथम डिक्रीधारी के पक्ष में बन्धक की गई स्थावर सम्पत्तियां अन्य स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है या जंगम सम्पत्ति की कुर्की को सुनिश्चित करना चाहता है। डिक्रीधारी यह भी इंगित कर सकेगा कि क्या वह डिक्री वसूली के लिये नियम 66 या 66-ए/क अंतर्गत कार्यवाही करना चाहता है।

परन्तु नियम 66-ए/क के अधीन कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, डिक्रीधारी इस बात के लिये स्वतंत्र होगा कि वह शीघ्र तथा प्रभावी वसूली के लिये नियम 66 के अधीन वसूली का ढंग अपनायें। वसूलीकर्ता पदाधिकारी तथा विक्रय पदाधिकारी तद्नुसार कार्यवाही करेंगे।]

(3) आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर वसूली पदाधिकारी आवेदन-पत्र दिये गये विवरणों की शुद्धता तथा सत्यता की पंजीयक कार्यालय के अभिलेखों से, यदि कोई हो, जांच करेगा और पंजीयक द्वारा नियत रूप में दो प्रतियों में एक लिखित मांग सूचना-पत्र उसमें निर्णीत ऋणी का नाम तथा प्राप्त धन राशि बतलाते हुए तैयार करेगा और उसे विक्रय पदाधिकारियों को प्रेषित करेगा।

63. निष्पादन की विधि:- जब तक जयपत्रधारी ने यह इच्छा प्रकट न की हो कि कार्यवाही विशेषक्रम में, जैसा कि नियम 62 के उपनियम (2) में दिया गया है, की जाना चाहिये, तब तक प्रवर्तन साधारणत: निम्नलिखित रीति में किया जायेगा-

(एक) प्रथमत: निर्णीत ऋणी की चल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, किन्तु इससे आवश्यक होने पर साथ ही साथ अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में रुकावट नहीं होगी।

(दो) यदि कोई चल सम्पत्ति न हो अथवा यदि जप्त एवं बेची गई चल संपत्ति या सम्पत्तियों का विक्रयधन जयपत्र धारी की मांग पूर्णत: पूर्ति करने के लिये अपर्याप्त हो तो निर्णीत ऋणी की अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

64. जमीन पर की फसलों सहित विशिष्ट चल संपत्ति की जप्ती और विक्रय- चल सम्पत्ति की जप्ती तथा विक्रय में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा-

(ए/क) विक्रय पदाधिकारी जयपत्र धारी को पूर्व सूचना देने के पश्चात् उस गांव को जावेगा जहां निर्णीत ऋणी निवास करता है या कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति स्थित है, और निर्णीत ऋणी पर, यदि वह उपस्थित हो, मांग सूचना-पत्र का निर्वाह करेगा। यदि प्राप्य धनराशि का, व्ययों सहित तत्काल चुकारा न किया जाये, तो विक्रय पदाधिकारी अभिग्रहण अथवा अन्य रूप से कुर्की करेगा तथा कुर्क की गई सम्पत्ति की सूची या विवरण सूची निर्णीत ऋणी के तुरन्त हवाले करेगा और उसे स्थान तथा दिन एवं समय की जानकारी देगा जहां कुर्क की गई सम्पत्ति यदि देय रकम का पूर्व में चुकारा न किया गया तो विक्रय के लिये सम्पत्ति यदि देय रकम का पूर्व में चुकारा न किया गया तो विक्रय के लिये लाई जायेगी। यदि निर्णीत ऋणी अनुपस्थित हो तो विक्रय पदाधिकारी उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर या उसके प्राधिकृत कार्य- प्रतिनिधि पर मांग सूचना-पत्र का निर्वाह करेगा या जहां ऐसा निर्वाह न किया जा सकता हो, तो उसके निवास के किसी सहज गोचर स्थान पर मांग सूचना-

पत्र की प्रतिलिपि चिपकायेगा। वह तब कुर्की की कार्यवाही करेगा और निर्णीत ऋणी के निवास के सामान्य स्थान पर जप्त की गई सम्पत्ति की सूची चिपकायेगा जिस पर वह स्थान जहां सम्पत्ति रखी जायेगी। तथा विक्रय के स्थान, दिन एवं समय की जानकारी, पृष्ठांकित की जायेगी।

(बी/ख) कुर्की करने के पश्चात् विक्रय पदाधिकारी जप्त सम्पत्ति के अभिरक्षण की जयपत्र धारक के पास या अन्यथा व्यवस्था करेगा। यदि विक्रय पदाधिकारी जयपत्र धारी को संपत्ति का अभिरक्षण लेने के लिये आदेश दे तो वह ऐसा करने के लिये बाध्य होगा तथा उसकी लापरवाही के कारण हुई कोई भी हानि जयपत्रधारी द्वारा पूरी की जायेगी। यदि जप्त संपत्ति पशुधन हो तो जयपत्र धारी उसके लिये आवश्यक चारे की व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी होगा। विक्रय पदाधिकारी निर्णीत ऋणी की या ऐसी संपत्ति में हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के कहने पर, उस सम्पत्ति को उस गांव या स्थान में जहां वह जप्त की गई थी, ऐसे निर्णीत ऋणी या व्यक्ति की देखभाल में छोड़ देगा यदि वह मांग किये जाने पर सम्पत्ति को प्रस्तुत करने के लिये एक या अधिक पर्याप्त जमानतदारों के सहित पंजीयक द्वारा नियत रूप में बान्ड लिख दे।

(सी/ग) सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व कोई कुर्की नहीं की जावेगी।

(डी/घ) की गई कुर्की अत्यधिक नहीं होगी, कहने का तात्पर्य यह है कि जप्त की गई सम्पत्ति मूल्य में यथासंभव निर्णीत ऋणी से ब्याज सहित प्राप्य धन राशि तथा जप्ती, एवं विक्रय से आनुषंगिक समस्त व्ययों के अनुपात में होगी।

(ई/ङ) यदि निर्णीत ऋणी की फसलें या एकत्रित न की गई भूमि की उपजें जप्त की जाये तो विक्रय पदाधिकारी, जब वे काटने या एकत्रित करने योग्य हो जायें, उनका विक्रय करवायेगा या स्वयं के विकल्प से उपयुक्त मौसम में उनको कटवायेगा या एकत्रित करवायेगा और विक्रय होने तक उचित स्थानों में उनका संग्रह करवायेगा। पश्चातवर्ती दशा में ऐसी फसलों या उपजों की कटाई या एकत्रित करने तथा उनको संग्रह करने के व्यय, स्वामी द्वारा सम्पत्ति का मोचन कराने पर या उसके विक्रय की दशा में विक्रय से प्राप्त धनों में से चुकाये जायेंगे।

(एफ/च) विक्रय पदाधिकारी बैलों या पशुओं से काम न लेगा और न जप्त वस्तुओं या चल सम्पत्ति को उपयोग में लायेगा तथा वह पशुओं या पशुधन के लिये आवश्यक चारे की व्यवस्था करेगा जिसमें होने वाले व्यय, स्वामी द्वारा सम्पत्ति का मोचन कराने पर, या उसके विक्रय की दशा में विक्रय से प्राप्त धनों से चुकाये जायेंगे।

(जी/छ) विक्रय पदाधिकारी के लिये किसी भी अस्तबल, गोशाला, अन्न भण्डार, गोदाम, बाह्यगृह (आउट हाउस) या अन्य भवन को बलपूर्वक खोलना, वैध होगा तथा वह किसी ऐसे निवास-गृह के किसी भी कक्ष का दरवाजा, कक्ष में रखी हुई, निर्णीत ऋणी की संपत्ति को जप्त करने के आशय के लिये तोड़कर खोल सकेगा; किन्तु यह प्रतिबंध सदैव है कि उसके लिये वह वैध नहीं होगा कि वह ऐसे निवास-गृह में इसके पश्चात् आदेशित किये गये कि अतिरिक्त, जनाना के लिये या महिलाओं के

निवास के लिये अलग किये गये किसी कक्ष का दरवाजा तोड़े या उसमें प्रवेश करे।

(एच/ज) जब विक्रय पदाधिकारी को यह अनुमान करने का कारण हो कि निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति उस निवास गृह के भीतर रखी हुई है, जिसका बाह्य दरवाजा बन्द हो या किन्हीं ऐसे कमरों में रखी हुई है जो स्त्रियों के उपयोगार्थ हो और रीति-रिवाज या प्रथा के कारण प्रायवेट समझे जाते हैं तो वह निकटतम थाने के कार्यवाहक पदाधिकारी को उस बात की रिपोर्ट करेगा। ऐसी रिपोर्ट पर उक्त थाने के कार्यवाहक पदाधिकारी उस स्थान को पुलिस पदाधिकारी भेजेगा, जिसकी उपस्थिति में विक्रय पदाधिकारी ऐसे निवासगृह का दरवाजा बाह्य बलपूर्वक खोल सकेगा अथवा घर के अंदर महिलाओं के लिये सुरक्षित के अतिरिक्त किसी भी कक्ष का दरवाजा तोड़कर खोल सकेगा। विक्रय पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में जनाना के भीतर से महिलाओं को हटने की विधिवत सूचना देने के पश्चात् तथा उनके हटने के लिये समुचित रीति में सुविधाएं देने के पश्चात् यदि वे ऐसी सभ्रांत महिलाएं हों जो रीति-रिवाज या प्रथा के अनुसार सर्वसाधारण के समक्ष न आ सकती हों, निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति यदि कोई वहां रखी हो, कुर्क करने के आशय के लिये जनाना कक्षों में प्रवेश कर सकेगा, किन्तु ऐसी सम्पत्ति यदि वहां पाई जाये, तुरन्त ही ऐसे कक्षों से हटा दी जायेगी जिसके पश्चात् वे पूर्ववर्ती अधिवासियों के लिये खुले छोड़ दिये जायेंगे।

(आई/झ) विक्रय पदाधिकारी उस गांव में जिसमें निर्णीत ऋणी निवास करता हो या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में जिनमें विक्रय का समुचित प्रचार करना विक्रय पदाधिकारी आवश्यक समझे किये जाने वाले विक्रय के समय तथा स्थान की डोंडी पिटवाकर घोषणा करवाएगा। कोई भी विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस दिनांक से जिसको विक्रय सूचना-पत्र का निर्वाह किया गया हो, या वह खण्ड (ए/क) में नियत रीति में चिपकाया गया हो, 15 दिन समाप्त न हो जाए किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब हस्तगत की गई सम्पत्ति शीघ्रता से तथा प्राकृतिक रूप से सड़ने वाली हो या उसको अभिरक्षण में रखने के व्ययों की उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, तो विक्रय पदाधिकारी उसे 15 दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय, यदि प्राप्य धनराशि का उसके पूर्व चुकारा न कर दिया गया हो, बेच सकेगा।

(जे/ञ) नियत समय पर संपत्ति एक या अधिक लाट में, जैसा कि विक्रय पदाधिकारी उचित समझें, विक्रय के लिये रखी जायेगी तथा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाएगी :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि विक्रय पदाधिकारी सबसे ऊंची बोली को, यदि लगाया गया मूल्य उसको अत्यधिक कम प्रतीत हो, या किन्हीं अन्य कारणों से, स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगा। जबकि सम्पत्ति बकाया रकम से अधिक में बेची जाये, तो अतिरिक्त धनराशि ब्याज तथा निर्वाह के व्यय एवं अन्य व्यय काट लेने के पश्चात निर्णीत ऋणी को दे दी जायेगी;

यह प्रतिबंध और है कि वसूली पदाधिकारी या विक्रय पदाधिकारी अपने विवेकानुसार किसी निर्दिष्ट दिन तथा समय के लिये विक्रय को स्थगित कर सकेगा और ऐसे स्थगन के लिये कारण लेखबद्ध करेगा। जब विक्रय 7 दिन से अधिक काल के लिये इस प्रकार स्थगित किया जाये, तो खण्ड

(आई/झ) के अधीन नवीन घोषणा की जायेगी, जब तक कि निर्णीत ऋणी उसके न किये जाने के लिये सहमत न हो जाये।

(के/ट) सम्पत्ति के विक्रय धन का भुगतान विक्रय के समय या उसके पश्चात् यथासंभव शीघ्र जैसा विक्रय कराने वाला पदाधिकारी नियत करेगा, नगदी में किया जाएगा तथा क्रेता को सम्पत्ति का कोई भी भाग तब तक ले जाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने उसका पूर्व भुगतान न कर दिया हो। यदि क्रेता क्रय धन का भुगतान न करे, तो सम्पत्ति को पुन: विक्रय किया जायेगा।

(एल/ठ) जहां सक्षम विचाराधिकार के किसी सम्पत्ति न्यायालय की तुष्टि में यह सिद्ध हो जाये कि इन नियम के अधीन कुर्क किसी भी सम्पत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा बलात या प्रच्छन्न रूप से हटा दिया गया है, तो न्यायालय तुरन्त ही यह आज्ञा दे सकेगा कि ऐसा सम्पत्ति विक्रय पदाधिकारी को वापस की जाये।

(एम/ड) जब विक्रय के लिये नियत दिन से पूर्व निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अथवा जप्त सम्पत्ति में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, बकाया संपूर्ण धनराशि का जिससे ब्याज, भत्ता तथा सम्पत्ति को जप्त करने में हुए अन्य व्यय सम्मिलित होंगे, भुगतान कर दे तो विक्रय पदाधिकारी जप्ती की आज्ञा को निरस्त कर देगा तथा उस सम्पत्ति को तुरन्त मुक्त कर देगा।

(एन/ढ) जो चल सम्पत्तियां सम्पत्ति विधि संग्रह, 1908 की धारा 60 के उपबंध में जप्ती से मुक्त की हुई है, इन नियमों के अधीन जप्ती या बिक्री के योग नहीं होगी।

65. अन्य चल सम्पत्ति की जप्ती- (1) यदि जप्त की जाने वाली चल सम्पत्ति, लोक अधिकारी, या रेल्वे के सेवक या स्थानीय प्राधिकरण के सेवक या किसी फर्म या कंपनी के सेवकों का वेतन, भत्ता या मजदूरी है, तो वसूली पदाधिकारी विक्रय पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्पत्ति विधि संग्रह, 1908 की धारा 60 के आदेशों के अधीन रहते हुए आज्ञा दे सकेगा कि वह धनराशि ऐसे वेतन या भत्ता या मजदूरी में से या एक ही भुगतान में अथवा मासिक अंशिकाओं द्वारा जैसा उक्त वसूली पदाधिकारी निर्देशित करे, रोक ली जावे तथा उस आज्ञा की प्राप्ति पर वह पदाधिकारी या वह व्यक्ति जिसका कर्तव्य ऐसे वेतन या भत्ता या मजदूरी बांटना है उस आज्ञा के अधीन देय धनराशि या मासिक आंशिका को जैसी भी दशा हो, रोक लेगा तथा विक्रय पदाधिकारी की ओर भेज देगा।

(2) जहां जप्त की जाने वाली सम्पत्ति निर्णीत ऋणी के उस चल सम्पत्ति में होने वाले हिस्से या हित के रूप में हो, जिस पर उसका तथा अन्य व्यक्ति का सहस्वामी के रूप में स्वामित्व हो, तो जप्ती निर्णीत ऋणी को, उस हिस्से या हित को अन्तरित करने से या किसी प्रकार से प्रभावित करने से रोकते हुए, सूचना पत्र देकर की जायेगी।

(3) जहां जप्त की जाने वाली संपत्ति ऐसा परक्राम्य संलेख है जो न तो न्यायालय में जमा हो और न किसी पदाधिकारी के अभिरक्षण में हों, तो जप्ती वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जावेगी तथा संलेख जप्ती की आज्ञा देने वाले वसूली पदाधिकारी के कार्यालय में लाया जायेगा तथा उसे आगे दिये जाने

वाले आदेशों के अधीन रखा जायेगा।

(4) जहां जप्त की जाने वाली संपत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी के अभिरक्षण में हो, तो जप्ती ऐसे न्यायालय या पदाधिकारी को सूचना-पत्र देकर की जायेगी जिसमें यह निवेदन किया जावेगा कि ऐसी संपत्ति तथा उस पर होने वाले प्राप्य ब्याज या लाभांश, सूचना-पत्र जारी करने वाले वसूली पदाधिकारी की आगामी आज्ञा के अधीन रखे जावे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसी सम्पत्ति किसी न्यायालय या किसी अन्य वसूली पदाधिकारी के अभिरक्षण में हों, जयपत्र धारी तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच, जो निर्णीत ऋणी न हो और किसी स्वत्वार्पण जप्ती या अन्य आधार पर ऐसी सम्पत्ति में हित रखने का दावा रखता हो, उत्पन्न होने वाले स्वत्वाधिकार या अग्रिमता संबंधी किसी प्रश्न का निराकरण ऐसे न्यायालय या वसूली पदाधिकारी जैसी भी दशा हो, के द्वारा किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम में 'लोक अधिकारी' में धारा 70 के अधीन नियुक्त परिसमापक भी सम्मिलित है।

(5) (एक) जहां जप्त की जाने वाली सम्पत्ति या तो धन का भुगतान करने के लिये अथवा बन्धक या प्रभार के प्रवर्तन में विक्रय के हेतु जयपत्र हो, तो यदि जयपत्र, जिसके लिये जप्ती की जाना है, पंजीयक या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मंडल जिसका विवाद धारा 66 के अधीन पंजीयक के आदेश द्वारा अंतरित किया गया था, दिया गया हो तो जप्ती पंजीयक की आज्ञा से की जायेगी।

(दो) जहां पंजीयक खण्ड (1) के अधीन आज्ञा दे तो वह जयपत्र धारी के आवेदन-पत्र पर जिसने जयपत्र जप्ती किया हो, के प्रवर्तन के लिये कार्यवाही करेगा और शुद्ध प्राप्ति को उस जयपत्र की भरपाई में लगाएगा जिसका प्रवर्तन चाहा गया हो।

(तीन) खण्ड (एक) में निर्दिष्ट प्रकार के अन्य जयपत्र की जप्ती द्वारा प्रवर्तन चाहे जाने वाले जयपत्र का धारक जप्त किये हुए जयपत्र के धारक का प्रतिनिधि समझा जावेगा और ऐसे जप्त जयपत्र का प्रवर्तन किसी भी रीति से उसके धारक के लिये, करने का अधिकारी होगा।

(चार) जहां ऐसे जयपत्र के प्रवर्तन में जप्त की जाने वाली सम्पत्ति खण्ड (एक) में उल्लिखित प्रकार के जयपत्र से भिन्न जयपत्र हो, तो जप्ती वसूली पदाधिकारी द्वारा ऐसे जयपत्र के धारक को उस सम्पत्ति को अन्तरित करने या किसी भी रीति में उसे प्रभारित करने से निषिद्ध करते हुए सूचना-पत्र देकर की जावेगी।

(पांच) इस उपनियम के अधीन जप्त किये गये जयपत्र का धारक जयपत्र का प्रवर्तन करने वाले वसूली पदाधिकारी को ऐसी जानकारी तथा सहायता देगा, जैसी समुचित रूप से अपेक्षा की जाये।

(छः) किसी अन्य जयपत्र की जप्ती द्वारा प्रवर्तन चाहे गये जयपत्र के धारक के प्रार्थना पत्र देने पर, इस उपनियम के अधीन जप्ती की आज्ञा देने वाला वसूली पदाधिकारी, ऐसे आदेश की सूचना जप्त किये हुए जयपत्र से बाध्य निर्णीत ऋणी को देगा, और जप्त जयपत्र के निर्णीत ऋणी द्वारा, उक्त वसूली

पदाधिकारी के द्वारा या अन्यथा रूप में आदेश की सूचना पाने के पश्चात् ऐसे आदेश के उल्लंघन में किया गया कोई भुगतान या समायोजन तब तक मान्य नहीं किया जायेगा जब तक कि जप्ती प्रभावशील रहे।

(6) जहां जप्त की जाने वाली चल सम्पत्ति-

(क) सम्बन्धित निर्णीत ऋणी को प्राप्य कोई ऋण हो,

(ख) किसी निगम की पूंजी में कोई हिस्सा (शेयर) या उसमें लगाया गया कोई जमा धन हो, अथवा

(ग) किसी सम्पत्ति न्यायालय में जमा की गई या उसके अभिरक्षण में रखी गई संपत्ति के अतिरिक्त अन्य चल सम्पत्ति हो, जो निर्णीत ऋणी के आधिपत्य में हो, तो जप्ती वसूली पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आज्ञा द्वारा निम्न प्रकार से निषिद्ध करते हुए की जायेगी-

(एक) ऋण की दशा में लेनदार को ऋण वसूल करने तथा ऋणी को उसका भुगतान करने से;

(दो) हिस्सों या जमा धन की दशा में उस व्यक्ति को जिसके नाम से हिस्सा या जमाधन हो, हिस्सा या जमाधन को अंतरित करने या उस पर कोई लाभांश या ब्याज प्राप्त करने से; तथा

(तीन) पूर्व कथित के अतिरिक्त अन्य चल सम्पत्ति की दशा में, उस व्यक्ति को जिसके आधिपत्य में वह हो, निर्णीत ऋणी को उसे सौंपने से।

ऐसी आज्ञा की एक प्रतिलिपि ऋण की दशा में ऋणी को, हिस्सा या जमाधन की दशा में निगम के उपयुक्त अधिकारी को तथा अन्य चल सम्पत्ति अतिरिक्त उस सम्पत्ति के जो संपत्ति न्यायालय में जमा की हुई हो या उसकी अभिरक्षा में हो, की दशा में उस व्यक्ति को भेजी जायेगी जिसके आधिपत्य में ऐसी सम्पत्ति हो, जैसे ही खण्ड (क) में उल्लिखित ऋण या खण्ड (ख) में उल्लिखित जमाधन देय हो जाये वसूली पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को धन का भुगतान उसे करने के लिये निर्देश दे सकेगा। जबकि हिस्सा वापसी योग्य न हो, तो उक्त वसूली पदाधिकारी दलाल द्वारा उसके विक्रय का प्रबंध करेगा। जहां हिस्सा वापसी योग्य हो तो उसके मूल्य का भुगतान वसूली पदाधिकारी या खण्ड (ग) में उल्लिखित पक्षकार को कर दिया जावेगा, संबंधित व्यक्ति जैसे कि वह निर्णीत ऋणी को सौंपने योग्य हो जाये, उसे उक्त वसूली पदाधिकारी के हाथ में सौंप देगा।

66. अचल संपत्ति की जप्ती एवं विक्रय- (1) जयपत्र के प्रवर्तन में अचल सम्पत्ति तब तक नहीं बेची जायेगी जब तक कि ऐसी संपत्ति को पूर्व में जप्त नहीं किया गया हो :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जयपत्र ऐसी संपत्ति के बंधन के आधार पर प्राप्त किया गया हो, तो उसको जप्त करना अनिवार्य नहीं होगा।

(2) अचल संपत्ति की जप्त तथा विक्रय या बिना जप्ती विक्रय के संबंध में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जावेगा-

(ए/क) नियम 62 के उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उस अचल संपत्ति का विवरण होगा

जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाना है, जो उसकी पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा उस दशा में जबकि ऐसी संपत्ति सीमाओं अथवा व्यवस्थापन या सर्वेक्षण के अभिलेखों के क्रमांकों से पहचानी जा सकती हो, तो ऐसी सीमाओं या क्रमांकों का निर्दिष्टीकरण जयपत्र धारक के श्रेष्ठतम विश्वास तक तथा उस सीमा तक जहां तक वह उसे निश्चित करने में समर्थ हुआ हो, ऐसी सम्पत्ति में निर्णीत ऋणी के हिस्से या हित का निर्दिष्टीकरण होगा।

(बी/ख) नियम 62 के उपनियम (3) के अधीन वसूली पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये मांग सूचना-पत्र में निर्णीत ऋणी का नाम, बकाया रकम जिसमें व्यय, यदि कोई हो, तथा उस व्यक्ति को जो मांग-पत्र का निर्वाह करेगा, दिया जाने वाला भत्ता भी सम्मिलित होगा, भुगतान करने के लिये दिया गया समय और भुगतान न करने की दशा में, जप्त की जाने वाली तथा बेची जाने वाली या बिना जप्ती के बेची जाने वाली संपत्ति, जैसी भी दशा हो, के विवरण दिये जायेंगे। मांग सूचना-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विक्रय पदाधिकारी निर्णीत ऋणी या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर, उसके सामान्य निवास स्थान पर अथवा उसके प्राधिकृत कार्य-प्रतिनिधि पर मांग सूचना-पत्र की एक प्रतिलिपि का निर्वाह करेगा या करवायेगा, या यदि ऐसा वैयक्तिक निर्वाह संभव न हो तो उसकी एक प्रतिलिपि जप्त तथा विक्रय की जाने वाली या बिना जप्ती के विक्रय की जाने वाली, जैसी भी दशा हो, अचल सम्पत्ति के किसी सहजगोचर भाग पर चिपकायेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब वसूली पदाधिकारी की यह तुष्टि हो जाये कि निर्णीत ऋणी अपने विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही को निष्फल करने या विलंबित करने के अभिप्राय से अपनी सम्पत्ति के संपूर्ण या किसी भाग का व्ययन करने वाला है, तो वसूली पदाधिकारी द्वारा नियम 62 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये मांग सूचना-पत्र में निर्णीत ऋणी को बकाया रकम के भुगतान के लिये कोई भी समय नहीं दिया जायेगा और निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति को तुरंत जप्त किया जायेग।

(सी/ग) यदि निर्णीत ऋणी दिये गये समय के भीतर मांग सूचना-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान न करे तो विक्रय पदाधिकारी प्रवर्तन के लिये मांग सूचना-पत्र में निर्दिष्ट अचल संपत्ति को जप्त करने तथा बेचने या बिना जप्ती के बेचने की, जैसी भी दशा हो आगे लिखे प्रकार के कार्यवाही करेगा।

(डी/घ) जहां जप्ती विक्रय के पूर्व अपेक्षित हो, तो विक्रय पदाधिकारी यदि संभव हो निर्णित ऋणी पर जप्ती के सूचना पत्र की तामीली व्यक्तिगत रूप से करायेगा। जब वैयक्तिक तामीली संभव न हो तो सूचना-पत्र निर्णीत ऋणी के अंतिम ज्ञात निवास स्थान के किसी सहज गोचर भाग में, यदि कोई हो चिपकाया जायेगा। जप्ती के इस तथ्य की घोषणा डोंडी पीटकर या अन्य किसी प्रचलित घोषणा की रीति द्वारा ऐसी संपत्ति पर के या उससे लगे हुये स्थान पर तथा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी की जायेगी जिन्हें वसूली पदाधिकारी विक्रय को यथोचित प्रसिद्धि देने के लिये आवश्यक समझें। जप्ती सूचना-पत्र में यह उल्लिखित किया जायेगा कि यदि ब्याज तथा व्ययों सहित प्राप्त धनराशि का भुगतान उसमें उल्लिखित दिनांक के भीतर न किया गया हो तो वह सम्पत्ति बेच दी

जायेगी। एक प्रतिलिपि जयपत्र धारी को भेज दी जायेगी। जहां विक्रय पदाधिकारी ऐसा निर्देशित करें, तो जप्ती स्थानीय समाचार-पत्रों में यदि कोई हो, सार्वजनिक घोषणा द्वारा भी संसूचित की जायेगी।

(ई/ङ) विक्रय की घोषणा वसूली पदाधिकारी के कार्यालय, सहकारी केंद्रीय बैंक के कार्यालय तथा तहसील कार्यालय में विक्रय के लिये नियत दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सूचना-पत्र चिपकाकर की जायेगी। विक्रय की घोषणा गांव में डोंडी पिटवाकर भी की जायेगी। ऐसी घोषणा जबकि जप्ती विक्रय से पूर्व अपेक्षित हो, जप्ती की जाने के पश्चात् की जायेगी।

सूचना-पत्र जयपत्र धारी तथा निर्णीत ऋणी को भी दिया जावेगा, घोषणा-पत्र में विक्रय का समय तथा स्थान बतलाया जायेगा और निम्न बातें यथासंभव उचित रूप से यथार्थ रूप से निर्दिष्ट की जायेगी-

(एक) विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति,

(दो) कोई भी भार जिसके लिये वह सम्पत्ति दायी हो,

(तीन) वह धनराशि जिसकी वसूली के लिये विक्रय की आज्ञा दी गई है, तथा

(चार) प्रत्येक अन्य बात जिसे संपत्ति का प्रचार तथा मूल्य का निश्चय करने की दृष्टि से क्रेता की जानकारी हेतु विक्रय पदाधिकारी महत्वपूर्ण समझें।

(एफ/च) (एक) जहां किसी अचल संपत्ति का इन नियमों के अधीन विक्रय किया जाये, तो विक्रय उस संपत्ति पर होने वाले पूर्व के ऋण भार के, यदि कोई हो, अधीन होगा, जयपत्र धारी यदि वह धनराशि जिसकी वसूली के लिये विक्रय किया जाये [1][रुपये 5000] से अधिक हो, विक्रय पदाधिकारी को ऐसे काल के भीतर जैसा कि उसके द्वारा या वसूली पदाधिकारी द्वारा नियत किया जाये। पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) विभाग का ऋण भार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जो विक्रय की जाने वाली संपत्ति की कुर्की के दिनांक से कम से कम 7 वर्ष पूर्व का होगा अथवा उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन आने वाले प्रकरणों में प्रवर्तन के लिये प्रार्थना पत्र के दिनांक के पूर्व का होगा। ऋण भार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के समय में विक्रय पदाधिकारी या वसूली पदाधिकारी जैसे भी दशा हो, के विवेक पर वृद्धि की जा सकेगी। विक्रय सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को सार्वजनिक घोष विक्रय द्वारा किया जावेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि विक्रय पदाधिकारी प्रस्तावित मूल्य के अत्यधिक रूप से कम प्रतीत होने पर या अन्य कारणों से सबसे ऊंची बोली को अस्वीकार करने के लिये स्वतंत्र होगा :

आगे यह प्रतिबंध भी है कि वसूली पदाधिकारी या विक्रय पदाधिकारी, विक्रय को अपने विवेक से निर्दिष्ट दिन तथा समय तक स्थगित कर सकेगा और ऐसा स्थगन के कारण लेखबद्ध करेगा। जब कोई विक्रय इस प्रकार सात दिन से अधिक काल के लिये स्थगित किया जावे तो खंड (ई/ङ)

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 5.3.71 द्वारा प्रतिस्थापित

के अधीन नवीन घोषणा की जावेगी जब तक कि निर्णीत ऋणी उसे न किये जाने के लिये सहमत न हो जाये।

(दो) विक्रय, वसूली पदाधिकारी के कार्यालय में घोषणा का सूचना-पत्र चिपकाये जाने के दिनांक से गणना किये गये कम से कम 30 दिवस के व्यतीत हो जाने के पश्चात् किया जायेगा। विक्रय का समय तथा स्थान वसूली पदाधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा तथा विक्रय का स्थान वह गांव होगा, जहां बेची जाने वाली संपत्ति स्थित हो या सार्वजनिक आवागमन का ऐसा समीपवर्ती प्रमुख स्थान होगा, जैसा कि उक्त वसूली पदाधिकारी द्वारा नियत किया जावे:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि उन प्रकरणों में जिनमें ऋण भार प्रमाण-पत्र संबंधित अभिलेखों के विनाश के कारण प्राप्य न हो, गांव के पटवारी का उसको ज्ञात ऋणभारों के संबंध में शपथ-पत्र, जो पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) विभाग के ऐसे प्रमाण-पत्र से समर्थित होगा कि ऋणभार प्रमाण-पत्र संबंधित अभिलेखों के विनाश के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता, ऋण भार प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वीकार किया जायेगा।

(जी/छ) नीलाम में विक्रय की जाने वाली अचल संपत्ति के मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर धन क्रेता द्वारा क्रय के समय विक्रय पदाधिकारी को चुकाया जावेगा, तथा इस प्रकार धन न चुकाये जाने पर उस संपत्ति को तत्काल पुन: विक्रय किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब जयपत्र धारी क्रेता हो तथा खंड (ट) के अधीन क्रय धन का प्रतिसादन करने का अधिकारी हो तो विक्रय पदाधिकारी इस नियम द्वारा अपेक्षित बातों को आवश्यक नहीं समझेगा।

(एच/ज) शेष क्रय धन तथा विक्रय प्रमाण-पत्र हेतु सामान्य मुद्रा पत्र के लिये अपेक्षित धन का भुगतान विक्रय के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि मुद्रा पत्र के मूल्य के भुगतान के लिए समय, उचित तथा पर्याप्त कारणों के होने पर विक्रय के दिनांक से तीस दिवस तक वसूली पदाधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकेगा:

यह प्रतिबंध और है कि इसके अधीन भुगतान किये जाने वाले धन की गणना करने में क्रेता को किसी भी प्रतिसादन का लाभ होगा जिसके लिये खंड (ट) के अधीन वह अधिकारी हो।

(आई/झ) खंड (ज) में उल्लिखित अवधि के भीतर क्रय धन का भुगतान न होने की दशा में जमा धन यदि वसूली पदाधिकारी उचित समझें, विक्रय के व्ययों का चुकारा करने के पश्चात् शासन के हित में राजसात कर लिया जावेगा तथा त्रुटि करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के संबंध में या उस धनराशि के, जिसके लिये पश्चात् में उसका विक्रय किया जाये, किसी भाग के संबंध में समस्त दावे खो देगा।

(जे/ञ) खंड (ज) में उल्लिखित धनों का भुगतान, ऐसे भुगतान के लिये दी गई अवधि के भीतर न होने पर प्रत्येक अचल संपत्ति का पुन: विक्रय के लिये इसके पूर्व नियत रीति में तथा अवधि के लिये नवीन घोषणा जारी करने के पश्चात् किया जायेगा।

(के/ट) जहां जयपत्र धारी सम्पत्ति क्रय करे, तो क्रय धन तथा जयपत्र का बकाया धन एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतिसादित हो जावेगा, और विक्रय पदाधिकारी तदनुसार जयपत्र की पूर्णत: या अंशत: भरपाई की प्रविष्टि करेगा।

(3) जहां विक्रय के लिये नियत दिनांक से पूर्व निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति या बेची जाने वाली सम्पत्ति में हित रखने वाला कोई व्यक्ति, ब्याज, भत्ता तथा सम्पत्ति के विक्रय में किये गये अन्य व्ययों सहित, जिसमें जप्ती के व्यय, यदि कोई हों, सम्मिलित होंगे संपूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान करे, तो विक्रय पदाधिकारी जबकि सम्पत्ति जप्त की गई हो, जप्ती की आज्ञा को निरस्त करने के पश्चात् संपत्ति को तुरंत छोड़ देगा।

(4) (एक) जब विक्रय पदाधिकारी द्वारा अचल संपत्ति का विक्रय कर दिया गया हो; तो ऐसा कोई व्यक्ति जो या तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामित्व रखता हो अथवा ऐसे विक्रय से पूर्व अर्जित स्वत्वाधिकार के कारण उसमें कोई हित रखता हो वसूली पदाधिकारी के पास (क) क्रेता को भुगतान करने के लिये ऐसी धनराशि जो विक्रय के पांच प्रतिशत के बराबर तथा (ख) जयपत्रधारी को भुगतान करने के लिये, बकाया धनराशि जो विक्रय घोषणा में निर्दिष्ट की गई हो, ऐसी जिसकी वसूली के लिये विक्रय की आज्ञा दी गई थी, उस पर ब्याज तथा ऐसी धनराशि के संबंध में देय जप्ती यदि की गई हो, एवं विक्रय के व्यय व अन्य परिव्यय सहित जिसमें से ऐसी धनराशि कम करते हुये जो जयपत्र धारी द्वारा ऐसे विक्रय घोषणा के दिनांक से प्राप्त की गई हो, जमा कराकर विक्रय को निरस्त कराने के लिये आवेदन कर सकेगा।

(दो) यदि विक्रय के दिनांक से 30 दिन के भीतर धन जमा कर दिया जाये तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाये तो वसूली पदाधिकारी विक्रय को निरस्त करने की आज्ञा जारी करेगा और क्रेता को क्रय धन का जितना की वह जमा किया गया था, आवेदन द्वारा जमा की गई 5 प्रतिशत धनराशि के सहित पुनर्भुगतान करेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस उपनियम के अधीन यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने धन जमा किया हो तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हों, तो वसूली पदाधिकारी के पास पहले धन जमा करने वाले व्यक्ति का आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(तीन) यदि कोई व्यक्ति अचल सम्पत्ति के विक्रय को निरस्त कराने के लिये उपनियम (5) के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करे, तो उसे इस उप नियम के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

(5) (एक) अचल सम्पत्ति के विक्रय के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय जयपत्र धारी या अन्य कोई व्यक्ति, जो सम्पत्ति के आनुपातिक वितरण में हिस्सा बंटाने का अधिकारी हो अथवा जिसके हित विक्रय द्वारा प्रभावित होते हों, वसूली पदाधिकारी को इस आधार पर विक्रय निरस्त कराने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा कि उसके प्रकाशन या संचालन में महत्वपूर्ण

अनियमितता या भूल या धोखा हुआ है :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी भी विक्रय को अनियमितता या भूल या धोखे के आधार पर निरस्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वसूली पदाधिकारी की यह तुष्टि न हो जावे कि आवेदक ने ऐसी अनियमितता त्रुटि या धोखे के कारण सारभूत हानि उठाई है।

(दो) यदि आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिया जाये, तो उक्त वसूली पदाधिकारी विक्रय को निरस्त कर देगा तथा नवीन विक्रय के लिये निर्देश दे सकेगा।

(6) (एक) विक्रय के दिनांक से तीन दिन व्यतीत हो जाने पर यदि विक्रय निरस्त कराने के लिये कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किया जाये या यदि ऐसा कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा वह अस्वीकार कर दिया गया हो, तो वसूली पदाधिकारी विक्रय की पुष्टि की आज्ञा देगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि उसे ऐसा समझने के लिये कारण हो कि विक्रय निरस्त किया जाना चाहिये तो भले ही ऐसा आवेदन-पत्र नहीं दिया गया तो या प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकार किये गये आवेदन-पत्र में कथित आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर अपने कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् विक्रय को निरस्त कर सकेगा।

(दो) जहां किसी अचल संपत्ति के विक्रय की इस प्रकार पुष्टि नहीं की जाये या वह निरस्त कर दिया तो जमा धन या क्रय धन, जैसी भी दशा हो क्रेता को वापिस कर दिया जायेगा।

[1][(तीन) ऐसे विक्रय की पुष्टि के पश्चात् वसूली अधिकारी:-

(ए/क) क्रेता को विक्रय का एक प्रमाण-पत्र देगा जिस पर उसकी मुद्रा तथा हस्ताक्षर होंगे और ऐसे प्रमाण-पत्र में विक्रय की गयी संपत्ति तथा क्रेता के नाम का कथन होगा और वह समस्त ऐसे न्यायालयों तथा अधिकरणों में, जहां उसे (विक्रय को) साबित करना आवश्यक हो, विक्रय के तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा और वसूली अधिकारी की मुद्रा तथा हस्ताक्षर का कोई सबूत तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि उस प्राधिकारी को, जिसके कि समक्ष वह पेश किया जाये, उसकी प्रमाणिकता के बारे में संदेह करने का कारण न हो।

(बी/ख) उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिसके या जिनके कब्जे में विक्रय के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित स्थावर सम्पत्ति हो, नोटिस तामिल करेगा कि वह/वे, उसे/उन्हें नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर क्रेता को उसका कब्जा परिदत्त करे/करें।]

(चार) इस उप नियम के अधीन दी गई आज्ञा अंतिम होगी तथा किसी वाद या अन्य कानूनी कार्यवाहियों में आपत्ति उठायी जाने योग्य नहीं होगी।

[2][(7) उपनियम (6) के खंड तीन के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके कब्जे में स्थावर संपत्ति हो, उसका कब्जा क्रेता को परिदत्त न करने पर, वसूली अधिकारी

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 5.2.79 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 12.2.79 द्वारा प्रतिस्थापित

उस व्यक्ति को जिसके कब्जा क्रेता को परिदत्त न करने पर, वसूली अधिकारी उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में स्थावर संपत्ति हो, उससे वे कब्जा करने के लिये इतने बल का प्रयोग करेगा जितना की आवश्यक हो और उसे स्थावर सम्पत्ति को क्रेता को परिदत्त कर देगा।]

(8) विक्रय पदाधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह बकाया धन के चुकारे के लिये निर्णीत ऋणी की अचल संपत्ति के संपूर्ण या किसी भाग को बेच दे :

किन्तु यह प्रतिबंध सदैव है कि जहां तक व्यवहार्य हो, अचल संपत्ति का कोई भाग या अंश उतने से अधिक नहीं बेचा जायेगा जितना की बकाया धनराशि तथा जप्ती, यदि कोई हो, व विक्रय के व्यय के सहित चुकाये जाने के लिये पर्याप्त हो।

[1][**66-ए/क.स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा उसे पट्टे पर दिया जाना-** (1) किसी डिक्री के निष्पादन में कोई स्थावर संपत्ति किसी उल्लिखित कालावधि के लिये तब तक पट्टे द्वारा अंतरित नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी सम्पत्ति पूर्व में ही कुर्क न कर ली गई हो :

परन्तु जहां ऐसी सम्पत्ति के बंधक के आधार पर कोई डिक्री अभिप्राप्त की गई हो, वहां उसे कुर्क करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा उसके अन्तरण या कुर्की के बिना अन्तरण में, निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा :-

(ए/क) नियम 62 के उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में उस स्थावर सम्पत्ति का, जिसके कि विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, पहिचान के लिए पर्याप्त वर्णन अन्तर्विष्ट होगा तथा उस दशा में जब कि ऐसी सम्पत्ति सीमाओं या सर्वेक्षण बंदोबस्त के अभिलेखों में, के क्रमांकों द्वारा पहिचानी जा सकती हो, तो ऐसी सीमाओं या क्रमांकों की विशिष्टियां तथा डिक्रीधारक के सर्वोत्तम विश्वास के आधार पर, जहां तक कि वह उसे अभिनिश्चित करने में योग्य हो, ऐसी सम्पत्ति में निर्णीत ऋणी के हिस्से या हित की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी।

(बी/ख) नियम 62 के उपनियम (3) के अधीन वसूली पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये मांग सूचना में निर्णीत ऋणी का नाम, शोध्य रकम, जिसमें व्यय, यदि कोई हो, तथा उस व्यक्ति को जो मांग-पत्र की तामीली करेगा दिये जाने वाला भत्ता भी सम्मिलित होगा, भुगतान के लिये अनुज्ञात दिया गया समय और भुगतान न करने की दशा में यथास्थिति कुर्क तथा अन्तरित की जाने वाली या कुर्की के बिना अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति के विवरण अन्तर्विष्ट होगी। मांग सूचना प्राप्त होने के पश्चात् विक्रय पदाधिकारी, निर्णीत ऋणी या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर, उसके सामान्य निवास स्थान पर या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर मांग सूचना कि एक प्रतिलिपि की तामीली करेगा या करायेगा या यदि ऐसी व्यक्तिगत तामीली संभव न हो, तो उसकी एक प्रतिलिपि यथा स्थिति कुर्क तथा अन्तरित की जाने वाली या कुर्की के बिना अन्तरित की जाने वाली, स्थावर सम्पत्ति के किसी सहजगोचर भाग पर चिपकायेगा :

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र 4ग दिनांक 5.2.71 द्वारा प्रतिस्थापित

परन्तु जहां वसूली पदाधिकारी का यह समाधान हो जाये कि निर्णीत ऋणी अपने विरुद्ध निष्पादन की कार्यवाहियों को निष्फल करने या विलंबित करने के आशय से अपनी संपूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, वहां वसूली पदाधिकारी द्वारा नियम 62 के उपनियम (3) के अधीन जारी की गई मांग सूचना में निर्णीत ऋणी को शोध्य रकम के भुगतान के लिये कोई भी समय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा और निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति तुरंत कुर्क कर ली जायेगी।

(सी/ग) यदि निर्णीत ऋणी अनुज्ञात समय के भीतर मांग सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का भुगतान न करे, तो विक्रय पदाधिकारी, निष्पादन के लिये मांग सूचना में विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति को कुर्क तथा अन्तरित करने या बिना कुर्क किये अन्तरित करने के लिये, जैसी भी कि दशा हो, निम्नलिखित रीति में कार्यवाही करेगा।

(डी/घ) जहां कुर्की, पट्टे पर अन्तरित किये जाने के पूर्व अपेक्षित हो, वहां विक्रय पदाधिकारी यदि संभव हो, निर्णीत ऋणी पर व्यक्तिगत रूप से कुर्की की सूचना की तामीली करायेगा। यदि व्यक्तिगत तामीली संभव न हो, तो सूचना निर्णीत ऋणी के अंतिम ज्ञात निवास स्थान के यदि कोई हो, किसी सहजगोचर भाग पर, चिपकाई जायेगी। कुर्की के तथ्य की घोषणा डोंडी पीटकर या अन्य किसी प्रचलित उद्घोषणा की रीति द्वारा ऐसी संपत्ति पर या उसके निकटस्थ स्थान पर तथा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी की जायेगी। जिन्हें वसूली पदाधिकारी पट्टे द्वारा अन्तरण का सम्यक् प्रचार करने के लिये आवश्यक समझे। कुर्की सूचना-पत्र में यह उल्लेखित किया जायेगा कि यदि ब्याज तथा व्ययों सहित शोध्य रकम का भुगतान उसमें उल्लिखित दिनांक के भीतर न किया गया, तो वह सम्पत्ति पट्टे के द्वारा अंतरित कर दी जायेगी। एक प्रतिलिपि डिक्रीधारी को भेज दी जायेगी। जहां विक्रय पदाधिकारी ऐसा निर्देश दें वहां कुर्की स्थानीय समाचार-पत्रों में, यदि कोई हो सार्वजनिक उदघोषणा द्वारा भी अधिसूचित की जायेगी।

(ई/ङ) पट्टे पर अन्तरित करने की उदघोषणा वसूली पदाधिकारी के कार्यालय, सहकारी केंद्रीय बैंक के कार्यालय तथा तहसील कार्यालय में पट्टे पर अन्तरित करने के लिये नियत दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व सूचना चिपकाकर की जायेगी। उसका प्रचार गांव में डोंडी पिटवाकर भी किया जायेगा। जबकि पट्टे पर अन्तरित करने से पूर्व कुर्की करना अपेक्षित हो, तो ऐसी उदघोषणा कुर्की की जाने के पश्चात् की जायेगी। डिक्रीधारी तथा निर्णीत ऋणी को भी सूचना दी जायेगी। उदघोषणा में पट्टे पर अन्तरित करने का समय तथा स्थान बतलाया जायेगा और निम्न बातें यथासंभव उचित तथा ठीक-ठीक रूप से विनिर्दिष्ट की जायेगी-

(एक) पट्टे पर अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति,

(दो) कोई भी भार जिसके लिये वह सम्पत्तिदायी हो,

(तीन) वह रकम जिसकी वसूली के लिये अन्तरण करने की आज्ञा दी गई है, और

(चार) प्रत्येक अन्य बात जैसे, पट्टे की अवधि, पट्टे के निबंधन तथा शर्तें उस कालावधि से परे, जिसके

कि लिये पट्टा मंजूर किया गया है, पट्टे धारी द्वारा भूमि प्रतिधारित करे रहने पर 10.00 रु. प्रतिदिन, प्रति एकड़ की दर से दी जाने वाली शास्ति इत्यादि, जो विक्रय पदाधिकारी की राय में सम्पत्ति के प्रकार एवं मूल निर्धारण हेतु पट्टेदार की जानकारी के लिये आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण-(एक) पट्टे की अवधि किसी भी मामले में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस पट्टे के आधार पर किसी पट्टेदार को कोई नवीन टेनेन्सी राइट्स (कृषकाधिकार) अथवा स्थायी पट्टेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

(दो) उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर भूमि, निर्णीत ऋणी को वापस प्राप्त हो जायेगी जिसके लिये वसूली अधिकारी निर्धारित प्ररूप में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा। इस कालावधि से परे भूमि के प्रतिधारण का परिणाम ऊपर विनिर्दिष्ट शास्ति में होगा।

(तीन) उक्त पट्टे की शर्तों में यह भी समाविष्ट हो सकेगा कि पट्टेदार निर्णीत ऋणी पर बकाया संपूर्ण राशि डिक्रीधारी के समाधान पर्यन्त एकमुश्त में चुकाएगा; पट्टे की निश्चित कालावधि पट्टे पर दी गई भूमि पर कोई स्थायी सुधार के लिये प्रतिबंध इत्यादि, ये शर्तें मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 की धारा 84 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिनिश्चित की जा सकेगी।

(चार) यह स्पष्टीकरण घोषणा का एक भाग होगा।

(एफ/च) (एक) जहां कोई स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण इन नियमों के अधीन किया जाये, वहां उस अन्तरण सम्पत्ति पर होने वाले पूर्व के ऋण भार के, यदि कोई हो, अधीन होगा। इस मामले में जहां वह रकम, जिसकी वसूली के लिये अन्तरण किया जाये, रुपये 5000 से अधिक हो तो डिक्रीधारी विक्रय पदाधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि उसके द्वारा या वसूली पदाधिकारी द्वारा नियत की जाये, रजिस्ट्रेशन विभाग से एक ऋण भार प्रमाण-पत्र (एनकम्बेरेन्स सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करेगा जो पट्टे पर अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति की कुर्की के दिनांक से कम से कम 1 वर्ष पूर्व का होगा अथवा उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन आने वाले मामले में, निष्पादन के लिए प्रार्थना-पत्र के दिनांक के पूर्व का होगा। यथास्थिति विक्रय पदाधिकारी या वसूली पदाधिकारी के विवेक पर ऋण भार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि की जा सकेगी। अन्तरण, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के पक्ष में सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा।

परन्तु जहां विक्रय पदाधिकारी को यह प्रतीत हो कि स्थापित मूल्य असम्यक् रूप से कम है या अन्य कारणों से वह सबसे ऊंची बोली को अस्वीकार करने के लिये सक्षम होगा;

परन्तु यह भी कि वसूली पदाधिकारी या विक्रय पदाधिकारी अपने विवेक से पट्टे द्वारा अन्तरण को विनिर्दिष्ट दिन तथा समय तक के लिये स्थगित कर सकेगा और ऐसे स्थगन के कारण लेखबद्ध करेगा। जब इस प्रकार कोई अन्तरण के लिये नीलामी 7 दिन से अधिक काल के लिये स्थगित की जाये तो जब तक कि निर्णीत ऋणी पुनः उदघोषणा किये जाने को रद्द करने के लिये सहमत न हो जाय, खण्ड (ङ) के अधीन नवीन उदघोषणा की जावेगी;

परन्तु यह और भी कि बोली लगाने वाले के अभाव में अथवा बोली की अपर्याप्त राशि अथवा अन्य किसी कारण से डिक्रीधारी पट्टे पर अन्तरण की प्रक्रिया द्वारा निष्पादन को त्याग सकेगा तथा नियम 62 के उपनियम (2) के अधीन वसूली पदाधिकारी को नियम 66 के अनुसार वसूली करने के लिये फिर से आवेदन-पत्र दे सकेगा। नियम 62 के अधीन नवीन प्रार्थना-पत्र दिये जाने से नियम 66-ए/क में विहित कार्यवाही के लिये नियम 62 के अधीन पूर्व में दिया गया प्रार्थना-पत्र निरस्त समझा जावेगा।

(दो) पट्टे द्वारा अन्तरण के लिये नीलामी कम से कम तीस दिन समाप्त हो जाने के पश्चात् की जायेगी जो कि उस दिनांक से संगणित किये जायेंगे जिसको कि वसूली पदाधिकारी के कार्यालय में उदघोषणा का सूचना-पत्र चिपकाया गया हो :

परन्तु उन मामलों में, जिनमें ऋण भार प्रमाण-पत्र संबंधित अभिलेखों के विनष्ट हो जाने के कारण प्राप्य न हो, गांव के पटवारी द्वारा उसको ज्ञात ऋण भारों के संबंध में दिया गया शपथ-पत्र, जो रजिस्ट्रीकरण (पंजीयन) विभाग के ऐसे प्रमाण-पत्र से समर्पित होगा कि ऋण भार प्रमाण-पत्र संबंधित अभिलेखों के विनष्ट हो जाने के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता, ऋणभार प्रमाण-पत्र के स्थान पर ग्रहण किया जायेगा।

(जी/छ) उस मूल्य के 33 प्रतिशत के बराबर रकम जिसके कि लिये नीलाम में स्थावर संपत्ति अन्तरित की जानी है, पट्टेदार द्वारा पट्टे के समय विक्रय पदाधिकारी को चुकाई जावेगी तथा इस प्रकार निक्षेप न किये जाने पर उस सम्पत्ति को तत्काल पुन: पट्टे पर देने हेतु नीलाम किया जायेगा :

परन्तु यह कि जब डिक्रीधारी पट्टेदार हो तथा वह खण्ड (ट) के अधीन पट्टे की राशि को मुजरा करने का अधिकारी हो, तो विक्रय पदाधिकारी इस खण्ड के अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकेगा।

(एच/ज) पट्टे की अधिशेष रकम तथा पट्टे के प्रमाण-पत्र हेतु सामान्य स्टाम्प पत्र के लिये अपेक्षित रकम का भुगतान नीलामी के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर किया जायेगा।

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन भुगतान किये जाने वाली रकम की संगणना करने में पट्टेदार को ऐसे किसी भी मुजरा का लाभ प्राप्त होगा जिसके लिये कि वह खण्ड (ट) के अधीन हकदार हो :

(आई/झ) खण्ड (ज) में उल्लिखित अवधि के भीतर पट्टे की राशि का भुगतान करने में त्रुटि होने की दशा में जमा धन को, यदि वसूली पदाधिकारी उचित समझे विक्रय के व्ययों के चुकारा करने के पश्चात् शासन के हित में समपहृत कर दिया जावेगा तथा त्रुटि करने वाले पट्टेदार के उस सम्पत्ति के संबंध में या उस धनराशि के, जिसके कि लिये बाद में वह पट्टे पर की जाये, किसी भाग के संबंध में समस्त दावे समपहृत हो जायेंगे।

(जे/ञ) खण्ड (ज) में उल्लिखित किये गये धन के ऐसे भुगतान के लिये अनुज्ञात की गई अवधि के भीतर भुगतान करने में त्रुटि के कारण की गई स्थावर सम्पत्ति की प्रत्येक मुक्ति पट्टे द्वारा अन्तरित किये

जाने हेतु इसमें इसके पूर्व विहित की गई रीति में तथा विहित की गई कालावधि के लिये जारी की गई नवीन घोषणा जारी करने के पश्चात् ही की जाएगी।

(के/ट) जहां डिक्रीधारी सम्पत्ति का पट्टेधारी हो वहां पट्टे की राशि तथा डिक्री की शेष रकम एक-दूसरे के प्रति मुजरा की जावेगी और विक्रय पदाधिकारी तदनुसार डिक्री का पूर्णत: या अंशत: समाधान प्रविष्टि करेगा।

(3) जहां पट्टे द्वारा अन्तरण के लिये नियत दिनांक से पूर्व निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति या अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति में हित रखने वाला कोई व्यक्ति ब्याज, भत्ता तथा सम्पत्ति के पट्टे पर दिये जाने में किये गये अन्य व्ययों सहित, जिसमें कुर्की के व्यय यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे, संपूर्ण बकाया रकम का भुगतान करें तो विक्रय पदाधिकारी जहां सम्पत्ति कुर्क की गई हो वहां कुर्की के आदेश को निरस्त करने के पश्चात् सम्पत्ति को तुरन्त मुक्त कर देगा।

(4) (एक) जहां विक्रय पदाधिकारी द्वारा स्थावर सम्पत्ति को पट्टे द्वारा अन्तरित कर दिया जावे वहां ऐसा कोई व्यक्ति जो या तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामित्व रखता हो या ऐसे अन्तरण से पूर्व अर्जित स्वत्वाधिकार के कारण उसमें कोई हित रखता हो या वसूली पदाधिकारी के पास-

(क) पट्टेदार को भुगतान करने के लिये ऐसी धनराशि जो पट्टे की राशि के पांच प्रतिशत के बराबर हो; तथा

(ख) डिक्रीधारी को भुगतान करने के लिये, बकाया धनराशि जो पट्टे की घोषणा में विनिर्दिष्ट, की गई हो, ऐसी जिसकी वसूली के लिये पट्टे द्वारा अन्तरण आदेशित किया गया हो उस पर ब्याज सहित कुर्की के खर्चे, यदि कोई हो, और ऐसी रकम के संबंध में शोध्य समस्त अंतरण तथा अन्य खर्चे जिसमें से ऐसी धनराशि कम करते हुए जो डिक्री धारी द्वारा ऐसी घोषणा के दिनांक से प्राप्त की गई हो-

जमा कराकर पट्टे को अपास्त कराने के लिये आवेदन कर सकेगा।

(दो) यदि पट्टे की नीलामी के दिनांक से तीन दिन के भीतर ऐसा धन जमा कर दिया जाये तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाये तो वसूली पदाधिकारी अंतरण को अपास्त करते हुए आदेश जारी करेगा और पट्टेदार को पट्टे की राशि, जितनी की उसने जमा की हो, आवेदक द्वारा जमा की गई 5 प्रतिशत धनराशि के साथ पुन: भुगतान करेगा :

परन्तु यह कि इस उपनियम के अधीन यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने धन जमा किया हो तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हों तो वसूली पदाधिकारी के पास प्रथम धन जमा करने वाले व्यक्ति का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जावेगा।

(तीन) यदि कोई व्यक्ति स्थावर सम्पत्ति के अंतरण को अपास्त कराने के लिये उपनियम (5) के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, तो वह इस उपनियम के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये हकदार

नहीं होगा।

(5) (एक) स्थावर सम्पत्ति के पट्टे के नीलामी के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय डिक्रीधारी या अन्य कोई व्यक्ति जो संपत्ति के आनुपातिक वितरण में हिस्सा बंटाने का हकदार हो या जिसके हित पट्टे के अन्तरण द्वारा प्रभावित होते हों, वसूली पदाधिकारी को इस आधार पर पट्टे का अंतरण निरस्त करने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा कि उसके प्रकाशन या संचालन में महत्वपूर्ण अनियमितता या भूल या धोखा हुआ है :

परन्तु यह कि किसी भी पट्टे के अंतरण को अनियमितता या भूल या धोखे के आधार पर निरस्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वसूली पदाधिकारी का यह समाधान न हो जावे कि आवेदक ने ऐसी अनियमितता, त्रुटि या धोखे के कारण सारभूत हानि उठाई है।

(दो) यदि आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिया गया हो तो उक्त वसूली पदाधिकारी पट्टे के अन्तरण को निरस्त कर देगा तथा पट्टे के नवीन अंतरण के लिये निर्देश दे सकेगा।

(6) (एक) पट्टे की नीलामी के दिनांक से 30 दिन समाप्त हो जाने पर यदि पट्टा निरस्त कराने के लिये कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किया जाये या यदि ऐसा आवदेन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा वह अस्वीकार कर दिया गया हो, तो वसूली पदाधिकारी पट्टे द्वारा अंतरण की पुष्टि करते हुए आदेश जारी करेगा।

परन्तु यदि उसे ऐसा समझने के लिये कारण हो कि पट्टे द्वारा अंतरण इस बात के होते हुए भी कि इस प्रकार से कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया गया है या ऐसे किसी आवेदन-पत्र में, जो दिया गया हो तथा अस्वीकार किया गया हो, अभिकथित किये गये से भिन्न आधारों पर निरस्त किया जाना चाहिये तो वह अपने कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् पट्टे को निरस्त कर सकेगा-

(दो) जहां किसी स्थावर सम्पत्ति के पट्टे द्वारा अंतरण की इस प्रकार पुष्टि नहीं की जाये या वह निरस्त कर दिया जाये तो जमा धन या पट्टे की राशि, जैसी भी कि दशा हो, पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

(तीन) पट्टे द्वारा किसी ऐसे अंतरण का पुष्टिकरण हो जाने के पश्चात् वसूली पदाधिकारी पट्टेदार तथा न्याय निर्णीत ऋणी को अपनी मुद्रा तथा हस्ताक्षर से युक्त पट्टे का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा और ऐसे प्रमाण-पत्र में पट्टे पर दी गई सम्पत्ति तथा पट्टेदार का नाम पट्टे की निश्चित कालावधि आदि उल्लिखित की जायेगी उसमें यह भी उल्लिखित किया जायेगा कि इस पट्टे की कालावधि की समाप्ति पर सम्पत्ति अपने आप ही न्याय निर्णीत ऋणी को प्रत्यावर्तित हो जायेगी। यह प्रमाण-पत्र के तथ्य कि ऐसे समस्त न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में, जहां पट्टे के तथ्य को सिद्ध करना आवश्यक हो, निर्णायक साक्ष्य होगा तथा वसूली पदाधिकारी की मुद्रा या उसके हस्ताक्षर को प्रमाणित करने की तब तक कोई आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि उस प्राधिकारी को, जिसके कि समक्ष वह प्रस्तुत किया जाये, उसकी प्रमाणिकता में शंका करने का कारण न हो।

(चार) इस उपनियम के अधीन दिया गया आदेश अंतिम होगा तथा किसी वाद या अन्य किसी विविध कार्यवाहियों में उसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी।

(7) जहां किसी ऐसे व्यक्ति ने भिन्न (जो निर्णीत ऋणी न हो) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो सद्भावनापूर्वक सम्पत्ति स्वयं के कब्जे में होने का दावा करता हो, स्थावर सम्पत्ति के किसी वैध पट्टेदार को पट्टे पर दी गई स्थावर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने में प्रतिरोध किया जावे तथा रोका जावे तो कोई भी सक्षम अधिकारिता का न्यायालय आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तथा उनियम (6) द्वारा आदिष्ट पट्टे का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ऐसे पट्टेदार को उसी रीति में कब्जा दिलाने के आशय के लिए उचित आदेश जारी करवायेगा मानो कि पट्टे पर दी गई स्थावर सम्पत्ति के लिये पट्टेदार को न्यायालय के निर्णय द्वारा डिक्री दी गई हो।

(8) विक्रय पदाधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह बकाया धन के भुगतान हेतु निर्णीत ऋणी की स्थावर सम्पत्ति के संपूर्ण या किसी भाग को पट्टे पर अन्तरित करें:

परन्तु सदैव यह कि, जहां तक व्यवहार्य हो, पट्टे पर अंतरित स्थावर सम्पत्ति का कोई भाग या उसका अंश उतने भाग या अंश से अधिक नहीं होगा जितना कि बकाया धनराशि उस पर का ब्याज तथा कुर्की के खर्चे यदि कोई हो के भुगतान के लिये पर्याप्त हो :

स्पष्टीकरण- इस नियम तथा पश्चातवर्ती नियमों के प्रयोजनों के लिये पट्टे से तात्पर्य किसी भूमि के उपयोग करने के अधिकार के ऐसे हस्तांतरण से हैं जो कि अभिव्यक्त या अंत:निर्णीत रूप में कुछ समय के लिए भुगतान किये गये मूल्य के प्रतिफल में किया जाये:

66. बी/ख. पट्टेदार को स्थाई अधिकार नहीं होगा:- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियम 66-ए/क के अधीन अर्जित किया गया पट्टेदारी अधिकार, पट्टेदार को कोई नवीन प्रकार का कृषकाधिकार या स्थायी पट्टेदारी अधिकारी प्रदान नहीं करेगा।

66. सी/ग. निर्णीत ऋणी को भूमि के प्रत्यावर्तन संबंधी प्रक्रिया:- (1) पट्टे की अवधि समाप्त होने के पूर्व निर्णीत ऋणी जिसकी भूमि नियम 66-एक के प्रावधानों के अधीन पट्टे पर दी गई हो, वसूली पदाधिकारी को अपनी भूमि वापस प्रदान किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। इसके साथ ही वह नियम 66-एक के उपनियम (6) खंड (3) के अधीन उसे दिये गये नये प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा।

(2) वसूली पदाधिकारी भूमि का कब्जा मूल निर्णीत ऋणी को प्रदान करने का आदेश पट्टाधारी को सीधे देगा।

(3) वह मूल निर्णीत ऋणी को पट्टा समाप्त होने तथा भूमि मूल निर्णीत ऋणी को वापस होने का प्रमाण-पत्र अपनी मुद्रा और हस्ताक्षर के अधीन जारी करेगा। इस प्रमाण-पत्र में पट्टे से मुक्त की गई सम्पत्ति का विवरण होगा। पट्टेदार का नाम जिससे सम्पत्ति वापस ली जा रही है, निर्णीत ऋणी का नाम जिसे सम्पत्ति वापस दी जा रही है, अंकित किया जायेगा। यह प्रमाण-पत्र पट्टे की समाप्ति एवं भूमि का

कब्जा मूल निर्णीत ऋणी का नाम जिसे सम्पत्ति वापस दी जा रही है, अंकित किया जायेगा। यह प्रमाण-पत्र पट्टे की समाप्ति एवं भूमि का कब्जा मूल निर्णीत ऋणी को प्राप्त होने संबंधी समस्त न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में निर्णायक साक्ष्य होगा जहां इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वसूली पदाधिकारी की मुद्रा या उसके हस्ताक्षर को प्रमाणित करने की तब तक कोई आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि उस प्राधिकारी को जिसके समक्ष वह प्रस्तुत किया जाये उसकी प्रमाणिकता में शंका करने का कारण न हो।

(4) इस उपनियम के अधीन दिया गया आदेश अंतिम होगा तथा किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों में उसके संबंध में कोई आपत्ति उठाई नहीं जायेगी।

(5) जहां कोई वैध मूल स्वामी तथा निर्णीत ऋणी को पट्टटे पर दी गई स्थावर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने में प्रतिरोध किया जावे तथा निर्धारित किया जावे तो वसूली पदाधिकारी मूल स्वामी, निर्णीत ऋणी को उसी रीति में कब्जा दिलायेगा मानो कि ऐसी स्थावर संपत्ति के लिये न्यायालय के निर्णय द्वारा उसे डिक्री दी गई हो।

(6) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भूमि को कब्जे में रखना अवैधानिक होगा और रुपये 10.00 प्रति एकड़ प्रतिदिन के हिसाब से भूमि के मूल स्वामी को भुगतान की जाने वाली शास्ति के अध्यधीन होगा।

67. आपसी अन्तरण पर जप्ती का प्रभाव:- जब इन नियमों के अधीन जप्ती की जा चुकी हो, तो जप्त सम्पत्ति या उसमें के किसी हित का कोई आपसी में किया गया अन्तरण या सुपुर्दगी तथा निर्णीत ऋणी को ऐसी जप्ती के विपरीत किसी ऋण, लाभांश या अन्य धनों का कोई भुगतान जप्ती के अधीन प्रवर्तनीय समस्त दावों के विरुद्ध शून्यवत होगा।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के आशय के लिए जप्ती के अधीन प्रवर्तनीय दावों में नियम (72) के अधीन सम्पत्ति के आनुपातिक वितरण के दावे सम्मिलित हैं।

68. भत्ता, व्यय तथा भुगतान की पावतियां:- (1) इन नियमों के अधीन सूचना-पत्रों या अन्य आदेशिकाओं की तीमीली में नियुक्त व्यक्ति, ऐसी दरों पर भत्ता पाने के अधिकारी होंगे, जैसी पंजीयक द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।

(2) जब इन नियमों के अधीन चल-सम्पत्ति की जप्ती तथा विक्रय या अचल सम्पत्ति की जप्ती एवं विक्रय तथा बिना जप्ती के विक्रय के संबंध में किये गये व्यय तथा चार्जेस जयपत्र-धारी द्वारा जमा किये गये व्यय की धनराशि से अधिक हो, तो ऐसा अधिक धन बेची गई सम्पत्ति के विक्रय धन या निर्णीत ऋणी द्वारा भुगतान किए गये धन बेची गई सम्पत्ति के विक्रय धन या निर्णीत ऋणी द्वारा भुगतान किए गये धन से, जैसी भी दशा हो, काट लिया जावेगा, तथा अवशेष जयपत्र-धारी को प्राप्त होगा।

(3) किसी भी बकाया धन के संबंध में, जिसकी वसूली के लिए इन नियमों के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत

किया गया हो, भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस धन राशि के लिये विक्रय पदाधिकारी या उस संबंध में वसूली पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पावती का अधिकारी होगा, ऐसी पावती में भुगतान करने वाले व्यक्ति के नाम तथा उस विषय वस्तु का जिसके संबंध में भुगतान किया गया है, उल्लेख होगा।

[1][**68-ए/क. पट्टे के लिए किये गये व्यय तथा भुगतान की पावतियाँ:-** (1) इन नियमों के अधीन सूचना पत्रों या अन्य आदेशिकाओं की तामीली में नियुक्त व्यक्ति ऐसी दरों पर भत्ता पाने के लिये हकदार होंगे जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये।

(2) जब इन नियमों के अधीन जंगम सम्पत्ति की कुर्की तथा अन्तरण या स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा अन्तरण या कुर्की के बिना अंतरण के संबंध में दिए गये व्यय तथा परिव्यय डिक्रीधारी द्वारा जमा किये गये व्यय की धनराशि से अधिक हों, तो ऐसा अधिक धन अन्तरित की गई सम्पत्ति के पट्टे की राशि में से या निर्णीत ऋणी द्वारा भुगतान किये गये धन में से जैसी भी दशा हो, काट लिया जावेगा तथा शेष रकम डिक्रीधारी को अभिप्राप्त कराई जायेगी।

(3) किसी भी बकाया धन के संबंध में जिसकी वसूली के लिए इन नियमों के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस धनराशि के लिए विक्रय पदाधिकारी या उस संबंध में वसूली पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त करने के लिये हकदार होगा। ऐसी रसीद में भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम तथा उस विषय वस्तु का, जिसके कि संबंध में भुगतान किया गया है, उल्लेख होगा।]

69. जप्त की गई सम्पत्ति पर दावों की जांच:- (1) जब इन नियमों के अधीन जप्त की गई किसी सम्पत्ति के जप्ती के संबंध में इस आधार पर कोई दावा किया जाये या आपत्ति की जाये, कि ऐसी सम्पत्ति के योग्य नहीं है तो विक्रय पदाधिकारी दावा या आपत्ति की जांच करेगा तथा दावा अथवा आपत्ति को या तो अस्वीकृत करते हुए आज्ञा देगा या उसका गुण-दोषों के आधार पर निराकरण करेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि विक्रय पदाधिकारी दावा अथवा आपत्ति की जांच करना अस्वीकार कर सकेगा यदि वह दावे अथवा आपत्ति को अनर्थक समझे।

(2) जब उस सम्पत्ति को, जो दावा अथवा आपत्ति से संबंधित है, विक्रय के लिए विज्ञापित कर दी गई हो, तो विक्रय पदाधिकारी दावा अथवा आपत्ति की जांच होने तक विक्रय को स्थगित कर सकेगा।

(3) जब कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर दी जाये, तो वह पक्षकार जिसके विरुद्ध आज्ञा दी जाये। आज्ञा के दिनांक से छः माह के भीतर विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में उन स्वत्वों को स्थापित करने के लिए जिनका कि वह दावा करता है, वाद चला सकेगा, लेकिन ऐसे वाद के परिणाम के, यदि कोई हो, पालन के अधीन वह आदेश निर्णायक होगा।

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र 4ग दिनांक 5.2.71 द्वारा अंतःस्थापित

[1][**69 ए/क. पट्टे पर अन्तरित करने हेतु कुर्क की गई सम्पत्ति के दावों की जांच:-** (1) जब इन नियमों के अधीन कुर्क की गई किसी सम्पत्ति की कुर्की के संबंध में इस आधार पर कोई दावा किया जाये या आपत्ति की जावे कि ऐसी सम्पत्ति कुर्क किये जाने के दायित्वाधीन नहीं है तो विक्रय पदाधिकारी ऐसे दावे या आपत्ति की जांच करेगा तथा दावे या आपत्ति को या तो अस्वीकृत करते हुए आदेश देगा और उसका गुण-दोषों के आधार पर निराकरण करेगा:

परन्तु यह कि विक्रय पदाधिकारी दावे या आपत्ति की जांच करना अस्वीकार कर सकेगा यदि वह दावे या आपत्ति को निराधार समझे।

(2) जहां ऐसी संपत्ति, जिससे कि दावा या आपत्ति संबंधित है, पट्टे द्वार अंतरित किये जाने के लिये विज्ञापित कर दी गई हो, वहां विक्रय पदाधिकारी दावे का आपत्ति की जांच होने तक पट्टे द्वारा अंतरण किये जाने को स्थगित कर सकेगा।

(3) जब कोई दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत कर दी जाये तो वह पक्षकार जिसके कि विरुद्ध आदेश दिया जाये, आदेश के दिनांक से छ:मास के भीतर विवादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में उन स्वत्वों को स्थापित करने के लिए जिनका कि वह दावा करता है, वाद संबंधित कर सकेगा, किन्तु ऐसे बाद के परिणाम के, यदि कई हो, अध्ययीन रहते हुए वह आदेश निर्णायक होगा।

70. प्रथम विक्रय में क्रेता द्वारा की गई त्रुटि से पुन: विक्रय में होने वाली हानि:- (1) नियम 64 के खंड (ट) के अधीन अथवा नियम 66 के उपनियम 92) के खंड (छ) अथवा (ञ) के अधीन क्रेता की त्रुटि के कारण किये गये पुन: विक्रय से होने वाली मूल्य में कमी तथा ऐसे पुन: विक्रय में होने वाले संपूर्ण व्यय, विक्रय पदाधिकारी द्वारा वसूली पदाधिकारी को प्रमाणित किये जायेंगे तथा जयपत्र-धारी अथवा निर्णीत ऋणी की प्रेरणा पर त्रुटि करने वाले क्रेता से वसूली योग्य होंगे। ऐसी वसूली से आनुषंगिक व्यय भी, यदि कोई हो, त्रुटि करने वाले क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।

(2) जहां सम्पत्ति दूसरी बार बेची जाने पर प्रथम विक्रय की अपेक्षा ऊंचे मूल्य पर बिके, तो प्रथम विक्रय के समय त्रुटि करने वाले क्रेता का अन्तर या वृद्धि पर कोई अधिकार नहीं होगा।

[1][**70 ए/क. प्रथम पट्टे पर अन्तरण में पट्टेदार द्वारा की गई त्रुटि के कारण मुक्ति द्वारा हुई हानि:-** (1) मूल्य में कोई ऐसी कमी, जो नियम 64 के खंड (क) के अधीन किये गये विक्रय या नियम 66 ए/क के उपनियम (2) के खंड (छ) या (ञ) के अधीन पट्टे के लिए पुन: नीलामी से पट्टेदार की त्रुटि का कारण उद्भूत हो या पट्टे द्वारा ऐसा पुन:अन्तरण के कारण हुए समस्त खर्चे विक्रय पदाधिकारी द्वारा वसूली पदाधिकारी को प्रमाणित किये जायेंगे तथा डिक्रीधारी या निर्णीत ऋणी को प्रेरणा पर त्रुटि करने वाले पट्टेदार से वसूली योग्य होंगे। ऐसी वसूली से अनुषंगिक व्यय भी, यदि

1. मध्यप्रदेश राजपत्र 4ग दिनांक 5.2.71 द्वारा प्रतिस्थापित
2. मध्यप्रदेश राजपत्र 4ग दिनांक 5.2.71 द्वारा प्रतिस्थापित

कोई हों, त्रुटि करने वाले पट्टेदार द्वारा वहन किये जायेंगे।

(2) जहां सम्पत्ति दूसरी बार पट्टे द्वारा अंतरित किये जाने के लिए नीलाम की जाने पर पट्टे पर प्रथम नीलाम की अपेक्षा अधिक मूल्य प्राप्त हो वहां प्रथम नीलामी के समय त्रुटि करने वाला पट्टेदार का ऐसे अंतर या वृद्धि पर कोई दावा नहीं होगा।

71. जयपत्र-धारी की त्रुटि के कारण निष्पादन अर्ज खारिज करना:- जहां कोई संपत्ति जयपत्र के प्रवर्तन में जप्त की गई हो किन्तु जयपत्र-धारी की त्रुटि के कारण वसूली पदाधिकारी प्रवर्तन में जप्त की गई हो किन्तु जयपत्र-धारी की त्रुटि के कारण वसूली पदाधिकारी प्रवर्तन के प्रार्थना-पत्र के संबंध में आगे कार्यवाही करने में असमर्थ हो, तो वह या तो आवेदन-पत्र को खारिज कर देगा अथवा किसी पर्याप्त कारण के होने पर कार्यवाही को आगामी दिनांक के लिये स्थगित कर देगा। ऐसे आवेदन-पत्र के खारिज होने पर जप्ती समाप्त हो जावेगी।

72. सम्पत्ति का वितरण जबकि अनेक जयपत्रों के अधीन मांग की गई हो:- (1) जहां विक्रय पदाधिकारी इन नियमों के अधीन किसी ऐसी सम्पत्ति को जप्त करे या कर चुका हो जो किसी न्यायालय के अभिरक्षण में न होकर पहले से ही किसी न्यायालय के जयपत्र के प्रवर्तन में किये गये जप्ती के अधीन हो, तो ऐसा न्यायालय ऐसी सम्पत्ति प्राप्त करेगा व वसूल करेगा और उससे संबंधित दावों तथा उसकी जप्ती संबंधी आपत्तियों का निर्णय करेगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब सम्पत्ति एक से अधिक न्यायालयों के जयपत्रों के प्रवर्तन में जप्ती के अधीन हो, तो न्यायालय जो ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त या वसूल करेगा तथा उससे संबंधित किसी भी दावे तथा उसकी जप्ती संबंधी किसी आपत्ति का निर्णय करेगा, उच्चतम श्रेणी का न्यायालय जिसके जयपत्र के अधीन सम्पत्ति प्रथमत: जप्त की गई थी।

(2) जब सम्पत्ति विक्रय पदाधिकारी के अधिकार में हो और ऐसी संपत्ति की प्राप्ति से पूर्व उसी निर्णीत ऋणी के विरुद्ध जयपत्रों के प्रवर्तन के लिए आवेदन-पत्र के अनुसरण में मांग सूचना-पत्र एक से अधिक जयपत्र धारकों से प्राप्त हो चुके हों तथा जयपत्र धारकों की भरपाई न हुई हो तो सम्पत्ति वसूली के व्ययों को काट लेने के पश्चात् वसूली पदाधिकारी द्वारा सम्पत्ति विधि संग्रह, 1908 की धारा 73 में अधिष्ट रीति में समस्त ऐसे जयपत्र-धारकों में अनुपात से वितरित कर दी जायेगी।

73. निर्णीत ऋणी की मृत्यु वैध प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादन :- (1) जब निर्णीत ऋणी की जयपत्र का पूर्णत: चुकारा होने से पूर्व ही मृत्यु हो जाये, तो नियम 62 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र मृतक के वैध प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकेगा और तदुपरान्त इस अध्याय के समस्त आदेश इस नियम में अन्यथा आदेशित किये गये के अतिरिक्त, वैसे ही लागू होंगे, मानो कि ऐसा वैध प्रतिनिधि निर्णीत ऋणी ही था : किन्तु प्रतिबंध यह है कि उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही करने के पूर्व ऐसे वैध प्रतिनिधि को कारण बतलाने का सूचना-पत्र जारी किया जावेगा तथा उसकी आपत्तियों की सुनवाई की जावेगी।

(2) जब जयपत्र ऐसे वैध प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रवर्तित किया जाये तो वह मृतक की सम्पत्ति की उस सीमा तक ही दायी होगा जो उसे प्राप्त हुई हो, जयपत्र का प्रवर्तन करने वाला वसूली पदाधिकारी स्वयं की प्रेरणा से या जयपत्रधारी के आवेदन पर से ऐसे वैध प्रतिनिधि को ऐसे हिसाब प्रस्तुत करने के लिए विवश कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

74. इन नियमों के अधीन जारी आदेशिकाओं के शुल्क:- (1) जब कोई व्यक्ति धारा 85 के खंड (ग) के अधीन आवेदन-पत्र पर की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में कोई आदेशिका जारी कराना चाहे अथवा जारी की गई आदेशिका के संबंध में आपत्ति करे अथवा दी गई किसी आज्ञा के संबंध में आपत्ति करे तो वह ऐसे शुल्कों का भुगतान करेगा जैसे पंजीयक द्वारा इस संबंध में नियत किये जायें।

अध्याय ग्यारह
विविध

75. समन्स तामिली की रीति:-

(1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन्स लिखित होगा, उसको जारी करने वाले पदाधिकारी की मुद्रा से, यदि कोई हो प्रमाणीकृत किया जायेगा तथा ऐसे पदाधिकारी द्वारा या इस संबंध में उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जायेगा। उसमें समन्स किये गये व्यक्ति को निर्दिष्ट समय तथा स्थान पर उक्त पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश होगा तथा उसमें निर्दिष्ट किया जायेगा कि क्या उसकी उपस्थिति साक्ष्य देने के आशय के लिये या किसी लिखतम को प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित है, या दोनों आशयों के लिए और कोई विशिष्ट लिखतम जिसका प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, समन्स में समुचित परिशुद्धता से वर्णित की जायेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, साक्ष्य देने के लिए समन किये गये बिना, लिखतम को प्रस्तुत करने के लिये समन किया जा सकेगा तथा केवल लिखतम प्रस्तुत करने के लिए समन किये गये किसी भी व्यक्ति द्वारा आव्हान पत्र का पालन हुआ समझा जायेगा। यदि वह ऐसी लिखतम को प्रस्तुत करने के लिये स्वयं उपस्थित न होकर उसको प्रस्तुत करवा दे।

(3) अधिनियम या इन नियमों के अधीन समन्स की तामीली किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित किन्हीं भी रीतियों में की जा सकेगी।

(ए/क) उसे ऐसे व्यक्ति को देकर या प्रस्तुत करके, या

(बी/ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो उसके निवास का कारोबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर उसको छोड़कर या उसे उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को देकर या प्रस्तुत करके,

(सी/ग) यदि पंजीयक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का पता ज्ञात हो तो रजिस्ट्रीकृत देय अभिस्वीकृति डाक द्वारा उसको भेजकर, या

[1][(डी/घ) यदि उपर्युक्त साधनों में से कोई साधन उपलब्ध न हो तो उसके निवास या कारोबार के अंतिम

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 29.6.88 द्वारा प्रतिस्थापित

ज्ञात स्थान या ऐसे स्थान में के लोक समागम के स्थान पर किसी सहजगोचर भाग में उसे चिपकाकर।]

(4) जहां तमीली करने वाला पदाधिकारी स्वयं प्रतिवादी को या उसकी ओर से एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति को समन्स की प्रतिलिपि सौंपे या प्रस्तुत करे, तो वह उस व्यक्ति को जिसे प्रतिलिपि इस भांति सौंपी या प्रस्तुत की जाये मूल समन्स पर तामीली की अभिस्वीकृति के रूप में पृष्ठ लेखांकित हस्ताक्षर करने का आदेश देगा।

(5) तामील करने वाले पदाधिकारी ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें उपनियम (4) के अधीन समन्स की तामीली की गई हो, मूल समन्स पर ऐसे विवरण पृष्ठ लेखांकित करेगा, या करवायेगा या उससे संलग्न करेगा या करवायेगा जिसमें वह समय जब तथा वह रीति जिसमें समन्स की तामील की गई तथा ऐसे व्यक्ति का, यदि कोई हो नाम तथा पता बतलाया जायेगा जिसने उस व्यक्ति की जिस पर समन्स की तामीली की गई हो, पहचान की हो तथा जो समन्स की सुपुर्दगी या प्रस्तुति का साक्षी हो।

(6) जहां आव्हान किया जाने वाला प्रतिवादी शासकीय पदाधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण का सेवक हो, तो समन्स की तामीली करने वाला पदाधिकारी, यदि उसे यह प्रतीत हो कि समन्स की इस प्रकार सुविधापूर्वक तामीली की जा सकती है उस पक्ष पर तामीली के हेतु रजिस्ट्रीकृत देय अभिस्वीकृति डाक द्वारा प्रतिवादी द्वारा रखी जाने वाली प्रतिलिपि के साथ उस कार्यालय के अध्यक्ष को भेज सकेगा जिसमें वह सेवा नियुक्त हो।

76. सूचना-पत्र या आदेश-पत्र का प्रमाणीकरण:- अधिनियम या इन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सूचना पत्र या आदेशिका लिखित होगी, उसे जारी करने वाले पदाधिकारी की मुद्रा द्वारा, यदि कोई हो, प्रमाणीकृत किया जायेगा तथा ऐसे पदाधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में लिखित प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

77. आदेश, निर्णय अथवा पंच निर्णय की संसूचना:- अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन अपेक्षित किसी आदेश निर्णय अथवा पंच निर्णय की संसूचना जब तक कि अधिनियम अथवा इन नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो पक्षकार के अंतिम पते पर, जैसा कि पक्षकार ने दिया हो, [1][रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा] दी जावेगी साथ ही संस्था को भी उसकी सूचना इन अनुदेशों के साथ कि उसकी एक प्रतिलिपि वह अपने सूचना बोर्ड पर लगावे, दी जावेगी।

78. निरसन और व्यावृत्ति:- मध्य भारत सहकारी संस्था नियम 1958, विन्ध्य प्रदेश सहकारी समिति नियम 1949 तथा इन नियमों के प्रभावशील होने के तुरन्त पूर्व मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रभावशील इन नियमों से समवर्ती सभी अन्य नियम एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो तो उसे समवर्ती इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई मानी जावेगी।

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26.6.2013 द्वारा प्रतिस्थापित

प्ररुप ए/क

नियम 4 के उपनियम (1) देखिए

संस्था के पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करने के लिये)

1. प्रस्तावित संस्था का नाम
2. पता (ग्राम डाक खाना, ब्लॉक, तहसील तथा जिला)
3. दायित्व का प्रकार
4. कार्यक्षेत्र
5. उद्देश्य
6. अंश-पूंजी
   (क) अधिकृत
   (ख) विभिन्न श्रेणी के हिस्सों का मूल्य
7. व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने सदस्य रूप में शामिल होना स्वीकार किया है।
8. आवेदन-पत्र पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम तथा पता
9. प्रार्थियों ने निम्नलिखित व्यक्तियों को अस्थायी कमेटी के लिये निर्वाचित किया है जो कि संस्था के पंजीयन के दिनांक से तीन महीनों तक अथवा आगे के ऐसे समय तक जैसा कि पंजीयक लिखित में स्वीकृत करे संस्था के कारोबार का संचालन करेगी-

   (1) (3)

   (2) (4)

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 (17, सन् 1961) की धारा 7 के अधीन हम, नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति, जो कि सदस्यता के लिये, उपविधियों, जिनकी चार प्रतियां संलग्न हैं, के अनुरूप प्रस्तावित योग्यताएं रखते हैं, निवेदन करते हैं कि संस्था का पंजीयन किया जाये।

हम घोषित करते हैं कि हम उपयुक्त धारा 2 के खण्ड (झ) में परिभाषित के अनुसार कम से कम दस विभिन्न परिवारों के हैं/ नहीं हैं।

अनु.क्र.	नाम	पिता का नाम	उम्र	धंधा	निवास स्थान	खरीदे गये हिस्सों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

अभिदत्त हिस्सों का मूल्य	चुकाये गये हिस्सों का मूल्य	हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा	निशानी अंगूठा, यदि हो, का साक्षांकन
8	9	10	11

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये

प्ररुप बी/ख

(नियम 7 का उपनियम (3) देखिये)

संस्था का नाम .....

पंजीयन क्रमांक .....

(1) सूचना का दिनांक और साधारण सभा, बढ़ाई गई साधारण सभा जिसमें संशोधन स्वीकृत किया गया के दिनांक के बीच की अवधि संस्था की उपविधियों के अधीन अपेक्षित अवधि से कम नहीं है;

(2) संस्था की उपविधियों के अधीन अपेक्षित रीति से सभी सदस्यों को सूचना दी गई है;

(3) सूचना ऐसा करने के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई है;

(4) सूचना में सभा की तारीख, समय तथा स्थान एवं प्रस्तावित संशोधन का उल्लेख किया गया था; और

(5) सूचना तथा कार्य सूची की मूल प्रति संस्था के अभिलेख में रखी गई है।

मंत्री **कमेटी का सदस्य** **अध्यक्ष**

प्ररुप सी/ग

[नियम 7 का उपनियम (3) देखिये]

संस्था का नाम .....

पंजीयन क्रमांक .....

(1) साधारण सभा की सूचना जारी करने के दिनांक पर संस्था की कुल सदस्य संख्या .....

(2) सूचना जारी करने का दिनांक .....

(3) संस्था की उपविधियों के अधीन सूचना की अवधि .....

(4) साधारण सभा का दिनांक जिसमें संशोधन किया गया .....

(5) साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या .....

(6) गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्य संख्या .....

उपविधि-क्रमांक मूल संशोधित	प्रस्ताव क्रमांक व दिनांक जिसमें संशोधन स्वीकृत किया (प्रत्येक दशा में सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जावे)	प्रस्तावक अनुमोदक का नाम	सभा में उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई संख्या	संशोधन के पक्ष में मत देने वाले सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5

मंत्री **कमेटी का सदस्य** **अध्यक्ष**

प्ररुप डी/घ

[नियम 7 का उपनियम (3) देखिये]

संस्था का नाम .....

पंजीयन क्रमांक .....

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	संशोधन के कारण
1	2	3	4
मंत्री	कमेटी का सदस्य		अध्यक्ष

प्ररुप ई/ङ

[नियम 13 देखिये]

जहां कि श्री ..... आत्मज ..... आयु .....

निवासी ..... तहसील ..... जिला .....

जो कि ..... का विद्यार्थी है तथा भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (9, सन् 1872) की धारा 11 के अधीन अनुबंध करने के लिये सक्षम नहीं हैं;

तथा जहां तक कि कथित श्री ..... (आगे विद्यार्थी संबोधित किया गया है) पंजीयन आवेदन-पत्र में शरीक हुआ है/ङ केवल विद्यार्थियों के लाभ के हेतु गठित की जाने वाली/गठित ..... संस्था का सदस्य बनने के लिये आवेदन किया है;

तथा जहां मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे आवेदन-पत्र के संलग्न कथित विद्यार्थी के पालक अथवा अन्य व्यक्ति जो अनुबंध अधिनियम, 1872 (9, सन् 1872) की धारा 11 के अधीन अनुबंध करने के लिये योग्य हो, द्वारा लिखित वचन पत्र भेजा जाना चाहिये; अस्तु इसलिये मैं ..... आत्मज ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... इसके द्वारा वचन देता हूं कि, यदि कथित विद्यार्थी जो कि पूर्णत: मुझ पर निर्भर है, किसी आर्थिक अथवा अन्य दायित्व को न पूरा करे जो कि उससे मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अधीन संस्था का सदस्य होने के कारण पूरे किया जाना अपेक्षित है, अथवा ऐसा सदस्य होने पर उसकी त्रुटि, अवहेलना अथवा किसी भी रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्था को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाये तो, मैं ..... ऐसे दायित्व पूरे करूंगा तथा ऐसे किसी भी प्रकार के नुकसानों को संस्था के पूर्ण संतोष तक पूरा करूंगा। मैं यह स्वीकार करता हूं कि पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश अथवा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का निर्णय कि क्या उस सीमा तक, जो पंजीयक अथवा अधिकारी, जैसी भी दशा हो, द्वारा निश्चित की गई हो, हानि हुई है, मुझ पर उसी प्रकार तथा उसी सीमा तक

बन्धनकारक होगी जैसा कि कथित विद्यार्थी यदि वह बालिग होता और अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अधीन अनुबंध करने के लिये सक्षम होता तो उस पर प्रभावशील होता।

इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने आज दिनांक ..... को नीचे हस्ताक्षर किये हैं।

गवाह 1. .....

2. ..... पालक के हस्ताक्षर .....

प्ररुप एफ/च

[नियम 26 का उपनियम (1) देखिये]

यह कि मैं ..... आत्मज ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... एक से अधिक ऋण देने वाली संस्थाओं का सदस्य हूं/बन गया हूं जिनके नाम नीचे दिये गये हैं-

(1) ..... (2) ..... (3) .....

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 26 के उपनियम (1) के द्वारा जैसा अपेक्षित हैं मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मैं केवल ..... संस्था से ही उधार लूंगा।

(1) ..... हस्ताक्षर .....

(2) ..... दिनांक .....

प्ररुप एफएफ/चच

[नियम 50-ए/क का उपनियम (2) देखिये]

कार्यालय, सहायक/उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं .....

आदेश

क्रमांक ..... तारीख .....

प्रति,

.....

.....

.....

विषय:- सहकारी वर्ष ..... के लिये संस्था के हिसाबों को आडिट करने हेतु फीस की उगाही।

मध्यप्रदेश सहकारी संस्था नियमावली, 1962, के नियम 50-अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ..... संस्था ..... पंजीयन क्रमांक ..... द्वारा सहकारी वर्ष ..... के लिये उसके हिसाबों का आडिट करने के लिये देय ..... रु. ..... (शब्दों में .....) आडिट फीस निर्धारित करता हूं, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

कृपया, आप यह रकम इस आदेश के जारी होने से दो माह के भीतर निकटतम सरकारी खजाने में ..... शीर्ष के अंतर्गत जमा कर दें और खजाना चालान की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को भेज दें। कृपया यह सावधानी बरती जाये कि रकम, किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत जमा न की जाये।

पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं

प्ररुप जी/छ

नियम 41 का उपनियम (6) देखिये

नियोजन-पत्र

1. संस्था का नाम
2. पंजीयन क्रमांक
3. पद का नाम जिसके हेतु उम्मीदवार का नियोजन किया गया है
4. उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम तथा पूर्ण पता
5. मतदाता सूची में उम्मीदवार का क्रमांक
6. प्रस्तावक का नाम तथा मतदाता सूची में उसका क्रमांक
7. प्रस्तावक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
8. अनुमोदक का नाम तथा मतदाता सूची में उसका क्रमांक
9. अनुमोदक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
10. अधिनियम की धारा 50-क (1-क) के अधीन घोषणा-पत्र :

मैं ..... पिता का नाम ..... निवासी ..... सोसायटी ..... का सदस्य/प्रत्यायुक्त/प्रतिनिधि, सदस्य सूची अनुक्रमांक ..... एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान नहीं हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ है।.

मैं इसके द्वारा घोषित करता हूं कि मुझे यह नियोजन स्वीकार है।

दिनांक : **उम्मीदवार के हस्ताक्षर**

टिप्पणी- यदि अभ्यर्थी, प्रस्तावक या अनुमोदक किसी सोसायटी का प्रतिनिधि है तो उस सोसायटी का नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, भी उल्लेखित किया जायेगा। यदि मद क्रमांक-1 और 2 खाली छोड़ दिये गये हैं तो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर से या सील लगाकर ऐसे खाली स्थानों को भरेगा।

प्राप्ति का प्रमाण-पत्र

अनुक्रम नम्बर .....

श्री ..... द्वारा मुझे दिनांक ..... को ..... बजे नियोजन पत्र सौंपा गया।

दिनांक ..... नियोजन-पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर।

प्ररूप छ - 1
(नियम 49- ग (1) देखिये)
सदस्यों की सूची

नाम-सहकारी सोसाइटी.....पंजीयन क्रमांक.....
विकास खण्ड .....जिला.....

अनु. क्र.	सदस्यता पंजी का अनुक्रमांक	सदस्य का नाम	पिता/ पति का नाम	निवासी (ग्राम का नाम)	अजा/ अजजा/ सामान्य वर्ग	महिला/ पुरूष	उधार-गृहीता यदि कोई हों	X---- व्यतिक्रमी	उपविधि अनुसार पात्रता/ अपात्रता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

नोट - जिन सोसाइटीओं के चुनाव प्रतिनिधियों के आधार पर होते है वहां सदस्यता सूची का प्ररूप निम्नानुसार रहेगा।

क्र.	सदस्य पंजी का अनुक्रमांक	सदस्य सोसाइटी का नाम	प्रतिनिधि का नाम	प्रतिनिधि का वर्ग	महिला/ पुरूष	सदस्य सोसाइटी व्यतिक्रमी	व्यक्तिगत व्यतिक्रमी	उपविधि अनुसार पात्रता/ अपात्रता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

सदस्यों का वर्गवार विवरण निम्न प्ररूप में अंकित किया जावे :-

कुल सदस्य संख्या			अनारक्षित/सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
पुरूष	महिला	योग	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत

प्रमाण पत्र

(सोसाइटी प्रबंधक/अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से)

प्रमाणित किया जाता है कि सदस्यता सूची में दी गयी जानकारी सोसाइटी के अभिलेख के अनुसार सही एवं प्रमाणित है। सदस्यता सूची पर आपत्तियों के सुनवाई के समय आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु बाध्य रहूंगा।

अध्यक्ष/प्रबंधक/मु.का.अ.

प्ररूप छ - 2

(नियम 49- ग (1) देखिये)

कार्यालय ..... सहकारी सोसाइटी मर्या., ...

क्रमांक/निर्वाचन/..... दिनांक .....

प्रति,

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी

..... .

विषय - सोसाइटी के संचालक मण्डल/प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन हेतु आवेदन।

उक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि ..... सहकारी सोसाइटी मर्या., ... के संचालक मंडल के गत निर्वाचन दिनांक ..... को संपन्न हुए थें। सोसाइटी के संचालक मंडल का कार्यकाल दिनांक ..... को समाप्त हो रहा है। सोसाइटी के संचालक मंडल की बैठक दिनांक ..... में निर्वाचन हेतु प्रस्ताव ठहराव पारित किया गया है, सोसाइटी के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव ठहराव की सत्यप्रतिलिपि, उपविधि की छायाप्रति तथा निम्नलिखित ब्यौरों के साथ आवेदन प्रस्तुत है :-

(क) वह तारीख जिसको अंतिम निर्वाचन हुए थे -

(ख) वह तारीख जिसको विद्यमान संचालक मण्डल या, यथास्थिति, उसके सदस्यों की अवधि समाप्त हो रही है -

(ग) धारा 53 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति की तारीख, यदि कोई हो -

(घ) नव-रजिस्ट्रीकृत सोसायटी की दशा में, सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख -

(ड.) निर्वाचन के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या -

(च) क्या उपविधियां संचालक मण्डल के निर्वाचनों के पूर्व प्रतिनिधि साधारण निकाय के गठन या वार्डों के सृजन का उपबन्ध करती है और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही, यदि कोई हो-

(छ) अन्य सूचना जो निर्वाचन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है -

(ज) प्रक्रिया शुल्क का विवरण -

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अध्यक्ष

..... सहकारी सोसाइटी मर्या., ...

प्ररूप छ -3

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49-ग (3) के अंतर्गत)
सदस्यता सूची पर आपत्ति हेतु सदस्यों को सूचना का प्ररूप

कार्यालय - रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

जिला.....पंजी. क्र.....

क्रमांक/नि.अ. दिनांक.....

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक ..... को साधारण सम्मिलन/विशेष साधारण सम्मिलन में सम्पन्न होना है ।

अतएव, सोसाइटी की सदस्यता सूची का प्रकाशन सोसाइटी कार्यालय के नोटिस बोर्ड, उप/सहायक पंजीयक सहकारी सोसाइटीयें कार्यालय, संबंधित विकास खण्ड कार्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा के सूचना पटल पर दिनांक.....को किया गया है । यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक..... से दिनांक..... तक सोसाइटी कार्यालय या कार्यालय ..... में मुझे सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण सोसाइटी कार्यालय में दिनांक.....को.....बजे से किया जायेगा।

आपत्तियों के निराकरण के दिन सदस्य उपस्थिति हो सकते हैं। आपत्तियों के संबंध में पृथक से व्यक्तिशः सूचना नहीं दी जावेगी । यदि किसी सदस्य की कोई आपत्ति है और वह उपस्थित नहीं होता है तो भी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा।

.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित

प्रति,

श्री.....

.....

.....

प्ररूप छ - 4

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49-ग (3) के अंतर्गत)

सदस्यता सूची का प्रथम प्रकाशन

कार्यालय - रजिस्ट्रीकरण अधिकारी .....सहकारी सोसाइटी मर्या.....(पंजी.क्र.....)

क्रमांक/ दिनांक .....

मुझे मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी .के आदेश क्रमांक/निर्वाचन/..... .....दिनांक..... के द्वारा ..... सहकारी सोसाइटी मर्यादित . ..... के संचालक मण्डल के सदस्यों तथा अन्य सहकारी सोसाइटीयों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अतः मैं..... रजिस्ट्रीकरण अधिकारी .... सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....एतद् द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 49 (ग) (05) के अनुसार उक्त सोसाइटी में होने वाले निर्वाचन हेतु सदस्य सूची प्रकाशित करता हूं तथा सूचित करता हूँ कि इस सूची के संबंध में यदि किसी सदस्यों को कोई आपत्ति हो तो वह मय प्रमाण के सूची प्रकाशित होने के दिनांक से दिनांक ..... के भीतर लिखित में आपत्ति मुझे कार्यालयीन समय में सोसाइटी के कार्यालय या कार्यालय ..... में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

प्रकाशित सदस्यता सूची पर प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण सोसाइटी कार्यालय में दिनांक .....समय..... पर किया जाकर सदस्य सूची को अंतिम सदस्यता/मतदाता सूची के रूप में प्रकाशित किया जावेगा ।

संलग्न : सदस्य सूची अनुक्रमांक 1 से ..... तक

स्थान-

दिनांक- .....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित,

क्रमांक/नि.अ./

प्रतिलिपि-

1. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीयें, (समन्वयक) .....

3. विकास खण्ड अधिकारी विकास खण्ड.....

4. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा.....

5. अध्यक्ष/प्रबंधक .....सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....

कृपया उपरोक्त सूचना संलग्न सूचियों का दिनांक.....से दिनांक..... तक अपने

कार्यालय के सूचना फलक पर प्रकाशन करें एवं प्रकाशन का प्रमाणपत्र देवें ।

.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित,

प्ररूप छ - 5

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49-ग (4) के अंतर्गत)

सदस्य सूची पर आपत्तियां एवं दावे प्राप्ति की पंजी

नाम सोसाइटी.....

क्र.	आपत्तिकर्ता का नाम, पता एवं सदस्यता क्रमांक	आपत्ति प्रस्तुत करने का दिनांक, समय	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	आपत्ति निराकरण का संक्षिप्त विवरण	हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.

प्ररूप छ - 6

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49 -ग (5) के अंतर्गत)

कार्यालय - रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....
जिला.....पंजी. क्र.....

क्रमांक/नि.अ./ दिनांक.....

अंतिम सदस्यता सूची के प्रकाशन की सूचना

मध्य पद्रेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक/निर्वाचन/..... दिनांक..... ..... के द्वारा मुझे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नियम 49-ग (3) के अनुसार दिनांक..... को सदस्यों की सूची प्रकाशित की गई थी । सदस्यों से कोई भी आपत्तियां या दावे प्राप्त नहीं हुए/प्राप्त हुए । प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात नियम 49-ग (5) के अनुसार सदस्य सूची संशोधित की जाकर अंतिम सदस्य सूची जो क्रमांक 1 से .... तक है, साधारण सम्मिलन/ विशेष साधारण समिमलन में संचालक मण्डल के होने वाले चुनाव हेतु प्रकाशित की जाती है ।

संलग्न : अंतिम सदस्यता सूची अनु.....से
अनु.....तक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित
.....

क्रमांक/नि.अ./ दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीयें, (समन्वयक) . .....
3. अध्यक्ष/प्रबंधक .....सहकारी सोसाइटी मर्या.....की ओर सूचना पटल पर सदस्यों के अवलोकन हेतु प्रकाशनार्थ एवं प्रमाणित मतदाता सूची की अतिरिक्त प्रतियां तैयार करने बाबत्.

.....
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित,

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (सोसाइटी का नाम) .....की सदस्य सूची मेरे कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा कर दिनांक.....को प्रकाशित की गई ।

(हस्ताक्षर)
सील/मुद्रा

प्ररूप छ - 7

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम, 49-ग (5) के अंतर्गत)

शोध्यों के भुगतान का प्रमाण-पत्र

1. अनुक्रमांक.....

2. सोसाइटी का नाम एवं पंजीयन क्रमांक.....

3. प्रमाण-पत्र जारी करने का दिनांक.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

आत्मज/आत्मजा/पति श्री.....सदस्यता क्रमांक.....

निवास/ग्राम.....जिला..... इन पर दिनांक.....को सोसाइटी का मूलधन रूपये.....ब्याज रूपये..... कुल राशि रूपये.....का ऋण 12 माह से अधिक अवधि का कालातीत होने के कारण व्यतिक्रमी थे। इनके द्वारा दिनांक.....को सोसाइटी की रसीद बुक क्रमांक..... के रसीद क्रमांक..... द्वारा रूपये..... जमा किये जा चुके हैं। आज दिनांक को श्री..... पर 12 माह से अधिक अवधि का कालातीत ऋण तथा ब्याज शेष नहीं है। इस प्रकार अब वे सोसाइटी के 12 माह से अधिक अवधि से व्यतिक्रमी नहीं रहे हैं।

सोसाइटी की मुहर
दिनांक.....

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/सोसाइटी प्रबंधक
.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

प्ररूप छ - 8

(मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49-ड. (3) के अंतर्गत)

कार्यालय- रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....
जिला.....पंजी. क्र.....

क्रमांक/ दिनांक .....

निर्वाचन कार्यक्रम

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... के द्वारा मुझे सहकारी सोसाइटी मर्यादित..... के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित निर्वाचन कार्यक्रम निश्चित किया गया है जो कि सोसाइटी के समस्त सदस्यों के सूचनार्थ प्रकाशित करता हूं।

1.	सोसाइटी की पंजीकृत उपविधि क्रमांक.....के अनुसार संचालक मण्डल के लिए निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या	..... विवरण निम्नांकित है -
	(अ) सामान्य वर्ग (अनारक्षित) से.....	(इसमें से महिला वर्ग हेतु आरक्षित.....)
	(ब) अनुसूचित जाति वर्ग से.....	(इसमें से महिला वर्ग हेतु आरक्षित.....)
	(स) अनुसूचित जनजाति वर्ग से.....	(इसमें से महिला वर्ग हेतु आरक्षित.....)
	योग-	योग-

टीप- जिस वर्ग में महिला आरक्षण नहीं किया गया है उसे निरंक दर्शाया जावे)

2.	नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान, समय	दिनांक..... से.....तक समय ..... स्थान-सोसाइटी कार्यालय.....
3.	नामांकन पत्रों की जांच एवं वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन	दिनांक..... को समय..... से जांच पूर्ण होने तक। स्थान-सोसाइटी कार्यालय.....
4.	नामांकन पत्रों की वापसी का दिनांक तथा चुनाव लडने वाले अंतिम उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन एवं चिन्हों का आवंटन	दिनांक.....समय ....से.....तक. स्थान-सोसाइटी कार्यालय.....

5.	विशेष साधारण सम्मिलन में चुनाव (मतदान) दिनांक एवं मतगणना	दिनांक.....समय..... से.....तक. स्थान-सोसाइटी कार्यालय..... (चुनाव समाप्त होने के पश्चात् एक घंटे बाद मतगणना प्रारंभ की जावेगी।)
6.	रिक्त स्थानों हेतु सहयोजन	दिनांक.....समय..... से.....तक स्थान- सोसाइटी कार्यालय.....
7.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य सोसाइटीओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों तथा अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन की सूचना जारी करना	दिनांक .....
8.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य सोसाइटीओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों तथा अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक.....समय ..... से.....तक. स्थान-सोसाइटी कार्यालय.....

.....

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित,

.....

क्रमांक/नि.अधि. दिनांक.....

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष/प्रबंधक .....सहकारी सोसाइटी मर्या..... तह..... की ओर भेजकर लेख है कि चुनाव कार्यक्रम सोसाइटी के सूचना पटल पर चस्पा करें तथा सोसाइटी के समस्त सदस्यों को आमसम्मिलन की सूचना के साथ भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत.
3. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीयें, (समन्वयक) ..... की ओर सूचनार्थ।

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित,

.....

प्ररूप छ - 9

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49-ड. (3) के अंतर्गत)

कार्यालय - .....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

जिला.....पंजी. क्र.....

सूचना

क्रमांक/निर्वा./आमसम्मिलन/ दिनांक.....

प्रति,

श्री.....

.....

.....

महानुभाव,

आपको सूचित किया जाता है कि सोसाइटी की विशेष साधारण सम्मिलन दिनांक .... को दिन के.....बजे स्थान.....पर आयोजित की गई है जिसकी अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है ।

विषय सूची -

1. सोसाइटी की उपविधि क्रमांक..... के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन करना ।

नोट :- रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम संलग्न है ।

अध्यक्ष/प्रबंधक,

.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित,

.....

प्ररूप छ - 10

(नियम 49-ड. (4) को देखिए)

नामांकन पत्र

1.	सोसाइटी का नाम	.....
2.	पंजीयन क्रमांक	.....
3.	पद एवं वर्ग का नाम जिसके लिए उम्मीदवार का नाम निर्देशन किया गया है,	.....
4.	उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम और पूर्ण पता	.....
5.	मतदाता सूची में उम्मीदवार का अनुक्रमांक	.....
6.	प्रस्तावक का नाम तथा मतदाता सूची में उसका अनुक्रमांक	.....
7.	प्रस्तावक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)	.....
8.	अनुमोदक का नाम तथा मतदाता सूची में उसका अनुक्रमांक	.....
9.	अनुमोदक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)	.....
10.	प्रत्याभूति राशि, रसीद क्रमांक तथा दिनांक	.....

घोषणा

मैं एतदद्वारा घोषित करता हूं कि इस नामनिर्देशन से मैं, सहमत हूं तथा मैं सोसाइटी के संचालक/प्रतिनिधि पद के लिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा सोसाइटी की उपविधियों के अंतर्गत विहित अर्हताएं धारित करता हूं।

2. मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सही है।

.....

दिनांक **उम्मीदवार के हस्ताक्षर**

टिप्पणी -(1) यदि अभ्यर्थी, प्रस्तावक या अनुमोदक, किसी सोसाइटी का प्रतिनिधि है, तो उस सोसाइटी का नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, भी उल्लिखित किया जाएगा। यदि मद क्रमांक 1 और 2 खाली छोड दिये गये हैं तो नाम नामांकन पत्र प्राप्त करनेवाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर से या सील लगाकर ऐसे खाली स्थानों को भरेगा।

पावती

अनुक्रमांक.....

श्री.....द्वारा मुझे दिनांक.....को ..... बजे नामांकन पत्र सौंपा गया।

दिनांक..... **नामांकन पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर**

प्ररूप छ - 11

(नियम 49-ड. (4) को देखिए)

कार्यालय - रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

पंजी.क्र.....

नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की पंजी

पद.....

अनु-क्रमांक	दिनांक	समय	पद	वर्ग	उम्मीदवार का नाम (मतदाता सूची में अनुक्रमांक)	प्रस्तावक का नाम एवं मतदाता सूची में अनुक्रमांक	अनुमोदक का नाम एवं मतदाता सूची में अनुक्रमांक	प्रस्तुत कर्ता का नाम	प्रस्तुत कर्ता के हस्ताक्षर	निर्वाचन अधिकारी का निर्णय (स्वीकृत/ अस्वीकृत)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोट :वर्ग से तात्पर्य सामान्य(अनारक्षित), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग से है।

प्ररूप छ - 12

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 49-ड. (4) के अंतर्गत)

.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....के संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची दिनांक.....

क्र/ दिनांक .....

क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं मतदाता सूची में अनुक्रमांक	प्रस्तावक का नाम एवं मतदाता सूची में अनुक्रमांक	अनुमोदक का नाम एवं मतदाता सूची में अनुक्रमांक	वर्ग
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

क्रमांक/निर्वाचन/..... दिनांक.....

प्रतिलिपिः

1. अध्यक्ष/प्रबंधक.....सोसाइटी के रिकार्ड हेतु एवं सोसाइटी के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु
2. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत.
3. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीयें, (समन्वयक) ..... की ओर सूचनार्थ।

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

प्ररूप छ - 13

(नियम 49 -ड. का उपनियम (5) देखिए)

कार्यालय-रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

जिला.....पंजी. क.....

क्र/ **दिनांक .....**

वैध नामांकनों की सूची

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49-ड. (5) के अनुसार ..... सहकारी सोसाइटी, मर्यादित.....के संचालक मण्डल के निर्वाचन के लिए प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच के पश्चात् वैध पाए गए नामांकन पत्रों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र.	उम्मीदवार का नाम पिता/पति सहित	पद	वर्ग
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

क्रमांक/निर्वाचन/..... दिनांक.....

प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष/प्रबंधक .....सहकारी सोसाइटी मर्या..... की ओर सोसायटी के सूचनापटल पर चस्पा करने हेतु एवं एक-एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु ।
2. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत.
3. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीयें, (समन्वयक) .....ओर सूचनार्थ।

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

प्ररूप छ - 14

(नियम 49-ड. के उप नियम (6) के अंतर्गत)

.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

जिला.....पंजीयन क.....

उम्मीदवारी की वापसी के आवेदन का प्ररूप एवं आवेदनों की पंजी का प्ररूप

उम्मीदवारी वापस लिये जाने की सूचना का प्ररूप

1. सोसायटी का नाम .....
2. पंजीयन क्रमांक .....
3. पद का नाम, जिसके लिये नामनिर्देशन किया गया था .....
4. आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम .....
   और पूर्ण पता .....
5. नामांकन पत्र की पावती का अनुक्रमांक .....

मै एतद् द्वारा अपनी उम्मीदवारी स्वेच्छा से वापस लेता हूं। यह सूचना व्यक्तिगत रूप से/प्रस्तावक द्वारा/अनुमोदक द्वारा सौंपी जा रही है।

दिनांक ....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

यह सूचना मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।

.....

(प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर)

उम्मीदवार/प्रस्तावक/अनुमोदक

नाम .....

दिनांक .....

नोट :- दो प्रतियों में तैयार करें। एक प्रति पर नामांकन अधिकारी की पावती ली जाये। नाम वापसी के आवेदन उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा आवेदन उम्मीदवार/प्रस्तावक /अनुमोदक में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(केवल निर्वाचन अधिकारी के उपयोग के लिए)

अनुक्रमांक .....

उम्मीदवारी वापस लिये जाने की यह सूचना श्री.....
..... द्वारा दिनांक .....को समय ..... बजे पर मुझे प्रदत्त किया गया। इसे मैं स्वीकार/अस्वीकार करता हूं, क्योंकि .....
.....

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप छ - 15

(नियम 49-ड. के उप नियम (6) के अंतर्गत)

उम्मीदवार वापसी के आवेदनों की पंजी का प्ररूप

अनु क्र.	दिनांक	समय	वर्ग	उम्मीदवार का नाम	आवेदनपत्र प्रस्तुतकर्ता का नाम	हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता	निर्वाचन अधिकारी का निर्णय	हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

प्ररूप छ - 16

(नियम 49-ड. का उपनियम (7) देखिए)

कार्यालय-रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....
जिला.....पंजी. क.....

क्र/ **दिनांक .....**

उम्मीदवारी वापसी के पश्चात् शेष उम्मीदवारों की सूची

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49-ड. के उपनियम (7) के अनुसार ..... सहकारी सोसायटी मर्यादित ..... के संचालक मण्डल के सदस्य पद हेतु प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच के पश्चात् वैध पाये गये नामांकनों में से आज दिनांक..... को निर्धारित समय तक उम्मीदवारी वापिस लिये जाने के पश्चात् ऐसे शेष उम्मीदवारों की सूची जो उम्मीदवारी से नहीं हटे हैं, निम्नानुसार है -

क्र.	उम्मीदवार का नाम/पिता/पति सहित	पद	वर्ग
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

स्थान.....
दिनांक..... **रिटर्निंग अधिकारी**
समय..... **.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....**

क्रमांक/निर्वाचन/ दिनांक.....

प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष/प्रबंधक .....सहकारी सोसाइटी मर्या..... की ओर सोसायटी के सूचनापटल पर चस्पा करने हेतु एवं एक-एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु ।
2. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत.
3. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीयें, (समन्वयक) ..... की ओर सूचनार्थ।

.....

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

टीप :- यह सूची प्रत्येक वर्ग हेतु पृथक-पृथक तैयार की जाएगी ।

प्ररूप छ - 17

(नियम 49-ड. का उपनियम (8) देखिए)

कार्यालय - रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

जिला.....पंजी. क्र.....

क्र./ **दिनांक .....**

ऐसे पदों की घोषणा जिनके लिए मतदान आवश्यक नहीं है

..... सहकारी सोसायटी मर्यादित ..... के संचालक मण्डल के सदस्य पद हेतु उम्मीदवारी की वापसी के पश्चात् शेष वैध नामांकन पत्रों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले उम्मीदवारों के पदों की संख्या के बराबर है/कम है। अतः निम्नानुसार उम्मीदवारों को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये वर्ग के लिए संचालक मण्डल के सदस्य पद पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।

क्र.	पद का नाम	वर्ग	उम्मीदवार का नाम
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

स्थान.....

दिनांक..... **रिटर्निंग अधिकारी**

समय..... **.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....**

क्रमांक/निर्वाचन/ दिनांक.....

प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष/प्रबंधक .....सहकारी सोसाइटी मर्या..... की ओर सोसायटी के सूचनापटल पर चस्पा करने हेतु एवं एक-एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु।
2. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की ओर सूचनार्थं प्रस्तुत।
3. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीयें, (समन्वयक) ..... की ओर सूचनार्थ।

.....

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

प्ररूप छ - 18

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 49-ड. (10) के अंतर्गत)

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

जिला.....पंजी. क्र.....

(उम्मीदवार की सूची का प्रकाशन मय चिन्हों के)

(प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक-पृथक बनाएं)

सोसाइटी में निर्वाचन लड़नेवाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन

वर्ग.....पदों की संख्या.....

क्र.	उम्मीदवार का नाम पिता/पति सहित	वर्ग	आवंटित चिन्ह
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

स्थान.....

दिनांक..... **रिटर्निंग अधिकारी**

समय..... **.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....**

क्रमांक/निर्वाचन/ **दिनांक.....**

प्रतिलिपि-

1. संबंधित उम्मीदवार.....
2. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत.
3. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीयें, (समन्वयक) ..... की ओर सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष/प्रबंधक.....की ओर सोसाइटी कार्यालय पर चस्पा कराने हेतु.

.....

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

प्ररूप छ - 19

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 49-ड. (12) के अंतर्गत)

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....
जिला.....पंजी. क्र.....

क्रमांक/चुनाव/ दिनांक.....

आदेश

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49-ड. (12) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं.....रिटर्निंग अधिकारी, उक्त सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्न कर्मचारियों को मतदान अधिकारी/गणक नियुक्त करता हूं :-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम, पद तथा कार्यालय का पता	नियुक्ति का पद

मतदान का स्थान.....

मतदान का दिनांक..... **रिटर्निंग अधिकारी**

मतदान केन्द्र पर पहुंचने का दिनांक
व समय.....

प्रतिलिपि-

श्री.....
मतदान अधिकारी/गणक

प्ररूप छ - 20

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49-ड. (19) के अंतर्गत)

मत पत्र लेखा

..... सहकारी सोसाइटी मर्या., ...

..... के लिए निर्वाचन मतदान केन्द्र का नाम .....

		क्रम संख्यांक	कुल संख्या
1.	मतपत्र		
2.	उपयोग में न लाये गये मतपत्र (क) यदि कोई पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित हो तो, और (ख) पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर बिना		
3.	मतदाताओं को दिये गये मतपत्र		
4.	निम्नलिखित कारणों से रद्द किये मतपत्र (क) मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण (ख) किसी अन्य कारण से		
5.	निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाये गये मतपत्र		

तारीख .....

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

आरंम्भिक गणना का फल

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी/मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या .....

2. इस भाग में मद 1 के सामने यथादर्शित कुल संख्या के, और भाग 1 मद 3 में यथादर्शित मतदाताओं को दिये गये मतपत्रों की कुल संख्या जिसमें से उसी भाग की मद 4 में यथादर्शित रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या और मद 5 यथादर्शित निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त मतपत्रों की संख्या घटाई गई है, के बीच कोई अन्तर, यदि हो।

तारीख .....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर .....

प्ररूप छ - 21

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम कमांक 49-ड. (22) के अंतर्गत)

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

जिला.....पंजी. क्र.....

क्र/ दिनांक.....

मतगणना परिणाम एवं निर्वाचन की घोषणा

दिनांक ..... को..... सहकारी सोसाइटी मर्या., की साधारण सम्मिलन/विशेष साधारण सम्मिलन में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित वर्ग के पदों हेतु निर्वाचन कार्यक्रमानुसार मतदान कराया गया, मतगणना के पश्चात् निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके समक्ष दर्शित मत प्राप्त हुए -

पदों का वर्ग .....संख्या .....

क्र.	उम्मीदवार का नाम पिता/पति सहित	प्राप्त विधिमान्य मत
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

अविधिमान्य मतपत्रों की संख्या.....

उपरोक्त में से निम्न उम्मीदवारों को अधिकतम मत प्राप्त होने से.....वर्ग के संचालक पदों के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है ।

1. श्री.....प्राप्त मत.....
2. श्री.....प्राप्त मत.....
3. श्री.....प्राप्त मत.....
4. श्री.....प्राप्त मत.....
5. श्री.....प्राप्त मत.....
6. श्री.....प्राप्त मत.....

(.....)

रिटर्निंग अधिकारी

.....

.....

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष/प्रबंधक .....सहकारी सोसाइटी मर्या..... .....को सूचनार्थ एवं सोसाइटी के सूचनापटल पर प्रकाशनार्थ.
2. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत.
3. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटियां, (समन्वयक) ..... की ओर सूचनार्थ।

रिटर्निंग अधिकारी

सहकारी सोसाइटी .....मर्या. .....

प्ररूप छ -22

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम कमांक 49-ड. (22) के अंतर्गत)

कार्यालय - रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

जिला.....पंजी. क.....

क्र/ **दिनांक.....**

साधारण सम्मिलन में निर्वाचन की घोषणा

..... सहकारी सोसायटी मर्यादित ..... . के संचालक मण्डल के सदस्य पद हेतु निर्विरोध/मतदान द्वारा निर्वाचित निम्नांकित उम्मीदवारों को उनके सम्मुख अंकित वर्ग से निर्वाचित घोषित किया जाता है। यह घोषणा सोसाइटी की विशेष/साधारण सम्मिलन दिनांक ..... में की गई।

क्र.	पद का नाम	वर्ग	उम्मीदवार का नाम व पता पिता/पति सहित
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

नोट :- निर्विरोध एवं मतदान द्वारा निर्वाचित संचालकों के नाम सम्मिलित किये गये है।

स्थान.....

दिनांक..... **रिटर्निंग अधिकारी**

समय..... **.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....**

क्रमांक/निर्वाचन/ दिनांक.....

प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष/प्रबंधक .....सहकारी सोसाइटी मर्या..... की ओर सोसायटी के सूचनापटल पर चस्पा करने हेतु एवं एक-एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु ।
2. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत.
3. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीयें, (समन्वयक) ..... की ओर सूचनार्थ।

.....

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

प्ररूप छ - 23

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49-च (1) के अंतर्गत)

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

जिला.....पंजी. क्र.....

क्र./निर्वाचन/ दिनांक.....

प्रथम बैठक की सूचना

प्रति

श्री .....

सदस्य संचालक मण्डल

.....

सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....

विषयः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अन्य पदाधिकारियों तथा अन्य सहकारी सोसाइटीओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन कराने बाबत्.

उपरोक्त विषयांतर्गत सोसाइटी के नवनिर्वाचित सहयोजित, नामांकित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निम्न विवरण अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अन्य पदाधिकारियों तथा अन्य सहकारी सोसाइटीओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन हेतु दिनांक.....को समय ..... स्थान..... पर बैठक रखी गई है, जिसमें गणपूर्ति आवश्यक है।

1. पदो का विवरण जिनके लिए निर्वाचन किया जाना है -
   - (अ) अध्यक्ष — एक पद
   - (ब) उपाध्यक्ष — दो पद
   - (स) अन्य पदों का विवरण
     - (1)
     - (2)
     - (3)
   - (द) अन्य सोसाइटीओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का विवरण -
     - (1)
     - (2)
     - (3)
     - (4)
2. उक्त निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है - समय
   - (अ) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/अन्य पदाधिकारियों एवं अन्य सहकारी सोसाइटीओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र प्राप्त करना (रिटर्निंग अधिकारी द्वारा)

(ब) प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच
(स) उम्मीदवारी वापसी का समय
(द) मतदान (यदि आवश्यक हुआ तो) एवं मतगणना का समय (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद मतगणना की जायेगी एवं परिणामों की घोषणा की जावेगी)

(.....)
रिटर्निंग अधिकारी
.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

टीप- नामांकन पत्र का प्ररूप नियम 49 (ड.) (4) को देखिए)

क्रमांक/निर्वाचन/ दिनांक.....

प्रतिलिपि-

1. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत.
2. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटियां, (समन्वयक) ..... की ओर सूचनार्थ।

(.....)
रिटर्निंग अधिकारी
.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

प्ररूप छ - 24

(नियम 49-च (2) को देखिए)

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रतिनिधि एवं अन्य पदों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र का प्ररूप

1. सोसाइटी का नाम .....
2. पंजीयन क्रमांक .....
3. पद एवं वर्ग का नाम जिसके लिए उम्मीदवार का नाम निर्देशन किया गया है, ...
4. उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम और पूर्ण पता .....
5. उम्मीदवार का वर्ग (जिससे वह संचालक है) .....
6. प्रस्तावक का नाम तथा हस्ताक्षर (दिनांक सहित) .....
7. अनुमोदक का नाम तथा हस्ताक्षर (दिनांक सहित).....

.....

दिनांक **उम्मीदवार के हस्ताक्षर**

घोषणा

मैं एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रतिनिधि पद हेतु मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधनियम 1960 एवं नियम, 1962 तथा सोसाइटी की पंजीकृत उपविधियों में विहित अर्हताएं धारण करता हूँ तथा निर्वाचित होने पर उपरोक्त में वर्णित प्रावधान पालन करूंगा।

.....

दिनांक उम्मीदवार के हस्ताक्षर

प्ररूप छ - 25

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 49-च (7) के अंतर्गत)

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

तहसील.....जिला.....पंजी. क.....

रिटर्निंग अधिकारी की डायरी

1. सोसाइटी का नाम एवं पंजीयन क्रमांक .....
2. नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक .....
3. आरक्षण/विनश्चय का विवरण ..... पदवार जानकारी .....
4. निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने का दिनांक .....
5. विशेष साधारण सम्मिलन/विशेष साधारण सम्मिलन की सूचना जारी करने का दिनांक ..... एवं समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करने का दिनांक ..... समाचार पत्र के नाम सहित
6. नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं वर्गवार, पदवार प्राप्त कुल नाम निर्देशन पत्र की संख्या .....
7. जांच में वैद्य पाये गये नाम निर्देशन पत्रों की संख्या .....
8. नाम वापसी के आवेदनों की संख्या .....
9. चुनाव चिन्ह आवंटन करने का दिनांक ..... एवं उम्मीदवारों की कुल वर्गवार संख्या .....
10. निर्वाचन हेतु मतदान का स्थान की जानकारी मतदान दिनांक को प्रत्येक घंटे में मतदान का विवरण, कुल मतदान, मतदान का प्रतिशत
11. मतगणना समाप्त होने का समय, परिणाम घोषित करने का समय एवं निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम
12. मतदान/मतगणना में संलग्न कर्मचारीगण की संख्या .....
13. मतदान/मतगणना के दौरान घटित साधारण/विशेष घटनाओं का विवरण तथा यदि कोई ऐसी घटना घटित है जिसकी रिपोर्ट थाना प्रभारी को की गई है तो उसका स्पष्ट विवरण..... .....
14. निर्वाचन अभिलेख/सामग्री जमा करने का दिनांक .....

(.....)

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी

मर्या.....तहसील.....

प्ररूप छ - 26

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 49-च (7) के अंतर्गत)

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

तहसील.....जिला.....पंजी. क.....

क्र./निर्वाचन/ दिनांक.....

प्रति,

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी/समन्वयक/
पंजीयक/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक सहकारी सोसाइटियां..... .

विषय - सोसाइटी की संचालक मण्डल, अन्य पदाधिकारियों एवं सोसाइटी की ओर से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन की विवरणी.

संदर्भ - आपका कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/.....दिनांक.....

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित आदेश के पालन में मेरे द्वारा..... सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....तहसील.....जिला..... के संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन सोसाइटी की साधारण/विशेष साधारण सम्मिलन दिनांक..... .....में कराया जाकर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधिवत सम्पन्न कराया गया है। निर्वाचित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) संचालक मण्डल

नाम तथा पता पिता/पति सहित	वर्ग	पद
.....	.....	अध्यक्ष
.....	.....	उपाध्यक्ष
.....	.....	सदस्य
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

(ब) अन्य सहकारी सोसाइटीओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि है -

नाम	नाम प्रतिनिधि	सोसाइटी का नाम जिसके लिए प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया
1.....		
2.....		
3.....		

(स) अन्य पदाधिकारी

क्र.	नाम पदाधिकारी एवं पता	पद का पूर्ण विवरण
1.....		
2.....		

(.....)

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी

मर्या.....तहसील.....

क्रमांक/निर्वाचन/ दिनांक.....

प्रतिलिपि-

1. महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.....
2. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित..... शाखा की ओर सूचनार्थ.
3. सहकारिता विस्तार अधिकारी.....विकास खण्ड..... की ओर सूचनार्थ.
4. अध्यक्ष/प्रबंधक .....सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....
5. प्रबंधक, जिला सहकारी संघ मर्यादित .....
6. .....उक्त समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(.....)

रिटर्निंग अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी

मर्या.....तहसील.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

प्ररुप एच/ज

नियम 52 देखिये

विवाद के निर्देश के संबंध में आवेदन-पत्र

प्रति,

पंजीयक/उप/सहायक पंजीयक. .....

(1) नाम, आयु, धन्धा तथा पता ..... वादीगण

(2) नाम, आयु, धन्धा तथा पता .....

विरुद्ध

(1) नाम, आयु, धन्धा तथा पता ..... प्रतिवादी

(2) नाम, आयु, धन्धा तथा पता .....

दावे अथवा वे तथ्य जिनसे वाद का कारण निर्माण हुआ हो तथा वह कब उत्पन्न हुआ उसका विवरण-वादी/वादीगण निम्नानुसार प्रार्थना करता है/करते हैं-

उक्त दावों अथवा अपेक्षित सहायता की पुष्टि के हेतु मैं/हम संलग्न सूची के अनुसार दस्तावेज व कागजात नत्थी करते हैं।

दिनांक ..... **(हस्ताक्षर) ..... वादी/वादीगण**

मैं/हम ..... वादी/वादीगण घोषित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त कथित तथ्य मेरी/हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक ..... (हस्ताक्षर) ..... वादी/वादीगण

(1) ..... (2) ..... (3) .....

नोट- जहां अधिक वादी या प्रतिवादी हों तो उसके नाम, पते, उम्र और धंधे भी वर्णित किये जाने चाहिये।

(2) जबकि वादी कोई संस्था हो तो आवेदन-पत्र के साथ उसकी कमेटी के ठहराव की नकल भी होना चाहिये।

(3) रुपये पैसों के दावों के विवाद के संबंध में वादी ने मांगी गई ठीक-ठीक राशि बतलाना चाहिये लेकिन जहां उसे ठीक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हो तो वादी लगभग ठीक-ठीक मांगी गई राशि का उल्लेख करेगा।

प्ररुप आई/झ

नियम 25-क (1) देखिये

उधारों तथा अग्रिमों की प्रज्ञापना का तहसीलदार को भेजा जाने वाला प्रारूप

अनुक्रमांक	वर्ष	सोसाइटी के उधार के खाते में उधार तथा अग्रिम की प्रविष्टि की तारीख	सदस्य का नाम	पिता का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

उस ग्राम का नाम जिसमें उधार लेने वाला निवास करता है	उस ग्राम का नाम जिसमें उधार न लेने वाला भूमि धारण करता है	सदस्य को अग्रिम दिये गये उधार अग्रिम की रकम	टिप्पणियां	सभापति तथा प्रबंधक के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररुप जे/ञ

[नियम 25-ए/क (2) देखिये]

उधारों तथा अग्रिमों की प्रज्ञापना का तहसीलदार को भेजे जाने वाला प्रारूप

अनुक्रमांक	वर्ष	सोसाइटी के उधार के खाते में उधार तथा अग्रिम की प्रविष्टि की तारीख	सदस्य का नाम	पिता का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

उस ग्राम का नाम जिसमें उधार लेने वाला निवास करता है	उस ग्राम का नाम जिसमें उधार लेने वाला भूमि धारण करता है	मांग रजिस्टर के अनुसार 30 जून को सदस्यों की तरफ ब्याज सहित बकाया उधार की रकम	टिप्पणियां	सभापति तथा प्रबंधक के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं

धारा 3

(अधिसूचना दि. 26.7.1999, म.प्र. राजपत्र, असाधारण, दिनांक 26.7.1999, पृष्ठ 1095)- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5.6.79-एक-पन्द्रह-क, दिनांक 27 अगस्त 1979 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, यह निदेश देती है कि रजिस्ट्रार को उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त, समस्त शक्तियां, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, मुख्यालय द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर प्रयोग की जाएंगी।

(अधिसूचना दिनांक 16.6.2009, म.प्र. राजपत्र (असाधारण), दिनांक 16.6.2009, पृ. 245-246)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 13.9.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि रजिस्ट्रार को उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियां तथा अधिरोपित किए गए कर्तव्य, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा, अनुसूची के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोग की जाएगी तथा उनका पालन किया जायेगा, अर्थात्:-

अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिकारी	शक्तियां तथा कर्तव्यों की सीमा (विस्तार)	विनिर्दिष्ट क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी भोपाल	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जिलों की समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य (संभाग के समस्त जिलों की सीमा के भीतर)	**जिले** 1. भोपाल 2. रायसेन 3. विदिशा 4. सीहोर 5. राजगढ़

2.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी इंदौर	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जिलों की समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य (संभाग के समस्त जिलों की सीमा के भीतर)	1. इंदौर 2. खरगोन 3. बड़वानी 4. धार 5. खण्डवा 6. झाबुआ 7. बुरहानपुर 8. अलीराजपुर
3.	संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी ग्वालियर	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जिलों की समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य (संभाग के समस्त जिलों की सीमा के भीतर)	1. ग्वालियर 2. मुरैना 3. भिण्ड 4. दतिया 5. शिवपुरी 6. श्योपुर 7. गुना 8. अशोक नगर
4.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी जबलपुर	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जिलों की समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य (संभाग के समस्त जिलों की सीमा के भीतर)	1. जबलपुर 2. कटनी 3. छिंदवाड़ा 4. सिवनी 5. मण्डला 6. नरसिंहपुर 7. बालाघाट 8. [डिण्डोरी]
5.	संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी रीवा	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जिलों की समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य (संभाग के समस्त जिलों की सीमा के भीतर)	1. रीवा 2. सीधी 3. सतना 4. सिंगरौली
6.	संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी उज्जैन	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जिलों की समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य (संभाग के	1. उज्जैन 2. देवास 3. शाजापुर 4. रतलाम 5. मंदसौर

		समस्त जिलों की सीमा के भीतर).	6. नीमच
7.	संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी सागर	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जिलों की समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य (संभाग के समस्त जिलों की सीमा के भीतर).	1. सागर 2. टीकमगढ़ 3. छतरपुर 4. पन्ना 5. दमोह
8.	संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी नर्मदापुरम, होशंगाबाद	---तदैव--	1. होशंगाबाद 2. हरदा 3. बैतूल
9.	संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी शहडोल	---तदैव--	1. शहडोल 2. अनूपपुर 3. उमरिया

अधिसूचना क्र. एफ. 5.1.99-पन्द्रह-1सी, दि. 26.7.1999, म.प्र. राजपत्र, असाधारण, दिनांक 26.7.1999, पृ. 1096 पर प्रकाशित एवं अधिसूचना क्र. एफ. 5.1.99-पन्द्रह-1सी, दि. 14.12.2000, म.प्र. राजपत्र, असाधारण, दिनांक 14.12.2000, पृ. 1480, तथा दि. 18.8.2003, म.प्र. राजपत्र, असाधारण, दिनांक 18.8.2003, पृ. 868 तथा म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 25 जून 2007 द्वारा यथासंशोधित- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5.5.79-एक-पन्द्रह-जी, दिनांक 27 अगस्त 1979 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि :

(1) नीचे दी गई प्रथम अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उक्त अधिनियम की धाराओं तथा उक्त अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 1962 के नियमों द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, मध्यप्रदेश को प्रदत्त शक्तियां, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोक्तव्य होंगी, और

(2) नीचे दी गई द्वितीय अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार, उक्त अधिनियम की धाराओं तथा मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 1962 के उन नियमों द्वारा, जो उक्त अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, मध्यप्रदेश को प्रदत्त शक्तियां, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा भी उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोक्तव्य होंगी, अर्थात् :

प्रथम अनुसूची

अनु-क्रमांक	अधिनियम की धारा	नियम	शक्तियों की सीमा	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.			(क) वित्तीय बैंक, (ख) उन समस्त सोसाइटियों को जिनके कार्यक्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	1. भोपाल, 2. रायसेन, 3. विदिशा, 4. सीहोर, 5. राजगढ़, 6. बैतूल, 7. होशंगाबाद, 8. जबलपुर, 9. छिंदवाड़ा, 10. सिवनी, 11. बालाघाट, 12. नरसिंहपुर, 13. इन्दौर, 14. खरगोन, 15. धार, 16. खण्डवा, 17. झाबुआ, 18. रीवा, 19. शहडोल, 20. सीधी, 21. सतना, 22. उज्जैन, 23. देवास, 24. शाजापुर, 25. रतलाम, 26. मंदसौर, 27. मुरैना, 28. ग्वालियर, 29. भिण्ड, 30. शिवपुरी, 31. गुना, 32. सागर, 33. टीकमगढ़, 34. छतरपुर 35. अलीराजपुर, 36. सिंगरौली
2.	7(1)		तदैव	तदैव
3.	8		तदैव	तदैव
4.	9		तदैव	तदैव
5.	11		तदैव	तदैव
6.	12		तदैव	तदैव
7.	14		तदैव	तदैव
8.	15(2)		तदैव	तदैव
9.	16		तदैव	तदैव
10.	17		तदैव	तदैव
11.	18		तदैव	तदैव
12.	19(2-क)		तदैव	तदैव
13.	19 (ख)		तदैव	तदैव

14.	19-ग(2)	तदैव	तदैव
15.	37(4)	उन सोसाइटियों के सदस्यों के संबंध में जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
16.	44(1)	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
17.	44(3)	तदैव	तदैव
18.	48-क(2)	शीर्ष (एपेक्स) सोसाइटियों को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
19.		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
20.	49	तदैव	तदैव
21.	49-ख	उन सोसाइटियों की, जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है, समितियों या उप समितियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां।	तदैव
22.	50	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां।	तदैव
23.		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
24.	53	तदैव	तदैव
25.	55(2)	(1) उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है। (2) ऐसे मामलों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जो धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार या	तदैव

		संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा अंतरित की जाती हैं।	
26.	56	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
27.	57	तदैव	तदैव
28.	57-क	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
29.	58	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
30.	59	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
31.	59-क	तदैव	तदैव
32.	60	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
33.	61	तदैव	तदैव
34.	62	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
35.	64	1. समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां। 2. ऐसे मामलों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जो धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार या संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा अंतरित की जाती हैं।	तदैव
36.	65	तदैव	तदैव
37.	66	तदैव	तदैव
38.	67	तदैव	तदैव
39.	68	तदैव	तदैव
40.	69	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव

41.	70	तदैव	तदैव
42.	71	तदैव	तदैव
43.	72	तदैव	तदैव
43.क	81	तदैव	तदैव
44.	83	तदैव	तदैव
45.	84	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां।	तदैव
46.	85	तदैव	तदैव
47.	89	तदैव	तदैव
48.	90	तदैव	तदैव
49.	5	(क) वित्तीय बैंक (ख) समस्त सोसाइटियों को, जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां।	तदैव
50.	7	तदैव	तदैव
51.	9	तदैव	तदैव
52.	11 उप नियम (7) को छोड़कर	तदैव	तदैव
53.		तदैव	तदैव
54.	22	तदैव	तदैव
54.क	23(3)(ट)	तदैव	तदैव
55.	26	तदैव	तदैव
56.	28	तदैव	तदैव
57.	29	तदैव	तदैव
58.	31	तदैव	तदैव
59.	32(1)(पांच(ग)	तदैव	तदैव
60.	34	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां।	तदैव
61	35	तदैव	तदैव
61.क	36 (द्वितीय परंतुक)	तदैव	तदैव

62.	41	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
63		तदैव	तदैव
64.	44	तदैव	तदैव
65.	50 (5) और (7)	तदैव	तदैव
66.	52	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां।	तदैव
67.	53	तदैव	तदैव
68.	54(1) और (2)	तदैव	तदैव
69	55	तदैव	तदैव
70.	56	तदैव	तदैव
71.	57 (छ)	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	
72.	57 खण्ड (ङ) (छ) और (ण) को छोड़कर	तदैव	तदैव
73.	58	तदैव	तदैव
74	65	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
75.	10(1)	(क) वित्तीय बैंक (ख) समस्त सोसाइटियों को, जिनके कार्यक्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां।	तदैव
76.	19(6) तथा (7)	तदैव	तदैव
77.	19-कक	तदैव	तदैव
78.	32	तदैव	तदैव
79.	43(3)	तदैव	तदैव
80.	45	तदैव	तदैव
81.	49-ग(3)	तदैव	तदैव

82.	53-क		तदैव	तदैव
83.	53-ख		तदैव	तदैव
84.	76(2)		तदैव	तदैव
85.	84-क		(1) (क) वित्तीय बैंक	तदैव
			(ख) उन समस्त सोसाइटियों को, जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां।	तदैव
			(2) ऐसे मामलों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जो धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार या संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा अंतरित की जाती हैं।	
86	48(3)		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां, जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
87.	52-ख (द्वितीय परन्तुक)		तदैव	तदैव
88.	58-ख		तदैव	तदैव
89.	63-क		तदैव	तदैव
90.	80		तदैव	तदैव
91.	50-क(2)		तदैव	तदैव
92.	19(6)		तदैव	तदैव
93.	19-ग (1-क)		तदैव	तदैव
94	48 (क-क) द्वितीय परन्तुक	-	(क) वित्तीय बैंक	
			(ख) उन समस्त सोसाइटियों को, जिनके कार्यक्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	

95.	50 (क)	1 (क)	-	तदैव
96.	-		44	तदैव

द्वितीय अनुसूची

अनु-क्रमांक	अधिनियम की धारा	नियम	शक्तियों की सीमा	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6(1)		निम्नलिखित प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां- 1. प्राथमिक संसाधन सोसाइटियां 2. प्राथमिक उपभोक्ता सोसाइटियां 3. प्राथमिक बहुउद्देश्यी सोसाइटियां 4. प्राथमिक उत्पादक सोसाइटियां 5. प्राथमिक औद्योगिक सोसाइटियां 6. कृषि सोसाइटियां	1. भोपाल, 2. रायसेन, 3. विदिशा, 4. सीहोर, 5. राजगढ़, 6. बैतूल, 7. होशंगाबाद, 8. जबलपुर, 9. छिंदवाड़ा, 10. सिवनी, 11. बालाघाट, 12. नरसिंहपुर, 13. इन्दौर, 14. खरगौन, 15. धार, 16. खंडवा, 17. झाबुआ, 18. रीवा, 19. शहडोल, 20. सीधी, 21. सतना, 22. उज्जैन, 23. देवास, 24. शाजापुर, 25. रतलाम, 26. मंदसौर, 27. मुरैना, 28. ग्वालियर, 29. भिण्ड, 30. शिवपुरी, 31. गुना, 32. सागर, 33. टीकमगढ़, 34. छतरपुर.
2.	7(1)		तदैव	तदैव
3.	8		तदैव	तदैव
4.	9		तदैव	तदैव
5.	11		तदैव	तदैव
6.	12		तदैव	तदैव
7.	14		तदैव	तदैव
8.	15 (2)		तदैव	तदैव
9.	16		तदैव	तदैव
10.	17		तदैव	तदैव
11.	18		तदैव	तदैव

12.	37(4)	उन सोसाइटियों के सदस्यों के संबंध में जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
13.		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
14.	49	तदैव	तदैव
15.	50	तदैव	तदैव
16.		तदैव	तदैव
17.	53	तदैव	तदैव
18.	55(2)	(1) उन समितियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है। (2) ऐसे मामलों के संबंध में समस्त शक्तियां, जो धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार या संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा अंतरित की जाती हैं.	तदैव
20.	56	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
20.	57	तदैव	तदैव
21.	58	तदैव	तदैव
22.	59	तदैव	तदैव
23.	59-क	तदैव	तदैव
24.	60	तदैव	तदैव
25.	61	तदैव	तदैव
26.	62	तदैव	तदैव
27.	64	(1) उन समितियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है। (2) ऐसे मामलों के संबंध में समस्त शक्तियां, जो धारा 66 की	तदैव

			उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार या संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा अंतरित की जाती हैं।	
28.	65		तदैव	तदैव
29.	66		तदैव	तदैव
30.	67		तदैव	तदैव
31.	68		तदैव	तदैव
32.	69		तदैव	तदैव
33.	70		तदैव	तदैव
34.	71		तदैव	तदैव
34-क	81		तदैव	तदैव
35.	83		तदैव	तदैव
36.	84		तदैव	तदैव
37.	85		तदैव	तदैव
38.	89		तदैव	तदैव
39.	90		तदैव	तदैव
40.		5	तदैव	तदैव
41.		7	तदैव	तदैव
42.		9	तदैव	तदैव
43.		11 उपनियम (7) को छोड़कर	तदैव	तदैव
44.		22	तदैव	तदैव
44क		23(3)(ट)	तदैव	तदैव
45.		28	तदैव	तदैव
46.		29	तदैव	तदैव
47.		32 (1) (पांच)(ग)	तदैव	तदैव
48.		34	तदैव	तदैव
49.		35	तदैव	तदैव
49क		36 (द्वितीय परंतुक)	तदैव	तदैव
50.		41	तदैव	तदैव
51.			तदैव	तदैव
52.		44	तदैव	तदैव

53.		50(5) और (7)	तदैव	तदैव
54.		52	तदैव	तदैव
55.		53	तदैव	तदैव
56.		54(1) और (2)	तदैव	तदैव
57.		55	तदैव	तदैव
58.		56	तदैव	तदैव
59.		57 खण्ड (ड), (छ) और (ण) को छोड़कर	तदैव	तदैव
60.		58	तदैव	तदैव
61.		65	तदैव	तदैव
62.	10(1)		निम्न प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां, अर्थात्- 1. प्राथमिक संसाधन सोसाइटियां 2. प्राथमिक उपभोक्ता सोसाइटियां 3. प्राथमिक बहुउद्देशीय सोसाइटियां 4. प्राथमिक उत्पादक सोसाइटियां 5. प्राथमिक औद्योगिक सोसाइटियां 6. कृषि सोसाइटियां	तदैव
63.	19(6) तथा (7)तदैव		तदैव	तदैव
64.	19-कक		तदैव	तदैव
65.	32		तदैव	तदैव
66.	43(3)		तदैव	तदैव
67	45		तदैव	तदैव
68.	49 ग (3)		तदैव	तदैव
69.	53-क		तदैव	तदैव
70.	76 (2)		तदैव	तदैव
71.	84-क		तदैव	तदैव
72.	48(3)		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
73.	52-ख (द्वितीय परंतुक)		तदैव	तदैव
74	58-ख		तदैव	तदैव

75.	63-क	तदैव	तदैव
76.	19-(6)	तदैव	तदैव
77.	19-ग (1-क)	तदैव	तदैव

अधिसूचना क्र. एफ. 5-1-99-पन्द्रह-1 डी, दि. 26.7.1999, म.प्र. राजपत्र, असाधारण, दिनांक 26.7.1999, पृ. 1096 (20) पर प्रकाशित एवं अधिसूचना क्र. एफ. 5.1.99-पन्द्रह-1डा, दि. 14.12.2000, म.प्र. राजपत्र, असाधारण, दिनांक 14.12.2000, पृ. 1480 (3), तथा दि. 18.8.2003, म.प्र. राजपत्र, असाधारण, दिनांक 26.6.2007, पृ. 868 (1) द्वारा यथासंशोधित- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5.6.79-एक-पन्द्रह-1, दिनांक 27 अगस्त 1979 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, यह निदेश देती है कि :

(1) नीचे दी गई प्रथम अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, मध्यप्रदेश को प्रदत्त शक्तियां, राज्य में सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा, उक्त अनुसूची के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक और कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोक्तव्य होंगी, और

(2) मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 1962 के उन नियमों द्वारा, जो कि नीचे दी गई द्वितीय अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, मध्यप्रदेश को प्रदत्त शक्तियां, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा उक्त अनुसूची के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोक्तव्य होंगी, अर्थात् :

अनु-क्रमांक	अधिनियम की धारा	शक्तियों की सीमा	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		(क) वित्तीय बैंक, (ख) उन समस्त सोसाइटियों को जिनके कार्यक्षेत्र जिले की सीमाओं से बाहर हो, छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां।	1. हरदा, 2. बड़वानी, 3. श्योपुर, 4. कटनी, 5. डिन्डोरी, 6. उमरिया, 7. नीमच, 8. दतिया, 9. दमोह, 10. पन्ना, 11 मंडला

2.	6(1)	तदैव	तदैव
3.	7(1)	तदैव	तदैव
4.	8	तदैव	तदैव
5.	9	तदैव	तदैव
6.	11	तदैव	तदैव
7.	12	तदैव	तदैव
8.	14	तदव	तदैव
9.	15(2)	तदैव	तदैव
10.	16	तदैव	तदैव
11.	13	तदैव	तदैव
12.	18	तदैव	तदैव
13.	19(2क)	तदैव	तदैव
14.	19(ख)	तदैव	तदैव
15.	19ग(2)	तदैव	तदैव
16.	44(1)	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
17.	44(3)	तदैव	तदैव
18.	48क(2)	शीर्ष (एपेक्स) सोसाइटियों को छोड़कर समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	तदैव
19.		तदैव	तदैव
20.	49	तदैव	तदैव
21.	49-ख	उन सोसाइटियों की, जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है, समितियों या उप समितियों के संबंध में।	तदैव
22.	50	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	तदैव
23.		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव

24.	53	तदैव	तदैव
25.	55(2)	1. सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है। 2. ऐसे मामलों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जो धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार या संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा अंतरित की जाती हैं।	तदैव
26.	56	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
27.	57	तदैव	तदैव
28.	57क	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
29.	58	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
30.	59	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
31.	59क	तदैव	तदैव
32.	60	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	तदैव
33.	61	तदैव	तदैव
34.	62	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
35.	64	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां। 2. ऐसे मामलों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जो	तदैव

		धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार या संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा अंतरित की जाती हैं।	
36.	65	(1) समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
37.	66	तदैव	तदैव
38.	67	तदैव	तदैव
39.	68	तदैव	तदैव
40.	69	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
41	70	तदैव	तदैव
42.	71	तदैव	तदैव
43.	72	तदैव	तदैव
43क	81	तदैव	तदैव
44	83	तदैव	तदैव
45.	84	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
46	85	तदैव	तदैव
47.	86	तदैव	तदैव
48.	90	तदैव	तदैव
49.	10(1)	(क) वित्तीय बैंक, (ख) उन समस्त सोसाइटियों को जिनके कार्यक्षेत्र जिले की सीमाओं से बाहर हो, छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
50.		तदैव	तदैव
51.	19(6) तथा (7)	तदैव	तदैव
52.	19कक	तदैव	तदैव
53.	43(3)	तदैव	तदैव
54.	45	तदैव	तदैव

55.	49ग (3)	तदैव	तदैव
56.	53 क	तदैव	तदैव
57.	53ख	तदैव	तदैव
58.	76 (2)	तदैव	तदैव
59.	84-क	तदैव	तदैव
60.	48(3)	उन सोसासियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
61.	52-ख (द्वितीय परंतुक)	तदैव	तदैव
62.	58-ख	तदैव	तदैव
63.	63-क	तदैव	तदैव
64.	19(6)	तदैव	तदैव
65.	19-ग (1-क)	तदैव	तदैव
66.	48 (क-क) द्वितीयक परन्तुक	(क) वित्तीय बैंक (ख) उन समस्त सोसाइटियों को जिनके कार्यक्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	तदैव
67.	50 (क) 1 (क)	तदैव	तदैव

द्वितीय अनुसूची

अनु-क्रमांक	अधिनियम की धारा	शक्तियों की सीमा	क्षेत्र
1.	5.	(क) वित्तीय बैंक (ख) उन समस्त सोसाइटियों को जिनके कार्यक्षेत्र जिले की सीमाओं से बाहर हो, छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	1. हरदा, 2. बड़वानी, 3. श्योपुर, 4. कटनी, 5. डिन्डोरी, 6. उमरिया, 7. नीमच, 8. दतिया, 9. दमोह, 10. पन्ना, 11. मंडला.
2.	7	तदैव	तदैव
3.	9	तदैव	तदैव

4.	11 उपनियम (7) को छोड़कर	तदैव	तदैव
5.		तदैव	तदैव
6.	22	तदैव	तदैव
6क	23(3)(ट)	तदैव	तदैव
7.	26	तदैव	तदैव
8.	28	तदैव	तदैव
9.	29	तदैव	तदैव
10.	31	तदैव	तदैव
11.	32(1) (पांच)(ग)	तदैव	तदैव
12.	34	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
13.	35	तदैव	तदैव
13क	36 (द्वितीय परंतुक)	तदैव	तदैव
14.	41	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	
15.		तदैव	तदैव
16.	44	तदैव	तदैव
17.	50(5) एवं (7)	तदैव	तदैव
18.	52	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव
19.	53	तदैव	तदैव
20.	54 (1) एवं (2)	तदैव	तदैव
21.	55	तदैव	तदैव
22.	56	तदैव	तदैव
23.	57 खण्ड (ङ) (च) तथा (ण) को छोड़कर	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	तदैव
24.	58	तदैव	तदैव
25.	65	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	तदैव

26.	50-क(2)	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर	तदैव
27.	45	(क) वित्तीय बैंक (ख) उन समस्त सोसाइटियों को जिनके कार्यक्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां।	तदैव

राज्य शासन ने धारा 3(1) व (2) साथ पठित नियम 3 के अनुसार पंजीयक की सहायतार्थ आडिट आफिसर्स सहकारी संस्थाओं की नियुक्ति की है एवं निर्देश दिया है अधिनियम की धारा 58 व नियमों के नियम 50 द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियां आडिट आफिसर्स के द्वारा भी, नीचे अनुसूची में उल्लिखित संस्थाओं के संबंध में, उनके संबंधित अधिकार क्षेत्रों के भीतर उपयोग में लाई जायेंगी:-

अनुसूची

1. प्राथमिक संसाधन संस्थाएं
2. प्राथमिक उपभोक्ता संस्थाएं
3. प्राथमिक बहुप्रयोजन संस्थाएं
4. प्राथमिक उत्पादकों की संस्थाएं
5. प्राथमिक औद्योगिक संस्थाएं

(अधिसूचना क्रमांक 1651/यू.ओ. 337/पंद्रह/63, दिनांक 11.4.1963)

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 50-क द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियां, सहकारी संस्थाओं के उपपंजीयकों, सहायक पंजीयकों एवं आडिट आफिसर्स के द्वारा भी निम्न सारिणी के स्तंभ (1), (2) व (3) की तत्संबंधित प्रविष्टियों में उल्लिखित सीमा तक, उनसे संबंधित अधिकार क्षेत्रों के भीतर प्रयोग में लाई जायेंगी:-

सारिणी

उपपंजीयक में वेष्टित शक्तियों की सीमा	सहायक पंजीयक में वेष्टित शक्तियों की सीमा	आडिट आफिसर्स में वेष्टित शक्तियों की सीमा
(1)	(2)	(3)
सभी संस्थाओं के संबंध में पंजीयक की सभी शक्तियां	पंजीयक की सभी शक्तियां निम्न प्रकार की संस्थाओं के संबंध में नामत:- (क) प्राथमिक संसाधन संस्थाएं (ख) प्राथमिक उपभोक्ता संस्थाएं (ग) प्राथमिक बहुप्रयोजन संस्थाएं (घ) प्राथमिक उत्पादक संस्थाएं, अतिरिक्त परिवहन संस्थाओं के (ङ) प्राथमिक औद्योगिक संस्थाएं	पंजीयक की समस्त शक्तियां निम्न प्रकार की संस्थाओं के संबंध में नामत:- (क) प्राथमिक संसाधन संस्थाएं (ख) प्राथमिक उपभोक्ता संस्थाएं (ग) प्राथमिक बहुप्रयोजन संस्थाएं (घ) प्राथमिक उत्पादक संस्थाएं, अतिरिक्त परिवहन संस्थाओं के (ङ) प्राथमिक औद्योगिक संस्थाएं

अधिसूचना क्र. 807-16197-पन्द्रह-68, दिनांक 5.2.1969, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दि. 27.6.1969, पृ. 1258. मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसायटीज रूल्स, 1962 के नियम 3 के साथ पठित मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1960 (क्र. 17 सन्, 1961) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा:-

(एक) वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों को रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिये नियुक्त करता है; और

(दो) यह निर्देश देता है कि उक्त एक्ट की धारा 58 तथा उक्त रूल्स के नियम 50 तथा 50-क के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई शक्तियों तथा अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों द्वारा भी, उनकी संबंधित अधिकारिता के क्षेत्रों के भीतर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्थाओं के संबंध में प्रयोग तथा पालन किया जायेगा।

अनुसूची

1. प्राथमिक संसाधन संस्थाएं
2. प्राथमिक उपभोक्ता संस्थाएं

3. प्राथमिक बहुउद्देशीय संस्थाएं
4. प्राथमिक उत्पादक की संस्थाएं
5. प्राथमिक औद्योगिक संस्थाएं

अधिसूचना क्र. 1002-68-पन्द्रह-71, दि. 22.2.1971, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दि. 2-4-1971, पृ. 375 पर प्रकाशित- मध्यप्रदेश को-आपेरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1930 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा यह निदेश देता है कि मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 1962 के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग, मध्यप्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर अतिरिक्त रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटीज द्वारा भी किया जायेगा।

अधिसूचना क्र. 5-21-73-1-पन्द्रह, दि. 16-3-1974, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दि. 19-4-1974, पृ. 549 पर प्रकाशित- मध्यप्रदेश को-आपेरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्र. 17 सन् 1961), की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग के आदेश, क्र. 4109-1922 पंद्रह-1971, दिनांक 25 अगस्त 1971 में आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त एक्ट की धारा 58 तथा मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 1962 के नियम 50 तथा 51-ए के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई तथा उस पर अधिरोपित की गई शक्तियों तथा कर्तव्यों को संभागीय स्तर पर रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटीज के कार्यालय में स्थित असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटीज (लेखा परीक्षा), द्वारा उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के क्षेत्रों के भीतर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट सोसाइटियों को छोड़कर अन्य समस्त सोसाइटियों के संबंध में प्रयोग तथा पालन किया जावेगा।

अनुसूची

1. समस्त अपेक्स सहकारी संस्थाएं,
2. समस्त सहकारी समितियां जिनका कि प्रवर्तन क्षेत्र संबंधित डिप्टी-रजिस्ट्रार को संभागीय अधिकारिता के परे विस्तारित होता है.
3. सहकारी केंद्रीय बैंक,
4. प्राथमिक भूमि विकास बैंक.
5. नगरीय सहकारी बैंक.

राज्य शासन अधिनियम की धारा 52(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची में वर्णित प्राधिकारी निर्दिष्ट करता है जिन्हें कि, कथित उपधारा के अधीन, ऐसी संस्थाओं जिनका वे अधिनियम के अधीन पंजीयन कर सकते हों, उनकी किसी भी या सभी कमेटियों में व्यक्तियों का नामांकन करने का अधिकार होगा.

अनुसूची

(1) सहकारी संस्थाओं का पंजीयक

(2) सहकारी संस्थाओं का अतिरिक्त पंजीयक

(3) सहकारी संस्थाओं के संयुक्त पंजीयक

(4) सहकारी संस्थाओं के उप-पंजीयक

(5) सहकारी संस्थाओं के सहायक-पंजीयक

(म.प्र. राजपत्र भाग 1 ता. 22-3-1963 पृ. 772.)

अधिसूचना क्र. 1002-68–पन्द्रह-71, दि. 22.2.1971, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दि. 2.4.1971, में प्रकाशित.- मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा यह निदेश देता है कि मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 1962 के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग, मध्यप्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर अतिरिक्त रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटीज द्वारा भी किया जायेगा।

———×———

अधिसूचना क्र. 5-21-73-1-पन्द्रह, दि. 16.3.1974, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दि. 19.5.1974, में प्रकाशित.- मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्र. 17 सन् 1961), की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग के आदेश, क्र. 4109-1922 पंद्रह-1971, दिनांक 25 अगस्त 1971 में आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त एक्ट की धारा 58 तथा मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 1962 के नियम 50 तथा 51-ए के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई तथा उस पर अधिरोपित की गई शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को संभागीय स्तर पर रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटीज के कार्यालय में स्थित असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटीज (लेखा परीक्षा), द्वारा उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के क्षेत्रों के भीतर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट सोसाइटियों को छोड़कर अन्य समस्त सोसाइटियों के संबंध में प्रयोग तथा पालन किया जावेगा।

अनुसूची

1. समस्त अपेक्स सहकारी संस्थायें,
2. समस्त सहकारी समितियां जिनका कि प्रवर्तन क्षेत्र संबंधित डिप्टी-रजिस्ट्रार को संभागीय अधिकारिता के परे विस्तारित होता है।
3. सहकारी केन्द्रीय बैंक।
4. प्राथमिक भूमि विकास बैंक।
5. नगरीय सहकारी बैंक।

———×———

अधिसूचना क्र. 4549-5203-पंद्रह-एक-71, दि. 20.9.1971, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दिनांक 20.10.1971, में प्रकाशित.- मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्र. 17 सन् 1961), की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक 2421-7060-पंद्रह 62 दिनांक 16 जून 1962 में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम द्वारा पंजीयक को प्रदत्त की गई शक्तियों जो कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित हैं उप पंजीयक/सहायक पंजीयक द्वारा उनके संबंधित अधिकारिताओं के क्षेत्र के भीतर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) तथा (4) की प्रविष्टियों

में उल्लिखित सीमा तक प्रयोग में लायी जायें।

सारणी

क्र.	मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की संबंधित धारा (जैसा कि मध्यप्रदेश सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा संशोधित की गई है)	उप पंजीयकों को प्रदत्त शक्तिया	सहायक पंजीयक को प्रदत्त शक्तिया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 (क) (2)	उन संस्थाओं के संबंध में पंजीयक की समस्त शक्तियां जिनको की वह तथा सहायक पंजीयक पंजीकृत कर सकते हैं।	--
2.	48 (क) (2)	शीर्ष स्तर की संस्थाओं के अतिरिक्त समस्त वर्ग की संस्थाओं के लिये पंजीयक की समस्त शक्तियां।	--
3.	49	उन संस्थाओं के संबंध में पंजीयक की समस्त शक्तियां जिनको वह पंजीकृत कर सकता है।	उन संस्थाओं के संबंध में पंजीयक की समस्त शक्तियां जिनको वह पंजीकृत कर सकता है।

अधिसूचना क्र. 5.8.94-पन्द्रह-1, दि. 21/22.7.1995, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दि. 4.8.1995, में प्रकाशित.- मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्र. 17 सन् 1961), की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 5.13.88-पन्द्रह-1, दि. 31.10.1988 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, मध्यप्रदेश को प्रदत्त शक्तियां उक्त अनुसूची के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक, सहायक रजिस्टारर, सहकारी सोसाइटी लेखा परीक्षा (आडिट) द्वारा प्रयोक्तव्य होगी, अर्थात् :-

अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिनियम की धारा	शक्तियों की सीमा
(1)	(2)	(3)
--	--	निम्नलिखिति सोसाइटियों को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में, रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ :- (क) वित्तीय बैंक (ख) उन समस्त सोसाइटियों के संबंध में जिनका कार्यक्षेत्र जिले से परे है।
1.	56	तदैव
2.	57	तदैव
3.	57-एक	तदैव
4.	58	तदैव
5.	60	तदैव
6.	61	तदैव
7.	64	तदैव
8.	65	तदैव
9.	66	तदैव
10.	67	तदैव
11.	68	तदैव
12.	81	तदैव
13.	85	तदैव
14.	90	तदैव

अधिसूचना क्र. 5.8.94, पन्द्रह-1, दिनांक 21/22.7.1995, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दि. 4.8.1995, में प्रकाशित। - मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 5.13.88 पंद्रह-एक, दिनांक 31.10.1988 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियमों द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, मध्यप्रदेश को प्रदत्त शक्तियां उक्त अनुसूची के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी लेखा परीक्षा (आडिट) द्वारा प्रयोक्तव्य होगी, अर्थात् :-

अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिनियम की धारा	शक्तियों की सीमा
(1)	(2)	(3)
--	--	निम्नलिखित सोसाइटियों को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में, रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ :- (क) वित्तीय बैंक (ख) उन समस्त सोसाइटियों के संबंध में जिनका कार्यक्षेत्र जिले से परे हैं।
1.	50	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां।
2.	50-ए	तदैव
3.	52	तदैव
4.	53	तदैव
5.	54 (एक) तथा (2)	तदैव
6.	55	तदव
7.	56	तदैव
8.	65	तदैव

अधिसूचना एफ 5.8.94 पंद्रह-एक, दि. 22.7.1995, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दि. 4.8.1995, में प्रकाशित। मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्र. 17 सन् 1961), की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.-5.13.88 पंद्रह-एक, दिनांक 21.10.1988 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 56, 57, 57ए, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 81, 85, 89 तथा 90 के और मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50, 50ए, 52, 53, 54 (एक) तथा (2), 55, 56 और 65 के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई शक्तियां और अधिरोपित कर्त्तव्यों को राजस्व संभाग में पदस्थ उप पंजीयक, लेखा परीक्षक (आडिट) प्रभारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता केवल संभाग में है, क्षेत्र की समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में प्रयोग की जाएंगी।

————×————

धारा 24 :

अधिसूचना क्र. 5.12.91. पंद्रह-एक, दि. 5.3.1993, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दि. 26.3.1993,

में प्रकाशित। मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्र. 17 सन् 1961), की धारा 24 (बी) के परंतुक के अंतर्गत राज्य के समस्त सहकारी शक्कर कारखानों के सदस्यों को उनके अंश क्रय करने संबंधी सीमा को बढ़ाकर रुपये 1,00,000 तक करने की अनुमति प्रदान करता है।

———×———

अधिसूचना क्र. 29.98. पंद्रह-एक, दि. 21.12.1998, म.प्र. राजपत्र असाधारण, दि. 21.12.1998, पृ. 1391 पर प्रकाशित। मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्र. 17 सन् 1961), की धारा 24 के खण्ड (ख) के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, प्रसंस्करण सोसायटी के अंश क्रय हेतु सहकारी संस्थाओं से भिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तिगत सदस्यों के लिए निम्नानुसार अधिकतम परिणाम निर्धारित करती है :-

(अ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत, स्थापित या गठित कोई कंपनी या निगमित निकाय के लिए प्रसंस्करण सोसायटी के अंश क्रय हेतु अधिकतम सीमा राशि रुपये पांच करोड़ होगी, जो सोसायटी की कुल अधिकृत अंशपूंजी के एक पंचमांश से अधिक नहीं होगी।

(ब) व्यक्तिगत सदस्यों के लिए प्रसंस्करण सोसायटी के अंशक्रय हेतु अधिकतम सीमा रुपये एक लाख होगी, जो सोसायटी की कुल अधिकृत अंशपूंजी के एक पंचमांश से अधिक नहीं होगी।

धारा 34-क :-

क्र. क्र. 5.13.2000 पन्द्रह-1, दिनांक 24.10.2000, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24.10.2000 में प्रकाशित.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 34-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, अधिसूचित करती है कि संसाधन सोसाइटियां तथा गृह निर्माण सोसाइटियां, ऐसी सोसाइटियों के प्रत्येक सदस्य को एक पास-बुक जारी करेगी जिसमें सदस्य के साथ किये गये समस्त संव्यवहारों का लेखा अंतर्विष्ट होगा। पास बुक में समय-समय पर की गई प्रविष्टियां, सोसाइटी के ऐसे पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षिरत की जाएंगी, जो समिति द्वारा इस निमित्ति प्राधिकृत किया जाए।

———×———

धारा 35 :-

अधिसूचना क्र. 1149-1301-पंद्रह-एक-71, दि. 4.3.1971, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दि. 26.3.1971, पृ. 361 पर प्रकाशित.- मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्र. 17 सन् 1961), की धारा 35 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बैंक ऑफ इंदौर को उक्त धारा के प्रयोजनों हेतु विनिर्दिष्ट करती है।

———×———

कार्यालयीन आदेश क्रमांक समन्वय/विधि/90 भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2003 द्वारा आदेश क्रमांक : सामान्य/1/1891/76, दिनांक 13.5.1976 तथा तत्संबंधी अन्य समस्त संशोधनों को निरस्त करते हुये पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, भोपाल ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा-10(1) के अंतर्गत समस्त सहकारी संस्थाओं का निम्नानुसार शीर्षों में वर्गीकरण किया-

1. उपभोक्ता सोसाइटियां-

सदस्यों तथा गैर सदस्यों को उपभोक्ता सामग्री का प्रदाय करना।

2. कृषि कर्म सोसाइटी-

कृषि विस्तार, संयुक्त एवं सामूहिक कृषि, कृषि उत्पादन में श्रम योग्यता का सुनियोजित उपयोग करना।

3. गृह निर्माण सोसाइटियां-

सदस्यों को गृह निर्माण हेतु ऋण एवं भू-खंड/निर्मित भवन/फ्लैट/आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराना तथा संस्था के अंतर्गत निर्मित भू-खंडों/फ्लैटों के व्यवस्थापन तथा बिजली, पानी, सफाई आदि सेवायें सुनिश्चित करना।

4. विपणन सोसाइटी-

सदस्यों की कृषि उपज के क्रय और विपणन की व्यवस्था तथा एजेन्ट के रूप में उपार्जन करना, शीत गृह, भण्डारण, गोदाम आदि।

5. बहु प्रयोजन सोसाइटी-

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तर पर, साख व्यवसायिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कारीगरी, समाज सेवा, शिक्षण प्रशिक्षण, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि की व्यवस्था करना। (गृह निर्माण छोड़कर)

6. उत्पादक सोसाइटी-

प्राकृतिक साधनों/कृषि कार्य से प्राप्त उत्पादों का संग्रहण, विपणन आदि की व्यवस्था करना।

7. प्रसंस्करण सोसाइटी-

मशीनों/संयंत्रों से कृषि उत्पादनों का प्रसंस्करण, प्रबंधन एवं विपणन करना।

8. संसाधन सोसाइटी -

ग्रामीण स्तर पर सदस्यों को कृषि कार्य हेतु अकृषि आदान, सदस्यों को कृषि/अकृषि अल्पावधि/मध्यावधि/दीर्घावधि प्रयोजनों हेतु ऋण वितरण, सदस्यों की बचत को प्रोत्साहन आदि देना। बचत अमानत संग्रहण का कार्य करना, बैंकिंग संव्यवहार करना आदि।

9. औद्योगिक सोसाइटी-

श्रमिक कार्य-कुशलता, कारीगरी के आधार पर (यथा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बढ़ई गिरी, रंगकार आदि) लघु/मध्यम/भारी उद्योगों की स्थापना, उत्पादन, विपणन आदि का प्रबंधन करना।

10. साधारण सोसाइटी-

क्रमांक 1 से 9 तक उल्लेखित उद्देश्यों से इतर अन्य कार्य करना जिसमें मुद्रण, लेखन, प्रचार-प्रसार, शिक्षण कार्य, समाज सेवा, सूचना एवं प्रोद्योगिकी संस्थायें आदि भी शामिल होंगी।

आगे इसी धारा की उपधारा-1-ए/क के अंतर्गत यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक सोसाइटी का गठन के उद्देश्यों के अनुसार उक्त शीर्षों में वर्गीकरण करते हुये उन्हें आकार की दृष्टि से निम्न में से किसी एक शीर्ष के अधीन श्रेणीकृत किया जायेगा-

(क) शीर्ष सोसाइटी।

(ख) केंद्रीय सोसाइटी।

(ग) प्राथमिक सोसाइटी।

प्रत्येक पंजीयन अधिकारी किसी भी सोसाइटी का पंजीयन करते हुये सोसाइटी के उद्देश्य और स्वरूप को ध्यान में रखते हुये उक्त दोनों प्रकार के शीर्षों पर पंजीयन प्रमाण-पत्र में स्पष्ट उल्लेख करेंगे।

———×———

क्र. एफ-05-06-2007-पन्द्रह 1. - मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 24 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा किसी नागरिक सहकारी बैंक में अंशधारण की अधिकतम सीमा रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) होगी, जो बैंक की अंशपूंजी के एक पंचमांश से अधिक नहीं होगी।

———×———

[1][अनुसूची
संपरीक्षा फीस का मान
(नियम 50-ए उपनियम (1) देखिए)]

किसी सोसाइटी से संपरीक्षा फीस, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 10 के अंतर्गत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा समय-समय पर किये गये उसके वर्गीकरण के अनुसार, वार्षिक कारबार के आधार पर निम्नानुसार उद्ग्रहीत की जाएगी-

1 अधिसूचना क्र. एफ-5-13-88 पंद्रह, दिनांक 30.8.2001 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुक्रमांक	सोसाइटी का वर्ग	सोसाइटी का प्रकार	संपरीक्षा फीस के उदग्रहण का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)
	उपभोक्ता सोसाइटी		
	(क) विद्युत सोसाइटी को छोड़कर	प्राथमिक	कुल विक्रय
		केंद्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—
	(ख) विद्युत सोसाइटी	प्राथमिक	कुल टर्न ओवर
		शीर्ष	—तदैव—
2.	फार्मिंग सोसाइटी	प्राथमिक	कुल टर्न ओवर
		शीर्ष	—तदैव—
3.	गृह निर्माण सोसाइटी	प्राथमिक	कुल टर्न ओवर
		शीर्ष	—तदैव—
4.	विपणन सोसाइटी	प्राथमिक	कुल विक्रय
		शीर्ष	—तदैव—
5.	उत्पादक सोसाइटी		
	(एक) दुग्ध, तिलहन एवं लघु वनोपज	प्राथमिक	कुल टर्न ओवर
	सोसाइटी को छोड़कर	केंद्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—
	(दो) दुग्ध एवं तिलहन सोसाइटी	प्राथमिक	कुल विक्रय
		केंद्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—
	(तीन) वनोपज सोसाइटी	प्राथमिक	टिप्पण क्रमांक
		केंद्रीय	5 के अनुसार
		शीर्ष	
6.	प्रसंस्करण सोसाइटी	प्राथमिक	कुल विक्रय
	(एक) शक्कर संघ को छोड़कर	केंद्रीय	—तदैव—
	(दो) शीर्ष शक्कर संघ	शीर्ष	कुल टर्न ओवर
7.	संसोधन सोसाइटी	प्राथमिक	कार्यशील पूंजी

		केंद्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—
8.	बहुप्रयोजन सोसाइटी	प्राथमिक	कुल टर्न ओवर
		केंद्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—
9.	साधारण सोसाइटी	प्राथमिक	कुल टर्न ओवर
		केंद्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—

2. किसी सोसाइटी से संपरीक्षा फीस का उद्ग्रहण, संपरीक्षा फीस की न्यूनतम/अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए। उसके वार्षिक कारबार के संबंध में, जो औसत कारबार से कम/अधिक हो और उपाबंध-1 में उल्लिखित दरों तथा अन्य शर्तों पर किया जायेगा।

3. किसी सोसाइटी का वार्षिक कारबार तत्स्थानी स्लेब में उल्लिखित औसत कारबार से कम होने पर संपरीक्षा फीस न्यूनतम सीमा के अधीन तथा किसी सोसाइटी का वार्षिक कारबार औसत सीमा से अधिक होने पर संपरीक्षा फीस अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए उद्ग्रहीत की जायेगी, किन्तु प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की संपरीक्षा फीस अधिकतम रुपये पांच हजार ही होगी।

4. परिसमापन के अधीन किसी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा करने हेतु संपरीक्षा फीस वसूली की गई आस्तियों पर एक प्रतिशत की दर से उद्ग्रहीत की जायेगी।

5. उस दशा में, जब सोसाइटी अनन्यरूप से या अपने स्वयं के कारबार के अतिरिक्त अभिकरण के आधार पर कारबार कर रही हो, तो अर्जित कमीशन/प्रदत्त सेवाओं के लिये प्राप्त सेवा प्रभारों पर 2.5 प्रतिशत की दर से संपरीक्षा फीस उद्ग्रहीत की जायेगी, परन्तु इस खण्ड के अधीन संपरीक्षा फीस उन सोसाइटियों के मामले में लागू नहीं होगी, जिनकी संपरीक्षा फीस कार्यशील पूंजी तथा कुल टर्न ओवर के आधार पर उद्ग्रहीत की गई है।

6. किसी सोसाइटी की प्रसंस्करण इकाई, स्थानीय/क्षेत्रीय/जिला तथा संभागीय स्तर की शाखाएं/विक्रय केंद्र को उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिये पृथक शाखा के रूप में माना जायेगा और नीचे वर्णित दरों के अनुसार अतिरिक्त संपरीक्षा फीस उद्ग्रहीत की जायेगी-

अनुक्रमांक	विशिष्टियां	प्राथमिक	केंद्रीय	शीर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वित्तीय बैंकों के लिये	250	500	1000
2.	अन्य सोसाइटियों के लिये	100	250	500

3.	प्रसंस्करण इकाई के लिये	500	500	500

7. उद्ग्रहीत संपरीक्षा फीस निकटतम रुपये तक पूर्णांकित की जायेगी।

8. समस्त केंद्रीय सहकारी बैंक, आइल फेड, क्षेत्रीय तिलहन संघ, समस्त दुग्ध संघ तथा समस्त जिला वनोपज संघ (यूनियन), उनके संबंध सदस्य सोसाइटी की संपरीक्षा के लिए संपरीक्षा फीस का भुगतान करेंगे तथा वे, सदस्य सोसाइटी से उसे वसूल करने के लिये हकदार होंगे।

9. किसी सरकारी सहायता प्राप्त किसी शीर्ष सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी की समवर्ती संपरीक्षा, विभागीय संपरीक्षकों द्वारा संचालित की जायेगी, परन्तु उस दशा में, जब ऐसी सोसाइटी की अंतिम संपरीक्षा के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेंट प्राधिकृत हो, वहां संपरीक्षा फीस, उसी रीति में उद्ग्रहीत की जायेगी, जैसी कि अनुसूची में दी गई है, परन्तु सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली संपरीक्षा फीस की रकम की संगणना, चार्टर्ड अकाउन्टेंट को देय पारिश्रमिक की रकम को घटाकर की जायेगी।

10. संपरीक्षा फीस के भुगतान से छूट- (1) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में संपरीक्षा फीस उद्ग्रहीत नहीं की जायेगी जो या तो निष्क्रिय या प्रसुप्त अथवा आर्थिक रूप से कमजोर या परिसमापन के अधीन हो या जिसका कोई नगद संव्यवहार न हो।

(2) प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक प्राथमिक सोसाइटी को, उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रथम दो लेखा वर्षों के लिये संपरीक्षा फीस के भुगतान से छूट दी जायेगी परन्तु महिला सदस्यों तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा संचालित सोसाइटी को पांच वर्ष के लिये छूट होगी।

(3) सरकार द्वारा अनुमोदित नियंत्रित वस्तुओं के विक्रय को संपरीक्षा फीस के उद्ग्रहण से छूट दी जायेगी।

11. परिभाषायें- (1) 'वार्षिक संपरीक्षा' से अभिप्रेत है, किसी लेखा वर्ष के लिये किसी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा, जो उस लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् की जानी हो;

(2) 'समवर्ती संपरीक्षा' से अभिप्रेत है, किसी लेखा वर्ष के लिये किसी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा, जो चालू वर्ष के दौरान नियमित रूप से दिन-प्रतिदिन की जानी है।

(3) 'अंतिम संपरीक्षा' से अभिप्रेत है, किसी सोसाइटी के वित्तीय विवरण के सत्यापन तथा विश्लेषण के पश्चात् संपरीक्षा नोट का प्रस्तुत किया जाना।

(4) 'नियतकालिक संपरीक्षा' से अभिप्रेत है, किसी सोसाइटी के लेखाओं की तिमाही संपरीक्षा;

(5) 'संपरीक्षा फीस' से अभिप्रेत है, किसी सोसाइटी की संपरीक्षा, निरीक्षण, जांच तथा उसके पर्यवेक्षण के लिये विभाग द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में सोसाइटी से उद्ग्रहीत सेवा प्रभार;

6. 'कुल विक्रय' से अभिप्रेत है, व्यापारिक क्रियाकलापों के दौरान अभिप्राप्त वस्तुओं के विक्रय की

रकम, जिसमें विक्रय रिटर्न, अंतरण, विक्रय तथा समस्त प्रकार के कर, यदि अलग से प्रभारित हैं, सम्मिलित नहीं होंगे;

(7) 'कुल टर्नओवर' से अभिप्रेत है, कुल प्राप्तियों या कुल संवितरण की रकम जो भी अधिक हो जो यथास्थिति प्रारंभिक या अंतिम नगद अतिशेष, बैंकों में जमा या उनसे प्रत्याहरण तथा मुख्यालय/शाखा समायोजन, कंट्रा आइटम, आंतरिक अंतरण समायोजन घटाने के पश्चात् आई हो;

(8) 'कार्यशील पूंजी' से अभिप्रेत है, तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में दर्शाई गई दायित्व के तरफ की समस्त मदों का योग, जिसमें यथास्थिति, संचित तथा वर्ष का लाभ, यदि कोई हो और शाखा समायोजन का अंतर सम्मिलित है, परन्तु उसमें कंट्रा आइटम तथा संचित हानियां सम्मिलित हैं।

12. प्रमाणित संपरीक्षकों को देय परिश्रमिक- (1) रजिस्ट्रार द्वारा पैनलित किया गया चार्टर्ड अकाउन्टेंट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 (1) के अधीन किसी शीर्ष या केंद्रीय सोसाइटी की संपरीक्षा के लिये प्रमाणित संपरीक्षक कहलाएगा।

(2) देय पारिश्रमिक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50-ख के अधीन संबंधित सोसाइटी और प्रमाणित संपरीक्षक की पारस्परिक सहमित के माध्यम से रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा नियत किया जायेगा।

(3) प्रमाणित संपरीक्षक को देय पारिश्रमिक की रकम, उद्ग्रहीत की गई संपरीक्षा फीस की रकम से घटाई जायेगी और मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50-क के अधीन उद्ग्रहण मेमो (लेवी मेमो) में उल्लिखित की जायेगी।

(4) प्राधिकृत 'प्रमाणित संपरीक्षक' किसी सोसाइटी की संपरीक्षा के लिये रजिस्ट्रार के प्रति जवाबदार होगा।

(5) प्रमाणित संपरीक्षकों को देय पारिश्रमिक, नीचे उल्लिखित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा-

प्रमाणित संपरीक्षक का श्रेणीकरण	वार्षिक कारबार की सीमा	समवर्ती/नियतकालिक तथा अंतिम संपरीक्षा	वार्षिक तथा अंतिम संपरीक्षा	केवल अंतिम संपरीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्रेणी 'क'	100 करोड़ से अधिक	1,00,000	50,000	10,000
श्रेणी 'ख'	100 करोड़ से कम किन्तु 50 करोड़ से अधिक	50,000	25,000	7,500
श्रेणी 'ग'	50 करोड़ से कम	25,000	12,500	5,000

(5क) नगरीय-सहकारी बैंक की वैधानिक संपरीक्षा चार्टर्ड काउन्टेंट से कराये जाने की दशा में, देय पारिश्रमिक निम्नानुसार होगा-

संपरीक्षा फीस का मान

	31.3. -- को बकाया ऋण अग्रिम	फीस की दर
1.	राशि रुपये 5.00 करोड़ तक	रुपये 20,000/- (न्यूनतम)
2.	राशि रुपये 5.00 करोड़ से 25.00 करोड़ तक	रुपये 20,000 तथा रुपये 5.00 करोड़ से अधिक बकाया ऋण तथा अग्रिम राशि पर प्रति करोड़ रुपये 1500/-
3.	राशि रुपये 25.00 करोड़ से अधिक	रुपये 50,000 तथा रुपये 25.00 करोड़ से अधिक बकाया ऋण तथा अग्रिम राशि पर प्रति करोड़ रुपये 1000 अधिकतम सीमा रुपये 2 लाख के अधीन.

इसके अतिरिक्त संपरीक्षा प्रतिवेदन की संवीक्षा एवं निर्गमन हेतु पारिश्रमिक का 10 प्रतिशत राज्य शासन को देय होगा.

(6) सोसाइटी शाखा/प्रसंस्करण इकाई की समवर्ती/नियतकालिक/वार्षिक संपरीक्षा के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक नीचे वर्णित दरों से अधिक नहीं होगा-

अतिरिक्त पारिश्रमिक	**श्रेणी 'क'**	**श्रेणी 'ख'**	**श्रेणी 'ग'**
प्रति शाखा/इकाई	1500/-	1000/-	500/-

(7) संपरीक्षा कार्य के लिये अधिकतम कालावधि निम्नानुसार होगी-

समवर्ती/नियतकालिक तथा अंतिम संपरीक्षा	**वार्षिक/अंतिम संपरीक्षा**	**अंतिम संपरीक्षा**
6 मास	4 मास	2 मास

(8) प्राधिकृत प्रमाणित संपरीक्षक तथा उनके सहायक उसी दर पर यात्रा, संवास (लाजिंग) तथा बोर्डिंग प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे, जिस पर सोसाइटी के लेखाओं के भारसाधक तथा लेखापाल, संबंधित यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार हकदार हैं।

(9) अधिसूचना में विहित कालावधि के पश्चात् संपरीक्षा रिपोर्ट के विलंब से प्रस्तुत किये जाने की दशा में प्रमाणित संपरीक्षकों को देय पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से कटौत्री की जायेगी।

13. इस अधिसूचना के अधीन संपरीक्षा फीस का मान 'मध्यप्रदेश राजपत्र' में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

संपरीक्षा फीस के मान का संगणना चार्ट

(उपाबंध-1)

अनु-क्रमांक	वार्षिक कारबार की सीमा	औसत कारबार	0 से 100 लाख तक संपरीक्षा फीस का उद्ग्रहण			अनु-क्रमांक	1 से 100 करोड़ तक संपरीक्षा फीस का उद्ग्रहण		
			दर प्रति लाख	न्यूनतम	अधिकत		दर प्रति लाख	न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0-1	0.50	150/-	-	75	20	125/-	-	-
2.	1-2	1.50	150/-	150	225	21	125/-	12500	18750
3.	2-3	2.50	150/-	300	375	22	100/-	20000	25000
4	3-4	3.50	150/-	450	525	23	100/-	30000	35000
5.	4-5	4.50	150/-	600	675	24	100/-	40000	45000
6.	5-6	5.50	150/-	750	825	25	100/-	50000	55000
7.	6-7	6.50	150/-	900	975	26	100/-	60000	65000
8.	7-8	7.50	150/-	1050	1125	27	100/-	70000	75000
9.	8-9	8.50	150/-	1200	1275	28	100/-	80000	85000
10.	9-10	9.50	150/-	1350	1425	29	100/-	90000	95000
11.	10-20	15.00	150/-	1500	2250	30	100/-	100000	150000
12.	20-30	25.00	125/-	2500	3125	31	75/-	150000	187500
13.	30-40	35.00	125/-	3750	4375	32	75/-	225000	262500
14.	40-50	45.00	125/-	5000	5625	33	75/-	300000	337500
15.	50-60	55.00	125/-	6250	6875	34	75/-	375000	412500
16.	60-70	65.00	125/-	7500	8125	35	75/-	450000	487500
17.	70-80	75.00	125/-	8750	9375	36	75/-	525000	562500
18.	80-90	85.00	125/-	10000	10625	37	75/-	600000	637500
19.	90-100	95.00	125/-	11250	11875	38	75/-	675000	712500

टीप- 100 करोड़ से ऊपर वार्षिक कारबार पर किसी सोसाइटी की संपरीक्षा फीस रु. 30/- प्रति लाख की दर से उद्ग्रहीत की जायेगी और न्यूनतम रु. 7.50 लाख सम्मिलित करने के पश्चात् रु. 50 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन वसूल की जायेगी। परन्तु इस अधिसूचना के प्रवर्तन में आने के पश्चात् अतिरिक्त संपरीक्षा फीस, सोसाइटी की प्रत्येक नवीन शाखा के कारबार के लिये विहित दर पर उद्ग्रहीत की जायेगी।

———×———

धारा 42 :-

अधिसूचना क्रमांक 2050-9940-सोलह, दि. 5 अप्रैल, 1972, म.प्र. राजपत्र भाग 1, दिनांक 9.6.1972, पृ. 710.- राज्य शासन ने वेतन भुगतान अधिनियम, (पेमेंट ऑफ वेजेंस एक्ट), 1936 की धारा 7 (2) (एक) के अंतर्गत, म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन रजिस्टर हुई समस्त सहकारी संस्थाओं को, ऐसी संस्थाओं को देय चुकारे हेतु कटौती करने हेतु स्वीकृत किया है।

धारा 47 :

(अधिसूचना क्र. 5463-7284-पन्द्रह-65, दिनांक 3.9.1965, समय-समय पर दिनांक 2.4.1977 की अधिसूचना तक संशोधित।

धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन निम्नलिखित आदेश देती है-

1. राज्य में स्थित निम्नलिखित समितियां मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ से संबद्ध होंगी, अर्थात्:-

(क) राज्यस्तरीय समस्त सहकारी संस्थाएं।

(ख) समस्त जिला सहकारी संघ।

(ग) समस्त सहकारी केन्द्रीय बैंक।

(घ) प्राथमिक समस्त सहकारी भू-बन्धक बैंक।

(ड.) समस्त सहकारी समितियां जिनके कार्य-क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं के बाहर हो, और

(च) समस्त परिवहन समितियां जो एक जिले से अधिक जिलों के मार्गों को प्रयोग में ला रही हों।

2. राज्य में स्थित निम्नलिखित समितियां उस जिले के जिला सहकारी संघ से संबद्ध रहेंगी जिसमें वे स्थित हों, अर्थात् :-

(क) सहकारी केन्द्रीय बैंक।

(ख) प्राथमिक भू-बन्धक बैंक।

(ग) जिले की अन्य समस्त सहकारी समितियां जिनके कार्य-क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर न हो।

(घ) समस्त परिवहन संस्थाएं जो जिले के अन्दर ही कार्य करती हों।

[1][3 (1) इस प्रकार संबद्ध सोसाइटियाँ प्रतिवर्ष, यथास्थिति, म.प्र. राज्य सहकारी संघ और/या जिला सहकारी संघ को नीचे दी हुई दरों से तथा रीति में सदस्यता शुल्क का भुगतान करेंगी-

(क)	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक	25,000.00
(ख)	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन सोसायटी	25,000.00
(ग)	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी भू-बन्धक बैंक	25,000.00
(घ)	मध्यप्रदेश राज्य थोक उपभोक्ता भण्डारों का परिसंघ (फेडरेशन)	5,000.00
(ड.)	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय	1,000.00
(च)	मध्यप्रदेश केन्द्रीय बुनकर सहकारी सोसायटी	1,000.00

(छ)	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी गृह निर्माण वित्त निगम (कार्पोरेशन)	1,000.00
(ज)	मध्यप्रदेश राज्य जनजाति विकास सोसायटी	500.00
(झ)	कोई अन्य राज्य स्तरीय सहकारी सोसायटी	500.00
(ञ)	केन्द्रीय बैंक/नगरीय बैंक एवं वेतन उपार्जन करने वालों की सोसाइटिया	गत वर्ष में वितरित किए गए ऋण पर निम्नलिखित मान (स्लेब) से अभिदाय देय होगा एक लाख या उसके भाग पर 50.00
(ट)	प्राथमिक भू-बन्धक बैंक	प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिये रुपये 1.00
(ठ)	प्राथमिक स्तर की साख सोसाइटियाँ	प्रत्येक एक हजार या उसके भाग पर रुपये 1.00
(ड)	विपणन संघ प्रसंस्करण सोसाइटी, उपभोक्ता भण्डार, परिवहन सोसाइटी, दुग्ध संघ एवं दुग्ध डेरी	प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के विक्रय पर रुपये 1.00
(ढ)	अन्य औद्योगिक सोसाइटीज	
	(एक) बुनकर	500.00
	(दो) गृह निर्माण	500.00
	(तीन) मत्स्योद्योग	500.00
(ण)	अन्य सभी प्रकार की सोसाइटी जो उपरोक्त के अंतर्गत न आती हो।	500.00

(2) राज्य स्तरीय समस्त सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ को सदस्यता अभिदाय का भुगतान करेगी।

(3) जिला सहकारी संघ, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ को चन्दा देगा।

(4) सहकारी सेन्ट्रल बैंक तथा प्राथमिक भू-बन्धक बैंक, शीर्ष (एपेक्स) तथा जिला सहकारी संघों को 10 प्रतिशत, 90 प्रतिशत के अनुपात में चन्दा देंगे।

(5) एक जिले से अधिक जिलों के मार्गों को प्रयोग में लाने वाली परिवहन समितियां उलिलिखित दरों के समान अनुपात में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ तथा जिला सहकारी संघों को, जिनसे वे संबद्ध हों, वार्षिक चन्दा देंगी।

(6) वार्षिक चन्दा उसक वर्ष के, जिनसे वह संबंधित हो, ऐसे दिनांक तक चुकाया जायेगा जो 31 अक्टूबर के पश्चात् का न हो।]

धारा 48 :

क्र. एफ. 5.2.95-पन्द्रह-1, दिनांक 26.2.1996, मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण, दिनांक 26.2.1996 में प्रकाशित.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 48 की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी की समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उसी अनुपात में होगा जो ऐसी केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी से संबद्ध प्राथमिक सोसाइटियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों का अनुपात उन पर प्राथमिक सोसाइटियों के कुल सदस्य संख्या से है :

परन्तु इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या सदस्यों के प्रत्येक प्रवर्गों के लिये दो से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि संसाधन वर्ग की प्रत्येक केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी की समिति में कम से कम एक स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों में से प्रत्येक के लिये आरक्षित रखा जायेगा।

———×———

धारा 48 :

अधिसूचना क्र. एफ. 5.6.2000-पंद्रह-1, दिनांक 22.9.2000, दिनांक 3.10.2000 एवं दिनांक 28.10.2000 के द्वारा राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 की उपधारा (7-कक/एए) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके प्रदेश की समस्त गैर कृषि, गैर साख प्राथमिक व गैर साख शीर्ष (अपैक्स) सोसाइटियों की समितियों के कार्यकाल को उन समितियों का कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से 12 मास की समयावधि हेतु बढ़ा दिया है।

———×———

अधिसूचना क्र. एफ. 5.6.2000-पंद्रह-1, दिनांक 8.5.2001, म.प्र. राजपत्र असाधारण, दि. 8.5.2001, पृ., 567 पर प्रकाशित। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधिनियमित किये जाने और नवीन राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार का यह विचार है कि समस्त गैर कृषि, गैर साख केन्द्रीय सोसाइटियों की समितियों का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिये।

अतएव, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49 की उपधारा (7-कक/एए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त सोसाइटियों की समितियों के कार्यकाल को, उनकी संबंधित समितियों को कार्यकाल को समाप्ति की तारीख से 5 मास की कालावधि के लिए बढ़ाती है।

———×———

धारा 52 :

राज्य शासन अधिनियम की धारा 52 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची में वर्णित प्राधिकारी निर्दिष्ट करता है जिन्हें कि, कथित उपधारा के अधीन, ऐसी संस्थाओं जिनका वे अधिनियम के अधीन पंजीयन कर सकते हों, उनकी किसी भी या सभी कमेटियों में व्यक्तियों का नामांकन करने का अधिकार होगा।

अनुसूची

(1) सहकारी संस्थाओं का पंजीयक।
(2) सहकारी संस्थाओं का अतिरिक्त पंजीयक।
(3) सहकारी संस्थाओं के संयुक्त पंजीयक।
(4) सहकारी संस्थाओं के उप-पंजीयक।
(5) सहकारी संस्थाओं के सहायक-पंजीयक।

[म.प्र. राजपत्र भाग 1 दि. 22.3.1963]

अधिसूचना क्रमांक 3481-5366 पन्द्रह 1-76 दिनांक 23.8.1976 राजपत्र भाग 1, दिनांक 17.9.1976, में प्रकाशित। चूंकि राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक है कि निम्नलिखित शीर्षों के अधीन आने वाली सोसाइटियों की समितियों में स्त्री सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये, अर्थात् :-

1. उपभोक्ता सोसायटी।
2. गृह निर्माण सोसायटी।
3. विपणन सोसायटी।
4. बहुप्रयोजन सोसायटी।
5. उत्पादन सोसाइटी।
6. संसाधन सोसाइटी तथा
7. साधारण सोसाइटी।

अतएव मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961), की धारा 52-ए/क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि "उपभोक्ता सोसाइटी" शीर्ष के अधीन आने वाली सोसाइटियां अपनी समितियों में स्त्रियों के लिये कम से कम दो स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करेंगी और निम्नलिखित शीर्षों के अधीन आने वाली सोसायटियां अपनी समितियों में स्त्रियों के लिये एक-एक स्थान के आरक्षण की व्यवस्था करेंगी अर्थात् :-

(एक) गृह निर्माण सोसायटी।
(दो) विपणन सोसायटी।
(तीन) बहुप्रयोजन सोसायटी।
(चार) उत्पादक सोसायटी।
(पांच) संसाधन सोसायटी।

(छः) साधारण सोसायटी।

धारा 52-बी/ख :

अधिसूचना क्र. एफ.5.2.95-पंद्रह-1, दिनांक 22.2.1996, मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण, दिनांक 22.2.1996 के में प्रकाशित - यतः राज्य सरकार की यह राय है कि यह आवश्यक है कि निम्नलिखित वर्गों की सोसायटियों की समितियों में महिला सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात् :-

(1) उपभोक्ता सोसायटी।
(2) गृह निर्माण सोसायटी।
(3) विपणन सोसायटी।
(4) बहुप्रयोजन सोसायटी।
(5) प्रसंस्करण सोसायटी।
(6) उत्पादक सोसायटी।
(7) संसाधन सोसायटी।
(8) साधारण सोसायटी।

अतएव, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 52-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5.5.90-पन्द्रह-1, दिनांक 30 अप्रैल, 1990 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि :-

(एक) वर्ग "उपभोक्ता सोसायटी" के अधीन आने वाली सोसाइटियां, उनकी समितियों में महिलाओं के लिए कम से कम चार स्थान आरक्षित रखेगी, और

(दो) शेष बचे उपर्युक्त वर्गों के अधीन आने वाली सोसायटियां उनकी समितियों में महिलाओं के लिए दो स्थान आरक्षित रखेगी।

2. महिलाओं के स्थानों का आरक्षण, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों में से लॉट डाल कर किया जाएगा।

———×———

धारा 54 :

अधिसूचना क्र. 258-413-पंद्रह-1.71, दिनांक 12.1.1971, मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, दिनांक 19.2.1971, में प्रकाशित.-। मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 54 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा यह उल्लिखित करता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (3) में वर्णित सहकारी समितियां उक्त अनुसूची में उनके सामने के कालम (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा गठित किये गये संवर्गों में से ही उनको उपलब्धि के अनुसार पदाधिकारी नियुक्त करेंगे :-

अनुसूची

क्रमांक	शीर्ष सहकारी समिति का नाम	सहकारी समितियों का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	केन्द्रीय सहकारी बैंक
2.	मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक
3.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ	प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां तथा प्रक्रिया समितियां।

———×———

अधिसूचना क्र. 3002-1778-पंद्रह 1.71, दिनांक 26.6.1971, मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, दिनांक 13.8.1971, में प्रकाशित.- मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 54 की उपधारा (3) द्वारा प्रत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (3) में वर्णित सहकारी समितियों का उल्लेख करता है, जो उसके (अनुसूची के) कालम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में सहकारी समितियों द्वारा गठित किये गये संवर्गों में से ही, उनकी उपलब्धि के अनुसार पदाधिकारियों को नियोजित करेगीः-

अनुसूची

क्रमांक	सहकारी समिति का नाम	सहकारी समितियों का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	राज्य के समस्त केन्द्रीय सहकारी, अधिकोष	वृहताकार कृषि साख सहकारी समितियों को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण सहकारी समितियां

———×———

अधिसूचना क्र. 3005-1778-पंद्रह-1.71 दिनांक 26.6.1971, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 13.8.1977, में प्रकाशित.- राज्य शासन ने धारा 54 (3) में प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दिया है कि निम्न सूची के खाना नं. 3 में वर्णित सहकारी संस्थाएं उनकी आवश्यकता के अनुसार खाना 2 में वर्णित सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित संवर्ग में से कर्मचारियों की नियुक्तियां करेंगे :-

अनुसूची

अ.क्र.	सहकारी संस्था का नाम	सहकारी संस्थाओं का नाम
1.	राज्य के समस्त केन्द्रीय सहकारी अधिकोष	ग्रामीण सहकारी संस्थाएं वृहत्ताकार कृषि साख संस्थाओं सहित

———×———

अधिसूचना क्र. एफ. 5.3.2003-पंद्रह-1, दिनांक 18.9.2003, मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण) दिनांक 18.9.2003, पृ. 951 पर प्रकाशित.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 54 की उपधारा (2) एवं (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा अधिसूचना क्र. 256-413-पंद्रह-1-71, दिनांक 12.1.1971 तथा क्र. एफ-5.1.83 पन्द्रह-1, दिनांक 15 जनवरी, 1983 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निर्देश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार शीर्ष सहकारी समितियां उक्त अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिकारियों के संवर्ग बनाये रखेगी तथा कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा इन अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किये जाने पर कालम (4) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसाइटियों के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह इन अधिकारियों को स्वीकार करे तथा उन्हें उन संवर्ग पदों पर पदस्थ करें:-

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक	(क) (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी (2) मुख्य लेखापाल (3) मुख्य पर्यवेक्षक (ख) (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी (2) मुख्य लेखापाल	"अ" वर्ग के समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक वर्ग "ब" एवं वर्ग "स" के समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
2.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	(1) प्रबंधक (2) अतिरिक्त प्रबंधक (3) लेखापाल	समस्त जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

परन्तु राज्य शासन, आदेश द्वारा, किसी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को इस आदेश से छूट दे सकेगा तथा इनमें शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा संधारित संवर्ग से भिन्न किसी अधिकारी को पदस्थ कर सकेगा।

———×———

धारा 58 :

[आदेश क्र. आडिट/74 ता. 23.1.1963, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 17.4.1964

1. उन अधिकारियों की यादी जिन्हें राज्य की समस्त सहकारी संस्थाओं को हिसाबों की जांच करने के अधिकार दिये गए हैं, निम्नानुसार है -

1. सहकारी संस्थाओं के आडिट आफीसर्स।
2. सीनियर सहकारी निरीक्षक।

3. सहकारी संस्थाओं के मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स
4. सहकारी निरीक्षक
5. एक्सटेन्शन आफीसर्स (सहकार्य)
6. मूल्यांकक
7. उप-आडीटर्स सहकारी संस्थाएं
8. संस्था आडीटर्स, सहकारी संस्थाएँ।

2. निम्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित संस्थाओं के वर्गों को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित वर्षों के लिए, आडिट फीस के भुगतान से छूट दी गई है-

अनुसूची

	संस्थाओं के वर्ग	**वर्ष**
1.	म.प्र. सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 से संलग्न के चरण दो में वर्णित संयुक्त तथा सामूहिक खेती संस्थाएं।	उनके पंजीयन के दिनांक से प्रथम तीन सहकारी वर्ष
2.	क्रमांक 1 में उलिलिखत खेती संस्थाओं को छोड़कर अन्य खेती संस्थाएं।	उनके पंजीयन के दिनांक से प्रथम दो सहकारी वर्ष
3.	नियमों से संलग्न अनुसूची के चरण तीन के खण्ड 2 में वर्णित गृह निर्माण कार्य हाथ में न लेने वाली गृह निर्माण संस्थाएं।	उपर्युक्तानुसार
4.	नियमों से संलग्न अनुसूची के चरण पांच (अ) में वर्णित उत्पादकों की संस्थाएं।	उपर्युक्तानुसार
5.	तेल तता धान की मिलों को छोड़ते हुए विधायन संस्था जो कि नियमों से संलग्न अनुसूची के चरण छः में वर्णित है।	उपर्युक्तानुसार
6.	नियमों से संलग्न अनुसूची के करण सात के खण्ड 5 में वर्णित प्राथमिक साख संस्थाएँ।	उपर्युक्तानुसार
7.	नगरीय बैंकों को छोड़कर कृषि भिन्न संस्थाएं जो कि नियमों से संलग्न अनुसूची के चरण सात के खण्ड 6 में वर्णित हैं।	उपर्युक्तानुसार

स्पष्टीकरण- संस्था के पंजीयन के दिनांक से प्रथम सहकारी वर्ष के समाप्त होने तक की कालावधि, उपर्युक्त छूट के प्रयोजनों के लिए प्रथम सहकारी वर्ष समझी जायेगी।

———×———

धारा 58-ए :

क्र. एफ. 5.7.99-पन्द्रह-1, दिनांक 24.10.2000, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24.10.2000 में प्रकाशित.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-10-83-पन्द्रह-2, दिनांक 28 जनवरी, 1984 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, समस्त प्रकार की सहकारी सोसाइटियों की कानूनी संपरीक्षा संचालित करने के प्रयजोनों के लिए मध्यप्रदेश संपरीक्षा बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-

1.	रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी मध्यप्रदेश, भोपाल	पदेन अध्यक्ष
2.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	सदस्य
3.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग	सदस्य
4.	महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) या उसका नामनिर्देशिती, जो उपमहाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो।	सदस्य
5.	महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक या उसका नाम निर्देशिती, जो उपमहाप्रबंधक (शहरी बैंक विभाग) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की पद श्रेणी का न हो।	सदस्य
6.	उप महालेखाकार (संपरीक्षा), मध्यप्रदेश संभागीय कार्यालय, भोपाल	सदस्य
7.	अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान या उसका नाम निर्देशिती, जो मध्यप्रदेश क्षेत्र (रीजन) के उपाध्यक्ष की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो।	सदस्य
8.	अपर पंजीयक, संपरीक्षा, सहकारी सोसाइटी मध्यप्रदेश, भोपाल	सदस्य सचिव तथा मुख्य कार्य. अधिकारी

टिप्पणी- उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त, जब आवश्यक हो, निम्नलिखित विभागों/संस्थाओं के अधिकारी, विशेष प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किये जा सकेंगे :-

1. उपसचिव, हस्तकरघा।
2. उपसचिव, वन।
3. उपसचिव, मुर्गीपालन।
4. उपसचिव, डेयरी।
5. उपसचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति।
6. उपसचिव, मत्सोद्योग।
7. उपसचिव, पशुपालन।

8. उपसचिव, आवास एवं पर्यावरण।
9. क्षेत्रीय प्रबंधक, एन.सी.डी.सी. (.....), भोपाल।
10. क्षेत्रीय प्रबंधक, एन.सी.डी.बी. (.....), भोपाल।
11. प्राचार्य, सहकारी प्रबंध संस्थान (आई.सी.एस.यू.) भोपाल।
12. प्रबंध संचालक, शीर्ष (अपेक्स) संस्थाएं।

2. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए-

(1) सहकारी संपरीक्षा (आडिट) बोर्ड, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, सहकारिता विभाग में एक पृथक इकाई होगा।

(2) सहकारी संपरीक्षा बोर्ड, समस्त प्रकार की सहकारी सोसाइटियों की संपरीक्षा संचालित करने के लिए, संपरीक्षा, आपत्ति के अनुपालन और उसके समुचित पर्यवेक्षण और साथ ही संपरीक्षा संबंधी प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए, समस्याओं तथा कठिनाईयों का सामना करने के लिए व्यवस्था करेगा और संपरीक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

(3) सहकारी संपरीक्षा बोर्ड को, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, सहकारी सोसाइटियों की संपरीक्षा, उसके पर्यवेक्षण और निदेशन के संबंध में शक्तियां होंगी और रजिस्ट्रार, सहकारी संपरीक्षा (आडिट) बोर्ड, मध्यप्रदेश के पदेन अध्यक्ष की शक्ति का उपयोग करेगा।

(4) सहकारी संपरीक्षा (आडिट) बोर्ड अपनी कामकाज की प्रक्रिया का विनिश्चय करेगा और वह राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सहकारी संपरीक्षा बोर्ड, मध्यप्रदेश द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

(5) सहकारी संपरीक्षा (आडिट) बोर्ड का सम्मिलन, तिमाही में एक बार तथा जैसै आवश्यक हो, होगा और सम्मिलन की गणपूर्ति 5 सदस्यों से होगी। बोर्ड के सदस्यों को सम्मिलिन में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

———×———

धारा 60 :

[आदेश क्र. टी.आरप.डी./एम./302/ता. 22.1.1963]

(1) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मार्केटिंग संस्था मर्यादित, जबलपुर से व्यापार करने वाली किसी भी संस्था के हिसाबों का निरीक्षण करने की शक्ति मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मार्केटिंग संस्था मर्यादित के सेक्रेटरी, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, हिसाब अधिकारी एवं निरीक्षकों को प्रदान की गई है।

[आदेश क्र. जनरल 213 ता. 12.2.1963]

(2) राज्य स्तर पर बनी सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन पंजीयत या पंजीयत मानी गई किसी भी सहकारी संस्था की पुस्तकों का निरीक्षण करने की शक्ति सीनियर इंस्पेक्टर्स, मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स, सहकारी संस्थाएं, मूल्यांकक (वेल्यूअर्स) और एक्सटेन्शन

अधिकारीगण (सहकार्य) को प्रदान की गई है।

[आदेश क्र. जनरल 214 ता. 12.1.1963]

(3) उपरोक्त क्रमांक (2) में वर्णित संस्थाओं की पुस्तकों का निरीक्षण करने की शक्ति उप पंजीयकों, सहायक पंजीयकों एवं आडिट आफीसर्स सहकारी संस्थाओं को भी प्रदान की गई है।

[आदेश क्र. जनरल 430 ता. 29.3.1963]

(4) कलेक्टर्स एवं डेपुटी कलेक्टर्स को उनकी अधिकार सीमा में कार्य करने वाली सभी सहकारी संस्थाओं की पुस्तकों के निरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है।

[आदेश क्र. जनरल/829 ता. 6.7.1963]

(5) उपसंभागीय पदाधिकारी जो किसी राजस्व उपसंभाग के प्रभारधारी हों एवं सहायक कलेक्टर्स को सेन्ट्रल बैंक और अपेक्स संस्थाओं के अतिरिक्त किसी भी संस्था की, जो उनके अधिकार सीमा में कार्य करती हो, पुस्तक का निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है।

[आदेश क्र. जनरल 891 ता. 22.1.1963]

(6) आदिवासी कल्याण विभाग के उपसंचालकों एवं सहायक संचालकों को ऐसी किसी भी संस्था जिसे आदिवासी कल्याण विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हो, उसके पुस्तकों का निरीक्षण करने की शक्ति दी गई है फिर चाहे वह संस्था राज्य में कहीं भी कारोबार करती हो।

[आदेश क्र. जनरल ता. 17.7.1963]

(7) उपरोक्त क्र. (6) में वर्णित प्रकार की संस्थाओं की पुस्तकों का निरीक्षण करने की शक्तियां जिला संगठक, क्षेत्र संगठक और हल्का संगठक आदिवासी कल्याण विभाग को भी उनके अपने क्षेत्र में कारोबार करने वाली संस्थाओं के संबंध में प्रदान की गई है।

धारा 77 :

अधिसूचना क्र. एफ-5.23.91-पंद्रह-1, दिनांक 1.5.1999, मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 1.5.1999, में प्रकाशित.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री सी.एस. गुप्ता, रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल के अध्यक्ष के रूप में, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए नियुक्त करती है।

———×———

म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 77 की उपधारा (12) एवं नियम 59-क/ए के उपनियम (5) की शक्तियों का प्रयोग करके उनकी कार्य प्रणाली और विहित प्रक्रिया विहित करने हेतु दिनांक 25.7.1000 को "मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000" के नाम से विनियम बनाये गये हैं जो कि म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25.7.2000 के पृष्ट क्र. 817 से 918 (2) पर प्रकाशित किये गये हैं।

———×———

नियम 41 :

क्रमांक/समन्वय/1/निर्वाचन/95/66, दिनांक 12.7.1995.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 41 के उपनियम 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रणवीर सिंह, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश इस संबंध में पूर्व में प्रसारित सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समक्ष दर्शाई गई सहकारी संस्थाओं के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता हूं :-

(अ) ऐसी सहकारी समितियां जिनका कार्यक्षेत्र एक जिले से अधिक है-
- संबंधित संभाग के संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां द्वारा नामांकित अधिकारी।

(ब) नागरिक सहकारी बैंक, मछुआ सहकारी संघ, सहकारी शक्कर कारखाना तथा सहकारी सूत मिल-
- जिले के सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां।

(स) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, जिला उपभोक्ता सहकारी भंडार, जिला सहकारी संघ, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति-
- जिले के कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर के पद से निम्न स्तर का न हो।

(द) प्राथमिक विपणन सहकारी समिति एवं प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति-
- समिति के मुख्यालय का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा उसके द्वारा नामांकित अधिकारी, जो कि तहसीलदार के पद से निम्न स्तर का न हो।

(ट) प्राथमिक स्तर की सहकारी समिति (प्राथमिक विपणन समिति एवं प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति को छोड़कर)-
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक, पंचायत निरीक्षक, सहायक जिला शाला निरीक्षक, व्याख्याता, क्षेत्र संयोजक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उद्योग निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, मत्स्योद्योग निरीक्षक, श्रम निरीक्षक, वाणिज्यकर निरीक्षक, नापतौल निरीक्षक, परिवहन निरीक्षक, निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक (हाथकरघा), पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विस्तार अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल, सहायक परियोजना अधिकारी, उप अकंक्षेक, उप अभियंता, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधानाध्यापक।

पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क से मुक्ति

राज्य शासन ने अधिसूचनाओं के द्वारा निम्न प्रकार के लिखितों को पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क से मुक्ति प्रदान की है :-

(1) किसी भी सहकारी संस्था द्वारा अथवा उसके किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा, संस्था के कारोबार से संबंधित, निष्पादित कोई भी लिखित [देखिये पंजीयन विभाग की अधिसूचना क्र.

161-सी.आर. 29-छः-आर.- दिनांक 4.5.1962, म.प्र.रा.प. भाग 1 ता. 11.5.1962, पृ. 920 एवं पृथक राजस्व विभाग की अधिसूचना क्र. 1210-203-पांच-एस.आर., दिनांक 27.4.1961, म.प्र.रा.प. भाग 1 तारीख 26.5.1961]।

(2) सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पंजीयक या उनके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के मंडल द्वारा किया गया कोई भी निर्णय अथवा पंचाट ऐसे विवाद में जिसमें कि मध्यप्रदेश की कोई सहकारी संस्था पक्षकार हो।

(3) पंजीयन करने वाले पदाधिकारी द्वारा पंजीयन पुस्तकों में से निम्न प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां, सहकारी संस्था को दी जाने पर-

(क) लिखत जो किसी सहकारी संस्था द्वारा या उसके पक्ष में निष्पादित किया गया हो,

(ख) लिखत जो किसी सहकारी संस्था के अधिकारी या सदस्य द्वारा उक्त संस्था के कारोबार के संबंध में निष्पादित किया हो।

[देखिए पृथव राजस्व विभाग अधिसूचना क्र. 1203-सी.आर.-10/पांच-एल.आर. दिनांक 12.4.1963]।

———×———

राज्य शासन ने अतिरिक्त आगम विभाग के सूचना पत्र क्र. 3829-2208 बी.सी.आर. दिनांक 8.10.1972 के द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र संबंधी हस्तांतरण पत्र को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया गया है।

———×———

अधिसूचना क्र. 773-1155-छः-आर दिनांक 24.10.1980, म.प्र. राजपत्र, असाधारण, दिनांक 24.10.1980, राज्य शासन ने दिनांक 1 नवंबर 1980 ये समस्त मध्यप्रदेश में निम्नलिखित के संबंध में स्टाम्प शुल्क से मुक्ति प्रदान की है :-

(एक) दस्तावेज जिनका मूल्य रु. 7500/- से अधिक न हो, ऐसे मामलों के संबंध में जिनके बारे में राज्य विधान मंडल को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो और जिनका निष्पादन किसी प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा या उसके लिये अथवा किसी अधिकारी या उसके किसी सदस्य द्वारा किया गया हो और जो कि ऐसे सोसाइटी के कारोबार से संबंध रखता हो,

(दो) दस्तावेज जो किसी प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी के पक्ष में, गृह निमाण प्रयोजनों हेतु भूमि संपादन के लिए निष्पादित किये गये हों,

(तीन) किसी प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा या उसके लिए, किसी संस्था या सोसाइटी से गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु निष्पादित गिरवीखत या हस्तांतरण पत्र,

(चार) किसी भी संस्थाय या सोसाइटी द्वारा किसी प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी के पक्ष में ऐसी सोसाइटी द्वारा ऋण भुगतान करने पर लिखे गए गिरवी संपत्ति की वापसी के दस्तावेज।

———×———

अधिसूचना क्र. 775-1155-छः-आर दिनांक 24.10.1980, म.प्र. राजपत्र, असाधारण, दिनांक 24.10.1980, राज्य शासन ने अपने पूर्व के आदेश, प्रथम आगम विभाग, क्र. 1210-203-पांच-एम.आर. दिनांक 27.4.1961 को अतिष्ठित करते हुए, दिनांक 1 नवंबर 1980 से समस्त मध्यप्रदेश में निम्नलिखित को स्टाम्प शुल्क से मुक्ति प्रदान की हैः-

(एक) मध्यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम 1966 की धारा 2 खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय विकास बैंक अथवा उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) के अधीन कोई विकास बैंक के पक्ष में, ऋण प्राप्त करने हेतु निष्पादित किए गए कोई गिरवी खत या हायपोथिकेशन का दस्तावेज जो कि ऐसे गिरवी खत का ही भाग हो, निम्न द्वारा-

(क) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का भूमि स्वामी।

(ख) उपरोक्त (क) में न आने वाला ऐसा भूमि स्वामी जिसके पास दस हैक्टर भूमि से अधिक न हो।

(दो) दस्तावेज जिनका मूल्य रु. 7500/- से अधिक न हो, ऐसे मामलों के संबंध में जिनके बारे में राज्य विधान मंडल को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो और जिनका निष्पादन किसी रजिस्टर्ड सहकारी सोसाइटी द्वारा या उसके लिए या उसके किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा और जिसका संबंध उस सोसाइटी के कारोबार से हो, किया गया हो।

————×————

अधिसूचना क्र. एफ. 3148-बी-4-3-पृ.आ.पांच-88 दिनांक 13.7.1988, म.प्र. राजपत्र, असाधारण, दिनांक 14.7.1988, में प्रकाशित.- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा,मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, सन् 1961) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किन्ही प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख के पश्चात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और निम्न आय समूह के व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेखों/पट्टा विलेखों की लिखितों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क इन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए माफ करती है :-

(क) जहां क्रेता/पट्टेदार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हो-

(एक) वह इस अधिसूचना के साथ उपबद्ध प्ररूप में (विलेख के साथ) शपथ पत्र प्रस्तुत करता है।

(दो) भवन-भूखण्ड के आवंटन की तारीख को भूखंड तथा उस पर निर्मित भवन की कीमत रुपये 30,000 से अधिक न हो और केवल भूखंड की दशा में, उसकी कीमत रुपये 10,000 से अधिक न हो।

(तीन) भूखंड का क्षेत्रफल भवन सहित या भवन के बिना 60 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(चार) भूखंड/भवन केवल निवास के प्रयोजन के लिए हो।

(ख) जहां क्रेता/पट्टेदार निम्न आय समूह का हो.-

(एक) वह इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध प्ररूप में (विलेख के साथ) शपथ पत्र प्रस्तुत करता है।

(दो) भवन/भूखंड के आवंटन की तारीख को भूखंड तथा उस पर निर्मित भवन की कीमत रुपये 50,000 से अधिक न हो और केवल भूखंड की दशा में उसकी कीमत रुपये 15,000 से अधिक न हो।

(तीन) भूखंड का क्षेत्रफल भवन के सहित या भवन के बिना 96 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(चार) भूखंड/भवन केवल निवास के प्रयोजन के लिए हो :

परन्तु इस आदेश के अधीन माफी.-

(एक) भागतः निर्मित किए गए भवन की दशा में प्राप्य नहीं होगी,

(दो) विक्रेता/पट्टाकर्ता द्वारा निष्पादित प्रथम हस्तांतरण विलेख पर प्राप्य होगी।

स्पष्टीकरण.- इस आदेश के प्रयोजन के लिए.-

(एक) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का क्रेता/पट्टेदार से अभिप्रत है ऐसा व्यक्ति जिसकी भवन/भूखंड के आवंटन की तारीक को समस्त स्त्रोतों से मासिक आय 700 रुपये से अधिक न हो।

(दो) निम्न आय समूह का क्रेता/पट्टेदार से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी भवन/भूखंड के आवंटन की तारीख को समस्त स्त्रोतों से मासिक आय रुपये 700 से अधिक किन्तु 1500 रुपये से अधिक न हो।

शपथ-पत्र

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि.....

1. मेरा नाम..... ..... पिता का नाम श्री ..... आयु ..... जाति ..... (अनुसूचति जाति/जनजाति की दशा में) है।
2. मैं तहसील ..... जिला ..... मध्यप्रदेश का ..... वर्षों से स्थायी निवासी हूं।
3. मेरे परिवार में निम्न सदस्य हैं :-
   (1) ..... (पत्नी आयु.....)
   (2) ..... (पुत्र आयु.....)
   (3) .....(पुत्री आयु.....)
   (यदि माता-पिता आश्रित हों तो उनका नाम/आयु वर्णित करें)
4. मेरे स्वयं के नाम से या मेरे परिवार के उपरोक्त वर्णित सदस्यों के नाम से मध्यप्रदेश में कोई आवासगृह नहीं है।
5. मेरा व्यवसाय..... है। (यदि शासकीय अथवा निजी संस्था में मासिक वेतन के आधार पर नियुक्त है तो धारित पद और वेतन के बारे में नियोक्ता का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
6. इस व्यवसाय से तथा अन्य स्त्रोतों से मेरी वार्षिक आय रुपये ..... है। (गत वर्ष की आय बताएं)
7. .....प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा जो भू-खण्ड/भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन मुझे आवंटित किया गया है उसका क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर है। उसके आवंटन की तारीख को उसका मूल्य ..... रुपये था। इसके संबंध में सोसाइटी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

8. मैं उपरोक्त वर्णित प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी का सदस्य हूं। मेरा सदस्यता क्रमांक ..... है।

9. मैं विक्रय कर अदा करती/करता/नहीं करती/करता हूं। मेरा विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ..... है।

9. मैं विक्रय कर अदा करती/करता/नहीं करती/करता हूं। मेरा विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक..... है।

10. मैं आयकरदाता नहीं हूं।

11. मेरे वाणिज्यिक परिसरों का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) वाणिज्यिक परिसर, जिसका आकार ..... वर्गमीटर है, ... (पूरा डाक का पता लिखें) में स्थित है।

(2) वाणिज्यिक परिसर स्वामित्व/किराये पर धारित है। मैं श्री ..... (दुकान मालिक का नाम और पता) को मासिक किराया ..... का भुगतान करता हूं।

(3) उपर्युक्त वाणिज्यिक परिसर में ..... का व्यापार/उत्पादन होता है। घोषणा-पत्र की तारीख को स्टाक का मूल्य ..... लगभग रुपये है।

(4) मेरी दुकान मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा रजिस्ट्रीकृत है। इसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ..... है।

12. मेरे पास मोटरकार/मोटर साइकिल है तथा उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.....है।

नोट- मद क्रमांक 1 से 12 तक की समस्त मदें यथावत रखी जाएं। लागू न होने वाले भाग को लाइन लगाकर काट दिया जाए।

स्थान : .....

तारीख : **हस्ताक्षर (घोषणाकर्ता)**

सत्यापन

मैं.....सत्यापित करता/करती हूं कि उपरोक्त घोषणा-पत्र के क्रमांक 1 से 12 तक में की अन्तर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान : .....

तारीख : **हस्ताक्षर घोषणाकर्ता)**

प्रमाण-पत्र

.....प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसायटी.....(नाम तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक) प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पिता.....पता.....इस सहकारी सोसायटी का सदस्य है। इनका सदस्यता क्रमांक.....है। तारीख.....को इन्हें भूखण्ड क्रमांक.....जो..... में (स्कीम क्रमांक, कालोनी का नाम, पता) स्थित.....वर्गमीटर माप का है जिसका कि मूल्य.....रुपये है, आवंटित किया गया है।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सभापति

प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसायटी

टिप्पणी- यदि केवल भूखण्ड आवंटित हुआ है तो केवल भूखण्ड का क्षेत्रफल तथा मूल्य और भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन आवंटित किया गया हो तो भूखंड का क्षेत्रफल एवं निर्मित भवन का क्षेत्रफल तथा मूल्य पृथक-पृथक प्रमाणित किया जाये।

———×———

अधिसूचना क्र. एफ-बी-4-46-97-वा.कर.-पांच, दिनांक 18.5.2001, म.प्र. राजपत्र, असाधारण, दिनांक 18.5.2001, पृ. 595.- राज्य शासन ने निम्नलिखित लिखतों के संबंध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की है :-

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अदीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई महुआ सहकारी समिति के पक्ष में 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल जलाशयों से मछली पकड़ने से संबंधित पट्टा विलेख।

———×———

रजिस्ट्रीकरण शुल्क से मुक्ति- [अधि. क्र. 161-सी-आर.-29.68 दिनांक 4.5.1962] राज्य शासन ने दिनांक 15.5.1962 से उन सभी दस्तावेजों, लेख अथवा हस्तांतरण पत्रों को जिनका रजिस्ट्रीकरण एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त कर दिया है यदि वे दस्तावेज किसी सहकारी सोसाइटी या उसके अधिकारी या उसके सदस्य द्वारा निष्पादित किए गए हों और उन दस्तावेजों का संबंध सोसाइटी के कारोबार से हो।

———×———

क्र. एफ-5-1-2012 पन्द्रह 1. - यतः, राज्य की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार का यह विचार है कि निक्षेपकर्ताओं की सदस्यता देकर राज्य की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के संचालक मंडल का कार्यकाल समुचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

2. अतएव, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49 की उपधारा (7-एए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा,

समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के संचालक मंडल के कार्यकाल में क्रमशः उनकी अपनी-अपनी पदावधि की समाप्ति की तारीख से छह मास की कालावधि की वृद्धि करता है।

(असाधारण राजपत्र क्रमांक 58 दिनांक 6 फरवरी 2012 पृष्ठ 115 पर प्रकाशित।)

———×———

क्र. एफ-5-1-2012 पन्द्रह 1. - यतः, मध्यप्रदेश सरकार ने समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मंडल के कार्यकाल में उनके अपने-अपने कार्यकाल का अवसान होने की तारीख से, अधिसूचना क्र. एफ 5-1-2012-पन्द्रह-1 दिनांक 7 जुलाई 2012 द्वारा छह माह की कालावधि की वृद्धि की है.

और यतः, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन कराना साध्य नहीं है अतएव, राज्य सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मंडल के कार्यकाल में तीन मास की और कालावधि की वृद्धि की जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49 की उपधारा (7-कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मंडल के कार्यकाल में उनके अपने-अपने कार्यकाल का अवसान होने की तारीख से तीन मास की कालावधि की और वृद्धि करती है.

(असाधारण राजपत्र क्रमांक 36 दिनांक 24 जनवरी 2013 पृष्ठ 71 पर प्रकाशित।)

———×———

क्र. एफ-5-4-2012 पन्द्रह 1. - मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 1 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा 13 फरवरी 2013 की तारीख को उक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिये नियत करती है.

(असाधारण राजपत्र क्रमांक 54 दिनांक 12 फरवरी 2013 पृष्ठ 107 पर प्रकाशित।)

———×———

क्र. एफ-5-1-2013 पन्द्रह 1. - यतः मध्यप्रदेश के जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संचालक मंडलों के कार्यकाल का माह मार्च-अप्रैल, 2013 में अवसान हो रहा है,

और, यतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के उन नवीन संशोधित उपबंधों के अनुसार जो कि 13 फरवरी 2013 से प्रवृत्त होंगे, समस्त सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के संचालन के लिए पृथक् प्राधिकारी का गठन होना है. प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में नियम बनाने की प्रक्रिया तथा उसका प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने में समय

लग जाना अपेक्षित होने के कारण मध्यप्रदेश के जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संचालक मण्डलों का निर्वाचन इन संचालक मंडलों के वर्तमान कार्यकाल का अवसान होने के पूर्व कराना संभव नहीं है,

और, यतः, राज्य सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि मध्यप्रदेश के समस्त जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संचालक मंडलों के कार्यकाल में छह मास की कालावधि की वृद्धि की जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961 की धारा 49 की उपधारा (7-कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के समस्त जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संचालक मंडलों के कार्यकाल में उनके अपने-अपने कार्यकाल का अवसान होने की तारीख से छह मास की कालावधि की वृद्धि करती है.

(असाधारण राजपत्र क्रमांक 55 दिनांक 12 फरवरी 2013 पृष्ठ 109 पर प्रकाशित।)

———×———

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

विनियम-2000

क्रमांक/सह.अधि./2000/2022.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 77 की उपधारा (12) सहपठित मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम-59-क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिकरण, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

अध्याय एक प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000" है।

   (2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961),

   (ख) "अभिकर्ता" से अभिप्रेत है किसी पक्षकार द्वारा उसकी ओर से अधिकरण के समक्ष कोई आवेदन या जवाब प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति;

   (ग) "शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;

   (घ) "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ होगा जो कि उसके लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (क्रमांक 25 सन् 1961) में दिया गया है;

   (ड.) "पक्षकार" से अभिप्रेत है अपीलार्थी या आवेदक और जिसके अंतर्गत उसका अधिवक्ता या उसकी ओर से कोई अन्य अभिकर्ता आता है और इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत प्रत्यर्थी या अनावेदक और उसका/उनके अभिकर्ता भी आते हैं;

   (च) "नियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, नियम, 1962,

   (छ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

   (ज) उन "शब्दों" तथा "अभिव्यक्तियों" का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में क्रमशः दिया गया है।

अध्याय-दो-बैठक और कार्यालय समय

3. **सुनवाई का स्थान**- समस्त अपील, पुनरीक्षण, पुर्विलोकन याचिकाएं सामान्यता अधिकरण के मुख्यालय पर, जहां यह कार्यरत है, सुनी जाएंगी :

   परंतु राज्य में संभागीय मुख्यालयों पर भी अधिकरण अपनी बैठकें ऐसी तारीखों को करेगा, जैसी कि राजपत्र में अधिसूचित की जाएं।

4. **कार्यालय समय**- (1) अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द का कार्यालय समय वही होगा जो शासन के अन्य कार्यालयों का है।

(2) मामलों की सुनवाई के लिए अधिकरण का कार्य समय पूर्वान्ह 11 बजे और अपरान्ह 5 बजे की बीच तथा अपरान्ह 2 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल के साथ होगा। तथापि अध्यक्ष, समय को आवश्यकतानुसार यथोचित रूप से संशोधित कर सकेगा।

5. **भाषा**.- अधिकरण की भाषा अंग्रेजी तथा हिन्दी भी होगी, परंतु अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के पक्षकार हिन्दी में तैयार किए गए दस्तावेजों को, यदि वे वांछा करें, फाईल कर सकेंगे।

अध्याय-तीन-प्रक्रिया

6. **अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन तैयार करने की प्रक्रिया**.- (1) समस्त अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन याचिका स्वच्छ एवं सुपाठ्य रूप से टंकित (टाईप) की जाएंगी या युक्तियुक्त रूप से एक अच्छे गुणवत्ता वाले फुल-स्केप कागज पर दोनों ओर एक इंच का हाशिया छोड़कर हाथ से लिखी हो सकेंगी। कागज का केवल एक भाग इस निमित्त उपयोग में लाया जायेगा,
(2) यदि अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन याचिका, उपविनियम (1) उपबंधों के उल्लंघन में किसी अन्य कागज पर टंकित (टाईप) की जाती है तो रजिस्ट्रार, उसे पक्षकार या उसके अभिकर्ता को, ऐसी वापसी की तारीख से सात दिनों के भीतर त्रुटियां दूर करने के लिए वापिस करेगा;
(3) यथास्थिति, अपील, पुनरीक्षण या पुर्विलोकन याचिका में प्रतियों के उतने सेट होंगे जितने कि मामले में प्रत्यर्थी/अनावेदक हैं।

7. **अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन आवेदनों का रजिस्ट्रीकरण**- (1) अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन या किसी विविध याचिका की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार, उसकी प्राप्ति की तारीख उस पर पृष्ठांकित करेगा। यदि अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन याचिका की छानबीन पर उन्हें नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप पाया जाए तो रजिस्ट्रार, अपील के संबंध में प्रारूप "क" में, पुनरीक्षण के संबंध में प्रारूप "ख" में, और पुनर्विलोकन के संबंध में प्रारूप "ग" में यथास्थिति, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के रजिस्टर में वर्षवार क्रमबद्ध रूप से प्रविष्टि करवाएगा;
(2) प्रत्यावर्तन के लिए याचिका, एकपक्षीय आदेश आदि को अपास्त करने के आवेदन, प्रारूप "घ" में विविध मामला रजिस्टर में वर्षवार, क्रमबद्ध रूप से रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे। ऐसे विविध मामलों की कार्यवाही को संबद्ध मूल अभिलेख की कार्यवाही में लिया जाएगा।
(3) अंतरिम अनुतोष के लिए अन्य समस्त आवेदनों में आई.ए. क्रमांक, जैसे कि अंतरिम आवेदन क्रमांक-1, 2, 3 (यथास्थिति) संबद्ध अभिलेख की नस्ती में ही दिए जाएंगे।

8. **अपील या पुनर्विलोकन का समय के भीतर फाईल किया जाना**.- (1) धारा 78 के अधीन या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई अपील या धारा 77-क के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन, अधिनियम के अधीन विहित कालावधि के भीतर पेश किया जाएगाः परंतु, यदि व्यधिवत पक्षकार द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख के बारे में कोई संदेह उद्‌भूत होता है तब उस पर अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु, यह और कि जहां कोई अपील या पुनर्विलोकन आवेदन, विहित कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, किंतु परिशुद्धि करने के लिए वापिस कर दिया जाता है और यदि ऐसी अपील अनुज्ञात समय के भीतर समस्त त्रुटियों को परिशुद्ध करके पुनः प्रस्तुत की जाती है, तब उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह समस्त त्रुटियां परिशुद्ध करके विहित कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दी गई है;

(2) जब कोई अपील या कोई पुनर्विलोकन आवेदन अधिनियम के विहित की गई कालावधि के पश्चात पेश किया जाता है तो इसके साथ एक याचिका और उसके समर्थन में एक शपथ-पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें वे तथ्य उपवर्णित रहेंगे जिन पर अपीलार्थी या पुनर्विलोकनकर्ता आवेदक को अधिकरण का यह समाधान करने के लिए विश्वास है कि उसके पास अपील या पुनर्विलोकन आवेदन ऐसे समय के भीतर नहीं करने का पर्याप्त कारण था और उसमें विलंब के लिये माफी देने की विशिष्ट प्रार्थना होगी। अधिकरण, अपील या पुनर्विलोकन आवेदन ग्रहण करने के पूर्व प्रथमतः विलंब के लिए माफी देने की याचिका का निपटारा करेगा।

9. **नोटिस की तामील**.- (1) यदि कोई डाक सामग्री जिसमें नोटिस या समन हो, इस बात के पृष्ठांकन के साथ वापिस प्राप्त होती है जो किसी डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित है कि प्रेषिती या उसके अभिकर्ता ने उसे परिदत्त यथास्थिति, नोटिस या समन अंतर्विष्ट वाली डाक सामग्री का परिदान लेने से इन्कार कर दिया था, तब इसे जारी करने वाला अधिकरण या बेंच यह घोषणा करेगी कि नोटिस या समन सम्यक रूप से तामील हो गया है :

परंतु पूर्वोक्त निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश-5 के नियम 19-क के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख को या उसके पूर्व डाक अभिस्वीकृति वापिस प्राप्त नहीं हुई है,

(2) जहां अधिकरण या बैच का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि प्रेषिती से बच रहा है या किसी अन्य कारण से नोटिस या समन की तामील डाक द्वारा नहीं की जा सकती है, वहां अधिकरण या बैंच उस सूचना या समन को उस क्षेत्र में, जिसमें प्रेषिती का अंतिम रूप से निवास करना या कार्य किया जाना या कारबार किया जाना ज्ञात है, प्रसारित दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा या ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, तामील किए जाने के आदेश करेगा। प्रकाशन संबंधी व्ययों का भुगतान यथास्थिति, अपीलार्थी या याचिकाकर्ता द्वारा किया जाएगा।

10. **पक्षकारों द्वारा हाजिर होना और गैर हाजिर रहने का परिणाम**.- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश-9 नियम-1 से 14 के उपबंध अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में ऐसे उपान्तरणों सहित लागू होंगे जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

11. **सुनवाई के लिए तारीख नियत किया**.- (1) अधिकरण सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख का नोटिस संबंधित पक्षकारों को इन नियमों से संलग्न प्रारूप "ड." में रजिस्ट्रीकृत डाक अभिस्वीकृति द्वारा जारी किया जाएगा। यथास्थिति,

अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन याचिका के ज्ञापन की एक प्रति प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों को दी जाएगी,

(2) शपथ-पत्र और आक्षेपित आदेश के निलंबन के लिए आवेदन की एक प्रति भी सुनवाई के नोटिस के साथ प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों को दी जाएगी,

(3) रजिस्ट्रीकृत डाक से व्यय यथास्थिति, अपीलार्थी या याचिकाकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

अध्याय-चार-सुनवाई, स्थगन और निर्णय

12. **सुनवाई और स्थगन के लिए प्रक्रिया**.- सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को या किसी अन्य तारीख को, जिस तक के लिए सुनवाई स्थगित की जाए, अपील के समर्थन में पक्षकार या अपीलार्थी या आवेदक के अधिवक्ता के सामान्यतः पहले सुना जाएगा, प्रत्यर्थी या अनावदेक या उसके अधिवक्ता को, यदि आवश्यक हो, उसके बाद सुना जाएगा और ऐसे मामलों में पक्षकार या आवेदक जवाब देने का हकदार होगा।

13. **साक्ष्य**.- (1) जहां कोई पक्षकार यह वांछा करता है कि अपील में अधिकरण द्वारा किसी गवाह की परीक्षा की जाए या अतिरिक्त साक्ष्य के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करवाए जाएं, तो वह एक शपथ-पत्र के माध्यम से अधिकरण को, उस व्यक्ति को समन करने के लिए, जिसकी उपस्थिति या तो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित है, आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार, फाईल किए गए शपथ-पत्र पर अधिकरण द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात संबंधित व्यक्ति पर तामील करने के लिए पक्षकार या उसके अधिवक्ता को समन जारी करेगा;

(2) जहां वह व्यक्ति, जिसे समन किया जाए लोक सेवक है, वहां पक्षकार, समन दिए जाने से पूर्व, समन के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को ऐसी धनराशि अदा करेगा जो समन किए गए व्यक्ति के अधिकरण में आने और वापिस जाने तथा एक दिन की हाजिरी के लिए यात्रा तथा अन्य खर्चें अदा करने के लिए अधिकरण को पर्याप्त प्रतीत हो,

(3) जहां वह व्यक्ति जिसे समन किया जाए लोकसेवक नहीं है, वहां जो समन निकलवाता है उस पक्षकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वा साक्षी को प्रस्तुत करे या दस्तावेजों को पेश करवाए और जहां वह उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने अतिरिक्त साक्ष्य का दावा छोड़ दिया है।

अतिरिक्त साक्ष्य.- निम्नलिखित के सिवाय, अपील के पक्षकार अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे :-

(क) यदि उस प्राधिकारी ने, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील या आवेदन किया जाता है, साक्ष्य ग्राह्य करने से इंकार कर दिया है जिसे कि ग्राह्य किया जाना चाहिए; या

(ख) अतिरिक्त साक्ष्य चाहने वाला पक्षकार अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद ऐसा साक्ष्य उसके ज्ञान में उस समय नहीं था या उसके द्वारा पता

नहीं चल सका था या प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, जब अपील के अधीन आदेश पारित किया गया था; या

(ग) यदि अधिकरण किसी दस्तावेज के प्रस्तुत किए जाने या किसी साक्षी की परीक्षा किए जाने की अपेक्षा करे जिससे वह न्यायसंगत आदेश पारित करने में समर्थ हो; और

(घ) यदि किसी अन्य पर्याप्त कारण से अधिकरण, ऐसी साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत किए जाने या साक्षियों की परीक्षा किए जाने को अनुज्ञात करें :

परंतु, जहां ऐसा साक्ष्य प्राप्त किया जाता है वहां दूसरा पक्षकार उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

14. **दस्तावेजों का प्रकटीकरण, निरीक्षण और ग्राह्यता.**- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश-9 और 12 के अधीन नियम, अधिकरण के समक्ष मामलों पर लागू होंगे।

15. **साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी.**- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश-16 के नियम-1 से 21 और आदेश 16-क के नियम 1 से 7 अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

16. **स्थगन.**- (1) अधिकरण, ऐसी शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, और किसी भी प्रक्रम पर, स्वप्रेरणा से खुले न्यायालय में उल्लेख करते हुए या किसी मौखिक अनुरोध पर या याचिकाकर्ता या प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन द्वारा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदन की सुनवाई स्थगित कर सकेगा;

(2) स्थगन के लिए आवेदन एक शपथ-पत्र के साथ पक्षकार द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जो मामले के तथ्यों से भलीभांति अवगत हो;

(3) स्थगन के लिए प्रत्येक आवेदन अपेक्षित न्यायालय फीस के साथ स्टाम्पित किया जाएगा और आवेदनों की प्रतियां अन्य पक्षकार को भी दी जाएंगी।

17. **अपीलार्थी या किसी आवेदक की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया.**- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 के नियम 1 से 13 यथावश्यक परिवर्तन सहित पक्षकारों की मृत्यु और उनके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के संबंध में लागू होंगे।

18. **आदेश.**- (1) अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और सुनवाई के ठीक पश्चात या इस प्रयोजन के लिए नियत की गई ऐसी तारीख को सुनाया जाएगा जो कि अंतिम सुनवाई की तारीख से पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगी;

(2) आदेश संबंधित पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् हस्ताक्षरित किया जाएगा और सुनाया जाएगा। नियत तारीख को आदेश न सुनाई जाने की दशा में, सुनवाई के लिए मूलतः नियत तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इसे सुनाया जा सकेगा;

(3) अधिकरण के प्रत्येक विनिश्चय या आदेश की प्रति अपीलार्थी और ऐसे अन्य पक्षकारों को या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रदान की जाएगी जिनका अधिकरण की राय में विनिश्चय या आदेश से प्रभावित होना संभाव्य है।

अध्याय-पांच- विविध

19. **अधिकरण के दस्तावेजों और आदेशों की प्रक्रिया.**- (1) अधिकरण के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों का कोई भी पक्षकार, किसी दस्तावेज के निरीक्षण के लिए या किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के लिए और अधिकरण के आदेश के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा,

(2) दस्तावेजों की प्रतियों के लिए या दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन में आवेदक का नाम और पता, दस्तावेज की तारीख और विवरण या वह आदेश और वह प्रयोजन जिसके लिए प्रति अपेक्षित है, उपवर्णित रहेगा। ऐसा कोई भी आवेदन, जो उचित प्रारूप में नहीं है, उचित प्रारूप में पुनः प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाएगी;

(3) दस्तावेजों या आदेश की प्रमाणित प्रति फुलस्केप कागज पर दोनों ओर एक इंच का हाशिया छोड़कर और डबल स्पेस में टाईप करवाई जाएगी;

(4) दस्तावेजों या आदेश की प्रमाणित प्रतियां संबंधित पक्षकार को, प्रतियां तैयार करने के लिए विहित की गई फीस का भुगतान करने पर रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर कर परिदत्त की जाएंगी। रजिस्ट्रार के अवकश पर रहने या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में वह अधिकरण के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी;

(5) यदि रजिस्ट्रार किसी दस्तावेज की प्रति प्रदान करने के औचित्य के बारे में कोई संदेह अनुभव करता है तो वह अध्यक्ष के समक्ष आवेदन को रखेगा और उसके आदेशों के अनुसार कार्य करेगा;

(6) आवेदनों के प्रस्तुत किये जाने, प्रभारों का भुगतान और प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम के अध्याय-23 के नियम 472 से 522, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे;

(7) अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की समस्त प्रमाणित प्रतियां, अधिकरण के रजिस्ट्रार के द्वारा "सत्यप्रति" के रूप में सत्यापित की जाएंगी और उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी। अवकाश या अन्यथा उसकी अनुपस्थिति की दशा में अधिकरण के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा उन्हें प्रमाणित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

20. **मामलों को सूचीबद्ध करना.**- (1) मामलों की एक काजलिस्ट अधिकरण के समक्ष रखने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा कार्यालय में तैयार की जाएगी और अवकाश या अन्यथा उसकी अनुपस्थिति में अधिकरण के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी। मामले समावेदन की सुनवाई के लिए और अंतिम सुनवाई के लिए कालानुक्रम से सूचीबद्ध किए जाएंगे;

(2) समावेदन की सुनवाई के लिए मामले ग्राह्य करने हेतु सूचीबद्ध किए जाएंगे और अंतरिम प्रकृति के किसी आवेदन पर आदेश हेतु सूचीबद्ध किए जाएंगे;

(3) भाग-ख में अंतिम सुनवाई के लिए ऐसे मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे जिनमें कि समस्त पक्षकारों को तामीली का जी चुकी है और निचला न्यायालय का अभिलेख, यदि कोई हो, प्राप्त किया जा चुका है और मामला अन्यथा रूप में अंतिम सुनवाई हेतु पूर्ण है;

(4) रजिस्ट्रार, समावेदन की सुनवाई और अंतिम सुनवाई में पर्याप्त संख्या में मामलों को सूचीबद्ध करेगा जिससे कि सुनवाई संपूर्ण कार्य दिवस में जारी रहे;

(5) जब कभी अधिकरण की बैंच उपलब्ध न हो तो रजिस्ट्रार उन मामलों को स्थगित कर देगा जो कि बैंच के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने के लिए उस तारीख को, जिसको कि बैंच उपलब्ध नहीं है, नियत किए गए थे,

(6) समस्त पत्र व्यवहार, पत्र, समंस और नोटिस, रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और अवकाश या अन्य कारण से उसके अनुपस्थित रहने की दशा में अधिकरण के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

21. **कतिपय मामलों में आदेश एवं निदेश.**- अधिकरण ऐसे आदेश कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा जो कि उसके आदेशों को प्रभावी बनाने में या उनके संबंध में या उसकी कार्यवाही का दुरुपयोग रोकने में न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में आवश्यक या समीचीन हों;

22. **अध्यक्ष एवं विभागीय सदस्यों के लिए पोशाक.**- अध्यक्ष और विभागीय सदस्य, यदि कोई हो, सफेद शर्ट, सफेद बैंड, काला कोट, सफेद पट्टीदार या स्लेटी रंग का पेन्ट और गाऊन पहनेंगे।

23. **विधि व्यवसायियों के लिए पोशाक.**- प्रत्येक विधि व्यवसायी अपनी व्यावसायिक पोशाक में अधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा और गाऊन भी पहनेगा।

24. **सार्वजनिक अवकाश और दीर्घावकाश.**- (1) अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य और अधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारीगण ऐसे समस्त सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश का उपभोग करेंगे जो कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उनके अनुसरम के लिए विहित किये गये है। यद्यपि अधिकरण तथा उसके कार्यालय दो शनिवार बंद रहेंगे जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के और उसकी रजिस्ट्री के लिए बंद शनिवार अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अधिकरण ऐसे सभी स्थानीय अवकाशों तथा अन्य अवकाशों का उपभोग करेगा, जो कि शासन या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किए जायें;

(2) (एक) अध्यक्ष नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य अर्जित छुट्टी के अतिरिक्त ऐसी दीर्घवकाश कालावधि के दौरान, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा उसकी दीर्घावकाश कालावधि अधिसूचित की जाए, एक कैलेण्डर वर्ष में 15 दिन का ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश तथा एक सप्ताह का शीतकालीन दीर्घावकाश का हकदार होगा। अध्यक्ष, शासन को उस कालावधि की सूचना देगा जिसमें वह दीर्घावकाश का उपभोग करेगा;

(दो) अवकाशों तथा दीर्घावकाश की सूची को अंतर्विष्ट करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा कैलेण्डर के प्रकाशन के पश्चात् अधिकरण भी अपनी दीर्घावकाश कालावधि को राजपत्र में अधिसूचित करेगा।

25. **रजिस्ट्रार की शक्तियां तथा कार्य.**- (1) रजिस्ट्रार, अधिकरण का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होगा और कार्यालय के सामान्य प्रशासन का पूर्णरूपेण प्रभारी होगा और अधिकरण एवं उसके कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कामकाज को चालू रखने के लिए अध्यक्ष के आदेशों एवं निदेशों

के अध्यधीन होगा और उसके अधीनस्थ होगा;

(2) वह अधिकरण की कार्यालयीन मुद्रा को अपनी अभिरक्षा में रखेगा,

(3) अध्यक्ष के सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए, अभिकरण की मुद्रा, रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार के सिवाय, किसी भी आदेश, समन या अन्य कार्यवाही पर लगाई नहीं जायेगी।

26. **ऊपर निर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार को अध्यक्ष के सामान्य एवं विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्**.- (1) सभी अपीलों, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन याचिका और अन्य आवेदनों, दस्तावेजों को ग्रहण करना;

(2) रजिस्ट्रीकरण से पूर्व सभी आवेदनों की रजिस्ट्रीकृत किए जाने से पूर्व जांच उद्‌भूत सभी प्रश्नों को ग्रहण करना;

(3) अधिकरण को प्रस्तुत किसी भी आवेदन पत्र को नियमों तथा विनियमों के अनुसार संशोधित किए जाने हेतु अपेक्षा करना;

(4) संबंधित बैंचों के निदेशों के अधीन, आवेदनों या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई की तारीख नियत करना और उसकी सूचना जारी करना;

(5) कार्यवाही के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रदान करने हेतु आदेश देना;

(6) किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण से उसके अभिरक्षा में, के अभिलेखों की मांग करना;

(7) रजिस्ट्रार, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, अधिकरण के तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बीच कार्य का विभाजन करेगा और तद्‌नुसार कर्त्तव्य सूची भी तैयार करेगा।

27. **मुद्रा एवं संप्रतीक**.- अधिकरण 2 इंच व्यास (डायमीटर) की गोलाकार मुद्रा का उपयोग अपनी सरकारी मुद्रा के रूप में हिन्दी में निम्नलिखित उत्कीर्ण किये हुए राष्ट्रीय संप्रतीक के साथ करेगा :-

"मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण" भोपाल

28. **सामान्य आदेश द्वारा निपटारा**.- यदि अधिकरण के समक्ष ऐसी अपीलें या पुनरीक्षण लंबित हैं जिनमें विचार किए जाने हेतु सामान्य बिंदु अन्तर्वलित हैं तो अधिकरण, ऐसे सभी मामलों को संयोजित कर सकेगा और एक सामान्य आदेश द्वारा उनका निपटारा कर सकेगा।

29. **आदेशों का प्रकाशन**.- अधिकरण के ऐसे आदेशों को, जो कि यथास्थिति अध्यक्ष और सदस्य, यदि कोई हों, के द्वारा किसी प्रामाणिक रिपोर्ट में प्रकाशन के लिए उपयुक्त माने गये हों और "रिर्पोटिंग के लिए अनुमोदित" प्रमाणित किए गए हों, प्रकाशन के लिए ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जारी किया जा सकेगा, जैसा कि अधिकरण द्वारा अभिकथित किया जाए।

30. **निराकृत अभिलेखों का परीक्षण तथा विवरण**.- (1) प्रत्येक उत्तरवर्ती मास की 5 तारीख तक रीडर, निपटाई गई द्वितीय अपील, प्रथम अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन याचिका तथा विविध मामलों की, जिनका विनिश्चय अधिकरण द्वारा पूर्ववर्ती मास में किया गया है, एक

पृथक् सूची तैयार करेगा। रीडर प्रत्येक निराकृत अभिलेख से एक विषय सूची संलग्न करेगा जिसमें संबंधित अभिलेख पर लगाये गये न्यायालय फीस लेबल की रकम, आर्डरशीट की कुल संख्या तथा ऐसे मामले के अन्य दस्तावेज दर्शाए जायेंगे। वह पक्षकारों के नाम तथा विनिश्चय/आदेश की तारीख की प्रविष्टि भी करेगा। वह इस सूची को और विनिश्चित किए गए मामलों के संबंधित अभिलेखों की रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा जो रीडर द्वारा की गई प्रविष्टियों की सत्यता को सत्यापित करने के पश्चात् उसे रिकार्ड कीपर को परिदत्त करके अभिलेख कक्ष (रिकार्ड रूम) में प्रेषित करेगा और उसकी अभिस्वीकृति भी अभिप्राप्त करेगा। ऐसे अभिलेखों में लगाये गये समस्त न्यायालय फीस लेबलों का सम्यक् रूप से पंच किया जाएगा और ऐसी रीति में रद्द किया जाएगा, जैसी कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियमों में दर्शाई गई है;

(2) रिकार्ड कीपर ऐसे अभिलेखों को पृथक् बस्तों में रखेगा। वह द्वितीय अपील, प्रथम अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन याचिका तथा विविध याचिका के अभिलेखों को पृथक रूप से वर्षवार रीति में विभिन्न बस्तों में रखेगा। वह प्रत्येक बस्ते पर उसमें रखे गए मामलों के क्रमांक दर्शाने वाली सूची भी चिपकायेगा। यदि किसी मामले के अभिलेख उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को भेजे गए हैं तो रिकार्ड कीपर उन अभिलेखों के स्थान पर उनके मांगपत्र, उसके आद्यक्षर के अधीन उसके पृष्ठांकन के साथ यह उपदिर्शत करते हुए रखेगा कि अभिलेख, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आदि को दिनांक ..... को प्रेषण क्रमांक ..... द्वारा भेजा जा चुका है;

(3) प्रथम, द्वितीय अपील एवं पुनरीक्षण का अभिलेख, निपटारे के दिनांक से दस वर्ष की कालावधि तक परिरक्षित किया जायेगा। प्रथम, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण से भिन्न अन्य मामलों का अभिलेख पांच वर्ष की कालावधि तक परिरक्षित किया जायेगा;

(4) यथास्थिति दस अथवा पांच वर्ष की अपेक्षित कालावधि की समाप्ति के बाद, अभिलेखों को रजिस्ट्रार द्वारा फाड़कर नष्ट किया जायेगा। रिकार्ड कीपर अभिलेखों को फाड़ने के संबंध में रजिस्ट्रार का आदेश प्राप्त करेगा;

(5) न्यायालय तथा कार्यालय के अन रजिस्टर भी दस वर्ष के लिए परिरक्षित किए जायेंगे और दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, उप-विनियम (4) में दर्शाये गये तरीके से उन्हें भी नष्ट किया जायेगा।

31. **कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के सिविल नियमों से संबंधित नियम, जिनका अनुशरण किया जाएगा.**- जहां इन विनियमों में किसी प्रक्रिया के प्रश्न के संबंध में कोई उपबंध न हो, वहां अधिकरण, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) में बताई गई प्रक्रिया का अनुशरण करेगा।

32. (1) यथास्थिति, अपीलार्थी या आवेदक, अपील के ज्ञापन या किसी अन्य याचिका के साथ उसका रजिस्ट्रीकरण पता फाइल करेगा।

इसी प्रकार यथास्थिति, प्रत्यर्थी या अनावेदक, अधिकरण के समक्ष उसकी प्रथम उपस्थिति पर

उसका रजिस्ट्रीकृत पता उलिलिखत करेगा।

(2) पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि व्यवसायी अपना डाक का पूर्ण पता वकालतनामा में उल्लिखित करेंगे।

33. सभी सूचनायें, पत्र, आदेश जो कि इस अधिकरण द्वारा पक्षकारों या किन्हीं अन्य अधिकारियों पर तामील करने के लिए जारी किए गए हैं, सहायक रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा तामील किए जायेंगे और सम्यक् तामील के बाद उन्हें अधिकरण को वापस किया जायेगा और इसका अनुपालन, मामले में नियत दिनांक से पहले किया जाएगा। सिवाय किसी पर्याप्त कारण या प्रति-हेतु के, किसी भी प्रकार का अनुपालन (नॉन-कंप्लायंस), संबंधित अधिकारी का दोष अभिदर्शित करेगा, जो कि अधिकरण के न्यायिक आदेश की अवज्ञा की कार्यवाही माना जायेगा।

34. राज्य में सहकारिता विभाग के सभी सहायक, उप, संयुक्त या अतिरिक्त रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार अपने अभिलेख, अधिकरण को प्रेषित करते समय, आवरण मैमो पर अधिकरण के अपील, पुनरीक्षण या विविध याचिका का क्रमांक और अधिकरण द्वारा मामले में नियत सुनवाई के दिनांक का आवश्यक रूप से उल्लेख करेंगे।

35. यथास्थिति आवेदक या अपीलार्थी पर यह बाध्यकारी होगा कि वह आक्षेपाधीन समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियां, यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण में, अधिकरण के समक्ष फाइल करें। यद्यपि द्वितीय अपील, विचारण न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में स्वीकार की जा सकेगी और उसके स्थान पर अपीलार्थी विचारण न्यायालय के आदेश की सत्य प्रतिलिपि फाईल कर सकेगा।

36. पुनरीक्षण याचिका फाइल करने वाला पक्षकार ऐसी याचिका के साथ निचले न्यायालय में फाइल याचिका, स्थगन आवेदन और उसके जवाब की, यदि कोई हों, छायाप्रति और ऐसी याचिका के साथ अपनी पुनरीक्षण याचिका के समर्थन में समस्त अन्य आवश्यक दस्तावेज भी फाइल करेगा।

37. डाक द्वारा अपील, पुनरीक्षण और कोई अन्य याचिका भेजने वाले पक्षकार, समावेदन की सुनवाई के लिए उसे सूचना जारी करने के लिए उसके साथ बीस रुपये की डाक टिकट लगा एक लिफाफा भी संलग्न करेगा। ऐसे डाक प्रभारों के अभाव में, डाक द्वारा प्राप्त की गई ऐसी अपील, पुनरीक्षण या विविध याचिकायें, सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की जायेंगी और याचिका नस्तीबद्ध कर दी जावेगी।

38. **शपथ-पत्र**.- (1) अधिकरण, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, किसी तथ्य का प्रमाण, शपथ-पत्र मांग सकेगा;

(2) अधिकरण में उपयोग के लिए शपथ-पत्र पर जनरल हेडिंग "मध्यप्रदेश सहकारी अधिकरण, भोपाल के समक्ष" होगा और उसमें उस कार्यवाही या मामले का, जिसमें उसका उपयोग किया जाना चाहा गया है, काज टाइटिल और किसी अंतर्वर्ती आवेदन में शपथ-पत्र के मामले में, अंतर्वर्ती आवेदन का काज टाइटिल भी उपवर्णित होगा;

(3) शपथ-पत्र तथ्यों के कथनों तक सीमित रहेगा और तर्कों से मुक्त रखा जायेगा और जब घोषणाकर्ता द्वारा तथ्यों का कथन व्यक्तिगत जानकारी से न होकर उसके द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारित हो तो वह इसी प्रकार का कथन करेगा और यह भी कथन करेगा कि वह यह विश्वास करता है कि वे सत्य हैं और जहां तक संभव हो, उक्त जानकारी का स्रोत और उसके विश्वास के आधारों को भी, यदि कोई हों, देगा;

(4) अधिकरण के समक्ष उपयोग के लिए आशयित शपथ-पत्र निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति के समक्ष बनाये जायेंगे और उसके द्वारा अनुप्रमाणित किए जा सकेंगे :-

(क) कोई न्यायिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट या सिविल अथवा दण्ड न्यायालय का अन्य पीठासीन अधिकारी;

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी नोटरी।

(5) शपथ-पत्र का अभिसाक्षी, शपथ-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे और उसके अंत में भी अपने हस्ताक्षर करेगा या अपना निशान लगायेगा। अनुप्रमाणन अधिकारी प्रत्येक सुधार, परिवर्तन या अंतरालेखन का अधिप्रमाणन उसके निकट अपने आधाक्षर से करेगा और प्रत्येक पृष्ठ के नीचे ऐसे अधिप्रमाणित सुधारों आदि की संख्या की प्रविष्टि करेगा और यदि कोई सुधार न हो तो शब्द "कुछ नहीं" की प्रविष्टि करेगा और ऐसी प्रविष्टि पर अपने आधाक्षर करेगा और शपथ-पत्र के अंत में हस्ताक्षर कर अपने पदनाम की प्रविष्टि करेगा और वहां पर अपनी कार्यालयीन मुद्रा या अपनी न्यायालयीन मुद्रा, दिनांक सहित, अंकित करेगा। अनुप्रमाणन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व इस तथ्य का ध्यान रखेगा कि उसकी उपस्थिति में शपथ ली गई है या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया है।

(6) यदि अभिसाक्षी को अनुप्रमाणन अधिकारी व्यक्ति रूप से न जानता हो तो अनुप्रमाणन अधिकारी का परिचित कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान करेगा और शपथ-पत्र के अंत में ऐसी पहचान तथा पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम, विवरण दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर किये जायेंगे। यदि अनुप्रमाणन अधिकारी अभिसाक्षी को नहीं जानता है या उसकी पहचान नहीं की जा सकती है तो ऐसे अभिसाक्षी के बांये हाथ के अंगूठे का निशान शपथ-पत्र के अंत में लिया जायेगा और ऐसे निशान को अनुप्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा,

(7) यदि अभिसाक्षी निरक्षर है या नेत्रहीन है या उस भाषा से परिचित नहीं है जिसमें शपथ-पत्र तैयार किया गया है या लिखा गया है तो शपथ-पत्र उसे पढ़कर सुनाया जायेगा और उसे उसकी परिचित भाषा में अनुप्रमाणन अधिकारी के समक्ष समझाया जायेगा जो यह प्रमाणित करेगा कि उसकी उपस्थिति में उसे इस तरह समझाया गया और अभिसाक्षी की समझ में वह आ गया और उसने अपने हस्ताक्षर या अपना निशान अंकित किया।

39. **खर्च**.- (1) बैंच को अपने समक्ष की गई किसी भी कार्यवाही का या इससे आनुषांगिक खर्च दिलवाने की शक्ति होगी और यह निदेश दे सकेगी कि उक्त खर्च जिसके द्वारा दिया जायेगा,

निर्णय परिदत्त करने के बाद खर्च का मैमो तैयार किया जायेगा और निर्णय या आदेश के साथ संलग्न किया जायेगा और रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और अधिकरण की मुद्रा अंकित की जायेगी। ऐसा मैमो अपीलों, याचिकाओं या अन्य कार्यवाहियों में उपगत हुए खर्च का निर्णायक साक्ष्य होगा;

(2) खर्च की गणना में, सफल पक्ष द्वारा अपील के ज्ञापन के रूप में फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित आवश्यक प्रतिलिपियां लेने पर किए गए समस्त खर्च, अपील के ज्ञापन या याचिका और वकालतनामा प्रमाणित प्रतिलिपि और विधि द्वारा पेश किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य दस्तावेजों पर चुकाई गई न्यायालय फीस, चुकाई गई आदेशिका फीस, यदि कोई हो, स्थगन खर्च और अभिभाषक की फीस, जो दो सौ रुपये से अधिक न हो, जैसा कि मामले की सुनवाई करने वाली बैंच द्वारा नियत की जाए, सम्मिलित की जायेगी। खर्च की अन्य कोई मद, जिसे अधिकरण द्वारा खर्च के रूप में माना जाना विशिष्ट रूप से आदेशित किया गया हो, को भी सम्मिलित किया जायेगा, परंतु जब बैंच, स्वप्रेरणा से किसी मामले का पुनरीक्षण करती है और संबंधित पक्षकारों को सुनने के बाद आदेश पारित करती है तो किसी भी पक्षकार के विरुद्ध खर्च का कोई भी आदेश नहीं दिया जायेगा।

40. **लिपिकिय या गणितीय भूल.**- निर्णयों या आदेशों में किसी भी लिपिकीय या गणितीय भूल या आकस्मिक चूक या हुई भूल, किसी भी समय अधिकरण की बैंच द्वारा स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन देने पर सुधारी जा सकेगी,

परंतु बैंच, ऐसा सुधार किए जाने का आदेश देने से पूर्व, सुधार से प्रभावित हो सकने वाले पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देगी।

41. **अधिकरण की कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होंगी.**- अधिकरण के समक्ष समस्त कार्यवाहियां, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 तथा 228 के अर्थ के अंतर्गत धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही मानी जायेंगी और अधिकरण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) की धारा 195 और अध्याय छब्बीस के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा।

42. **आदेशिका फीस.**- सूचना जारी करने के लिए आदेशिका फीस, यथास्थिति, अपीलार्थी या आवेदक द्वारा प्रत्येक प्रत्यर्थी/अनावेदक, जैसी कि स्थिति हो, दो रुपये की दर से न्यायालय फीस के रूप में चुकाई जायेगी।

43. **न्यायालय फीस.**- अधिकरण में फाइल किये जाने वाले वकालतनामा, अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण के ज्ञापन, केवियट आवेदन या विविध आवेदनों पर देय न्यायालय फीस वही होगी, जो कि न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, (1870 का सं. 7) की अनुसूची-11, मद क्र.1, खण्ड (बी), कॉलम-5, खण्ड (ई) और आइटम क्रमांक-10, 11 (क) और 12 में दर्शाई गई है।

44. **फाइल करने की फीस.**- अधिकरण के समक्ष किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि फाइल करने वाला पक्षकार, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज पर रुपये 2/- के न्यायालय फीस लेबल लगायेगा।

प्रारूप- "क"

[विनियम 7 (1) देखिये]

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आदि के आदेशों के विरुद्ध अपील का रजिस्टर

संस्थित किए जाने का दि.	मामला क्रमांक	अपीलार्थी			(प्रत्यर्थी)			आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई (मामला क्र.) पक्षकारों के नाम/निचले न्यायालय के नाम सहित)	पक्षकारों के लिए उपस्थिति का दिनांक	आदेश पुष्टिकरण, अपास्त या परिवर्तन का दिनांक	टिप्पणी
		नाम	विवरण	निवास स्थान	नाम	विवरण	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)	(6)	(7)	(8)

प्रारूप- "घ"

[विनियम 7 (2) देखिये]

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

विविध प्रत्यावर्तन मामलों का रजिस्टर

संस्थित किए जाने का दिनांक	मामला क्रमांक	आवेदक			(अनावेदक)			धारा के अधीन आवेदन	पक्षकारों की उपस्थिति का दि.	आदेश	टिप्पणी
		नाम	विवरण	निवास स्थान	नाम	विवरण	निवास स्थान	मामला क्र.		विवरण सहित आदेश का दि.	
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)			
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)	(6)	(7)	(8)

प्रारूप- "ड."

[विनियम 11 देखिये]

प्रत्यर्थी/अनावेदक को अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन याचिका/विविध मामले की सुनवाई के लिए नियत दिनांक की सूचना

[विनियम-9 (2) देखिये]

सिविल अपील/पुनरीक्षण/विविध मामला क्रमांक/.....

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

पक्षकारों का नाम अपीलार्थी/आवेदक

न्यायालय के आदेश दिनांक..... मामला क्रमांक.....से अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन/विविध याचिका।

प्रति,

.....पिता.....निवासी.....जिला.....

जाति.....

तहसील.....

प्रत्यर्थी/अनावेदक

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त उलिलिखत आदेश के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन/विविध याचिका प्रस्तुत की गई है और जो इस अधिकरण में क्रमांक.....पर रजिस्ट्रीकृत की गई है और यह कि दिनांक.....उसकी सुनवाई हेतु नियत किया गया है।

यदि आपके द्वारा आपकी ओर से, आपका अधिवक्ता या आपकी ओर से कार्य करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो इसकी सुनवाई एवं इसका विनिश्चय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जायेगा। आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुद्रा से दी गई।

अधिकरण के आदेश से

.....

रजिस्ट्रार

मुद्रा

प्रारूप- "ख"

[विनियम 7 (1) देखिये]

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

पुनरीक्षण का रजिस्टर

संस्थित किए जाने की दिनांक	अपील क्रमांक	आवेदक			(अनावेदक)			आदेश जिसके विरुद्ध मामला फाइल किया गया			मामले में पक्षकारों की उपस्थिति का दिनांक	आदेश पुष्टिकरण/ अपास्त या परिवर्तन का दिनांक	टिप्पणी
		नाम (1)	विवरण (2)	निवास स्थान (3)	नाम (1)	विवरण (2)	निवास स्थान (3)	मामला क्रमांक	पक्षकारों के नाम	निचले न्यायालय का नाम			
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)			(6)	(7)	(8)

प्रारूप- "ग"

[विनियम 7 (2) देखिये]

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

पुनर्विलोकन आवेदन का रजिस्टर

संस्थित किए जाने का दिनांक	पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक	आवेदक			(अनावेदक)			आदेश जिसका पुनर्विलोकन चाहा गया हो		पक्षकारों की उपस्थिति की दि.	आदेश पुष्टिकरण/ अपास्त/ परिवर्तन का दिनांक	टिप्पणी
		नाम (1)	विवरण (2)	निवास (3)	नाम (1)	विवरण (2)	निवास (3)	मामला क्रमांक	पक्षकारों के नाम			
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		(6)	(7)	(8)